(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2) सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 27 वां दिवस (संख्या 15)

मंगलवार

दिनांक 18 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

देवारी स्थित हिन्दुस्तान जिंक प्रतिष्ठान के विषाक्त जल से-जल प्रदूषण

322. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवारी स्थित हिन्दुस्तान जिंक प्रतिष्ठान से निकलने वाले विषाक्त जल से आस-पास के ग्रामों के कुओं का जल विषाक्त हो गया है ?

(2) यदि हाँ, तो कितने कुओं का जल दूषित हुआ तथा सरकार उन्हें प्रदूषण से बचाने के लिये क्या कर रही है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारी लाल) : (1) जी हाँ, ग्राम गोडवा से मंदेसर तक बेड़च नदी के आस-पास स्थित कुछ कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है।

(2) अभी तक किए हुए सर्वेक्षण के अनुसार नदी पर स्थित 4 कुओं का पानी पीने योग्य नहीं है। संस्थान द्वारा 68 लाख रुपये की लागत का एक आधुनिक प्रदूषित उपचार संयंत्र लगाया जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि 15 सौ कुओं का पानी खराब हो गया, उसके लिए वहाँ के किसानों ने 2 माह पूर्व ज्ञापन दिया था और वहाँ के कुओं के पानी का नमूना पेश किया था, क्या उनकी जाँच कर ली गयी ?

श्री बनवारी लाल : 68 लाख रुपये की योजना बना रहे हैं, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री बनवारी लाल : जाँच कराने पर ही 14 जगह से सैम्पल लिये गये थे। उनमें से 4 जगह का पानी खराब है और बाकी सब जगह ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जब लगा था, उस समय इसका ट्रीटमेंट संयंत्र लगाने की बात कही गयी थी और 9 साल से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
लगातार प्रदूषण हो रहा है और वह ट्रीटमेंट संयंत्र नहीं लगाया है। इसके बारे में क्या कहेंगे ?

श्री बनवारी लाल : यह उन्होंने एश्योर किया है कि यह ट्रीटमेंट प्लान्ट 81 में चालू कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं लगाने से किसानों का और उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, फसलें इसके कारण बर्बाद हो गयीं। किसानों का पानी ठीक हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ? इसके लिए व्यवस्था जिंक लिमिटेड करेगा या सरकार करेगी ?

श्री बनवारी लाल : इसके लिए विचार विमर्श चल रहा है। इसको सरकार जल्दी करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ नगर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या हिन्दुस्तान जिंक ने सरकार को यह Under-taking दी है कि प्रदूषण से प्रभावित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देंगे ? कितने परिवारों को नौकरी दे दी गई, और कितने परिवार अभी तक वंचित हैं ?

श्री बनवारी लाल : यह सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। आप बता रहे हैं तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मंत्री महोदय यह बतायें कि यह समस्या राज्य सरकार के ध्यान में कब लायी गयी ? उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, उसमें आपने अपनी तरफ से क्या प्रयत्न किये, उसमें से किसानों को कितना लाभ या सुविधा आप अब तक दे चुके हैं ?

श्री बनवारीलाल : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का हमारा इस पोल्यूशन पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है कि उनको हम कम्पन्सेशन दे सकते हों, इसके लिए बाध्य करें। इसके लिए हमने फैक्ट्री को और केन्द्र सरकार को लिखा है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) यह समस्या यहाँ तक ही सीमित नहीं है। यह वाटर पोल्यूशन की समस्या और जगह भी राजस्थान में है। पानी में........

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में ही नहीं विश्व भर में है यह समस्या तो।

श्रीमती विद्या पाठक : इनको पेमेन्ट करने के लिए या इनको कम्पन्सेशन देने के लिए कोई निर्णय लेना चाहेगी ? इसके लिए सरकार ने अब तक क्या किया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिए, श्रीमती विद्या पाठक।

श्री बनवारीलाल : दोबारा बतायें, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आब्जेक्शनेबल है। मैं

(श्रीमती विद्या पाठक)
आपके माध्यम से यह पूछना चाहती थी कि वाटर पोल्यूशन की प्राब्लम जिंक लिमिटेड तक ही सीमित नहीं है बाड़मेर में, सांगानेर में, पाली में, बगरू में और भी बहुत सी जगह हैं। इसका निर्णय नीतिगत लेना होगा कि अब तक इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री बनवारी लाल : विभाग ने बराबर जहां से प्रदूषण रोका है, उस जगह फैक्टरियों को सुझाव देते हैं और ऐसे प्लान्ट लगाने के लिए मजबूर करते हैं और कोशिश करते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह समस्या, किसानों की, एक साल से नहीं है, उनकी शिकायत 8–9 साल से चल रही है लेकिन कोई प्रयत्न नहीं हुआ। किसानों की खेती और पशु पानी पीने से मर जाते हैं तो आप फैक्ट्री से कम्पन्सेशन दिलायें या नहीं, बच्चों को नौकरी दिलायें, ये तमाम मामले हैं, जल्दी से जल्दी इस समस्या से मुक्ति मिले नहीं तो……

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 77 से 80 के बीच में भी मरे।

श्री बनवारी लाल : विभाग की कोशिश के द्वारा ही 68 लाख रुपये का प्लान्ट लगाया जा रहा है और वह जून तक चालू हो जायेगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): मैं भी, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी कान्स्टीट्यूएन्सी में है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो जमीन ली जाती है, वह राज्य सरकार एक्वायर करके जिंक को दिलाती है और जगह जिसकी ली है, उनको नौकरी दिलाने में, जमीन की दूसरी व्यवस्था कराने में एरिया की बात छोड़ देते हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उनके साथ कुछ मामलों पर विचार कर, क्योंकि केन्द्र सरकार का मामला है, उनको जमीन और नौकरी दिलाने की नीति बनायी गयी ?

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : एक प्रश्न है, जो इससे सम्बन्धित है।

श्री बनवारी लाल : कम्पन्सेशन का विभाग के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। उनको फैक्ट्री के लिए लिख सकते हैं। आप दावा करें, कोई कार्यवाही करें, कोर्ट में जायें।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री जनार्दन सिंह गहलोत। अगला प्रश्न।

- **श्री छोगालाल बकोलिया** : पानी नहीं है, फिर भी अगर किसी को लेकर डिपार्टमेण्ट की गलती है, उसके लिए अधिकारी को तुरन्त बरखास्त करें।

प्रश्न संख्या 323

श्री अध्यक्ष : श्री गहलोत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महावीर प्रसाद।

(५)

टौंक बाई पास का निर्माण

324. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टौंक बाई पास के लिये भूमि की स्वीकृति हो चुकी है ?

(2) यदि हाँ, तो अवाप्त की जाने वाली भूमि के मुआवजे एवं अन्य में कुल कितना व्यय होगा ?

(3) भूमि अवाप्ति का कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा कब समाप्त कर कौनसी तिथि तक बाई पास बना दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) जी हाँ।

(2) इसका अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

(3) भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है और नियमानुसार सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन हो चुका है व सैक्शन 6 की कार्यवाही की जा रही है। अभी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि भूमि अवाप्ति का कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा। भूमि अवाप्ति के पश्चात् ही बाई पास के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। बाई पास के बनाने की तिथि निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बाई पास बनाने की योजना कब से चल रही है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, बाई पास के लिए पहली बार जनवरी, 80 में शायद एक लाख रुपये की राशि दी गयी और इसके बाद 12-3-81 को नेशनल हाइवे जो नया बना है, के अन्तर्गत आ गयी है। उसके बाद इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता हो गयी है और उसका सैक्शन 4 में नोटिफिकेशन हो चुका है, उसके लिए एक लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। परन्तु आज कहना कि कुल कितनी राशि होगी, कब तक पूरी हो जायेगी, क्योंकि 12-3-81 को ली गयी है, इसलिए कई प्रश्नों पर सोचने की आवश्यकता हो गयी है। इसलिए मैंने कहा कि आज कहना सम्भव नहीं है, सरकार का प्रयत्न होगा कि इसको जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि नेशनल हाइवे को धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है तो इसमें विलम्ब हम नहीं चाहते। सरकार स्वयं चाहेगी कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! आर्डर आर्डर........

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि........

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जगन-सिंह।

बयाना (भरतपुर) में वक्फ की भूमि पर अतिक्रमण

३२५. **श्री जगन सिंह** (बयाना) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री जगनसिंह)

(1) कस्बा बयाना (भरतपुर) में वक्फ की कितनी भूमि है ?

(2) इस भूमि पर किन किन व्यक्तियों का अवैध कब्जा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस अतिक्रमण को हटवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक इस विषय से क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

वक्फ मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का स्थगन चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित तो मैं करूंगा, आप प्रार्थना करें ।

श्री हरसहाय मीणा : मैं निवेदन करता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । 326 श्री हीरालाल ।

पीपल्दा क्षेत्र के कृषकों की वैध भूमि के संदर्भ में मुकदमे दायर करना

326. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग ने पीपल्दा क्षेत्र के किसानों पर मुकदमे दायर किये हैं ? यदि हां, तो कितने किसानों पर ? कृपया किसान का नाम, पता, मुकदमे का कारण तथा सुनवाई का स्थान सम्बन्धी पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि किसानों के पास जमीन के पट्टे हैं, या वर्षों से काबिज हैं ? क्या इसके बाद भी किसानों से जमीनें छीनी जा रही हैं या उन पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं जिससे किसान परेशान हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे किसानों के हित में उचित कार्यवाही करेगी ?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) जी हां । पूर्ण जानकारी (सूची) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 7 (103) राज./71 दिनांक 22-2-77 तथा 8-2-79 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 1971 से पूर्व में किये गये अतिक्रमणों के नियमन किये जाने के आदेश प्रसारित हैं ।

(जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फर्माया भाग (2) के उत्तर में, बहुत सारे किसान, सैंकड़ों किसान हैं उनकी जमीन वर्षों से उनके कब्जे में है और आपने फर्माया कि जी नहीं जब कि किसानों की पीढ़ियां गुजर गईं । कुछ किसान दस दस, पन्द्रह और बीस सालों से, किसानों की पीढ़ियों से काबिज हैं, ऐसे सैंकड़ों किसान हैं । यह बहुत सारे ट्रेसपासर्स हैं उनका रिकार्ड भी है । 103 लोगों के पास पट्टे हैं । ट्रेसपासर्स हैं और उनके कब्जे हैं और 71 के पहले के कब्जे हैं । इसलिए ऐसे लोगों का नियमन करने और छूट देने के आदेश देने की कृपा करें ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर (2) के अन्दर माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, जब विभाग ने 150 मुकदमे दायर किये हैं अगर उनके पास सबूत हैं तो न्यायालय में प्रस्तुत करें, उनको नियमित कर दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी एप्लीकेशन्स दी हुई हैं और वे गरीब आदमी हैं । उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है । न्यायालय तक पहुंचने की उनकी हिम्मत नहीं है । उनके पास खाने के लिए नहीं है तो न्यायालय तक कहां से पहुंच सकेंगे । आप स्वयं क्यों नहीं विचार करते जब कि उनके कब्जे हैं तो उनको मुक्त करें । उनमें शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग हैं ।

श्री दुलाराम : चाहे शिड्यूल्ड कास्ट के हों या अदर कम्युनिटीज के हों, उनको भी राइट है कि अगर वे 1-1-71 से पूर्व काबिज हैं तो उनको नियमित कर दिया जाय । उसके बाद न्यायालय में सबूत दे सकते हैं । उसके बाद भी अगर आपके पास ऐसे सबूत है कि जिससे विभाग संतुष्ट हो सके कि 1-1-71 से पूर्व काबिज हैं तो उनको नियमित कर दिया जावेगा ।

श्री हीरालाल आर्य : अभी तक उनको पेशी पर बुलाते हैं सुलतानपुरा में जो कि वहां से बहुत दूर है । खातोली में उनके इलाके की चौकी है तो उनको वहीं तहसील में क्यों नहीं बुला लेते ? वन विभाग उनको परेशान नहीं करे इस प्रकार के आदेश दें । किसानों को तंग करते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं तो जब तक आप कार्यवाही करें उनकी बेदखली की कार्यवाही नही करें, वन विभाग वाले परेशान नहीं करें इस प्रकार के आप आदेश दें ।

श्री दुलाराम : जो 1-1-71 से पूर्व काबिज हैं उनको बेदखल न करने के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं पूर्व में ।

श्री हीरालाल आर्य : कब्जा तो है लेकिन इन्द्राज नहीं होने की वजह से ही आपत्ति करते हैं ।

श्री दुलाराम : माननीय सदस्य समझ नहीं रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 8-2-79 की विज्ञप्ति जारी हुई है उसको पढ़िये । उसके अन्दर स्पष्ट दर्ज कर दिया गया है कि जिलाधीश महोदय, अगर मौखिक रूप से भी उनके सामने लाया जाए कि उनका 1-1-71 से पूर्व का कब्जा है जैसे कि किसी सोसायटी के सदस्य हैं, पूर्व में बने हुए कुए हैं या कोई सबूत है, उसके अलावा भी मौखिक सबूत जिलाधीश, जिला प्रमुख और फोरेस्ट अधिकारी मान लेते हैं तो उनका नियमन कर दिया जाता है ऐसी कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री बुलाकीदास कल्ला ।

राजस्थान नहर के द्वितीय चरण में प्रस्तावित लिफ्ट चेनल स्कीम्स

327. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
नहर परियोजना के द्वितीय चरण में पांच लिफ्ट चैनल स्कीम्स प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या इन लिफ्ट चैनल स्कीम्स के लिए सरकार ने बजट प्रस्तावित किया है ? ये कब तक बन जायेंगी ?

(2) क्या सरकार राजस्थान नहर परियोजनान्तर्गत कोलायत, गजनेर, लघु सिंचाई योजना लिफ्ट चैनल स्कीम को अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत लेकर पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इसे चालू कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना पर पिछले वर्षों में बजट में प्रस्तावित राशि खर्च नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब व कितनी राशि थी जो बचत में रही तो भविष्य में इस हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी ?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी नहीं। ये लिफ्ट परियोजनायें अभी विचाराधीन हैं। स्वीकृत होने पर बजट आदि का प्रावधान किया जावेगा।

(2) जी नहीं। क्योंकि यह योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

(3) जी हां। केवल वर्ष 1979-80 में राजस्थान नहर परियोजना पर 32.75 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट की तुलना में 8 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार के निदेशानुसार कार्य पर कोयला व सीमेंट की अनुपलब्धता व धीमी गति के कारण बचत में दिखाई गई।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में पांच लिफ्ट चैनल योजनायें, कोलायत, गजनेर, फलौदी, नोहर और सावा, इनके ऊपर विभाग ने प्रारम्भिक सर्वे पर लाखों रुपया खर्च कर दिया है और क्या उनका उपयोग करने की दृष्टि से, प्रारम्भिक खर्चे को ध्यान में रखते हुए थोड़े और वित्तीय साधन जुटा कर इन योजनाओं को प्राथमिकता देंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल विस्तृत जबाव दे दिया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से शायद मैं उस समय उपस्थित नहीं था। एक ओर राज्य सरकार का बजट लगातार 9-10 करोड़ रुपया लैप्स हो रहा है और दूसरी ओर इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिन पर इलाके का भाग्य निर्भर करता है, इन योजनाओं को इग्नोर किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के इतने लाख रुपये सर्वे के लिए, प्रारम्भिक कार्यों के लिए व्यय हो चुके हैं, कुछेक स्थानों पर अर्थ वर्क भी हो चुके हैं, ऐसे समय में आप अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ऐसी योजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ से कल माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे तब इसका विवरण दिया गया था। किन कारणों से विलम्ब हुआ और आगे इसके बारे में कितनी तत्परता से विचार कर रहे हैं, वह उनकी भी जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 328।

उदयपुर में सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना

329. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सुपर जिंक स्मेल्टर उदयपुर में स्थापित करने हेतु राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार सुपर जिंक स्मेल्टर विशाखापट्टनम् में लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार इसे राज्य में ही स्थापित कराने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?

राज्य मंत्री खनिज (श्री नानालाल) : (1) चूंकि जिंक अयस्क के खनन, परिष्करण एवं परिद्रावक सम्बन्धित कार्य भारत सरकार के प्रतिष्ठान मैसर्स–हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है अतः सुपर जिंक स्मेल्टर के कारखाने को स्थापित करने का निर्णय भी उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है।

(2) जी नहीं। राजस्थान में ही इसे स्थापित कराने के लिए राज्य सरकार ने सम्भावित स्थानों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की सूचना एकत्रित करने के लिए चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर तथा भीलवाडा जिलों में जिलाधीशों की अध्यक्षता में जिला समितियां गठित की हैं जिनके प्रतिवेदनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति द्वारा निर्णय लेकर अपनी सिफारिशें मैसर्स–हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को भेजी जायेंगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई रवैय्या नहीं है कि सुपर जिंक स्मेल्टर विशाखापट्टनम् में लगाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने इस बारे में राज्य सरकार को निवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार से भी निवेदन किया है कि सुपर जिंक स्मेल्टर विशाखापट्टनम् में लगाने की चर्चा चल रही है, केन्द्र में बातचीत चल रही है, उसको वहां न लगा कर राजस्थान में ही विशेष रूप से लगाया जावे, ऐसा कोई ज्ञापन पत्र आपको प्राप्त हुआ है क्या ?

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि हमने भारत सरकार को लिखा है कि यह राजस्थान में ही लगेगा सुपर जिंक स्मेल्टर। उसके आगे के उत्तर में यह बताया है कि किस-किस जगह पर इसके लिए क्या-क्या उपलब्ध कराना है, उस सम्बन्ध में भी पूरी जानकारी दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : क्या भारत सरकार से इसका उचित उत्तर मिल गया है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सुपर जिंक स्मेल्टर का प्रश्न कई दिनों से चल रहा है और इस प्रश्न पर सभी राजनैतिक दल और राजस्थान का हर नागरिक चिन्तित है। जहां रॉ-मैटीरियल होता है वहीं कारखाना होना चाहिये पर वहां से रॉ-मैटीरियल को ट्रांसपोर्ट करके राजस्थान के बाहर ले जाकर काम किया जाये,

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

मैं समझता हूं कि इसको किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। इस दृष्टि से चाहे कोई राजनैतिक दल हो, सभी इसके विरोध में हैं जिंक स्मेल्टर राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहिये। बल्कि इसको अन्यथा न लिया जावे तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह माना कि यह उद्योग राजस्थान के बाहर जायेगा इसलिये कि राजस्थान सरकार इसके लिये सजग नहीं है, मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। राजस्थान सरकार अपने राज्य की दृष्टि से, अपने नागरिकों के हितों की दृष्टि से और राजस्थान का रॉ-मैटीरियल या कोई बड़ा उद्योग राजस्थान से बाहर जाकर विशाखापट्टनम में लगे इस पक्ष में नहीं है और उसके लिये निश्चित रूप से राज्य सरकार जो भी कार्य कर सकती है करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह था कि उन्होंने तो राज्य सरकार का पक्ष बता दिया। मैं समझता हूं कि जो पक्ष उन्होंने रखा है उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा मूल प्रश्न यह था कि भारत सरकार क्या रिएक्शन ले रही है। जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार ने इस कारखाने को बाहर ले जाने की प्रारम्भिक कार्यवाही चालू कर दी है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि ऐसा हो रहा है तो मुख्य मंत्री जी यहां नहीं है परन्तु इतना कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में उचित प्रतिकार के लिये जो कदम उठाये जा सकते हैं, उठायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न पूछा था, क्या भारत सरकार को कोई पत्र लिखा है? क्या प्रभाकर जी ने अपना पक्ष रखा है और भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया है? प्रश्न पूछा था कि इस सारी कार्यवाही पर राजस्थान सरकार ने क्या रिएक्शन लिया है और भारत सरकार क्या कर रही है, सरकार को आफिसियली इसकी कोई जानकारी है क्या?

श्री नानालाल : इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किन्तु यह जरूर हम विश्वास दिला सकते हैं कि यह प्लांट राजस्थान से बाहर नहीं जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई पत्र लिखा है? समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि यह कारखाना राजस्थान में न लगकर विशाखापट्टनम में लग रहा है। इसके विरोध स्वरूप क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को कोई पत्र लिखा है?

श्री नानालाल : इस प्रकार की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो कोई बात नहीं है। सुखाड़िया जी ने खुद पत्र लिखा है, समाचार पत्रों में बराबर खबरें आ रही हैं। आपको जानकारी किस तरह होगी? आपको भारत सरकार जवाब देती नहीं है, आपकी कोई व्यवस्था है नहीं, समाचार पत्रों पर आप विश्वास करते नहीं हैं। तो फिर किस माध्यम से आपको जानकारी होगी?

श्री अध्यक्ष : हाउस के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कहना चाहता हूं कि साधारण सी बात नहीं है इस बात को लेकर वहां के मजदूरों ने भी हड़ताल की है लेकिन इसके बावजूद भी मन्त्री जी कहते हैं कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय........।

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी न आयें तब तक के लिये आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 1100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सैन्ट्रल इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम है। राजस्थान में वैसी हालत में भी हम कोई प्रयत्न न करें तो इसके परिणाम उल्टे होंगे।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं स्थगित करने के पक्ष में नहीं हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसका उत्तर तो आने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका उत्तर मुख्य मन्त्री जी देते हाउस में तो राजस्थान के लोग और राजस्थान की जनता इस प्रकार की कार्यवाही कर रही है इसका प्रभाव पड़ता। समाचार पत्रों को मानते नहीं हैं। आपने कहा कि कुछ जानकारी दें तो सदन में दें। सदन के माध्यम से सरकार को जानकारी दे सकते हैं तो साथ ही सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को भी यह जानकारी बताना चाहते हैं। मुख्य मन्त्री जी यदि हाउस में कहते तो इसका प्रभाव दिल्ली में भी होता। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री हाउस में कहें।

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। आप इसको अन्य तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न को स्थगित नहीं किया जा सकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मन्त्री जी तो प्रश्नकाल में रहते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : चाहे नाथपा झाकड़ी का प्रश्न हो चाहे राजस्थान के हित का सवाल हो, इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, मुख्य मन्त्री जी तो आते नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : इस प्रश्न का सही उत्तर आना चाहिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो चिन्ता व्यक्त की गयी है, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है या राज्य

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सरकार ने कोई उत्तर दिया है, यह सारी जानकारी प्राप्त करके इस सदन में इसी सत्र में दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह।

ग्राम सांगलिया तक सड़क निर्माण

329. **श्री नारायण सिंह** (दांता रामगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांगलिया को सड़क से जोड़ने के लिए कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर ने सड़क बनाने की स्वीकृति दी थी? यदि हाँ, तो यह स्वीकृति कब दी गई तौर कार्य आदेश कब दिया गया? और अब तक कितना कार्य हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित ठेकेदार को 6 माह में सड़क का कार्य पूर्ण करने का समय दिया गया था? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी कर दी जावेगी?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां, इस कार्य के लिए विपणन बोर्ड द्वारा 26-6-76 को स्वीकृति दी गई। कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर द्वारा कार्यादेश 17-11-76 को दिया गया। परन्तु कार्य पूरा न होने के कारण पुन: अधिशासी अभियन्ता, विपणन बोर्ड, अलवर द्वारा 7-2-79 को दुबारा टेण्डर मांग कर कार्यादेश दिया गया। अब तक 1.75 कि० मि० लम्बाई में रोड़ी की कुटाई हो चुकी है तथा 1 कि० मी० लम्बाई में मैटीरियल इकट्ठा किया जा चुका है।

(2) जी हां। डामर उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा होने में कठिनाई हो रही है परन्तु इसे वर्ष 1981-82 में पूरा कर दिया जायेगा।

श्री नारायण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि भुगतान नहीं होने के कारण सड़क पूरी नहीं हुई है।

श्रीमती कमला : यह नहीं बल्कि ठेकेदार ने निर्धारित अवधि तक कार्य नहीं किया और फिर उसके बजाय दूसरे ठेकेदार को ठेका देना पड़ा, इस कारण से देरी हुई।

श्री नारायण सिंह : इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके मण्डी के जो एक्स. ई एन. का दफ्तर है वह अलवर और जयपुर है। इस कारण से काफी बाधा उत्पन्न हो रही है? मण्डी कमेटी ने इस ए. ई एन. के दफ्तर को बदलने का निवेदन किया है?

श्रीमती कमला : दोनों बातें मेरी निगाह में आयी थीं इसलिये एक्स. ई एन. जो अलवर में था उसका हैडक्वार्टर जयपुर में कर दिया गया है क्योंकि इसके पास सीकर, झुन्झुनूं, जयपुर आदि कई जिले हैं और ए. ई एन. के दफ्तर का हैडक्वार्टर भी जयपुर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नारायण सिंह : इसकी अवधि निश्चित बता दें कि यह कब तक पूरी करा देंगे ?

श्रीमती कमला : मैंने बता दिया है उत्तर में कि 1981–82 तक पूरी करा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री भगवान दास शास्त्री ।

अजमेर नगर में सफाई व्यवस्था व मनोरंजन कर का उपयोग

330. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अजमेर नगर की सफाई करने में सदैव असफल रही है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मनोरंजन कर जो नगरपालिकाओं को दिया जाता था, उसकी पूरी राशि वापिस नगरपालिकाओं को नहीं दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : (1) जी नहीं ।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9–5–74 के अनुसार नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर के एवज में प्रतिवर्ष शासकीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । यह राशि नगरपालिकाओं को वाणिज्य कर विभाग द्वारा दी जाती है । उपरोक्त अनुसार देय अनुदान की राशि में से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13–5–63 के अनुसार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की बकाया राशि (यदि कोई हो तो) काटकर शेष राशि का भुगतान प्रतिवर्ष नगरपालिकाओं को किया जाता है । यह कटौती अनुदान की राशि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा प्रश्न था उसका उत्तर नहीं आया है । क्या यह सही है कि राज्य सरकार अजमेर नगर में सफाई की व्यवस्था में असफल......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के हिसाब से उत्तर असत्य नहीं है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह स्पष्ट प्रश्न था जो नगर है एक लाख से ज्यादा उसकी आबादी है । अजमेर नगर की आबादी 4 लाख है और 10 लाख होने वाली है । वहां पर अभी भी सीवरेज की व्यवस्था नहीं है । जो मैला है वह बाहर बहता है । आज 32 साल हो गये आजाद हुये परन्तु जो हरिजन हैं वे सर पर ढोकर मैला ले जाते हैं । उसके लिये कोई साधन नहीं है मैला ले जाने के लिये । सरे बाजार वह मैला नालियों में बहता रहता है । आप सुबह मेरे साथ चलें तो तो तीन चार बाजार तो भरे हुये मिल जायेंगे । सड़कें भरी मिल जायेंगी । उसके लिये आप कोई सहायता नहीं दे सकते हैं.......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो वहां का जिला प्रशासन है वह और काम करता है, उसमें तो दे देते हैं स्टेडियम में लगा देते हैं लेकिन जो हरिजन हैं उनकी व्यवस्था

(श्री भगवानदास शास्त्री)

की ओर कोई ध्यान नहीं। कोई सहायता नहीं देते हैं....

श्री अध्यक्ष : कोई भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय सवाल यह था कि क्या नगर परिषद, अजमेर नगर की सफाई कराने में सदैव असफल रही है तो मैंने समझा कोई हड़ताल की वजह से ऐसा हुआ हो लेकिन वह बदस्तूर कार्य कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या आप नालियों की मरम्मत नहीं करवा सकते, सीवरेज लाइन बहुत जरूरी है। छोटे-छोटे शहरों में बन गई, पुष्कर में बन चुकी है। तो क्या हमारे यहां पांच लाख की पापुलेशन है, मुसलमानों की दरगाह है जहां ५ लाख जियारती प्रति वर्ष आते हैं, दरगाह शरीफ का मेला चलता है कम से कम वहां तो सीवरेज लाइन बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 31

श्री शिवराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

जोरावरपुरा हैड वर्क्स पर मछली का अवैध आखेट

332. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या एस. एच. ओ. हनुमानगढ़ टाउन द्वारा 15-8-80 को जोरावरपुरा हैड जी.डी.सी. आर.डी. 133 के समीप अवैध रूप में मछली मारी जाने के कारण अभियुक्तों एवं माल को पकड़ कर कार्यवाही किये जाने की दरख्वास्त की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त हैड वर्क्स पर मारी गई मछली किस ट्रैक्टर द्वारा लाई जा रही थी ? उसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है और उसका उस दिन मालिक कौन था तथा ट्रैक्टर किस फर्म से संबंधित होकर काम कर रहा था ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इस मामले में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया है ? कृपया उनके नाम एवं पते सदन के पटल रखें।

राज्य मन्त्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी हां। उस पर अभियोग नं. 153 धारा 379 ता. हि. पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा पीछा कर ट्रोली में ले जाई जा रही चोरी की मछलियों को पकड़ा गया।

(2) यह मछलियां ट्रैक्टर नं० पी. यू. डी. 5850 में ले जाई जा रही थी, जिसका रजिस्ट्रेशन श्री तुलछीराम पुत्र अर्जुनराम जाट सा० डबली तहसील टी. बी. जिला गंगानगर के नाम है। यह ट्रैक्टर श्री

(१५)

श्री प्रद्युम्नसिंह)

तुलछीराम मालिक ट्रैक्टर के भाई भजन लाल की देखरेख में कार्य कर रहा था।

(3) इस मुकदमे में तीन मुलजिमान का चालान 20-12-80 को अदालत में पेश किया जा चुका है जिनके नाम निम्न हैं :—

(1) श्री बलवंतसिंह राय सिख पनवासी अमरपुरा पी. एस. हनुमानगढ़ टाउन।

(2) इदरीस मुसलमान सा० कमरानी थाना टी. बी.

(3) खुशियां सिंह ग्राम जिन्दीयां अमृतसर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा जिस फर्म की ट्रैक्टर ट्रोली थी उसका नाम जो उन्होंने बताया क्या जिस समय पकड़ा था उस समय यह उन्हीं के नाम थे या बलराम पुत्र सज्जन कुमार के नाम थे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तफतीश से पाया गया कि इस ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन तुलछी राम, जो इसका मालिक है, के नाम था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसकी जमानत कब हुई या अभी तक ये पुलिस के कब्जे में है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनकी जमानत अदालत के आदेश द्वारा सुपुर्दगी में जमानत दे दी जिसके नाम रजिस्ट्रेशन था उसी को पुलिस ने अदालत के आदेश द्वारा सुपुर्दगी दे दी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसका ड्राइवर था वह उस समय फरार हो गया या पकड़ा गया।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : ये टाइम खराब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उस ड्राइवर का चालान नहीं किया गया क्योंकि पुलिस की जांच के दौरान यह पाया गया कि ड्राइवर को पिलाई के ऊपर लिया गया। अतः पुलिस ने यह आवश्यक नहीं समझा क्योंकि ड्राइवर किराये पर लिया गया था इसलिये ड्राइवर के चालान पेश करने या गिरफ्तारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह पूछना चाहूंगा जो जानकारी मुझे ट्रैक्टर ट्रोली की है, मेरे पास जानकारी है, बलराम पुत्र सजनकुमार के नाम से ट्रैक्टर था, और जो ड्राइवर था वह भाग गया क्योंकि उसके सम्बन्धी लोकसभा के सदस्य हैं। इसलिये यह हेराफेरी की गई। क्या राज्य सरकार इसकी जांच करेगी कि रजिस्ट्रेशन जिसके नाम था वह गलत था या ठीक था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि माननीय बलरामजी का नाम इसमें लिया जा रहा है। बड़े दुःख की बात है, वह लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इंगित कर रहे हैं ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उनका इस मामले में कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सूचना मैंने आपको दी है और जिस व्यक्ति का नाम बताया है उसी के नाम रजिस्ट्रेशन है।

(15)

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल बैरवा।

कठूमर–मण्डावर सड़क का निर्माण

333. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर (अलवर) से मण्डावर तक सड़क निर्माण के आदेश कितने वर्ष पहले दिये गये थे ?

(2) इस सड़क का कितना भाग बन चुका है और कितना शेष है।

(3) जो शेष भाग है वह कब तक पूरा कर दिया जावेगा।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) कठूमर से घोसराना मंडावर रोड की प्रशासनिक स्वीकृति 30-11-72 को प्राप्त हुई थी।

(2) कुल 33 कि.मी. में से 23 कि.मी. डामर का कार्य हो चुका है एवं बाकी 10 किलोमीटर शेष रह गया है।

(3) शेष सड़क कार्य को धनाभाव के कारण निकट भविष्य में पूर्ण करने की संभावना नहीं है।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, 72 में आदेश दिया था वह किस उद्देश्य से दिया था और सरकार इसको कब तक पूरा करा देगी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : इस सड़क के लिये 6 लाख की स्वीकृति हुई थी उसमें से 5.69 लाख खर्च हो चुके हैं। शेष 10 किलोमीटर बाकी है, उसमें काफी राशि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि वह कब तक पूर्ण होगी।

श्री बाबूलाल बैरवा : यह सड़क 7 कि. मी. ही बाकी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : 33 कि. मी. है। मैं माइलेज दे सकता हूँ। घोसराना कठूमर 24 कि. मी. और कठूमर-मंडावर 33 कि.मी.।

श्री बाबूलाल बैरवा : यह कागजों में होगी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : 33 कि. मी. और 7 कि. मी. में बड़ा अन्तर है।

श्री बाबूलाल बैरवा : यह कब तक करवा देंगे।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 334

श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 335

श्री बंशीलाल पटवा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

तहसील झालरापाटन के ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था

336. **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरा-

(16)

(श्री ग्रनंगकुमार जैन)

पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम समराई एवं मोतीपुरा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ में पीने के पानी के लिये कोई सार्वजनिक जल स्रोत नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार एवं जिला प्रशासन को ग्रामवासियों की ग्रोर से पीने के पानी की सुविधा प्रदान किये जाने के बारे में कई बार लिखा गया किन्तु सरकार द्वारा उक्त दोनों गांवों के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई ?

(3) क्या झालावाड़ एवं झालरापाटन दोनों शहरों को ग्रलग-ग्रलग नल योजनाग्रों द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने के बाबत कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य ग्रभियांत्रिक (श्री बनवारीलाल) : (1) संदर्भित दोनों ग्रामों में कुग्रों का पानी सूख जाने के कारण ग्राम समराई की जनता 2 कि. मी. दूर से तथा मोतीपुरा की जनता लगभग ग्राधा कि.मी. दूर से ग्रपनी ग्रावश्यकता पूर्ण कर रही है।

(2) ग्राम समराई के लिये वर्ष 76-77 में तथा मोतीपुरा के लिये वर्ष 77-78 में हैण्ड पम्प योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

(3) जी नहीं, योजना की क्रियान्विति धन उपलब्धता पर निर्भर है।

श्री ग्रनंग कुमार जैन : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्रापने इस बात को स्वीकार किया है कि कुग्रों का जल सूख जाने के कारण लोगों को, इन गांवों के लोगों को दो किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ रहा है ? जो ग्रापने हैण्डपम्प का जिक्र किया है वह हैण्ड पम्प लगा या नहीं लगा ? ग्रौर नहीं लगा तो क्या कारण है ग्रौर इसके लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं इन दोनों गांवों को पानी उपलब्ध कराने के लिये ?

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर (डग) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में हैण्ड पम्प लगाने की कितनी मशीनें गई हैं……

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रलग प्रश्न।

श्री बालचन्द ग्रार्यवीर : ग्रौर कितनी कार्यरत है ग्रौर कितनी खराब पड़ी हैं….

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रलग से प्रश्न है।

श्री बनवारी लाल : माननीय सदस्य ने पूछा कि हेण्ड पम्प के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। मैं यह बताना चाहता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राम समराई में वर्ष 1976-77 में तीन हैण्ड पम्प मन्जूर किये गये थे, जिनमें से भू-जल विभाग ने दो में बोरिंग किया। परन्तु पानी नहीं मिलने के कारण हैण्ड पम्प नही बनाये जा सके हैं। ग्राम मोतीपुरा में हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ग्रौर उसमें पानी भी उपलब्ध है। हैण्ड पम्प खराब हो गये थे उसके लिये सहायक ग्रभियन्ता को ग्रादेश दे दिये गये हैं कि उनकी मरम्मत कराई जाये।

श्री अनंग कुमार जैन : ग्राम समराई के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, गांव के लोगों को दो किलो मीटर से पानी लाना पड़ता है। क्या सरकार इसके लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार करेगी ? इस गांव में पानी नहीं है।

श्री बनवारी लाल : यह सही है कि इस गांव में पानी नहीं है और इसके लिये वैकल्पिक योजना सरकार के विचाराधीन है और धन की उपलब्धि होने पर योजना को मन्जूर किया जा सकेगा।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि पानी की दिक्कत है तो यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : धन की उपलब्धि पर वहां इस योजना की स्वीकृति दी जा सकेगी।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, बजट भाषणों में कहा गया है कि पीने के पानी के लिये प्राथमिकता से व्यवस्था करेंगे। स्वयं इन्होंने स्वीकार किया है कि हैण्ड पम्प फेल हो चुका है। इसलिए यह आश्वासन दिलाया जाये कि दो, चार, छः महीने में यह जो मूलभूत समस्या है, इसको हल कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प अधिकतर फेल हो जाते हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अनंग कुमार जैन : एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। पेयजल का मामला है। गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं····

श्री अध्यक्ष : हजारों गांव ऐसे हैं जहां पानी की भयंकर समस्या है। मन्त्री महोदय ने बता दिया है कि धन की उपलब्धि होने पर योजनाबद्ध तरीके से पेयजल की समस्या, दूषित जल की समस्या हल की जायेगी····

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय केवल समय बता दें कि इतने समय में यह कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई।

सुपर डीलक्स, सेमी सुपर डीलक्स तथा टूरिस्ट बसेज

337. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी):** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सुपर डीलक्स, सेमी सुपर डीलक्स तथा टूरिस्ट बसेज किन-किन मार्गों पर चल रही हैं और इनकी प्रति किलोमीटर किराये की दर क्या है ? इनमें यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर संभाग में पिछले तीन वर्षों में एक भी नई बस उपलब्ध नहीं कराई गई है और जो चल रही है वह पुरानी होने से कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती है ? यदि हां, तो इस संभाग में अच्छी व नई बसेज लगाने के लिये निगम क्या कदम उठा रहा है ?

यातायात मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) राज्य में निम्न मार्गों पर उनके समक्ष अंकित सुपर डीलक्स, सेमी डीलक्स, एवं टूरिस्ट बसें संचालित की जा रही है :

मार्ग का नाम	वाहन की प्रकृति	वाहन की संख्या
1. जयपुर–कोटा	सुपर डीलक्स	1
2. जयपुर–आगरा	सुपर डीलक्स	2
3. जयपुर–दिल्ली	सुपर डीलक्स	8
4. जयपुर–उदयपुर	सुपर डीलक्स	1

यह वाहनें अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य परिवहन निगम द्वारा जोधपुर–जयपुर मार्ग पर एक सेमी डीलक्स वाहन चलाई जा रही है। सेमी सुपर डीलक्स की कोई वाहन नहीं चल रही है। इन वाहनों के किराये की दर राजस्थान में निम्न प्रकार है :—

राज्य	किराये की दर प्रति कि. मी.	यात्री कर
1. राजस्थान	8.6	30 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज
2. हरियाणा	8.6	60 प्रतिशत
3. दिल्ली	8.6	कोई कर नहीं
4. उत्तर प्रदेश	8.6	16 प्रतिशत

जयपुर–आगरा एवं जयपुर–दिल्ली मार्ग पर चलने वाली सुपर डीलक्स वाहन का किराया अनुबन्धित दरों पर आधारित है।

इन वाहनों में निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं :—

1. अन्य वाहनों की तुलना में बैठने की आरामदायक पीठिकायें 55 के स्थान पर 35 पीठिकायें।
2. हवा के लिए पंखे
3. रेडियो की सुविधा
4. वाहन में रंगीन कांच एवं पर्दे
5. शीतल रोशनी

सेमी डीलक्स वाहनों के किराये की दर 7.4 पैसा प्रति कि. मी व 30 प्रतिशत यात्री कर एवं 5 प्रतिशत सरचार्ज निर्धारित है। इन सेवाओं में आरामदायक पीठिकाओं की सुविधा होती है।

(2) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों में जोधपुर संभाग को 67 नई वाहनें उपलब्ध कराई गई हैं। यह सही नही है कि पुरानी वाहनें कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। कोई भी वाहन यांत्रिक खराबी के कारण कहीं भी ब्रेक डाउन हो सकती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का औचित्य यह था कि पूरे जोधपुर संभाग के अन्दर जयपुर-नागौर, जयपुर-जोधपुर, जयपुर-जैसलमेर, जयपुर-जालौर, जयपुर-पाली, जयपुर-सिरोही एक भी स्थान पर डीलक्स या आपकी टूरिस्ट बसें नहीं चलती हैं। यह सही है कि जोधपुर संभाग को मंत्री महोदय ने बिल्कुल इग्नोर किया है, उसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि 25 विधायकों ने आपको, आपके चेयरमैन को लिख कर दिया है लोगों की, यात्रियों की सुविधा के लिये यह बसें चलाना अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इसकी कतई परवाह नहीं की गई है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि विधायकगण मुझ से मिले थे लेकिन यह अभी की बात नहीं है। जैसे ही इस सम्बन्ध में यातायात विभाग के द्वारा आवश्यक निर्देश मिलेंगे, इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा और शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। मंत्री महोदय, कृपया ध्यान से सुन लें। मैं यह कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि यह जो बसें चलती हैं यह कितनी केटेगरीज की हैं, कितनी पर्यटन निगम की हैं, कितनी राज्य पथ परिवहन निगम की हैं और कितनी अनुबन्धित हैं ? दूसरा प्रश्न यह करना चाहूंगी कि क्या इन बसेज में प्राथमिक चिकित्सा के लिये कोई सुविधा उपलब्ध है ? तीसरा प्रश्न यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि 14 फरवरी को किसान रैली के कारण एक भी बस जोधपुर से जैसलमेर जाने के लिये पर्यटकों को नहीं मिली, जैसलमेर में मरु मेला चल रहा था और एक भी बस जोधपुर जैसलमेर को नहीं गयी और विदेशी पर्यटकों को टूटी-फूटी विभागीय मिनी बस के अन्दर जाना पड़ा क्या यह अच्छी बात है ?....

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।....

श्रीमती विद्या पाठक :....यह सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो रैली का पूछा वह इसके अन्तर्गत नहीं आता है ?

श्रीमती विद्या पाठक : क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देने का कष्ट करेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, तीन सवाल किये गये हैं। क्या ये बसेज अनुबन्धित हैं, या रोडवेज की हैं या अन्य किसी की हैं। मेरे ख्याल से जो प्रश्न है उसके अन्तर्गत यह नहीं पूछा गया है कि रोडवेज की बसेज कितनी हैं, कितनी अनुबन्धित हैं। यह मूल प्रश्न में पूछा जाता तो मैं इसकी जानकारी करता और इसका उत्तर देता। आपके मूल प्रश्न में यह है कि कितनी सुपर डीलक्स और कितनी सेमी सुपर डीलक्स हैं। यह जानकारी नहीं है कि कितनी इनमें से रोडवेज की है और कितनी अनुबन्धित हैं। इसमें कहीं अलग से यह प्रश्न नहीं पूछा गया है....

श्री रामसिंह विश्नोई : झांसा पट्टी से काम नहीं चलेगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : इनमें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध है या नहीं ? यह प्रश्न तो सीधा संबंधित है। कितनी पर्यटन

(20)

(श्रीमती विद्या पाठक)

विभाग की है यह सब तो मालूम होना चाहिये ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : प्राथमिक चिकित्सा का जो साधन उपलब्ध है, एक छोटा बक्सा होता है वह तो हरएक बस में होता है।....

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : एक में भी नहीं होता है। मैंने आपको सूचित किया था कि राजस्थान रोडवेज की एक भी बस में नहीं है....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सुपर डीलक्स में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न कर्त्ता।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शांत रहें। आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय पिछले 6 महीने से इस बात के लिये टालमटोल कर रहे हैं। मैं स्वयं चेयरमैन से मिला हूं। मेरे कई साथी मिले हैं। लेकिन आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बावजूद एप्लीकेशन के इन्होंने कोई परवाह नहीं की है। आप बता सकते हैं कि जयपुर, दिल्ली सुपर डीलक्स बसेज चलती हैं मगर जोधपुर को इस सम्बन्ध में बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। इसके लिये मंत्री महोदय कोई डेट बता दें कि यह सुपर डीलक्स बसें कब से चलेंगी ?

अध्यक्ष महोदय, मैं ठीक कह रहा हूं, पिछले तीन सालों में जोधपुर संभाग में एक भी बस नहीं लगाई है। यह झूठे आंकड़े बनाये गये हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि कुल 12 बसें लगाई गई हैं–जयपुर-दिल्ली, जयपुर-आगरा, जयपुर-कोटा, जोधपुर संभाग के लिए मैंने निवेदन किया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : विचार क्या कर रहे हो ? क्या राजस्थान कैनाल ला रहे हो, कोई करोड़ों की योजना है, या कोई टैक्निकल मामला है जिस पर आप विचार कर रहे हो ? सड़क पर गाड़ी चलानी है इस पर क्या विचार कर रहे हो ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है, इसके लिए यातायात विभाग से परमिट प्राप्त करना पड़ता है। इसके लिए पब्लिकेशन भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसमें आखिर कुछ समय तो लगेगा ही, यह मैंने निवेदन किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

मुझे कारपुने तो दीजिये—श्री दीपेन्द्र सिंह, श्री कैलाश मेघवाल।

राज्य में प्रति व्यक्ति आय व व्यय

338. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में गत वर्षों की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में अब कितना परिवर्तन आया है और उसके परिणामस्वरूप दरिद्रता की सीमा में किस प्रकार का परिवर्तन सरकार ला सकी है ?

(2) राज्य में वर्ष 1977 से 1980 तक प्रति व्यक्ति औसत आय क्या रही है ? क्या यह सही है कि सन् 1978–79 के मुकाबले सन् 1979–80 में प्रति व्यक्ति औसत आय रु. 321/–से घटकर रु.276/– रह गई है ? क्या सरकार ने इस औसत आय के गिरने का पता लगाने का प्रयास किया है ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

(3) सन् 1980–81 में यह औसत आय और कम होने वाली है अथवा बढ़ेगी ?

(4) राज्य में 1977 से 1980 तक प्रति व्यक्ति व्यय कितना रहा ? उसमें से प्रति व्यक्ति कितनी राशि विकास कार्यों पर व्यय की गई ? क्या उससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ? अन्य राज्यों की तुलना में राज्य का कौनसा स्थान है ?

(5) क्या सरकार प्रति व्यक्ति आय अथवा व्यय की राशि से सन्तुष्ट है ? सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

योजना मंत्री [श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता] : (1) राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 1975-76 में 857 रु., 1976-77 में 899 रु., 1977-78 में 969 रु., 1978-79 में 1023 रु. तथा वर्ष 1979-80 में 913 रु. थी। योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि राजस्थान में 1972-73 में 45.80 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे थे। 1977-78 में यह प्रतिशत घटकर 33.76 रह गया।

(2) राज्य में, नवीनतम सूचनाओं के आधार पर राज्य में वर्ष 1977-78, 1978-79, एवं 1979-80 में स्थिर मूल्यों (1960-61) पर प्रति व्यक्ति औसत आय क्रमश: 314 रु., 326 रु. एवं 273 रु. अनुमानित की गई।

यह सही है कि सन् 1978-79 के मुकाबले में सन् 1979-80 में प्रति व्यक्ति औसत आय घट गई है।

प्रति व्यक्ति औसत आय के गिरने का मुख्य कारण भयंकर सूखे के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में गिरावट रही है।

(3) सन् 1980-81 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति औसत आय अकाल होने के कारण कम होने की संभावना है।

(4) ऋण के भुगतान एवं अल्पकालीन ऋण को छोड़कर राज्य आय व्ययक के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 में क्रमश: 200.68, 233.64 व 280.44 रुपये था।

विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय की गई राशि वर्ष 1977-78 में 151, 39 रु. 1978-79 में 185.79 रु. व 1979-80 में 218,60 रु. रही।

विकास कार्यों के व्यय से भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। किन्तु सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी होने से इस वृद्धि का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1976-77 से 78-79 तक की औसत प्रति व्यक्ति राज्य आय के आधार पर देश के 17 राज्यों में राजस्थान का बारहवां स्थान है।

(5) जी नहीं। राज्य की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं अधिक विनियोजन के प्रयास पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं के तहत किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न.

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्ट्री का मौका तो दीजिये। मैं आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि दरिद्रता की सीमा आपने किस आधार पर तय की? आपने प्लानिंग कमीशन का बहाना लेते हुए यह फर्मा दिया कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर किया है। मेरा निवेदन यह है कि क्या राजस्थान सरकार की तरफ से कोई सर्वे कराया गया था? और राजस्थान सरकार गरीबी की सीमा रेखा का मापदण्ड क्या मानती है? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि दरिद्रता की सीमा और औसत आय में क्या प्रतिशत होना चाहिये? दोनों में सरकार की नजरों में क्या औसत रहा है, और क्या सरकार इसको उचित मानती है? क्या यह औसत जो गिर रहा है इसको सरकार रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है? यदि हां तो क्या। जनता पार्टी ने क्या उपाय किये थे और मौजूदा सरकार क्या करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : बहुत विस्तृत प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, भारत सरकार ने जो आधार निश्चित किये हैं, उसी के आधार पर गरीबी की रेखा निश्चित की गई है, उसी आधार पर हमने सर्वे भी कराया था।

श्री दीपेन्द्र सिंह : उसके क्या आधार थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसका जवाब मैं दे चुका हूं, उसी आधार पर सर्वे हुआ है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सर्वे कराया गया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अभी औसत क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 33.76 रह गया है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : क्या आप इसको उचित मानते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो भी है किसी से छिपाने की बात नहीं है।

श्री राम नारायण डूंडी (विलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1978 से 1980 तक प्रति व्यक्ति आय कम हुई है जबकि गरीबी रेखा घट कर 33.76 रह गई है, यह कैसे हुआ ? कृपया स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : समझने की भूल है।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 339

श्री गोपल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखें,

श्री लच्छूराम

जिला झुन्झुनूं के ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें

340. **श्री लच्छूराम** (मण्डवा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, झुन्झुनूं की ओर से क्षेत्रीय जल योजनायें न्यांग्यासर, शेखसर, मौजासर का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था ?

(2) यदि हां तो कब तक इन योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री बनवारीलाल) : (1) जी नहीं, केवल क्षेत्रीय योजना न्याग्यासर ही विचाराधीन है।

(2) योजना का कार्य स्वीकृति के पश्चात् धन उपलब्धि के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपरोक्त अनुसार।

श्री लच्छूराम : धन उपलब्ध होने पर····

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो पंचवर्षीय योजना में 24 हजार गांवों को पूरा किया जा रहा है, स्पेसिफिक प्रश्न मेरा यह है जो मैं पूछना चाहता हूं कि जो योजनायें विचाराधीन हैं उनका कार्य आप कब तक शुरू करा देंगे, ?

श्री बनवारीलाल : जैसे ही धन उपलब्ध होगा। मैंने कहा, विचाराधीन हैं।

श्री लच्छूराम : कोई तिथि तो होगी, दस साल, पन्द्रह साल, बीस साल ?

श्री बनवारीलाल : सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में सभी ग्रामों को लिये जाने की योजना है, जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रामीण को पूछने दीजिये। ग्रामीण समस्या है।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं जिले में कम से कम तीस गांव ऐसे हैं जहां पर एक-एक और दो-दो किलो मीटर से····

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि 33 हजार गांवों में

(२४)

(श्री बनवारीलाल)

से 24 हजार गांवों को समस्याग्रस्त माना गया है। जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जाएगा, व्यवस्था की जा रही है—

श्री मालाराम : झुन्झुनूं जिले में एक भी जगह व्यवस्था की है क्या ?

श्री बनवारीलाल : मैं पूरे राजस्थान की कह रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो स्पेसिफिक प्लान बनाया है उसमें यह व्यवस्था है कि हमें धन मिलेगा उसके अनुसार गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। तो यह जवाब देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के सामने योजनाएं आती हैं। आप अटेण्ड नहीं करते हैं, इतनी योजनायें हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के आवास....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के आवास सम्बन्धी मामले यहां पर नहीं लेते।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों का आवासीय प्रश्न है थोड़ा सा नियमों का ध्यान रखें, ये प्रश्न सदन में नहीं आ सकते।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अपनी विधान सभा का मामला चाहे किसी कमेटी से उसका ताल्लुक हो चाहे सैक्रेटेरियट से ताल्लुक हो, वे प्रश्न यहां पर नहीं उठाये जा सकते। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, एक दल के नेता हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि नियमों का उल्लंघन करके इस प्रश्न को यहां न लें।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो तरीका आप ढूंढ रहे हैं....

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नियमों में अपील हो तो कर दें।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो रहा है, आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न मदों पर विद्युत का उपभोग व उत्पादन व्यय का अनुपात

323. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली):—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1951 में विद्युत् निम्न मदों पर कितनी खर्च हो रही थी —

1. उद्योग
2. घरेलू उद्योग
3. व्यापारिक संस्थान
4. खेती
5. सार्वजनिक प्रकाश
6. सार्वजनिक जल प्रदाय

उक्त मदों पर बिजली के उत्पादन के खर्च का क्या अनुपात था ?

(2) आज इस खर्च की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1951 में मदवार विद्युत खपत निम्न प्रकार थी :—

मद	खपत लाख यूनिट्स में
1– घरेलू	108.3
2– व्यापारिक संस्थान	58.3
3– उद्योग	141.9
4– सार्वजनिक प्रकाश	19.7
5– खेती	16.6
6– सार्वजनिक जल प्रदाय	129.2
कुल योग	474.0

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(26)

बिजली के सकल उत्पादन/उपलब्धि पर उक्त मदों में खपत का अनुपात निम्न प्रकार रहा :—

मद	सकल उत्पादन से खपत का प्रतिशत
1– घरेलू	16.85
2– व्यापारिक संस्थान	9.07
3– उद्योग	22.08
4– सार्वजनिक प्रकाश	3.07
5– खेती	2.58
6. सार्वजनिक जल प्रदाय	20.10

(2) वर्ष 1979–80 के दौरान विद्युत खपत की स्थिति निम्न प्रकार रही :—

मद	खपत की गई विद्युत (लाख यूनिट्स में)
घरेलू	2043.30
अघरेलू (व्यापारिक संस्थान)	1400.89
उद्योग	14709.52
सार्वजनिक प्रकाश	203.26
खेती	9160.40
सार्वजनिक जल प्रयाय	1333.48
अन्य	839.10
कुल योग	29689.95

उपलब्धि से उक्त मदों पर खपत का अनुपात निम्न प्रकार रहा :—

मद	विद्युत उत्पादन/उपलब्धि से खपत का प्रतिशत
घरेलू	5.15
अघरेलू (व्यापारिक संस्थान)	3.53
उद्योग	37.05
सार्वजनिक प्रकाश	0.51
कृषि	23.07
सार्वजनिक जल प्रदाय	3.36
विविध	2.11

विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत जिला जयपुर में जल प्रदाय योजनायें

331. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत जिला जयपुर में किन-किन पंचायतों में कौन-कौन से ग्रामों में जल प्रदाय योजनायें चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त गांवों के चयन का आधार क्या रखा गया है ?

(3) गत पांच वर्षों में इस योजना के तहत कितने गांवों में जल प्रदाय योजना का लाभ मिला है ?

(4) क्या झोटवाड़ा, हीरापुरा, नांगल जैसा वोहरा और सांगानेर में इस योजना के तहत कार्य हुआ ? यदि हां, तो कितना तथा उस पर कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत जयपुर जिले की किसी ग्रामीण जल प्रदाय योजना को चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में चालू किये गये हैं।

(4) केवल झोटवाड़ा नगरीय क्षेत्र में इस परियोजना के अन्तर्गत 2 नलकूप व पाइप लाइन इत्यादि का कार्य चालू वर्ष में किया गया है जिस पर लगभग 3.00 लाख रु० व्यय किया गया है।

मारवाड़ जंक्शन में छात्रावास खोलना

334. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मारवाड़ जंक्शन तहसील खारची में कोई छात्रावास खोलने हेतु मांग की गई है ? यदि हां, तो तत्संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। इस वर्ष खारची में छात्रावास खोलने का निर्णय नहीं लिया गया।

विद्युत संकट की दृष्टि से भीलवाड़ा नगर में पुनः जेनरेटर लगाना

335. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर में विद्युत् प्रदाय करने हेतु जो बड़े जेनरेटर कई वर्षों से लगे हुये थे, वे अब कहां चले गये और किस हालत में हैं ?

(2) क्या वर्तमान बिजली संकट के समय उपरोक्त जेनरेटर्स की आवश्यकता भीलवाड़ा नगर में नहीं है ?

(3) क्या सरकार उन जेनरेटर्स को पुनः भीलवाड़ा में लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में विद्युत प्रदाय करने हेतु दो जेनरेटर लगे हुए थे। वर्ष

(श्री बंशीलाल पटवा)

1974-75 में एक सैट बाड़मेर व दूसरा जैसलमेर भेज दिया गया। वर्तमान में एक सैट से बाड़मेर में आवश्यकता पड़ने पर जेनरेशन किया जाता है और दूसरा सैट जैसलमेर में खराब पड़ा है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

जिला बून्दी, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में इमारती पत्थर की खानें

339. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले में इमारती पत्थर की कुल कितनी खानें हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनी खानें चालू हैं तथा कितनी बंद हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू तथा बंद खानें कब से किन किन के पास हैं ? इनकी लीज अवधि कितनी है तथा क्षेत्रफल कितना है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इनके शुल्क की दर क्या है ?

(5) इनमें से कितनी खानें हरिजन, आदिवासी लोगों के पास है ? यदि हैं, तो कब से ? नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में बूंदी, चित्तौड़ तथा भीलवाड़ा जिले में इमारती पत्थर की स्वीकृत खानों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

जिला	कुल खानें
भीलवाड़ा	2841
चित्तौड़	2801
बूंदी	751
	6393

(2) उपरोक्त खानों में से 5965 खानें चालू एवं 428 खानें बन्द हैं। चालू तथा बन्द खानों की सूची संलग्न है।

सूची संलग्न है।

(3) बूंदी, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा एवं बिजौलिया में खानों का स्थिर भाटक एवं वार्षिक किराया प्रश्न के भाग (3) की सूची में अंकित है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया खानों को छोड़कर अन्य खानों की दरें निम्न प्रकार से हैं :--

1. पट्टी कातला के आर. सी. आर. एल का किराया व रायल्टी मिलाकर 200/– से 300/– रुपये प्रतिवर्ष।

2. तहसील भीलवाड़ा, जहाजपुर, गंगापुर में चुनाई पत्थर की खानों का स्थिर भाटक की दर 2·75 पैसे प्रति 10 वर्ग मीटर है तथा शेष में यह 1·30 पैसे प्रति 10 वर्ग मीटर है।

3. उपरोक्त खानों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों

के पास खानें निम्न प्रकार से हैं :—

अ० जाति	अ० जनजाति
1011	827

ये खानें संलग्न सूची में अंकित तिथि से ही इन जाति के व्यक्तियों के पास है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नाथद्वारा क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विद्युतीकरण

330. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

नाथद्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जायेगा ?

उत्तर

नाथद्वारा क्षेत्र हेतु वर्तमान में कोई स्वीकृत योजना नहीं होने के कारण यह कहना संभव नहीं है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग से विभिन्न सेवाओं के लिए चयनित अभ्यर्थी

331. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1970 में लिये गये राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं अन्य समानान्तर (एलाइड) सेवाओं की परीक्षा कुल कितने स्थानों के लिये थी तथा उनमें कितने स्थान सुरक्षित थे व कितने सामान्य (जनरल) थे ? कृपया सुरक्षित घोषित स्थानों का शाखावार ब्यौरा देने का श्रम करें।

(2) सरकार ने समस्त सामान्य पदों पर नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परीक्षाफल के अनुसार ही कीं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सामान्य पदों पर जिन उम्मीदवारों को राज्य सरकार ने नियुक्ति पत्र जारी किये हैं कृपया उनके रोल नम्बर व नामों की एक प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त परीक्षा का नतीजा घोषित करने के उपरान्त व सामान्य (जनरल) पदों पर सफल घोषित उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा व पुलिस सत्यापन के उपरान्त भी पदों की संख्या में कुछ फेर बदल करने तथा सामान्य पदों के स्थानों की संख्या में कमी करने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग को लिखा था ?

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सरकार को क्या उत्तर भेजा गया है ? कृपया उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के घोषित परिणाम के विरुद्ध एवं लोक सेवा आयोग की राय के विरुद्ध भी उपरोक्त सेवाओं के घोषित परिणामों में फेर बदल करके उत्तीर्ण घोषित परिणामों को छोड़कर उनके स्थान पर योग्यता क्रम में उनसे कहीं नीचे रखे गये

(श्री राजबहादुर)

उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है अथवा ले रही है ?

(6) क्या सरकार की उपरोक्त कार्यवाही प्रदेश के शिक्षित युवा समाज के प्रति एक और अन्याय तथा सरकार एवं लोक सेवा आयोग की साख को खतम करने वाली नहीं है ?

(7) क्या यह सही नहीं है कि वर्तमान प्रावधानों के तहत सरकार लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित परीक्षाफल के अनुसार ही समस्त सामान्य (जनरल) व सुरक्षित पदों पर डाक्टरी परीक्षा व चरित्र सत्यापन पर उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में नियुक्तियां करने को बाध्य है ?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राज. प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा एवं अन्य अलाइड सेवाओं के लिये आयोजित सामुहिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा वर्ष 1979 का परीक्षा परिणाम सितम्बर, 80 में प्राप्त हुआ । आयोग द्वारा निम्नांकित सेवाओं में उनके सम्मुख अंकित पदों के लिये चयनित प्रत्याशी उपलब्ध कराये गये –

सेवा का नाम	सामान्य	अ. जा.	अ. ज. जा.	अराजपत्रित कर्मचारी	कुल
राज. प्रशासनिक सेवा	19	5	4	2	30
पुलिस सेवा	11	2	2	—	15
लेखा सेवा	30	7	5	—	42
बीमा सेवा	3	1	—	—	4
उद्योग सेवा	1	1	—	--	2
सहकारी सेवा	30	6	5	—	41
वाणिज्यिक कर सेवा	44	10	8	--	62
श्रम कल्याण सेवा	4	1	1	--	6
	142	32	24	2	202

(श्री मुख्य मंत्री)

(2) उपरोक्त कुल 202 पदों के विरुद्ध 202 प्रत्याशियों को उनकी मेरिट व उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति हेतु आवंटित किया जा रहा था कि इसी बीच राज. उच्च न्यायालय में दो याचिकायें दायर हुईं। न्यायालय ने स्टे देकर निर्देश दिये कि 1) राज्य सरकार अलाइड सेवाओं में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए आरक्षित 7% पदों पर रिट के फैसले तक नियुक्ति न करे। तथा 2) विकलांग व्यक्तियों के लिये 2% आरक्षित पदों पर नियुक्ति न करे? एक अन्य तीसरा केस भी राज. उच्च न्यायालय में दायर हुआ है जो अभी विचाराधीन है। राज. उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अनुसार पदों को रिक्त रखा गया है। और वर्तमान में मामला सबजुडिस है और उच्च न्यायालय द्वारा विचाराधीन केसों का अन्तिम निपटारा हो जाने के पश्चात ही इन पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

निर्वाचन क्षेत्र कठूमर के ग्रामों का विद्युतीकरण सर्वेक्षण

332. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कठूमर (अलवर) में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा कितने ग्राम विद्युतीकृत हो गये हैं? कृपया दोनों प्रकार के ग्रामों की सूची सदन की पटल पर रखें।

(2) जिन ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा चुका है उन ग्रामों में बिजली पहुंचा दी जावेगी?

(3) कब तक उप तहसील कठूमर का शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया जावेगा? इस बारे में सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कठूमर (अलवर) में माह फरवरी, 81 के अन्त तक 38 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे किया किया जा चुका है, तथा इस क्षेत्र में माह फरवरी, 81 के अन्त तक 47 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। सूचियां 'अ' व 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जिन 38 ग्रामों का सर्वे किया गया, उनमें से 10 ग्राम मंडल के सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण प्रोग्राम तथा 22 ग्रामों का विद्युतीकरण प. स. लक्ष्मणगढ की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित/स्वीकृत है। शेष 6 ग्रामों की आर. इ. योजना बनाई जाने पर साध्य नहीं पाई गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की पं. स. लक्ष्मणगढ़ की योजना स्वीकृति दिनांक 4–2–81 को हो चुकी है तथा इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है।

(3) भू-जल प्रतिवेदन के अनुसार कठूमर क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है। अतः क्षेत्र के बचे हुए ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

ग्राम नाहरी कलां एवं आंधोली का विद्युत सर्वेक्षण

333. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम नाहरी कलां एवं आंधोली, तहसील सवाई माधोपुर का विद्युतीकरण करने हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट सं. 138 दिनांक 16 सितम्बर, 1979 द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो अब तक उस सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

(2) स्वीकृति के अभाव में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

विधायकों के पत्रों का मंत्रियों/अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रेषित करना

334. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि विधायकों द्वारा विभिन्न मंत्रियों व अधिकारियों को दिए गए पत्रों का जवाब न मिलने से विधायकों को अपना दायित्व निभाने में दिक्कतें आती हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई सुधार की योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र की प्रति संलग्न है ।

(परिपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

जिला बीकानेर में पकड़ी गई अवैध शराब

335. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बीकानेर में गत वर्ष कितनी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई ? कितने मुकदमें दर्ज किये गये, कितने मुकदमों का निर्णय हो चुका है तथा पकड़ी गई अवैध शराब किस उपयोग में ली गई ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर के सरकारी संस्थानों में भी अवैध शराब बनाई जाती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या यह सही है कि बीकानेर के केन्द्रीय कारागार में अधिकारियों की मिली भगत से बंदियों द्वारा अवैध शराब निर्मित की जाती है ?

(3) क्या आबकारी विभाग ने केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में भी कभी छापा मारकर अवैध शराब पकड़ी ?

उत्तर

(1) 3220 बोतलें अवैध शराब। 26,205 बोतल कच्ची शराब। 349 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें से 9 मुकदमों का निर्णय हो चुका है। पकड़ी गई अवैध शराब का न्यायालयों के निर्णय के पश्चात् निस्तारण किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर नगर में विद्युत् बिलों के जमा कराने की व्यवस्था

336. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगर में प्राइवेट उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा कराने हेतु विद्युत बोर्ड ने क्या व्यवस्था कर रखी है व इस हेतु कितने केन्द्र स्थान निर्धारित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गोल प्याऊ नया बाजार के पास एक कमरा बनवा कर बिजली के बिल जमा कराने एवं शिकायतें प्राप्त करने की स्वीकृत योजना को स्थगित कर दिया गया है ?

(3) क्या अजमेर नगर के फैलाव व जनसंख्या को देखते हुए बिल जमा कराने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो अधिक केन्द्र खोल कर कब तक इसे सुविधाजनक बना दिया जायगा ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर खण्ड के अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिल की राशि जमा कराने के लिए सम्बन्धित वितरण उपखण्डों के अधीन विभिन्न स्थानों पर विद्युत मण्डल द्वारा 12 काउन्टर खोल रखे हैं।

(2) नया बाजार स्थित गोल प्याऊ के पास बिजली के बिल जमा कराने व शिकायतें दर्ज करने हेतु एक कमरा बनाने के लिए जिलाधीश, अजमेर के द्वारा जमीन अलाट कर दी गई थी तथा उस पर कमरा बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु नगर परिषद ने जिलाधीश के आवंटन को अमान्य ठहराते हुए कमरे के निर्माण कार्य को तोड़ दिया और उस स्थान पर निर्माण की आज्ञा नहीं दी। इस संबंध में जिलाधीश व नगर परिषद के मध्य मामला चल रहा है जिसके तय होने पर ही केन्द्र स्थापित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) जी हां।

ग्राम पिथलों (जैसलमेर) में पेय-जल उपलब्ध कराना

337. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर के ग्राम पिथलों में पानी उपलब्ध कराने की क्या योजना है ?

(2) ग्राम पिथलों को कौन सी जलप्रदाय योजना से जोड़ना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(3) ग्राम पिथलों में कब तक पेय जल उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्राम पूर्व में स्वीकृत क्षेत्रीय योजना कोठरी पीथला में सम्मिलित था। स्रोत उत्पन्न न होने के कारण इस ग्राम को स्रोत ग्राम कीता से जोड़ने हेतु योजना बनाने का प्रस्ताव है।

(2) उपरोक्तानुसार ।

(3) योजना को समस्या के अनुपात में तथा धन उपलब्धि के अनुसार लाभान्वित करना सम्भव होगा।

जयपुर में कार्यरत आर. ए. एस. एवं आई. ए. एस. अधिकारी

338. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आर. ए. एस एवं आई. ए. एस. केडर के कई व्यक्ति जब से नौकरी में आये तब से ही जयपुर में कार्यरत हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया ऐसे अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) आई०ए०एस० एवं आर०ए०एस० केडर के कुछ अधिकारी उनकी आई०ए०एस० व आर० ए० एस० नियुक्ति की तिथि से जयपुर में पदस्थापित हैं।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में बतलाये गये अधिकारियों के नाम निम्नांकित है :—

नाम	आई०ए०एस० / आर०ए०एस० में नियुक्ति की तिथि
1–श्री उम्मेद सिंह आई०ए०एस०	24–11–73
2–श्री आर०डी०गुप्ता आई०ए०एस०	8–11–77
3–श्री के० एल० कोचर आई०ए०एस०	8–11–77
4–श्री मातादीन शर्मा आई०ए०एस०	29–10–79
5–श्री एस०पी० पुरोहित आई०ए०एस०	16–12–80
6–श्री एस०एन०खण्डेलवाल आई०ए०एस०	16–12–80
7–श्री अजय सिंह आर०ए०एस	15–10–79
8–श्रीमती शान्ता व्यास आर०ए०एस०	20–6–75
9–श्री ताराचन्द जैन आर०ए०एस०	जुलाई,1976
10–श्रीमती नसीम हुसैन आर०ए०एस०	18–11–78
11–कुमारी शमीम अख्तर आर० ए० एस०	17–10–79

ग्राम वादीपुरा में आवंटित भूमि

339. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वादीपुरा में भूमि के अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत वादीपुरा के सरपंच ने इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रस्तुत किये हैं ?

(3) यह भूमि किन-किन व्यक्तियों को अलॉट की गई ? इनके परिवार में कितनी भूमि है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) इस भ्रष्टाचार की शिकायत के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) सूची संलग्न प्रस्तुत है ।

(4) इस भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच अतिरिक्त जिलाधीश, बारां द्वारा कराई जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य में सहकारिता के आधार पर चलाई जा रही डेयरीज

340. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा कौन कौन से जिलों में सहकारिता के आधार पर डेयरी चलाई जा रही हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वर्ष 1975–76 से 1979–80 तक प्रत्येक डेयरी की आय व व्यय का विवरण कृपया सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन डेयरी योजनाओं में निरन्तर घाटा चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा घाटे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में डेयरी चलाई जा रही है।

(2) अंकेक्षित आय व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) गत दो वर्षों से प्रदेश में निरन्तर सूखे की स्थिति होने के फलस्वरूप दूध प्राप्ति कम होने से डेयरी संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सके । गत दो वर्षों में बिजली कटौती के कारण भी उत्पादन में कमी रही । इन प्लान्ट्स पर पूंजी विनियोजन अधिक होता है जिसके ब्याज व मशीनरी की घिसावट आदि पर प्रारम्भिक वर्षों में अधिक व्यय होने से भी प्लान्ट में प्रारम्भ में घाटा रहता है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी का निर्माण कराना

341. **श्री शोभराज मल** : (चित्तौड़गढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी के निर्माण का प्रकरण लम्बे अर्से से विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार का उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कराने का विचार है ?

उत्तर

जी हां। चित्तौड़गढ़ में कृषि उपज मण्डी के निर्माण हेतु पहले भूमि अवाप्त की जा रही है जिसके बारे में भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही जारी है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर मण्डी निर्माण सम्बन्धी परियोजना बनाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

जिला सवाईमाधोपुर में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि

342. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर की हिन्डौन, टोडाभीम तथा महुवा तहसील में सन् 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो 5-5 बीघा जमीन आवंटित की थी, उसमें से कितने व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है ?

(2) जिन व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है क्या सरकार उनको कब्जा दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की हिन्डौन टोडाभीम तथा महुवा तहसील में सन् 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भू-आवंटन किया गया था उन सभी को कब्जा दिया जा चुका है।

(2) सभी आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है और ऐसा कोई मामला कब्जा देने से शेष नहीं है।

फेली का पुरा (हिण्डौन) चैक पोस्ट पर स्थित खनिज कांटा

343. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन तहसील में फेली का पुरा चैक पोस्ट पर लगा खनिज कांटा खराब स्थिति में है जिसके कारण 1 टन तोल में 100 किलो ग्राम का अन्तर आ जाता है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ? क्या खनिज अभियन्ता, सवाई माधोपुर को भी इस बारे में लिखा गया है लेकिन कांटे को ठीक नहीं करवाया गया है, फलस्वरूप किसानों व पत्थर व्यापारियों को प्रतिदिन हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है ? सरकार इसको कब तक ठीक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) हिण्डौन तहसील के फेली का पुरा चैक पोस्ट पर लगे खनिज कांटे को बांट एवं माप विभाग द्वारा दिनांक 5-12-80 को सत्यापित कर मुद्रांकन किया गया है, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग को विस्तृत जांच करने के आदेश हाल ही में दिये गये हैं । बाद जांच ही कांटे की स्थिति के बारे में स्पष्ट हो पायेगा ।

(2) जैसा कि उत्तर संख्या (1) में दर्शाया गया है कि राज्य सरकार ने निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा पूर्ण जांच करने के आदेश दिये हैं । खनिन अभियन्ता, सवाई माधोपुर को इस सम्बन्ध में नहीं लिखा बल्कि विभाग द्वारा यांत्रिक अभियन्ता को दिनांक 27–1–81 को मौके पर भेजा गया ।

जांच कार्य पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । वर्तमान स्थिति में यह मान्य नहीं कि किसानों अथवा व्यापारियों को इस कांटे से किसी प्रकार की हानि हो रही है । यदि आवश्यक हुआ तो सुधार कार्य शीघ्र ही सरकार द्वारा पूर्ण किया जावेगा ।

अन्ता सब डिवीजन में कृषि भूमि में होकर निकाली गयी नहरें

344. **श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला कोटा के एल. ओ. टी. सी. के अन्ता सब-डिवीजन में अनेक नहरें बिना मुआवजा दिये किसानों के खेतों में होकर बना दी गई हैं ?

(2) क्या यह नियमानुकूल है ?

(3) बिना मुआवजा दिये कृषि भूमि में से कितनी नहरें बनाई गई हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें । ये नहरें कब बनाई गई थीं ?

(4) अभी तक भी मुआवजा न मिलने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

(5) अब सम्बन्धित किसानों को मुआवजा कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) नहरों का निर्माण कार्य सम्बन्धित किसानों की आपसी सहमति एवं उनके आग्रह से कराया गया है ।

(3) बिना मुआवजा दिये कृषि भूमि में लदवाड़ा सब माइनर नागदा सब माईनर मुडली भंरूली, साखा, लिसाड़ी मांगरोल कोलोनी, अयाना सब माईनर, रनोदिया सब माईनर, बम्बूलिया माईनर, लक्ष्मीपुरा माईनर, पिपल्दा माईनर, विजयपुरा सब माईनर, सौर खण्ड माईनर, सिनौता माईनर, रामपुरा माईनर, हाथोली माईनर, कोलाना माईनर, बमोलिया माईनर, महाराजा माईनर, लिफ्ट माईनर, देहड़ाहेड़ी लिफ्ट माईनर, मोलकी माईनर, बरखेड़ा माईनर, अन्ता फिडर नं० माईनर, अन्ता फिडर नं० 2 माईनर, अन्ता लिफ्ट माईनर, पचेल लिफ्ट माईनर बनाई

(38)

(सिंचाई मंत्री)

गई हैं। यह नहरें वर्ष 1976 से अब तक बनाई गई हैं।

(4) मुआवजा के मामले भूमि अवाप्त अधिकारी, चम्बल प्रोजेक्ट को भेजी जा चुकी हैं। परन्तु एवार्ड प्राप्त न होने की वजह से मुआवजा नहीं चुकाया जा सका।

(5) भूमि अवाप्त अधिकारी के कार्यालय से एवार्ड प्राप्त होते ही मुआवजा चुका दिया जायेगा।

तहसील सीकर के शिव तालाब क्षेत्र की विचाराधीन लघु सिंचाई योजना

345. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील सीकर के शिव तालाब क्षेत्र में लघु सिंचाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में पाये गये विशाल भू-गर्भ जल के उपयोग की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सीकर तहसील के अन्तर्गत पिपराली एवं धोद पंचायत समिति में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजना (भू-जल) क्रियान्वित की जा रही है, जिसके तहत 200 नये कुयें, 225 कुओं को गहरा करना, 460 कुओं पर पंप सैट, 3000 मीटर पक्की नालियों एवं 5 स्पिंकलर के निर्माण हेतु 60.30 लाख रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

अब तक इस क्षेत्र में 91 नये कुओं, 110 कुओं को गहरा करना, 100 कुओं पर पंप सैट, 24670 मीटर पक्की नालियों एवं 3 स्पिंकलर के निर्माण हेतु 19.51 लाख रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है।

कडाणा बांध से प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान

346. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कडाणा बांध से डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के कितने परिवारों को प्रभावित होना पड़ा ? कृपया सूची तहसीलवार सदन के पटल पर रखें।

(2) प्रभावित लोगों में से कितने परिवारों को मुआवजा देना बाकी है? अब तक मुआवजा अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कडाणा बांध के जल स्तर 419 एवं इसके बैकवाटर से राजस्थान राज्य के जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के 10,612 परिवार प्रभावित होते हैं। तहसीलवार सूची संलग्न परिशिष्ट (अ) पर दिखाई गई है।

(2) कुल 10,612 प्रभावित परिवारों में से 54 परिवारों को मुआवजा भुगतान

(सिंचाई मंत्री)

शेष है, जिनका मुआवजा भुगतान न होने का कारण निम्न प्रकार है।

(अ) जिला सत्र न्यायालय, डूंगरपुर में 18 मामले विस्थापितों की निजी सम्पत्ति के निर्णयाधीन हैं। निर्णय होने पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

(ब) बैंकवाटर से प्रभावित 13 विस्थापितों के निजी सम्पत्ति के एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा माह फरवरी, 81 में जारी किये गये हैं जिनके भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही जारी है और मार्च, 81 तक भुगतान कर दिया जावेगा।

(स) 23 विस्थापितों के बैंकवाटर से प्रभावित निजी सम्पत्ति के एवार्ड जारी होना शेष है, क्योंकि इनके अन्यत्र चले जाने या मौके पर नहीं मिलने के कारण एवार्ड नही किये जा सके हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

कन्या छात्रावास सालभगढ़ (प्रतापगढ़)

347. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में कितने नवीन कन्या छात्रावास वर्ष 1980–81 में प्रारम्भ किये गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) प्रतापगढ़ तहसील के कन्या छात्रावास, सालभगढ़ का भवन क्या एक सौ बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए बनवाया गया था ? यदि हां, तो इस वर्ष कितनी कम बालिकाओं को प्रवेश दिया गया ? कम प्रवेश के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) कन्या छात्रावास सालभगढ़ का भवन केवल 25 छात्राओं हेतु बनवाया गया है। भवन पूर्ण कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस विभाग को अभी तक सौंपा नहीं गया है इस कारण वहां अभी छात्रावास प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः छात्राओं को प्रवेश देने का प्रश्न हीं नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

माइक्रो प्रोजेक्ट योजना से लाभान्वित आदिवासी

348. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन जाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार ने जन जाति उपयोजना के अतिरिक्त घनी आदिवासी आबादी क्षेत्रों के लिये कोई पृथक योजना बनाई है ? यदि हां, तो कृपया इस योजना की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) माइक्रो प्रोजेक्ट योजना का आधार क्या है ? इस योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और किन-किन क्षेत्रों के आदिवासियों को किस प्रकार का लाभ पहुंचाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) हां, जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त 36 नये लघु खण्ड 13 जिलों में

(जनजाति विकास मंत्री)

बनाये गये हैं। विस्तृत सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इन नये लघु खण्डों में निवासित जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु भारत सरकार से निम्न राशि प्राप्त हुई है—

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1978–79	31.50
1979-80	190.00
1980–81	190.00

उपरोक्त राशि को लघु कृषक विकास अभिकरणों/जिला विकास अभिकरणों को विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आवंटित किया गया है। इन क्षेत्रों के लिये विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा योजनाएं बनाई जा रही है।

(2) इस विभाग में कोई माइक्रो प्रोजेक्ट योजना नहीं चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम कोडमदेसर (बीकानेर) को अकाल क्षेत्र घोषित करना

349. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के ग्राम कोडमदेसर में अकाल की स्थिति होने के बावजूद जमाना क्यों दर्ज किया गया?

(2) क्या कोडमदेसर में खेतों में पूरी फसलें हुई थीं?

(3) क्या आज वहां घास-पानी पर्याप्त रूप में है?

(4) क्या सरकार इसकी जांच कर सही स्थिति दर्ज करने के आदेश देगी?

उत्तर

(1) इस ग्राम को फसल खरीफ सम्वत् 2037 में 80 प्रतिशत पुख्ता होने के कारण अकाल में सम्मिलित नहीं किया है।

(2) हां, मुताबिक जिन्सवार 80 प्रतिशत फसल पुख्ता रही है?

(3) हां, कोडमदेसर में बहुत बड़ा तालाब है। जिसमें कभी पानी नहीं सूखता है। चारा भी पर्याप्त है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

नदबई तथा तवीजी स्थित सन्तुलित आहार के कारखाने

350. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या नदबई तथा तवीजी स्थित संतुलित आहार कारखानों ने उत्पादन शुरू कर दिया है?

(2) यदि हां, तो क्या यह अपनी क्षमतानुसार उत्पादन कर रहे हैं?

(3) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन कारणों को दूर करने हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) बिजली की कटौती के कारण नदबई एवं तबीजी स्थित पशु आहार कारखाने में क्षमता अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है. बिजली की स्थिति में सुधार के साथ उत्पादन में भी सुधार होने की आशा है।

प्रतापगढ़ से अम्बामाता सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा

351. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) प्रतापगढ़-छोटी सादड़ी मार्ग पर प्रतापगढ़ से अम्बामाता तक कितने काश्तकारों की जमीन सड़क निर्माण में आयी और उन्हें मुआवजा कब दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इन किसानों को आज तक कोई राशि मुआवजा के बतौर नहीं चुकायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुल 93 काश्तकारों की जमीन सड़क निर्माण में आई और इनको मुआवजा का भुगतान वर्ष 1969 में ही कर दिया गया था।

(2) यह सही नही है।

सड़कों से जोड़े गये ग्राम

352. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य में कितने नये गांवों को सड़कों से जोड़ा गया ?

(2) प्रत्येक जिले में कितने गांवों को जोड़ा गया ?

(3) सीकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों को जोड़ा गया ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य के लगभग 372 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।

(2) जिलेवार सड़क से जुड़ने वाले गांवों की संख्या परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(3) सीकर विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कोई गांव सड़क से नहीं जोड़ा गया।

(गांवों की संख्या के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सलूम्बर से सराड़ा मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराना

353. **श्री थान सिंह मीणा** (सलूम्बर : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि सलूम्बर से सराड़ा सड़क पर बरसात के दिनों में जयसमन्द भर जाने व टीडी नदी का पानी आ जाने से व उन्हीं दिनों वाणा नदी के पानी का तेज बहाव हो जाने के कारण आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो उक्त

(42)

(श्री थानसिंह मीणा)

पुलिया को कब तक बनाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

यह सही है कि गोमती नदी व गरगल नदी में बाढ़ आने पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। इन नदियों पर पुल बनाने की अभी न तो कोई स्वीकृति है न ही किसी योजना में प्रस्तावित है।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का अजमेर स्थित गेस्ट हाउस

354. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर का अजमेर नगर में इस विभाग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों के ठहरने के लिये एक गेस्ट हाउस सुभाष बाग के पास स्थित जलकल भवन के पड़ौस में है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गेस्ट हाउस को वर्तमान अतिरिक्त अभियन्ता, श्री महेन्द्रसिंह कछवाहा ने पिछले डेढ़ वर्ष से अपने निवास के कार्य में ले रखा है ?

(3) क्या सरकार गेस्ट हाउस के दुरुपयोग को समाप्त करके कर्मचारियों एवं श्रमिकों को राहत पहुंचाने हेतु कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं. तो तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ! परन्तु गेस्ट हाउस जल कल गृह के ऊपर है।

(2) संदर्भित अधिकारी ने उपरात्त भवन का माह नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1981 तक की अवधि में 227 दिन उपयोग किया है।

(3) भवन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है।

सरस्वती कॉलोनी में पेयजल की व्यवस्था

355. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में खेडली फाटक टंकी से एक 4 इन्च पाइप लाइन सरस्वती कॉलोनी तक डालने का आदेश सन् 1980 के प्रारम्भ में होकर, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था ? यदि हां, तो यह लाइन शक्तावत क्लिनिक के बाद क्यों नहीं डाली गई ?

(2) सरस्वती कॉलोनी के लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित लाइन सरस्वती कालोनी में जल आपूर्ति में सुधार करने हेतु आवश्यक लम्बाई में ही डाली गई है। शक्तावत क्लिनिक के पास इसे पुरानी लाइन से जोड़ दिया गया है।

(2) पूर्ण क्षेत्र में सुधार हेतु पाइप लाइन डालने का कार्य मई, 1981 के अन्त तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

पंचायत लाम्बा गोठड़ा में पेयजल व्यवस्था

356. **श्री हजारी लाल शर्मा** (पिलानी): क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत लाम्बा गोठड़ा पंचायत समिति चिड़ावा के निवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु हरिजन मोहल्ले में स्थित कुए का चयन किया गया था ?

(2) क्या उक्त चयनित कुए में से पेय-जल वितरित किये जाने हेतु विद्युत मोटर आदि की स्वीकृति हो गई थी ?

(3) यदि हां, तो क्या उक्त चयनित कुए में मोटर पम्प लगा कर ग्राम की जनता को जल उपलब्ध करा दिया गया है ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक यह योजना लागू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) कुए के चयन के सम्बन्ध में ग्रामवासियों में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण कार्य को स्थगित करना पड़ा है । विवाद को सुलझाने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा विवाद सुलझते ही कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा ।

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना

357. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या छठी पंचवर्षीय योजना में मेवाड़ काम्पलेक्स को पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

मेवाड़ काम्पलेक्स योजना पर भारत सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजन सगठन द्वारा सर्वेक्षण लगभग समाप्त कर लिया गया है एवं रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा रही है । भारत सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव है ।

अजमेर नगर के वार्ड नं. 27 से पानी का निकास

358. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीमा अजमेर में वार्ड नं. 27 जोन्सगंज के आगे गढ़ी मालियान व धन्नालाल माली के कुए के पास बने हुए तमाम मकानों के रास्ते व आस पास की खाली जमीन पर वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है और पानी का कहीं भी निकास नहीं होता है ?

(2) यह पानी नहीं भरे और यहां के नागरिकों को असुविधा एवं असुरक्षा नहीं रहे इस हेतु नगर परिषद् द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । जोन्सगंज के आगे गढी मालियान व धन्नालाल माली के कुए के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पास जो मकानात बने हैं वे कृषि भूमि में नाजायज तौर पर बने हुए हैं। यह भूमि सड़क के लेवल से नीची होने के कारण बरसात में पानी भर जाता है।

(2) इस क्षेत्र में कृषि भूमि पर नाजायज भट्टों के कारण खड्डे हैं व मकान भी निचली सतह पर बने हुए हैं। स्थाई समाधान इस क्षेत्र का आबादी में परिवर्तन एवं आवासीय योजना बनाने पर ही सम्भव होगा। वर्षा का पानी भरने की स्थिति में पम्पों या अन्य साधनों द्वारा पानी के निकालने की अस्थाई व्यवस्था की जाती है।

जयपुर शहर के स्टाम्प विक्रेताओं को अधिक राशि के स्टाम्प बेचने के अधिकार प्रदान करना

359. श्री **कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में कमीशन बेसिस पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को कितने रुपये की राशि के मुद्रांक (स्टाम्प) एक ही नाम से बेचने की छूट है तथा कितनी राशि के मुद्रांक कितनी राशि की रजिस्ट्री, बेनामे, किरायेनामे आदि के लिए उपयुक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि कमीशन बेसिस पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को दी गई छूट की राशि से अधिक राशि के स्टाम्प क्रय करने के लिए जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा उक्त स्टाम्प ट्रेजरी द्वारा ही जारी किए जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार द्वारा कमीशन पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को वर्तमान राशि से अधिक के मुद्रांक बेचने के अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी राशि तक के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 400.00 रुपये तक। एक ही नाम से एक दिन में मुद्रांक विक्रय करने सम्बन्धी नियमों में किसी प्रकार की रोक नहीं है।

रुपये 400.00 के मुद्रांक (स्टाम्प) रुपये 6000.00 की रजिस्ट्री, किरायेनामे बेचाननामे के लिए पर्याप्त हैं।

(2) जी नहीं। छूट की राशि अर्थात् 400.00 रुपये से अधिक की राशि के मुद्रांक कोष कार्यालय से जारी किये जाते हैं और उनको प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है।

कमीशन बेसिस पर नियुक्त मुद्रांक विक्रेताओं को कमीशन मुद्रांक नियमावली के नियम 31 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा देय है और उक्त कमीशन की राशि को सीमित रखने के उद्देश्य से ही रुपये 400.00 से अधिक मूल्य के मुद्रांक कोष कार्यालय से बेचने का प्रावधान रखा गया है।

(3) जी हां। कमीशन पर नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं को वर्तमान सीमा 400.00 रुपये से बढ़ाकर 1000.00 रुपये तक के मुद्रांक बेचने के लिए अधिकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है।

मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री, मोडक द्वारा कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधायें

360. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री मोड़क द्वारा जिला कोटा में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों से जितनी राशि के वेतन पर हस्ताक्षर करवाते हैं उतना वेतन नहीं देते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग के श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं दी जाती? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्या-क्या सुविधा दी जा रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कई कर्मचारियों को सेवा में नियुक्त कर निकाल दिया जाता है ? क्या उद्योग संचालकों एवं संघर्ष समिति रामगंज मंडी के मध्य हुए लिखित समझौते का भी संचालकों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ?

(4) क्या कोटा, बूंदी, झालावाड़ के युवकों के साथ इस उद्योग में दुर्व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें सर्विस छोड़ने को बाध्य कर दिया जाता है ? हाड़ौती एवं राजस्थान के कितने लोग इस उद्योग में नियुक्त हैं ? कृपया प्रतिशत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत अनेक नियमों के अनुसार फैक्ट्री द्वारा निम्न सुविधायें दी जा रही हैं :-

1) मजदूरों के लिये केन्टीन।

2) रेस्ट रूम

3) फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार।

4) पानी पीने की सुविधा जिसमें कूलर से भी पानी पिलाने की व्यवस्था शामिल है।

5) शौचालय, स्नानगृह, हाथ धोने के लिये वाश बेसन की व्यवस्था।

6) कार्य के अनुसार मजदूरों की वर्दी एवं उसकी धुलाई का भुगतान फैक्ट्री द्वारा किया जाता है।

(ii) इसके अतिरिक्त सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं 226 आवास गृहों की व्यवस्था की हुई है।

(3) राज्य सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(4) जी नहीं। केवल एक श्रमिक को नौकरी से पृथक करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही की जा रही है। हाड़ौती क्षेत्र एवं राजस्थान के अन्य भागों के निम्नलिखित व्यक्ति उद्योग में नियुक्त हैं-

श्रमिकों की सं०	हाड़ौती क्षेत्र के व्यक्ति	राजस्थान के अन्य भागों के व्यक्ति	देश के अन्य भागों के व्यक्ति
1	2	3	4
221	144	44	33

(४६)

(श्रम मंत्री)

स्टाफ की संख्या	हाड़ौती क्षेत्र के व्यक्ति	राजस्थान के अन्य भागों के व्यक्ति	देश के अन्य भागों के व्यक्ति
1	2	3	4
142	40	55	47

स्थगित प्रश्न

(27-2-81)

सांचोर तहसील के अवैध कब्जों संबंधी निर्णयों का रिव्यू

97 श्री **कनकराज मेहता** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांचोर तहसील में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कितने अवैध कब्जों के निर्णय हुए व निर्णय के बाद उसी अधिकारी द्वारा कितने मुकदमे रिव्यू किये गये? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों से अवैध कब्जे उन्हीं नम्बरों के दर्ज होते हैं? यदि हां, तो कृपया ग्रामवार नम्बरों सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या अवैध कब्जों में छुड़ाई हुई भूमि का कोई अलग रेकार्ड रखा जाता है? क्या ऐसी भूमि की कोई व्यवस्था भी की गई है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसी कितनी भूमि तहसील में प्राप्त हुई व उसकी क्या व्यवस्था की गई?

उत्तर

(1) तहसील सांचोर में वर्ष 1978-79 में 13 12 एवं 1979-80 में 782 कुल 2094 मामले अवैध कब्जों के निर्णीत हुए। नायब तहसीलदार सांचोर ने अपने द्वारा वर्ष 1979-80 में निर्णीत किये गये मामलों में से 24 मामले रिव्यू किये गये। सूची (क) संलग्न है।

(2) जी हां, ग्रामवार नम्बरों की सूची 'ख' संलग्न है।

(3) जी हां। अतिक्रमियों से छुड़वाई गई भूमि की निगरानी सम्बन्धित पटवारी के द्वारा की जाती है एवं रेकार्ड भी संबंधित पटवारियों द्वारा रखा जाता है। गत पांच वर्षों में निम्न प्रकार भूमि प्राप्त की गई।

1975-76	819	एकड़
1976-77	1013	,,
1977-78	1496	,,
1978-79	1133	,,
1979-80	2615	,,

उपरोक्तानुसार प्राप्त की गई भूमि की सूचना सम्बन्धित पटवारियों को दे दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) **श्री रतनलाल ताम्बी,** सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में गत 5 दिन पूर्व 60,000/- रु. की एक चोरी व अन्य स्थानों पर हुई ताले तोड़ने की घटनाओं में विषय में ।

(2) **श्री बालचन्द आर्यवीर,** सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले में पचपहाड़ कस्बे में पुराने समय से चली आ रही तहसील को हटाने की कार्यवाही के विषय में ।

(3) **सर्वश्री चुन्नीलाल व हंसराज शर्मा,** सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सवाई माधोपुर के अन्तर्गत देवपुरा बांध की डूब में आई जमीन जिसे दिसम्बर, 1980 में नीलाम किया गया था, उसकी एवज में तहसीलदार तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलकर काफी अधिक रकबे में जंगलों की कटाई कर देने के विषय में ।

(4) **श्री नाथूसिंह,** सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 9 मार्च को अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी नागरिक वाल्टर्स द्वारा जयपुर आकर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के सचिव व मुख्य अभियन्ता से विद्युत संकट की जानकारी करने के विषय में ।

(5) **श्री बंशीलाल पटवा,** सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिलाधीश द्वारा 360 बोरी अवैध चीनी को सील करने पर भी खाद्य विभाग द्वारा रिलीज कर दिये जाने के विषय में ।

(6) **डा. उजला अरोड़ा, श्री मोहनलाल शर्मा व श्री गुलाबचन्द कटारिया,** सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले में दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं आदि न मिलने के विषय में ।

(7) **श्री रघुवीरसिंह कौशल,** सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा–बारां रोड पर राज्य परिवहन निगम की बसों में अव्यवस्था व अधिक सवारियां भरने के विषय में ।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही और है जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा ।

(8) **श्री मोहनलाल मोदी** : तहसील नीम का थाना में ग्राम गुहाला में गत 11 मार्च को हुई डकैती के विषय में ।

(9) **श्री दाऊदयाल जोशी** : कोटा नगर के वाणिज्यिक एवं कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा व्यापारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में ।

(10) **श्री महावीर प्रसाद जैन** : उद्योग विभाग द्वारा दिसम्बर, 1980 में जारी किये गए निर्देशों के बावजूद टौंक जिले में स्थापित उद्योगों को अनुदान की शेष राशि न देने के विषय में ।

(४८)

(श्री अध्यक्ष)

(11) **श्री महाराम चौधरी :** पंचायत समिति, नागौर एवं मूंडवा पंचायत, जिला नागौर में ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के पानी का स्तर नीचे चला गया है, उस विषय में।

(12) **श्रीमती विद्या पाठक :** जयपुर शहर में गन्दगी, मरे हुए जानवर व कूड़े के ढेर फैलने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और हाल ही की किसी घटना या अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय भी नहीं हैं। अतः मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री मोहनलाल मोदी : तहसील नीमका थाना ग्राम गुहाला में गत 11 मार्च को हुई डकैती के विषय में।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, 11-3-81 की रात्रि को ग्राम गुहाला, तहसील नीमकाथाना के अन्दर 12 बजे 7-8 आदमी आये और भूंथा नाम का काश्तकार, जो अपने कुओं पर रहते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ कुओं पर रहते हैं, 7-8 आदमी हथियार लेकर रात्रि में आये और उनको रस्सी से बांध लिया और बांधकर उनकी औरतों के सारे जेवर छीन लिए याने इतनी भयंकर वारदात इस क्षेत्र में हो रही है जिससे सारे क्षेत्र में घोर असंतोष व्याप्त है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये काश्तकार दिन भर अपने खेत पर काम करते हैं और अपने कुओं पर झोंपड़ियां बनाकर उनमें निवास करते हैं। डकैत हथियारों से लैस होकर आयें, जेवर ले जायें और लोगों को मारें, और इसके बाद आज तक उसके अन्दर पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, आज लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत ही बिगड़ गयी है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, अभी नीम के थाने में पिछली 11 ता. की रात को आठ बजे एक दुकानदार की दुकान से पांच हजार रुपये लोग छीनकर भाग गये। दूसरी इसी 12 तारीख को सिरोही ग्राम में डकैती पड़ गयी। पर अभी तक कोई डाकू नहीं पकड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी बिगड़ गई है कि राज्य सरकार को इस तरफ तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज लोगों की गांवों में ऐसी हालत हो गई है कि लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। आज छोटे छोटे गावों में जहां गरीब लोग रहते हैं उनमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं मजदूर वर्ग लोग हैं वह इस बात को ही सोच रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का क्या होगा और किस तरह वह लोग अपने जीवन यापन कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज यह हालत है कि थाने के अन्दर थानेदार का मर्डर हो गया और अभी तक वह मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं गया है। इससे ग्राम लोगों में बहुत भारी आतंक छाया हुआ है। गुंडा तत्व के लोगों को खुली छूट मिल गई हैं। आये दिन चोरियां, डकैतियां और हत्यायें हो रही हैं और हमारी सरकार कुम्भकरण की नींद में सो रही है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस कुम्भकरण की नींद से जगाने की जरूरत है। अगर आपने, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को नहीं जगाया तो किसानों

(श्री मोहनलाल मोदी)

और गरीब तबके के लोगों के साथ लूट पाट होती रहेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन जुर्म करने वालों को गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जावे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी :

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव नहीं आया। मेरा स्थगन प्रस्ताव था मोतीपुरा तहसील अटरू में खातेदार दिलीपसिंह ने लगभग 400 बीघा जमीन आराजी जो थी उसको खातेदारों से छीन ली।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई स्थगन प्रस्ताव है? वह रिजेक्ट हो गया क्या?

श्री छीतरलाल आर्य : आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : मैंने इसके लिए जानकारी चाही है। कल ही भेजा है जब हमने जानकारी चाही है और अभी आप डिस्कस करने लगें तो फिर जानकारी मंगाने का क्या फायदा?

श्री छीतरलाल आर्य : मैंने निवेदन किया ना साहब, आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : मेरा ऐसा ख्याल पड़ता है कि मैंने इसके लिए कल ही जानकारी मंगायी है। इसलिये इस पर व्यवस्था नहीं दी गयी है। श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, बिक्री कर विभाग हमारे राजस्थान सरकार के लिये एक कामधेनु का काम करता है। अभी पिछले सैशन में जब राज्य सरकार से यह निवेदन किया गया कि बिक्री कर को समाप्त किया जाय क्योंकि इससे लोगों को बहुत सी असुविधा होती है तो उस समय मुख्य मंत्रीजी ने बजट सत्र में यह आश्वासन दिया था कि बिक्री कर को समाप्त तो नहीं किया जा सकता लेकिन इतना जरूर सदन में माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया कि बिक्री कर के लिये जो असुविधायें व्यापारियों को आती हैं उनको जरूर समाप्त किये जाने की कोशिश पुर जोर की जायेगी। दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो सैल्स टैक्स के कारण व्यापारियों व कर सलाहकारों को बहुत असुविधा होती है दूसरी तरफ बिक्री के आफिस में लाल फीता शाही के कारण व्यापारी वर्ग और कर सलाहकार परिषद के लोग बहुत ही सन्तुष्ट हैं। इसका उदाहरण मैं आपको मेरे कोटा क्षेत्र का देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कोटा के अन्दर अभी एक अतिरिक्त आयुक्त, बिक्री कर विभाग, श्री आर. डी गुप्ता, आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जबसे श्री आर. डी. गुप्ता का पदार्पण हमारे कोटा में हुआ है तब से वहां व्यापारियों में, वहां के कर सलाहकार लोगों में और वहां कर्मचारियों में भयंकर असन्तोष है। श्री आर. डी गुप्ता का बर्ताव वहां के व्यापारियों और दूसरे वर्ग से इस प्रकार का है कि वहां किसी से भी गाली गलौच और झिड़कियां दिये बिना बात नहीं करते हैं। जो कोई भी जाता है उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसका मैं अभी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कोटा के परिधि गृह, सर्किट हाउस

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में बिक्री कर अधिकारियों और कर सलाहकार मण्डल के लोगों की एक मीटिंग हुई थी। कर सलाहकार मण्डल के सदस्यों ने मीटिंग में वन विभाग द्वारा जो एग्जैम्प्शन्स दिये गये हैं उनके बारे में पूछा तो श्री आर. डी. गुप्ता बहुत ही बुरी तरह से उछले और इस प्रकार का अभद्र व्यवहार उन्होंने उन लोगों से किया कि वहां के लोग देखकर दंग रह गये। वह वहां से गाली गलौच करते हुए उठकर चले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि कर सलाहकार लोग जो कि अच्छे नागरिक होते हैं प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके साथ इस प्रकार का गाली गलौच और अभद्र व्यवहार करना कहां तक उचित है ? वहां पर लोगों में बहुत आक्रोश है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा, वह श्री आर. डी. गुप्ता के खिलाफ में कार्यवाही करे और उनको वहां से तुरन्त हटाया जावे। श्री आर. डी. गुप्ता को दण्डित किया जावे। इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वहां से उनको नहीं हटाया गया तो वहां के व्यापारियों ने और कर सलाहकार मण्डल ने यह तय कर लिया है कि उनकी अदालत में वह उपस्थित नहीं होंगे, उनके यहां से जो भी नोटिसेज आयेगें उनको वह तामील नहीं करेंगे और जवाब नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह लोग राज्य सरकार की कामधेनु गाय हैं। इस प्रकार की स्थिति रही तो वहां बड़ा आन्दोलन छिड़ जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय तुरन्त कार्यवाही करके श्री आर. डी. गुप्ता को वहां से हटाया जाय और लोगों में जो असंतोष है उसको समाप्त करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उद्योग विभाग के द्वारा सुविधायें हमारे उद्योगपतियों को दी गयी हैं। उसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूगा। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग से एक परिपत्र जारी किया गया है। उसमें लिखा है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लेखा/10/पा-सबसिडी रूल्स, दिनांक 26–2–79 पर लगाया गया नोट विलोपित किया जाता है। दिनांक 1–4–74 से 31–3–79 की अवधि में स्थापित होने वाले खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों को विद्युत अनुदान का लाभ 1–10–78 से दिया जायेगा। लेकिन यह सुविधा अनुदान प्राप्ति से पांच वर्ष या 31–3–84 से आगे देय नहीं होगी। दिनांक 1-4-74 से पहले के स्थापित उद्योगों को यह लाभ देय नहीं है। 1-4-79 से खाद्य पदार्थों पर आधारित उद्योगों को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामों में ही स्थापित होने पर यह लाभ दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टौंक औद्योगिक विभाग द्वारा सब सिडी की एक लिस्ट बनाई गयी जिसमें 26 लोगों के नाम थे। इनमें सम्भार मल जैन टौंक को 595 रुपये 60 पैसे, सुरेशकुमार नौरतमल मोदी को 118 रुपये 85 पैसे, श्री भगवती इ० ड० कम्पनी को 230 रुपये, बिरखामल पुत्र लल्लूजी, टौंक को 16.90 पैसे इस प्रकार 26 लोगों को अनुदान देने के लिये सबसिडी दी जाने की घोषणा की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

इसके अलावा विद्युत उपयोग के लिये भी सबसिडी घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : 16 रुपये के लिये लोग टोंक से यहां पर अनुदान लेने आते हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बात केवल 16 रुपये की नहीं है। वहां पर एक 26 आदमियों की लिस्ट बनाई गयी थी। कुल 52620 रुपये की लिस्ट बनायी गयी और उसकी स्वीकृति भी मिल गयी थी। इसका बजट में प्रावधान भी कर दिया गया और कुछ लोगों को राशि 5794 रुपये 60 पैसे तो भुगतान भी कर दी गयी। लेकिन इसके बाद में एक विज्ञप्ति और निकाली गयी परिपत्र के रूप में। उसके अनुसार अनुदान की राशि जो दी गयी वह केन्सिल कर दी गयी। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोन्ट्रेक्ट किया गया वह ब्रीच आफ कोन्ट्रेक्ट हो गया। पहले एक बार समझौता हो जावे और उसके बाद में यह कह कर कि अनुदान की राशि खतम की जाती है, यह कहां तक न्याय है ? जब यह उद्योग विभाग से 15 प्रतिशत अनुदान सबसिडी मिलती है सेल्स टेक्स में छूट भी मिलती है, तो एक बार जो सबसिडी दी जा चुकी उसको वापस कैसे लिया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय. इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग से एक डायरी हमें दी गयी है और आपको भी दी गयी है। आपने भी उसको देखा होगा इसमें स्पष्ट घोषणा की गयी है कि उद्योगपतियों को अनुदान दिया जायेगा तो फिर यह वापस कैसे लिया जा रहा है ? यह तो उद्योगपतियों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनको गलत फहमी में रखा जा रहा है कि उनको सुविधायें दी जावेंगी, अनुदान दिया जावेगा। वह नहीं दिया जाता है तो सरकार यह धोखा कर रही है। एक तरफ अनुदान की बात सरकार करती है दूसरी तरफ वापस लेती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन सुविधाओं को जो राज्य सरकार द्वारा एक बार दी जा चुकी है केन्सिल नहीं किया जाना चाहिये। एक तरफ तो कहते हैं हमारे राष्ट्र में अधिक से अधिक उद्योग लगें, हमारे राष्ट्र का उत्पादन बढ़े, विकास देश का हम चाहते हैं और दूसरी तरफ इस तरह उद्योगपतियों को परेशान किया जा रहा है। अनुदान नहीं दिया जा रहा है। आज वहां पर उद्योग विभाग में पांच-पांच, दस-साल से फाइलें पैन्डिग पड़ी हैं। एक आदेश से अनुदान दिया जाता है दूसरे आदेश से उसको वापस लिया जाता है। यह सभी कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि उन उद्योगपतियों से पैसा खींचने के लिये, पैसा छीनने के लिये यह किया जा रहा है। अगर इस प्रकार सरकार करेगी तो यहां पर कोई उद्योग लगाने को आगे नहीं आयेगा। अगर राज्य सरकार चाहती है कि यहां उद्योग लगे तो लोगों को सभी प्रकार की सुविधायें सरकार को समय पर देनी पड़ेंगी। बस इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अवसर दिया है।

श्री महाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पंचायत समिति, नागौर एवं मूंडवा पंचायत, जिला नागौर में ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के पानी का स्तर नीचे चले जाने के विषय में है। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर के पास में फलौदी निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं से आप स्वयं भी अवगत हैं....

श्री अध्यक्ष : नाम ले सकते थे।

श्री महाराम चौधरी : यह तो मेरी गलती हो गयी। जब बात कहता हूं तो फलौदी की बात कहता हूं और फिर मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं............

श्री अध्यक्ष : इस तरह से अवसर प्राप्त करते हैं केवल बोलने के लिए।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस क्षेत्र को जानते हैं और आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में पानी की कितनी भयंकर समस्या है। यह जानकारी मैंने मेरे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा देनी चाही है जिसे आपने अस्वीकार कर दिया। आपने यदि अस्वीकार किया है तो इसलिए किया है कि आप हमेशा ही अपने क्षेत्र में सुनते रहे हैं कि कुओं का पानी नीचे चला गया और अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। ब्लास्ट बोरिंग करने के लिए ए० ईएन० का नागौर में कोई दफ्तर नहीं है। यह सब कुछ नहीं होने की वजह से, आजकल पानी नीचे चले जाने से जब ढाणियों में रहने वाले आदमी दूसरे कुओं पर पहुंचते हैं और वहां जाते हैं तो पानी निकाल कर आदमी कहते हैं कि कुए का पानी तो टूट गया। तो वह छकड़ी लेकर पहुंचते हैं और पानी नहीं मिलने से उनको रात रात भर दस दस घण्टे वहां पर बैठे रहना पड़ता है। जब पानी का स्तर थोड़ा ऊंचा आता है तो ग्रामीण लोग कुए के अन्दर घुसकर और कुओं के अन्दर बैठे रहकर चड़स में धोवों से भरकर पानी डालते हैं और फिर खींचकर निकालते हैं। आजकल तो पिछले दो साल से बरसात नहीं होने की वजह से कम से कम 30–40 गांव ऐसे हैं और सब में ही यह हालत है। वैसी की वैसी हालत पड़ौस में आपके क्षेत्र के उन गांवों में भी है। इसलिए मैं सरकार से स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह निवेदन करना चाहता था और सरकार से आश्वासन चाहता था कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की एक मोटर पाचौड़ी और करनू क्षेत्र में रख दी जाये जिससे फलौदी के क्षेत्र को भी कुए गहरे करने की सुविधा मिल जायेगी। मोटर उपलब्ध नहीं होने से पानी नीचे चला जाता है। हालांकि नागौर में भी कई योजनाएं हैं। एक ए० ईएन० लगा है तो वह जोधपुर जाकर कब मोटर की व्यवस्था करेगा? इतने तो आदमी तीसाये मर जायेंगे। तो आपकी मार्फत सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की मोटर ब्लास्टिंग मशीन पाचोड़ी और करनू में उसका हैडक्वार्टर कर लाई जाये।

श्री अध्यक्ष : चाटी में कर दिया जाये तो?

श्री महाराम चौधरी : चाटी में कर दिया जाये तो मेरे क्षेत्र से तो बहुत दूर पड़ जायेगा। जाखड़ी, पूनासर, चापासर में भी वह जाकर धमका लगा आयेंगे जिससे पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जायेगी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : अकाल राहत से जो व्यवस्था पानी की होनी है वह व्यवस्था होना मुश्किल है और लोग प्यासे मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : पहले विचारणीय विषय है उसको समाप्त कर लिया जाये। आपने चाहा है कि आज ही आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर समय दे दिया जाये लेकिन आपको ध्यान होगा कि तीन चार माननीय सदस्यों ने आप के साथ स्थगन प्रस्ताव भेजा है। जब तक उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तो यह सम्भव नहीं होगा। अतः इस पर निर्णय होगा तो कल निर्णय किया जायेगा। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है जयपुर शहर में व्याप्त गन्दगी के बारे में। यह प्रस्ताव देने के पीछे, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रमुख कारण तो यह था कि जहां मैं स्वयं रह रही हूं आदर्शनगर वहां मेरे घर के पास ओपन ड्रेनेज है जो कि यू० आई० टी० द्वारा बनाई हुई हैं। पिछली 4 फरवरी से वहां एक जानवर पड़ा है मरा हुआ। विभाग को कई बार मैंने अपने घर से नौकर से टेलीफोन करवाया कि इसको उठाकर ले जाये। उन्होंने मेरे नौकर से ही पूछा कि वह जानवर क्या है? उसने जब कहा कि कुत्ता है तो उन्होंने जवाब दिया कि कुत्ता है तो कुत्ते को हम तो नहीं उठाते। यदि गाय या बछड़ा या पाड़ा होगा तो हम उठाकर ले जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस के बाद के समय में मुझे जयपुर से बाहर जाना पड़ा........

श्री अध्यक्ष : उसने केवल पांडों का ठेका लिया होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : सारी सफाई का ठेका लिया हुआ होना चाहिये। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उसके बाद फोन कई बार किये पर नाम बता कर नहीं, क्योंकि यह आम नागरिकों केलिए सुविधा होनी चाहिए। केवल एम. एल. ए. या प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए नहीं। मेरे स्थगन प्रस्ताव को देने का सबसे बड़ा कारण तो एक यह था। खैर, म्युनिसिपैलिटी ने नहीं उठाया और जब में बाहर से वापस आई हूं तो सिर्फ उसकी खाल और जानवर की खाई हुई लाश मुझे वहां पड़ी हुई दिखी जिसको उठाकर फिकवाया गया। तो मैं सबसे पहले मंत्री महोदय का ध्यान इस ढील की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

इसके अलावा जयपुर में यू. आई. टी. ने नालियां बनाई हैं बाहर के एरियाज़ में उनको भी कवर करवाना था जिसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नतीजा यह है कि जो पहले बरसात में गंदगी होती थी अब गंदगी गर्मियों में और सर्दियों में हर महीने में नालियां भरी रहती हैं। सूखा कूड़ा सड़कों पर आता है और सड़कों पर मिट्टी छाई रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह शहर में भी इससे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं रोज मोतीडूंगरी रोड

54

(श्रीमती विद्या पाठक)

की तरफ से आती हूं। वहां पर कूड़े के इतने ढेर पड़े हुए हैं कि जहां से निकलना मुश्किल है और वहां पानी बह रहा हो तो रिक्शे से आते जाते लोगों को छींटे लगना असंभव बात नहीं है, उधर शायद बूचड़-खाना भी है मुर्गियों के पर और जानवरों की खालें और मांस मेन रोड पर पड़ा रहता है जोकि स्वंय में बहुत ही अशोभनीय है। चौड़ा रास्ता और एम. आई. रोड पर भी मेन रोड पर यह जयपुर जो कि कैपिटल है राजस्थान का उसमें सूअर और जंगली कुत्ते घूमते हैं। तो यह म्युनिसिपैलिटी के लिए बहुत बड़ा स्ट्रिक्चर है। यह भी विचारणीय बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौड़ा रास्ता से जौहरी बाजार के बीच में जितनी भी पैरेलल गलियां हैं उनमें से किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है। और बापू बाजार से तेली-पाड़ा लिंक रोड से जायें तो वहां से निकलना मुश्किल है। इसी बाजार से एक लिंक रोड और भी है उससे अक्सर जाना होता है मुझे कूड़ों के ढेर के कारण अपनी कार बापू बाजार में ही पार्क करनी पड़ती है। इतने चौड़े रास्ते में गाड़ी भी नहीं जा सकती। फल की मण्डी है, वहां भी गंदगी का यही हाल है। इसलिए इन सब स्थानों की सफाई की व्यवस्था शीघ्र की जाये ऐसा मेरा अनुरोध है। रोगी एम्बुलेन्स तक भी नहीं जा सके बरसात में उसकी स्थिति बहुत ही नारकीय हो जाती है।

जयपुर नगर में 6-8 महीने में दो बड़ी हड़ताल हुई और उसके बाद वार फुटिंग पर काम नहीं होना और सफाई नहीं होना यह स्वयं में खराब लक्षण हैं। आगे बरसात का महीना आने वाला है और हैल्थ हैजार्ड तो है ही, मक्खियां बहुत बढ़ रही हैं और इससे नागरिक लोगों को बहुत बड़ी असुविधा है। तो मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का कारण था कि मन्त्री महोदय म्युनिसिपैलिटी को निश्चित रूप से कहेंगे कि इस तरह की इमरजेन्सी की सर्विसेज हैं उन पर शीघ्र काम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बाल चन्द आर्य।

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना स्थगन प्रस्ताव दिया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पचपहाड़ एक तहसील पुराने समय से चली आ रही है और उस तहसील को हटाकर अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में मुझे मालूम हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देता हूं कि वहां तहसील रहनी चाहिए। वहां तहसील रहने से उस कस्बे के व्यापारियों, मजदूरों और किसानों को बहुत लाभ है। अन्य स्थान पर जाने से किसानों को नुकसान होगा और परेशानियां होंगी। गांव वालों ने बताया कि यदि यह तहसील हटाई गयी तो वहां की जनता आन्दोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि वहां से इस तहसील को नहीं हटायें और यदि उनकी मरम्मत कराना है तो अन्य स्थान पर बिल्डिंग बनवायेंगे उसमें पैसा लगायेंगे वह पैसा उसी जगह मरम्मत पर लगा दें और तहसील को उसी स्थान पर रखें। यह मैं आपकी मार्फत सरकार से मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिया

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गया था उसमें सहमति आपको भिजवा दी गई है। प्रक्रिया के नियमों के तहत कई बार इस संदर्भ में आपसे अनुमति चाही है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। ऐसा है यह सुविधा तभी दी जा सकती जब कोई छुटपुट मामला हो, यदि सूचना मंगायें और माननीय सदस्य कहें कि हम आज कुछ कह देना चाहते हैं—वह सुविधा एक दो बार दी गई है अब यह एक रेगुलर फीचर बन गया है। जब हमने व्यवस्था दी। उसके बाद माननीय सदस्य कहते हैं व्यवस्था को रहने दीजिए, सरकार से जानकारी मांगें, हम तो अभी बोल लें, साहब। मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव, यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है सरकार का किसी ओर ध्यान आकर्षित करने का और जब उसकी उपयोगिता को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं उसके बाद जो स्थगन प्रस्तावों की परिभाषा में नहीं आते हैं, पहले हम निर्णय ले लेते हैं उसको अस्वीकार करते हैं। दो मिनट का समय माननीय सदस्यों को बोलने के लिए देते हैं। जिन चीजों को हमने महत्वपूर्ण समझा, आप चाहें महत्वपूर्ण न समझें, हमें तो इसकी जानकारी नहीं चाहिए। हो सकता है हम जानकारी चाहते हों, हम महत्वपूर्ण समझते हों। इसलिए नम्र निवेदन है। आपके स्थगन प्रस्ताव का विषय है आवश्यक वस्तुओं का अभाव और उसमें जो वितरण की व्यवस्था की हुई है, जितनी आप चिन्तित है हम चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि सरकार से जानकारी ली जाये और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को बाध्य करेंगे कि अपना पक्ष सदन के सामने रखे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई छुटपुट मामला नहीं। यह रेगुलर फीचर बनता जा रहा है, हमको छूट दे दीजिए। यदि कोई व्यक्ति विशेष का मामला हो, यदि माननीय सदस्यों के क्षेत्र का मामला हो उसके अन्दर कहते हैं लेकिन जिसका सम्बन्ध आम जनता से हो उसमें क्षमा करें, मैंने इसमें जानकारी चाही है उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने प्रक्रिया के नियमों के तहत दिया है। मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे क्षेत्र में चीनी बांटी गई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, प्रक्रिया के नियमों के तहत लगभग 20 दिन पहले ध्यान आकर्षित किया है और आधे घंटे की चर्चा के लिए निवेदन किया है। मैं जानना चाहती हूं जानकारी अब तक क्यों नहीं आई? सरकार अगर जवाब नहीं दे सकती, जानकारी आये नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं मैं अनुशासन में रहने वाली सदस्या हूं। आपकी विशेष कृपा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। पहले जानकारी नहीं मंगाई गई। आपने आज दिया है आज जानकारी मांगी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने 20 दिन पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात आप पूरी सुन लें। मैं कहना चाहती हूं 20 दिन पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया। आधे घंटे की चर्चा के लिए, यही विषय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिया। हमारी जो डिफिकल्टीज हैं, आप सरकार को ताड़ना दें, हमारा इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। हमको विशेष अनुमति दें आज के दिन, आपसे व्यवस्था चाहती हूं, निश्चित रूप से आप मुझे बात करने का अवसर देंगे। आपको भी इस तरह से धोखे में रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये सरकार से उत्तर चाहा है, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पुनः आग्रह करती हूं मुझे इस विषय पर अनुमति दें। आप व्यवस्था दें ताकि मैं बोल सकूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्तावों की सूचना में भाषण नहीं होते हैं। मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे स्थगन प्रस्ताव भी हो सकते हैं जिसमें विलम्ब से सूचना आती है। आप स्वयं अच्छी तरह से जानती हैं कि जब कभी अध्यक्षीय व्यवस्था की जाती है, 5, 7 ऐसे स्थगन प्रस्ताव जरूर आ जाते हैं जिन पर सरकार की ओर से सूचना प्राप्त होती है हर दिन पिछले तीन चार दिनों से दो, तीन, चार वक्तव्य सरकार की ओर से दिलाये जाते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर भी उनके महत्व को देखते हुए। काफी ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर सूचना आई हुई मेरे पास पड़ी है लेकिन उनका भी तीन चार दिन पहले कार्यक्रम बन जाता है, उनके बाद किसको अगली तारीखों में लें, कोई ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जो महत्वपूर्ण हो, यदि अभी से फिक्स कर दिया तो वह नहीं आ सकेगा। हमारे पास सरकार से सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं यदि उन पर लम्बी अभी से आगे की तारीखें निश्चित हों तो अगले महीने की तीन, चार तारीख तक फिक्स किया जा सकता है। लेकिन उसमें होगा यह, यदि बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बीच में आ जाये और उसका उत्तर दिलाना हम आवश्यक समझें। इसलिये हम आधे सप्ताह का तय कर लेते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारे पास रहते हैं उसके बाद अगली तारीखें फिक्स करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में आपका सहयोग चाहिये क्योंकि रोजाना काफी संख्या में स्थगन प्रस्ताव हो जाते हैं। उधर अनुदानों की मांगों पर विचार विमर्श चल रहा है। यह वित्तीय विषय है इसलिये इसका समय पर निपटारा करना होता है। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि कल परसों तक हम जवाब मांग लेते हैं, आपको बोलने की सुविधा हम देंगे लेकिन कोई माननीय सदस्य यह समझें कि स्थगन प्रस्ताव दे दिया है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मान्यवर, आप व्यवस्था दें। मैं एक बात कहती हूं। जयपुर के 13 लाख नागरिकों में से अनेक नागरिक नीचे आये हैं। तेल के खाली पीपे ले कर आये हैं, बेलन लेकर आये हैं। 400 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति के हिसाब से कई जगह नहीं दी गई है, और जहां दी गई है गीली चीनी दी गई है। 2 किलो में पाव भर पानी है। मिट्टी का तेल चार-चार घंटे लाइन में खड़े रहने पर भी नहीं मिलता। मैं सच कहती हूं, मान्यवर, मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का यही विषय है। गरीब आदमी कच्ची बस्तियों में गुजारा करते हैं। मान्यवर, सरकार इस सारी व्यवस्था के

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लिये कुछ नहीं करती। 20 दिन पहले दिया, हमारी बातों का उत्तर नहीं दिया। आधे घंटे की चर्चा के लिये सरकार तैयार नहीं होती, मान्यवर। ऐसी सरकार को रहने का क्या अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं इनके पास पीने को पानी नहीं, खाने के लिये अनाज नहीं, आग जलाने के लिये, मान्यवर, गैस नहीं। गैस तो अमीरों के लिये है, मैं कहना चाहती हूं, मिट्टी का तेल नहीं, कोयला नहीं। अगर अनाज किसी से ले भी आये तो उसको कच्चा तो खा नहीं सकते। मैं कहना चाहती हूं, अनाज की व्यवस्था के लिये, चीनी की व्यवस्था के लिये, मिट्टी के तेल के लिये, सस्ते कपड़े के लिये जब राशन की दुकानें खोली गईं, सरकार ने व्यवस्था की है तो इन चीजों को समय पर उपलब्ध करायें। यह उन्हें सुविधा नहीं है। उनको समय पर सस्ती चीजें मुहैया करनी चाहिये। मैं पूछना चाहती हूं कि मजदूर आदमी है वह राशन की दुकान पर जाकर लाइन लगाये या अपनी रोजी रोटी के लिये जाये। मैं कहना चाहती हूं यदि वह नौकरी पर नहीं जायेगा तो किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इस विषय पर मैं चाहूंगी कि सरकार को, मेरी बात कहना चाहती हूं, मुझे आप अनुमति प्रदान करें, विस्तार से कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इतना समय दे दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं चाहूंगी कि जो खाली डिब्बे पड़े हैं जो घरों में पड़े हैं, मैं आपकी अनुमति से, आप सुनिये, सुनने की क्षमता रखिये अन्यथा अन्न खाना छोड़ दीजिए, पानी पीना छोड़ दीजिए, केवल यहाँ पर बात करना सीख लीजिए। उसके अलावा कोई काम नहीं। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, मीठी मीठी, मैं कहना चाहूंगी, श्रीमन्, हमारी यह व्यवस्था रही है कि राशन में 12 किलो गेहूं देंगे लेकिन 12 किलो की बजाय दो किलो की घोषणा की गयी। जनवरी से अब तक इन दुकानों पर गेहूं नहीं है, गेहूं दो किलो भी नहीं है, एक कन्डीशन लगायी गयी थी कि हम दो किलो गेहूं—

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर में राशन लेने गये थे भैया, बीच में बोल रहे हैं।

श्री चतुर्भुज : सदन में आपके द्वारा जो कार्यवाही चल रही है, उसके विषय पर मैं निवेदन कर रहा हूं, ये कहावत है कि (व्यवधान) हम सारा समय जयपुर में रहते हैं, पीने के पानी की कमी का तो सवाल ही नहीं है, हम ऐसा गीत गाना है, अखबारों में हमारा नाम आना चाहिए, केवल यह महत्व है। सदन का टाइम बिल्कुल खराब करना है। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि सदन का समय खराब न किया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने यह बात कही। शायद इनको सुविधा मिल रही हो अन्यथा मैं भी विधायक पुरी में रह रहा हूं, हमको भी पिछले तीन महीने से केवल 4 सौ ग्राम शक्कर मिलती है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हो भी नहीं मिलती है, कैरोसिन के लिए हमको भी भटकना पड़ता है, 3-3, 4-4 दुकानों पर, तब जाकर कैरोसिन मिलता है तो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को क्या सामान मुहैया कराते हैं ? आखिर हो लोग भी पागल नहीं हैं कि इस तरह से चले आयेंगे। उनको अपने ठेले लगाने के लिए

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि उनको मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : उनको आपकी तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोडा : मान्यवर, यह कहा गया कि राशन की चीनी वितरित की गयी लेकिन जनवरी की नहीं दी, फरवरी की नहीं दी, मार्च चल रहा है, चार सौ ग्राम चीनी दी, हो गीली दी। ये गीली चीनी जो लालाराम ने मुझे दी, इसको मैं आपकी अनुमति से सदन मेज पर रखूंगी। इसकी आप जांच करा लेंगे। ये चार सौ ग्राम चीनी के लिए जनवरी से लेकर अब तक जयपुर के नागरिक धक्के खाते फिरते हैं। सरकार ने अब तक तीनों महीनों की चीनी मुहैया क्यों नहीं करायी और मैं पूछना चाहूंगी कि होली जैसा त्यौहार आ रहा है, क्यों नहीं सरकार पिछली चीनी के साथ एक किलो चीनी और देती ? चीनी के दाम में दो तरह की नीति चला रखी है, खुले बाजार में आठ रुपये किलो और राशन की दुकान पर तीन रुपये कुछ पैसे किलो। उस चार सौ ग्राम में तो नहीं काम चलता। इसमें कितनी आप चाय बनाकर पी सकते हैं। दुनियादारी है, घर गृहस्थी है। मैं कहना चाहूंगी कि मिट्टी का तेल एक बोतल दिया जाता है और उसके लिए भी 4–4 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। दुकानों पर सस्ता कपड़ा कभी आया ही नहीं, फिर भी ऐसी बात क्यों कही जाती है ? एक ओर तो ताल ठोककर कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं, मैं भाषण देने की आदि नहीं हूं। महंगाई हम जनता पार्टी के राज में सस्ती कर देंगे और प्याज पांच रुपये किलो। मैं कहना चाहती हूं मेरा मुंह मत खुलवाओ, और कुछ नहीं कहना मुझे. इस सदन में भाषणबाजी करके जो सरकार हमेशा बोलती है, मैं समझती हूं कि बिल्कुल गलत तरीका है। हमारी गरीब जनता के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। मैं चाहती हू आपके माध्यम से, इस सरकार को ताड़ना दें, सस्ती दरों पर चीजें मुहैया करें। कल्याणकारी सरकार है, सस्ती दरों पर जो मिट्टी का तेल लेने जाते हैं, उनको पांच सौ बोतल भरकर नहीं देते। एक लीटर में में भी आधा लीटर और पूरे पैसे लेते हैं। मैंने अधिकारियों को शिकायत की है लेकिन उसकी जांच नहीं की गयी है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगी, इसकी सारी सुव्यवस्था करायी जाय। केवल मैं एक ही नहीं कहती हू आज आम आदमी दुखी है, नीचे बैठे हैं औरतें और मर्द। जब यहां से आप उठेंगे, निश्चित रूप से मैं चाहूगी उनके कुछ प्रतिनिधियों से आपको मिला दूं। मैं बैठ रही हूं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल समाधान चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि जयपुर में नागरिकों के लिए इन खाद्य चीजों का समाधान करा दें । जो चीनी है, नियमों के तहत मैं इसको प्रस्तुत कर दूं । आपका आदेश है ? यह गीली चीनी है ।

एक माननीय सदस्य : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : किस विषय में ।

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा की चोरी के बारे में ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके आदेश से सदन की मेज पर गीली चीनी रखती हूं ।

श्री अध्यक्ष : आदमी तो रहता नहीं है, चूहे खा जायेंगे इसे ।

श्रीमती विद्या पाठक : वास्तव में समस्या है । जैसा अभी जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने, जो समस्या उठायी है, हर गृहिणी की समस्या है । मैं सामने बैठने वाली माननीय सदस्याओं को भी निवेदन करना चाहती हूं कि वे भी गृहिणियों की कोमन बात का साथ दें । ये कोई नीतिगत राजनैतिक बात नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मिट्टी का तेल पानी से मिलावट का मिल रहा है, जिससे गृहिणियां जल रही हैं, मिट्टी के तेल से, स्टोव से और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं । चीनी का अभी एक उदाहरण माननीय सदस्या ने रखा, गेहूं खाने लायक नहीं है और सरकार ने आफिशियली इस बात को एक्सैप्ट किया है कि जो राशन में चावल और खराब गेहूं मिल रहा है, उसको वापस लेकर दूसरा लिया जायेगा ।

तो मैं सोचती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जरूर कुछ न कुछ कहेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं मन्त्री महोदय का वक्तव्य चाहता था लेकिन (व्यवधान) आसन पैरों पर है । एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं आयेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कृपया.......

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य । अगली कार्यवाही । जो कुछ किया है, उसका नोटिस नहीं दिया है । आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए । श्री दाऊदयाल जोशी । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । कृपया बैठ जाइये । आर्डर प्लीज ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत बोल रहा हूं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष, हजारों लोग जयपुर में रह रहे हैं, आप भी नहीं चाहेंगे, इन लोगों की होली फीकी जाय ।

श्री अध्यक्ष : बाधा उपस्थित कर रहे हैं ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बाधा उपस्थित नहीं है। हिन्दू परम्पराओं का त्यौहार है, हिन्दू परम्परायें हैं, होली सबसे पावन त्यौहार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुन तो लें, कम से कम।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : लोगों को हमने होली पर शक्कर मुहैया करायी थी, जनता पार्टी ने शक्कर मुहैया करायी थी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा। स्पष्ट निवेदन कर रहा हूं। मैं बाधा उपस्थित नहीं होने दूंगा। माननीय सदस्य·······

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक ओर भूख है, गरीबी है, परेशानी है........

श्री अध्यक्ष : मैं निलम्बन की कार्यवाही करूंगा। और कोई भी तरीका नहीं है, मेरे पास। आर्डर प्लीज। मुझे बाध्य होना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप आश्वस्त करा दें, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी। आप व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित नहीं करें। यह मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि महिला सदस्या चाहती थीं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मैंने समझा कि वे गुस्से में हो जायेंगी इसलिए मैंने अवसर दे दिया। सही बात ये है। उसके बाद श्रीमती विद्या पाठक को अवसर दे दिया। उसके बाद एक दो सदस्यों ने और बात कह दी। आपको अवसर है। उसके बाद सदन की कार्यवाही में आप बार-बार बाधा उपस्थित न करें। मेरा नम्र निवेदन है कि (व्यवधान) आप बाहर जाकर भाषण दें न बाहर........

श्री दाऊदयाल जोशी : भाषण तो देंगे ही, मान्यवर, आपके सुझाव तो माने ही नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : कृपया। प्रतिवेदन का उप-स्थापन। श्री चेत राम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना था कि कम से कम आप मन्त्री महोदय से यह तो कहें कि........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से कार्यवाही थोपी नहीं जाएगी।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री चेतराम (सभापति, अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को वन सम्पदा से प्राप्त होने वाले लाभ से सम्बन्धित अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति, 1980-81 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी आज्ञा से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो ? जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री श्रीरामजी गोटेवाला ने आज से पूर्व पहले भी यह सवाल रखा था और उसका जवाब आया है कि तीन-तीन महीने से चीनी नहीं मिल रही है। अगर इस तरह से लोगों को चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग क्या करेंगे। लोग सड़कों पर आयेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज····आर्डर आर्डर····आप वरिष्ठ सदस्य हैं माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि वे यहां पर मिलेंगे। लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं और आज वे विधान सभा कक्ष में नहीं हैं।

(व्यवधान)

आप कहिये कि इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के साथ की जा रही है—

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज उनके साथ····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए····कृपया स्थान ग्रहण कीजिए···· मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं करूंगा···· बाधा उपस्थित नहीं करें माननीय सदस्य···· आर्डर आर्डर····स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन तीन महीने से जयपुर में चीनी नहीं मिल रही है और कोई व्यवस्था नहीं है।····क्या करना चाहते हैं आप। मंत्री महोदय कुछ कहें तो सही।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तीन तीन महीने हो गए, आखिर कौन देगा। हनुमानजी प्रभाकर, जब से आपने यह विभाग संभाला है, इस चीनी के काण्ड के बाद····

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × ×

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : ये वाक आउट की भूमिका बांध रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज····माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज····

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको तो वाक आउट करने का बहाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके नहीं बोलेंगे। हम सदन से वाक आउट करेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको तो बहाना चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमको तो बहाना चाहिए और तुमको क्या खाना चाहिए, तुमको क्या चाहिए····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को खातेदारी अधिकार

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को खातेदारी अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगी।

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं और बोलना भी चाहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर मैं यह विवरण पूर्व में आपके ध्यान में ला दूं तो शायद बहुत सी बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

शासकीय वक्तव्य

खेतड़ी नगर में आजाद मार्केट पर आबाद हरिजन महिलाओं व बच्चों पर पुलिस द्वारा 5 मार्च, 1981 को लाठी चार्ज

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज मेरा भी वक्तव्य है जो होना है। श्रीमन्, अगर आप इजाजत दे दें, I am not feeling well, वह वक्तव्य पहले दे दूं, उसके बाद दूसरा ले लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई। खेतड़ी की कच्ची बस्ती के बारे में?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं का मामला है इसलिए आप इजाजत दें········

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आज इस पर कुछ नहीं होगा। मैंने जानकारी चाही है, पहले जानकारी आने दीजिए।

श्री नार्थूसिह : कब तक मंगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : कब तक का क्या मतलब है।

श्री नार्थूसिह : यह यहीं जयपुर का ही मामला है। और बहुत महत्वपूर्ण मामला हैं, टेलीफोन से भी जानकारी आ सकती है····

श्री अध्यक्ष : टेलीफोन से हम जानकारी नहीं मंगाते। हम सभी क्षेत्रों के मामलों को बराबर लेते हैं। चाहे जयपुर का हो और चाहे बाड़मेर का हो, बराबर सभी के साथ समान न्याय करते हैं।

श्री नार्थूसिह : जयपुर से ही तो जानकारी मंगानी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने जनकारी के लिए निवेदन किया है। आर्डर प्लीज, इस पर चर्चा नहीं होगी। सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत पांच मार्च को खेतड़ी नगर में आजाद मार्केट के पास आवाद हरिजन महिलाओं व बच्चों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय विधान सभा सदस्य श्री मेघराज तावड़ व अन्य एक सदस्य के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है :—

खेतड़ी नगर में पुलिस थाने के भवन निर्माण हेतु, जिलाधीश झुंझुनूं द्वारा अलाट शुदा भूमि पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, भवन निर्माण हेतु नियमानुसार ठेका देकर थाने के प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस भूमि पर अवैध रूप से बनी झोंपड़ियों में रह रहे व्यक्तियों ने इस थाना भवन के बनाने में आपत्ति की।

दिनांक 5 मार्च, 81 को दिन में करीब सवा चार बजे स्थानीय मजदूर नेताओं के उकसाने पर इन अवैध झोंपड़ियों में रह रहे 100 व्यक्तियों ने जिनमें अधिकतर महिलायें थीं, उस भूमि पर कार्यरत मजदूरों एवं टैन्टों में रह रहे पुलिस कर्मचारियों पर हमला कर दिया और जबरन टैन्टों को उखाड़ना प्रारम्भ कर दिया। पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें समझाने का प्रयत्न किया तो इन्होंने पुलिस पर पथराव करना प्रारम्भ कर दिया। एक निरीक्षक सहित 9 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। पुलिस ने इन्हें पीछे खदेड़ कर पकड़ने की कोशिश की तो ये लोग पथराव करते हुए भाग गये।

पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में थाना खेतड़ी नगर पर अभियोग संख्या—(12, 57 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

14/81, धारा 147, 149, 353, 332, 452, 323 ता. हि. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

ये लोग एक मजदूर नेता के नेतृत्व में प्रोजेक्ट के अस्पताल पहुंचे और डाक्टरों से उनका डाक्टरी मुआयना करने को कहा। मेडीको लीगल केस होने के कारण प्रोजेक्ट

(64)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

डाक्टर ने उन्हें सरकारी अस्पताल, सिंघाना जाने की सलाह दी मगर इन व्यक्तियों के द्वारा डाले गये दबाव से बाध्य होकर डाक्टरों ने 7 औरतों का डाक्टरी मुआयना किया और उन्हें देखभाल हेतु अस्पताल में रात भर रखा गया। अगले रोज सवेरे उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। मु. चावली का एक्स-रे कराया गया जो नोर्मल पाया गया।

दिनांक 7–3–81 को निमार्णाधीन पुलिस थाने की भूमि के पास मालाराम की एक झोंपड़ी में दिन के 12 बजे आग लगी जिसके सम्बन्ध में थाना खेतड़ी नगर में अभियोग संख्या 16 दिनांक 9–3–81 अन्तर्गत धारा 436 ता. हि. पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है।

माननीय सदस्यों द्वारा यह आरोप कि यह आग पुलिस वालों ने लगाई, सही नहीं है। आग लगने के कारणों के बारे में जांच जारी है। दिनांक 7 मार्च के बाद इस भूमि पर निर्माणाधीन थाने को लेकर अब तक अन्य कोई घटना घटित नहीं हुई है।

हमलावारों की ओर से दिनांक 5 मार्च. 81 की घटना के सम्बन्ध में अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस द्वारा दर्ज किये गये अभियोग में अभी तक एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने बयान में यह कहा कि वहां पर कच्ची बस्ती को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया बल्कि उन लोगों ने पथराव किया, यह बात सरासर गलत है। सभापति महोदय, वहां पर 13–14 साल से कच्ची बस्ती के लोग रहते हैं और वहां एक आदमी ऐसा है जिसका नाम तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन महाजन है, जिसकी वहां पर दुकान है, पक्का मकान,, कमरा बना हुआ है, उसके पास कोर्ट स्टे भी है। सभापति महोदय, इसके बाद जबरदस्ती पुलिस के लोग, सौ डेढ़ सौ आदमी वहां पर गये और उनका सामान उठा कर बाहर फेंकने लगे। महिलाओं को घर से बाहर निकाला तब महिलाओं ने एतराज किया कि हमारी झोंपड़ियों को, पहले जब तक दूसरी जगह हमको नहीं बसाया जावे, नहीं उजाड़ा जावे। इस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। उसके बाद सात महिलायें, छोटे-छोटे बच्चे, जो सात महिलायें अस्पताल में गईं तो पुलिस ने वहां पर इलाज करने के पहले ही उनको वहां से निकलवाया और चार्ज यह लगाया जाता है कि वहां के ट्रेड यूनियन का जो लीडर था उसने उकसाया। कच्ची बस्ती के लोग वहीं के काम करने वाले लोग हैं।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा 7 तारीख को कोई घटना नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपने रिपोर्ट पढ़ी मैं खुद मौके पर गया था, माननीय सदस्य मालाराम जी और लच्छूराम जी भी गये थे। उधर सभापति महोदय, 10 तारीख को एक्सीडेंट की घटना हुई। ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था वह लाइसेंसशुदा नहीं था। चिरंजीलाल सरपंच और उनका लड़का जिसकी शादी करा कर लेकर आये थे और एक्सीडेंट कर दिया जिससे मौत हो गई। तमाम लोग इकट्ठे हो गये थे....

(1.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री मेघराज तावड़)

वहां से थाना मुश्किल से 200 फीट की दूरी पर होगा। एक व्यक्ति मोटर साइकिल लेकर गया थानेदार को बुलाने। श्री नाथूसिंह थानेदार हैं जो उस समय नहीं पहुंचे। 1 घंटा लेट आने के बाद उन्होंने गाड़ी को हटाने की कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : यह अलग मामला है आप अलग विषय पर जा रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : मैं उसी की बात कह रहा था। इस को रेलेवेन्ट किया गया है। उस समय हमारे तमाम कर्मचारी थे वे ड्यूटी पर थे। वहां यूनियन है मजदूरों की। मैं खुद गया हूं, अध्यक्ष महोदय। उसको कहते हैं गुण्डा है। हमारे लोग जो उनका साथ दे रहे थे उनके ऊपर झूठे केस बनाये। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उन्हें मारा। जिससे उनके चोटें आईं। उनको अस्पताल में भर्ती नहीं रहने दिया। उनको बुरी तरह से मारा और पीटा उन कच्ची बस्ती वालों को। पुलिस ने उनकी झोंपड़ियों में आग लगा दी। दो खोखे उठाकर ले गये। जिन जिन लोगों को मारा वे बुरी तरह से घायल हुए। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता है। दो पक्के मकान, कमरे हैं, जिनकी छत पट्टियां डालने तक उन पर कब्जा कर लिया और पुलिस वालों ने ठेकेदार का सामान सीमेंट वगैरह डलवा दी। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद उन लोगों को जो आस-पास घूमते हैं, निकलने नहीं देते बाहर, पुलिस पर जनता ने पथराव किया 10 तारीख को एक्सीडेंट को लेकर उसमें दूसरे विद्यार्थी थे तमाम दूसरे लोगों की भीड़ थी, कौन थे, कौन नहीं था, पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो वहां का एस. आई. नाथूसिंह थानेदार है, उसने हमारे लोगों को पकड़ कर जो डकैतों के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा व्यवहार किया, और मारपीट करके दूसरे लोगों के नाम लिखाये गये, और इंटक के लोगों को डी. एस. एम. एस. के लोगों को गवाह बनाया जा रहा है और हमारे लोगों को हकीकत में फंसाया जा रहा है। जो वहां नहीं थे उन पर झूठे केस बनाये जा रहे और उनको फंसाया जा रहा है, और आतंक यहां तक फैला हुआ है अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जो फायरिंग की....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरा पर है, मैं निवेदन कर दूं, आपका कच्ची बस्ती हटाये जाने के बारे में प्रस्ताव है। फायरिंग वाले को आपस में जोड़ें नहीं, वह अलग प्रस्ताव है। उस पर सूचना आ रही है शायद हमने इस पर तारीख मुकर्रर की है। आप तो हरिजन महिलाओं और बच्चों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, यह फायरिंग वाला नहीं है, यह थाना बनाने के लिए जो हटाई बस्ती उसके बारे में है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : उसके बाद, फायरिंग की है, कच्ची बस्ती को उजाड़ा

(66)

(श्री मेघराज तावड़)

है। बिल्कुल खतम किया है। उसके बाद एक्सीडेण्ट हुआ। उसको रेलेवेंट किया है। जिस पर पुलिस के टेण्ट पर विद्यार्थियों ने थाने में आग लगा दी और भीड़ ने आग लगाई न कि हमारे लोगों ने आग लगाई और यहां तक झूठे केस बनाये गये कि हमारे लोगों ने आग लगाई और पुलिस के आदमी को भी जलाने की कोशिश की। पांच सिपाही थे पुलिस के वे वहां से भागे हैं उसके बाद स्थिति यह हुई अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने आर.एफ.सी. के जवानों को लाकर बन्दूकों, संगीनों के बल पर यह किया और जो भी मिला उसको मारा। जिससे इतनी भयानक स्थिति है कि आदमी आतंक से आज बाहर नहीं निकल सकते अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह कहना चाहते हैं कि पहले तो थाना बनाने के लिए पहले से जो लोग थे उनको जबरन हटाया उसके बाद में फायरिंग का एक दूसरा केस हो गया इसलिये अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए इस बहाने उस बस्ती के लोगों को फंसा रहे हैं, यही आप कहना चाहते हैं ?

श्री मेघराज तावड़ : हमारी यूनियन के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : यूनियन अलग है। अभी कच्ची बस्ती का मामला है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, वह इसी में है कच्ची बस्ती भी वो ही है जो मजदूर वहां रहते हैं। मजदूरों ने मजदूरों की मदद की है उसके लिए केस बनाया और तमाम सरासर झूठा केस बनाया और यह जो पुलिस ने आतंक फैलाया है, चार दिन तक मैं खुद वहां गया था। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, स्वयं मन्त्री जी से भी मिला। तो मैं मांग करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि आज तक जो झूठे केस जिन लोगों के खिलाफ बनाये गये हैं उनके केस वापस लिये जायें और न्यायिक जांच करवाई जाय ताकि वास्तविकता सामने आ सके। आज भी हमारे लोगों के खिलाफ वारण्ट हैं जो झूठे हैं और यह जो रिपोर्ट आई है यह बिलकुल गलत है।

वहां आज भी, मैं खुद गया, वहां ठेकेदार के लोग हैं, पुलिस के सी०आई०डी० के लोग हैं। हम किसी से बात नहीं कर सकते ऐसी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने जिस ठेकेदार को ठेका दिया है उसी के आदमी वहां थे। किसी से बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता था। तो मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करवाई जाय ताकि इस प्रकरण की असलियत का पता लग सकेगा और जो हमारे लोगों को झूठा फंसाया गया है, जो कच्ची बस्ती के लोग हैं जहां भी वे बसे हुए हैं उनको वहीं बिना पट्टे और बिना फीस के मकान दिये जायं और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं उनको वापस लिया जाय। पुलिस को वहां से हटाया जाय और वहां अभी भी धारा 144 लगी हुई है, उसको हटाया जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इंटरवीन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री त्रिलोकसिंह । भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो पांच तारीख को पुलिस ने बर्बर हमला किया मजदूर बस्ती में, यह शर्म की बात है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया और पांच तारीख का मसला आज 18 तारीख को सदन में आवे इससे ज्यादा अफसोस की क्या बात हो सकती है । कांग्रेसी राज गरीबों की हिमायत का नारा देता है । कांग्रेस का राज जो यह कहता है कि हम गरीबों की हिमायत करते हैं, तो वह गरीबों की बस्ती थी, हरिजनों की बस्ती थी, बलाई, चमारों की बस्ती थी । पुलिस ने बन्दूक की ताकत पर बिलकुल उसको उजाड़ दिया है । महिलाएं अपनी झोंपड़ियों की रक्षा करने के लिये आईं तो पुलिस के दरिन्दों ने महिलाओं को मारा, उनके गरीब बच्चों को मारा । यह हुकूमत बेशर्म है । इसने गरीबों को बेघर कर दिया । यह कांग्रेस का राज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है । यह दुनियां भर में यह नारा देता है कि हम गरीबों के हिमायती हैं उनको जमीन देते हैं, आवास के लिये जमीन देते हैं और दूसरी ओर गरीबों की बस्तियों को ही उजाड़ते हैं एक के बाद एक कभी खेतड़ी में, कभी सीकर में, कभी अलवर में । इन गरीबों की ही वस्तियों को तोड़ा जाता है । ताज्जुब की बात है कि पुलिस को थाना बनाना था । वहां पर चारों तरफ दूर-दूर तक जमीनें पड़ी हैं । बस्ती वालों का भी एतराज था कि यहां पर पुलिस थाना नहीं बने और जहां बीस साल से वे काबिज थे, किस कानून के तहत आपने हटा दिया ? क्या यही कांग्रेसी राज की नैतिकता है ? इन वस्तियों को उजाड़ दिया है । इसका जवाब राजस्थान के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर देंगे । जो जवाब सुना है, यह कितनी बेशर्म है पुलिस अपना थाना बनाना चाहती है और गरीबों की झोंपड़ी जलाई जाती है, उनके घरों को बर्बाद किया जाता है । उनके बच्चों को मारा जाता है । उनकी औरतों को मारा जाता है । यह नैतिकता है कांग्रेसी राज की ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं । स्थान ग्रहण करें ।

श्री त्रिलोकसिंह : ....अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मामला संगीन है । इन गरीबों को आजाद किया जाय । अगर नहीं किया गया तो हम लोग उसके खिलाफ मोर्चा लगायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने 5 तारीख के लाठीचार्ज का बयान दिया है, वह तथ्यों से दूर है ये झुग्गी-झोंपड़ियां करीब बीस साल से खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में बसी हुई हैं । जो परमानेन्ट मजदूर हैं उनके पास तो क्वार्टर्स हैं और जो ठेकेदारों के टेम्प्रेरी मजदूर हैं उनके पास क्वार्टर्स नहीं होते हैं । वे अलग से झोंपड़ियां बना कर रहते हैं और करीब बीस साल से वहां पर आबाद हैं । वैसे यह उनका गैर-कानूनी कब्जा है लेकिन जब 1975 तक के कब्जों को आपने रेगूलेराइज कर दिया है, नियमानुसार करार दे दिया है तो फिर ये बीस साल से मौजूद हैं इसलिए जिला प्रशासन ने थाना बनाने के लिये इनको हटा कर उनके साथ अन्याय किया है । मन्त्री महोदय ने बताया कि

(श्री लच्छूराम)

लेबर यूनियन ने उनको उकसाया और आन्दोलन कराया है, यह कतई गलत है। पांच तारीख को पुलिस वालों ने इनको हटा दिया। मजदूर काम पर गये हुए थे वहां पर औरतें और बच्चे मौजूद थे। औरतों की पिटाई की गई, करीब 12-13 औरतें थीं। उनके बच्चों को भी पीटा गया। खेतड़ी कापर के मजदूरों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। किस्सा यहीं समाप्त होता है। 6 तारीख को सभी पार्टीज के मंच से मीटिंग करके जिला प्रशासन से यह मांग की गई कि इनको दूसरी जगह बसाया जाये। इनके साथ जो लाठी चार्ज किया गया है यह अत्याचार है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति काबू के बाहर तब हुई, 8 तारीख को चिरंजीलाल वगैरह देवी देवताओं को ढोकने अपने लड़कों के साथ जा रहा था, सेन्ट्रल स्कूल के सामने ट्रक पटरी के ऊपर चढ़ गया, दो लड़के साइकिल लेकर खड़े थे। आज जो पुलिस आतंक खेतड़ी में है वह इस मामले को लेकर है। रविवार को मैंने स्वयं ने वहां जाकर देखा है। इस प्रकार का पुलिस का आतंक झुन्झुनूं जिले में, उसके इतिहास में पहला है जब पुलिस ने गोली काण्ड किया हो। लाठी चार्ज, अश्रुगैस तो पहले भी किया गया है परन्तु पुलिस के गोली काण्ड की घटना पहली है। झुन्झुनूं जिले के अन्दर, खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के अन्दर इतना पुलिस का भय व्याप्त है कि दस तारीख से आज तक कोई भी आदमी सड़क पर नजर नहीं आता है। मैं रविवार को गया था, गीता मुखर्जी, जनयुग के कारस्पोन्डेन्ट, लिंक आदि के संवाद दाता वहां पर मौजूद थे। मैंने थाने में जाकर दर्शनसिंह से बातचीत करने की कोशिश की। इस मामले के अन्दर दर्शनसिंह के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार, अत्याचार किया है। पुलिस वाले कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का राज आवे तब देख लेना। इस प्रकार के शब्द पुलिस ने कहे हैं। इस प्रकार मैं आपके सामने तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, दो अलग अलग घटनाएं हैं। एक है पुलिस थाने के निर्माण हेतु वहां की कच्ची बस्ती को हटाना, इस पर हुई जनता में उत्तेजना और लाठीचार्ज और दुर्घटना और दूसरा है पुलिस द्वारा फायरिंग। अब जो मामला विचाराधीन है, उस पर वक्तव्य दिया गया है झुग्गी झोंपड़ी और उस पर लाठीचार्ज। आप यहीं तक सीमित रहे। फायरिंग का मामला दूसरा है....

श्री मेघराज तावड़ : वह अलग से नहीं है।

श्री लच्छूराम : इस पर अलग से विचार होगा तो अलग से कह देंगे। परन्तु सारा मामला झुग्गी झोंपड़ियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर रामस्वरूप, राजकुमार, ओमप्रकाश, रामकिशन मीणा, पटवारी, दीक्षित, पवन कुमार को थाने में ले जाकर पीटा है और उसके बाद छोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र के युग में इस प्रकार की नादिरशाही पुलिस करे, यह बहुत ही घृणा और परेशानी की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्थान के होम मिनिस्टर को यह कहना चाहता हूं कि आज आपकी कांग्रेस का बीस सूत्री कार्यक्रम है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें। बीस सूत्री कार्यक्रम का क्या सम्बन्ध है। आप कह सकते हैं नियमों के विरुद्ध हटाया। सरकार के नीति के विरुद्ध हटाया गया है।—

श्री लच्छूराम : इतना ही कहना चाहता हूं कि वहां से इन झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया गया है तो उनके लिए अब कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये और इस सारे मामले की न्यायिक जांच की जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब थाने बनाने का आदेश था जो उस पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, खेतड़ी से स्टे प्राप्त कर लिया गया था और स्टे पर 9.3.1981 की अगली तारीख थी। परन्तु इस आदेश के बावजूद पुलिस ने 5 तारीख को ही न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद इन लोगों को हटा दिया। यह क्यों किया गया? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इन लोगों ने इतना ही कहा कि हमको हटाया जा रहा है, यहां पर थाना बनाना है तो उसके पहले हमारे रहने की वैकल्पिक व्यवस्था हो, झोंपड़ियों का मुआवजा दिया जाये और तब तक हमारी झोंपड़ियों को न तोड़ा जाये। लेकिन उसके बावजूद उनकी पिटायी की गयी। और इसके बाद यह मामला हुआ, जो यह दर्शनसिंह के साथ जो हुआ। मैं और मालाराम जी साथ जाकर देखकर आये हैं। दर्शनसिंह के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ है वह गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच करायें। उसकी दाढ़ी उखाड़ी गयी और फिर हम मिलने गये तो मिलने भी नहीं दिया गया। उसके मुंह पर बहुत सी फुन्सियां सी हो गयी हैं। तो उसके साथ जो अन्याय किया गया उसकी जांच कराएं, एक बात।

दूसरा यह निवेदन करूंगा कि जब खेतड़ी मुंसिफ मजिस्ट्रेट से स्टे था और तारीख 9–3–81 को दूसरी सुनवाई थी इसके बावजूद भी वहां पर पुलिस ने ठेका दिया और काम चालू करवाया। क्या यह न्यायोचित था? इस सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच करायी जाये और उनको मुआवजा दिलाया जाये। वे लोग वहां पर वर्षों से बसे हुये हैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और अगर थाना बनाना जरूरी हो तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। जो दर्शनसिंह के साथ अन्याय हुआ है उसकी जांच करायें।

श्री हजारी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इजाजत हो तो कुछ कह दूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम, इनके पश्चात आप बोल लें।

श्री माला राम (खेतड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जो 5 तारीख को झुग्गी झोंपड़ी वाली घटना हुयी उसकी बाबत मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय यूं निवेदन करनो चाहूं हूं। करीबन 20–25 झुग्गी झोंपड़ी व ला अठे आया हा और वे मने कही और वीने पैं आपसे चेम्बर में जार कही कि कोर्ट से स्टे हुय रो है तो आप जद तक यो स्टे है सरकार ने फोन कर दो या आप मंत्रीजी सूं कह दो। आप मने इत्तोही आश्वासन दिलायो कि मैं यहां से आदेश करा दूंगा या मंत्रीजी सूं कह दूंगा। वा बात यह है कि

(श्री मालाराम)

जद म्हारो बठे जाने के बाद में या घटना हुयी। 10 तारीख ने हुयी और 11 तारीख ने सवारे करीब दो ढाई बजा में बठे पहुंचो तो एस पी. और डी. आई. जी. बठे ही हो। और मैं पूछने के बाद कह्यो कि ये झुग्गी झोंपड़ी वाला की जमीन आपके नाम है यह बात कही है कि वास्तव में या बात सही है कि अनधिकृत कब्जो है। पर मैं एस. पी. साहब ने यो बोल्यो की जद तक बाने दूसरी जगह न दे दो तब तक बाने ये परेशान ना करो। बीके साठे दूसरी जमीन दे दो और मुआवजो दे दो तो ये झुग्गी झोंपड़ियां परे हटायी जाये। मेरो तो आप लोगां सूं यही निवेदन है कि जब तक उनको, गरीब झोपड़ी वालों को जमीन न मिल जाये बीने थे परेशान न करां। दूसरी बात या है कि कोरट सूं स्टे हैं। तीसरी बात या है कि आप से एक बात है कि वे झोंपड़ीवाला लोग हैं जो रुपया दो रुपया तीन रुपया की मजदूरी कमावे है बीने वे केसों में न फंसाओ। वेसा केस में वा जो मोटर जली और लड़को मर गो वी में म्हारो यही कहनो है।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट में जो कुछ हुआ वास्तव में वह दो घटना थीं। एक झुग्गी झोपड़ी की और दूसरी ट्रक से बालक की मृत्यु की। वस्तुत: कोपर प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से लगा हुआ है और मेरी व्यक्तिगत जानकारी यह है कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बहुत वर्षों से हैं। मजदूर छप्पर डालकर अस्थायी मकानों में रहते थे और पुलिस वाले चाहते थे कि उस जगह पर थाना बने। मैं नहीं कह सकता हूं कि किस तरह से बिना सोचे समझे जिलाधीश, झुन्झुनूं ने वह जमीन पुलिस वालों को एलाट कर दी और पुलिस ने उसका ठेका कर दिया और ज्योंही ठेकेदार ने वहां थाना बनाना शुरू किया तो उन लोगों ने स्टे आर्डर ले लिया। कोर्ट से स्टे आर्डर आने के बाद पुलिस को चाहिये था, ठेकेदार को चाहिये था कि काम को बंद कर देते। पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उससे झुग्गी झोपड़ी वालों में रोष होना स्वाभाविक था। लेकिन यह सारी घटना आगे जाकर कैसे हुई इसमें तथ्य यह है कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और एक लड़का मर गया उससे रोष पैदा हुआ छात्रों और नागरिकों में। उन्होंने रोष के कारण से उस ट्रक को वहां पर ही जला दिया और ट्रक को जला देने के बाद, मैंने यह जाना है कि जिस आदमी का ट्रक था जिससे मृत्यु हुई थी उसके घर को जलाने का उनका इरादा था। वस्तुत: वे उस आदमी का घर जलाना चाहते थे और उसका घर जलाने के लिये ही वे रवाना हुये थे जो छात्र और नागरिक थे। लेकिन इंटक के नेताओं या कहिये दूसरे नेताओं ने जलूस का डायरेक्शन कर दिया पुलिस स्टेशन की तरफ। और जुलूस उस तरफ डायवर्ट हो गया। कुछ पुलिस के सिपाही उनको दिख गये और उन्होंने पुलिस के सिपाहियों पर अटेक कर दिया। पुलिस के सिपाहियों पर अटेक करने के कारण पुलिस को गुस्सा आ गया और उन्होंने हथियार निकाल लिये। लेकिन हथियार चलाने का उनका उद्देश्य नहीं था, मारने का उनका इरादा नहीं था। इसलिये उन्होंने फायर हवा में किये क्योंकि जो वहां पर बाधा पहुंचाने वाले थे उनसे वहां पर खून खच्चर की स्थिति नहीं

(श्री हजारीलाल शर्मा)

थी न पुलिस का ही ऐसा कोई इरादा था कि किसको चुन चुन कर मारें और बदला निकालें। लेकिन ये सब जब डी.आई.जी. के पास गये तो उन पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मेरे पास पिट कर आये हो, मेरे पास दस बीस आदमी मार कर आओ तो मैं समझूंगा कि यहां पर पुलिस एक्टिव है, प्रशासन है, मार खाकर आ गये हो। यह सही है कि कुछ सिपाहियों ने लोगों को पीटा था। लेकिन फिर भी स्थानीय पुलिस का इरादा ऐसा नहीं था।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कह रहे हैं यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : यह वर्गभेद के कारण से है।

श्री हजारीलाल शर्मा : यह सही है कि उनके प्रवोकेशन के बाद, डी. आई. जी. के कहने के बाद में वहां पर पुलिस ने ज्यादतियां की है। चाहे उस काण्ड में वह मौजूद नहीं हैं, एक आदमी मेरी जानकारी में ऐसा है जो वास्तव में उस दिन वहां नहीं था, खेतड़ी में नहीं था, दिल्ली में था। लेकिन उसको भी बुला लिया गया है कि वह भी उन लोगों में था और उसकी भी पिटाई उसी तरह से हुई है जिस तरह रोष करने वालों की। मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चे की मौत से यह स्वाभाविक था कि छात्रों में गुस्सा हो गया और गुस्सा आने के बाद में उन्होंने ट्रक को आग लगा दी पर बाद में जो उन्होंने पुलिस पर कार्यवाही की वह वाजिब नहीं थी। वह वास्तव में नाजायज थी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था। परन्तु इस प्रकार के काण्ड के बारे में वहां पर ऐसी स्थिति होने के कारण से जो कुछ हुआ उसका बदला लिया और बदले में पुलिस ने प्रवोकेशन के बाद में इस तरह का हंगामा मचाया, यह वाजिब नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार लोकल पुलिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था परन्तु डी. आई. जी. के फटकारने के बाद में यह सारा कुछ हुआ है। यह वाजिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस (आई) के घोषणा पत्र में इस बात की....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : भाषण नहीं दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। यही एक बात कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की बात इसमें कही गयी है। यह इस घटना से बहुत साफ है कि जो वर्ग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, पुलिस ने इस प्रकार की कार्यवाही की और उन्होंने स्टे के बाद कार्यवाही करके उन लोगों को जबंदस्ती हटाया है। मारपीट की गयी और मारपीट करने के बाद में उनके मुख्य मुख्य नेताओं को ले जाया गया। मैं समझता हूं कि उसी पुलिस ने अपराध किया है यह जिस पुलिस ने मंत्री महोदय के पास सारे तथ्य भेजे हैं। ये सारे तथ्य बिल्कुल गलत है ऐसी मेरी जानकारी है। ऐसी मेरे पास जानकारी है। मैं गरीब और प्रगतिशील तबके का होने के कारण ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार

(श्री रतनलाल ताम्बी)

को पुलिस को बचाने की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। इसकी न्यायिक जांच करायें। वहां पर अभी भी तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस मामले को राज्य सरकार गम्भीरता से ले और किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी तत्काल जांच करायी जाये। रिपोर्ट मंगाकर तथ्यों के आधार पर कार्यवाही कर न्यायिक जांच की मांग पर जोर देना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने 5 तारीख की घटना और 10 तारीख की घटना को जोड़ने का प्रयास किया है।

श्री अध्यक्ष : पुलिस ने भी जोड़ दिया है इसीलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं तथ्य दे देता हूं अभी पांच तारीख की घटना और दस तारीख की घटना दोनों अलग अलग हैं। उनको जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। यदि आप आदेश देंगे तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, वैसे मैंने आपके सचिवालय को समस्त सूचना दे दी है।

श्रीमन्, अब यह जो कहा गया है कि महिलाओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज....

श्री अध्यक्ष : स्टे आर्डर था। दूसरा यह कि सरकार कितने अर्से से उनका कब्जा मानती है? झोंपड़ियां वहां पर कब से बनी हुई है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक स्टे आर्डर का प्रश्न है, श्रीमन्, स्टे आर्डर कार्य शुरू होने के बाद आया था।

श्री लच्छूराम : आपने काम बन्द कर दिया क्या?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसको काम करने ही नहीं दिया, ठेकेदार को।

(व्यवधान)

श्री लच्छूराम : गलत है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आप झूठ बोल रहे हैं। यह मनगढ़न्त है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं, एक दो क्वेरीज, उनका उत्तर देने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरी बात जो कही गई है अध्यक्ष महोदय, महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर ली है, जिन महिलाओं के चोटें आई है, यदि आप आज्ञा दें तो....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : स्टे का प्रश्न छोड़ गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तोड़ फोड़ की कार्यवाही से पहले स्टे आ गया था। कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर दिया कि मौका देखा जाय।

श्री अध्यक्ष : स्टे कौनसी तारीख को आया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच तारीख से पहले। 9 तारीख को यह आया कि स्टेटस को बनाये रखा जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि वहां झुग्गी-झोंपड़ी तोड़ने का काम शुरू ही नहीं हुआ और आज भी उनका कब्जा है। किसी को भी डिस्लोकेट नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक चार बीघा का प्लाट है। मैंने खुद ने जानकारी प्राप्त की। मैंने पूछा कि क्या किसी को उजाड़ दिया, या किसी को बरबाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्योराम चमार और मंगलराम सैनी की झोंपड़ियों को तोड़ा गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं वहां पर कुछ हिस्सा बचा हुआ है। जमीन वहां पर खाली थी चार बीघा। वहां पर काम शुरू हुआ। किसी को डिस्लोकेट करके काम शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं जो आप कहने नहीं दे रहे हैं, आपने यह कहा कि महिलाओं पर अत्याचार किया गया तथा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी चार्ज किया गया। यह कहा गया। जो मेडिकल रिपोर्ट है—

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : एक बात और बता दीजिये क्या जिन महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया, उनके मकान आज भी खाली पड़े हैं, और दूसरी बात....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे रहा हूं जिन महिलाओं के चोटें आईं, खेतड़ी के डाक्टर की रिपोर्ट मैंने देखी है। पहले तो डाक्टर ने यह कहा कि यह पुलिस का मामला है, आप बगल वाले अस्पताल में जाइये। लेकिन वहां पर मजदूर नेता खड़े थे, और भीड़ थी, उसके भय से उसने, उस डाक्टर ने उनका मुआयना किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस तारीख को ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस दिन यह वकुआ हुआ उसी रात को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तारीख ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 5–3–81 को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 5 को नहीं हुआ, बाद में हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बिल्कुल।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप बाधा उपस्थित करके मन्त्री महोदय जो सूचना देना चाहते हैं, उससे वंचित रह जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : आप तारीख बता दीजिये–

श्री प्रद्युम्न सिंह : 5–3–81 को 6 पी. एम.।

श्री मेघराज तावड़ : कितनी महिलाओं का ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सात महिलाओं का। केवल एक महिला के चोट आना पाया गया है। बाकी की महिलाओं के बदन में दर्द बताया गया और कोई इन्जरी बाडी पर आना नहीं पाया गया।

(व्यवधान)

ऐसी बात है, श्रीमन्, 10 तारीख को, मैं आपसे और निवेदन कर दूं, मैं तथ्यों से अवगत कराने को तैयार हूं इसमें, जिन महिलाओं को पीटा गया उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, तब भी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, एक आदमी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। ये कहते हैं कि पांच तारीख के बाद मेड़िकल हुआ। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है। 5 तारीख को 6 बजे शाम को 7 महिलाओं का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, किसी को चोट आना नहीं पाया गया, एब्रजन खरोंच बताई गई, वर्बरतापूर्वक पीटा जाना....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह कहा गया कि कानून के हाथ लम्बे हैं, उस कानून को बदलना जनता जानती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

मैं बहस समाप्त करता हूं। चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मालूम तो तब पड़ेगा जब डण्डे पड़ेंगे। तब मालूम पड़ेगा....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अकेले हो....

श्री मेघराज तावड़ : अकेले हुए तो क्या....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। मैं समझता हूं कि इसमें सिवाय विवाद करने के कुछ समस्या का हल निकलने वाला नहीं। मैंने दो-तीन प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब नहीं आने दिया। केवल अपनी बात बात कहना चाहते हैं, वह तो कभी भी कह सकते हैं। दो-तीन बातों का जवाब मन्त्री महोदय को देने दीजिये, उसको शान्ति से सुनिये, स्टे कब हुआ, काम की प्रगति क्या है, किसी की झोंपड़ी को हटाया गया या नहीं, सरकार अब क्या

(श्री अध्यक्ष)

सोचती है ? तीसरा, क्या 5 तारीख का जो पुलिस का गुस्सा था, 10 तारीख की बात को गलत जोड़ना बताया गया है, कितने मुलजिम बनाये गये हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है वरना कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे हां, वे कहेंगे ना और समय यों ही बीत जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, जिन लोगों को मुल्जिम बनाया गया है, 5 तारीख के मुल्जिम और 10 तारीख के मुल्जिम अलग-अलग हैं। पहली बात। दोनों मुल्जिमों का उससे कोई सरोकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): बस्ती के कितने मुल्जिम हैं।

श्री लच्छूराम : झुग्गी झोंपड़ी वाले 13 मुल्जिम हैं उनमें 11 मुल्जिम बताये गये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर उन लोगों को मुल्जिम बनाना था तो 5 तारीख को ही बनाया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष : कुछ माइने में ठीक है। मुल्जिम अगर किया गया तो 24 घंटे में रिमांड लेना पड़ता है। पुलिस की नाराजी हो, पुलिस वाला आया था जिसकी तरफ उंगली कर दी, वह मुल्जिम हो गया, ऐसी स्थिति तो नहीं होनी चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बदले की भावना का प्रश्न नहीं है। चिड़ावा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आप स्थिति साफ की। जो स्थिति बनी है 10 तारीख के बाद में। हमने तथ्यों की जानकारी ली। इससे कोई सम्बन्ध नहीं। वह अलग केस है, यह अलग केस है। इसको उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई लेना देना नहीं। आपने प्रश्न पूछा—किसी झुग्गी झोंपड़ी वाले को हटाया नहीं। जो वहां रह रहे थे आज भी रह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोर्ट का स्टे जिस तारीख को मिला है उससे लेकर आज तक स्थिति को वैसे ही कायम रखेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : स्टेटस को रखा है। हमने किसी को नहीं हटाया है।

श्री भगवान दास शास्त्री : आतंक मचाया। झोंपड़ियां खाली कैसे हुई ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भगवानदासजी, स्थान ग्रहण करें।

श्री हजारी लाल शर्मा : अब पुलिस रीटेलिएट कर रही है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पुलिस कानून के अनुसार कार्यवाही कर रही है, कोई बदले की भावना से नहीं।

श्री भगवान दास शास्त्री : रामायण का पाठ करने के लिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : जो झोंपड़ी खाली कराई है वहाँ ठेकेदार का सामान आज भी पड़ा हुआ है।

श्री रतन लाल ताम्बी : इस मामले को स्थगित करके मंत्री महोदय स्वयं जाकर इस मामले की जांच करेंगे तो तथ्य सामने आयेंगे कि उनको झोंपड़ियों से हटाया गया, उनमें ठेकेदार का सामान पड़ा हुआ है और आतंक बना हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय स्वयं जाकर देखें और उसके बाद स्थिति बतायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मजिस्ट्रेट से जांच करायें।

श्री लच्छूराम : मंत्री महोदय ने कहा कि झुग्गी झोंपड़ी से किसी को नहीं हटाया। इनके कहने का अर्थ यह है कि उस जगह जहां थाना बन रहा है, वह खाली पडी थी। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। झुग्गी झोंपड़ियों के बीच में, जिन आदमियों के नाम बताये, एक चमार और माली, उनको झोंपड़ियों से 5 तारीख सुबह को ही बाहर किया तभी यह सारा मामला बना है। एक भी मजदूर नहीं था, बल्कि उनको हटाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक अर्ज कर दूं। आप फैक्ट्स गलत नैरेट कर रहे हैं····

(व्यवधान)

दो झोंपड़ियां नहीं, एक झोंपड़ी में आग लगने की बात है। 7 तारीख को आग लगी है। 5 तारीख को कोई आग लगने का वकूआ नहीं था। अब आप उसको उससे जोड़ना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 7 तारीख को लगी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

श्री लच्छूराम : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि वहां पर कोई काम चालू नहीं है। मैं इतवार को गया। काम चालू है। नींव भरी जा रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इनके स्थगन प्रस्ताव को देखें। इन्होंने लिखा है कि 7 तारीख को आग लगी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत। राजस्थान नहर क्षेत्र के किसानों को खातेदारी अधिकार न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति।

मेजा फीडर से सम्बन्धित मेगजीन में अग्निकाण्ड

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिचाई) : अध्यक्ष महोदय, मेरे वाले वक्तव्य को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष : मेजा फीडर से सम्बन्धित मैगजीन में आग लग जाने वाले विषय को स्थगित कर दिया जाता है। माननीय घनश्यामजी ने कल शाम को ही रखा था लेकिन आज स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य ज्यादा हो गये हैं, मंत्रीजी की तैयारी नहीं है इसलिए आगे खिसका रहे हैं। माननीय सदस्य आए थे····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, केवल जो समझौता हुआ है····

श्री अध्यक्ष : कल सुबह होगा। आप आये थे इसलिए रख दिया।

श्री मेघराज तावड़ : मंत्री महोदय ने कोई बात नहीं कही कि क्या करना चाहते हैं। आज भी स्थिति भयंकर है, पुलिस का आतंक है, पुलिस गश्त लगाती है, 144 धारा लागू है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : गोलीकाण्ड वाले का बाद में ?

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से बार बार निवेदन करता रहता हूं कि जो माननीय सदस्य पूछें मुद्दे का सवाल पूछें जिससे सरकार को पिन डाउन किया जा सके। दो तीन बार मैंने परटीनेन्ट सवाल पूछे तो माननीय सदस्य बीच में पड़ गये जब कोई सिस्टम नहीं अपनाते हैं चर्चा का तो····

श्री हजारीलाल शर्मा : परटीनेन्ट सवाल का जवाब नहीं देते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय····

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान नहर क्षेत्र में किसानों को खातेदारी अधिकार

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठायें। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, देश के आजाद होने के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने अगर कोई बड़ा काम किया तो मैं कहूंगी जो काश्तकार अपने हाथ से हल से जो जमीन जोतता था उसको उस जमीन का उसने मालिक बनाया। उस समय सारे मुल्क में इस प्रकार के कानून बनाये गये कि काश्तकार जो जमीन का मालिक नहीं था उस वक्त वह उस जमीन का मालिक बन गया। इसी कड़ी में 1955 में राजस्थान में भी एक्ट बनाया गया। यहां पर अलग-अलग रियासतें थीं उनमें अलग-अलग कानून थे उनका एकीकरण कर दिया गया और एक कानून बनाया। उसमें धारा 15 (ख) रख दी। उसके अनुसार खातेदारी के अधिकार जो जमीन पर काम करने वाले किसान थे, उनको दिये गये। उस कानून के अनुसार उस जमीन का मालिक आटोमेटिक, स्वतः वह किसान बन गया जो खेती करता था, न उसे दरख्वास्त देने की जरूरत थी न पूछने की। जिसका राजस्व में रिकार्ड मौजूद था वह अपने आप ही खातेदार बन गया।

लेकिन बाद में क्या होता है, 1955 के तीन साल बाद 1958 में 15 वीं धारा में (ए) जोड़कर खातेदारी वापस ले ली और जो इन्तकाल हुए थे वह इन्तकाल खारिज कर दिये गये। जब 15 (ए) कायम किया गया तो इसके खिलाफ में एक सूरजा राम चौधरी जो बाई इन्सीडेंस मेरे गांव का चौधरी था, हाई कोर्ट में गया और हाई-कोर्ट ने फैसला दिया कि 15 वीं धारा में जो खातेदारी मिल चुकी है उसमें 15 (ए) जोड़कर खातेदारी खतम नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने 15 (ए) का वही स्वरूप रखा जो कि पहले उन्होंने बताया था। अब इसके साथ में मैं आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण पाइन्ट रखना चाहती हूं। उस समय केन्द्र में कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया, संविधान में 17 वां संशोधन हुआ जिसमें राजस्थान

(78)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत)

टिनेंसी एक्ट को समर्थन दिया था। उन्होंने उस कानून में बिल्कुल स्पष्टीकरण करके कहा संविधान में कि जो अपनी जमीन खुदकाश्त कर रहे हैं और जिनके पास सीलिंग सीमा तक जमीन है उनके खातेदारी अधिकार बिना मुआवजे के और वह भी बाजार भाव से दिए बिना वापस नहीं लिए जा सकेंगे। जो संविधान में 17 वां संशोधन में शब्द जोड़े गये वह मैं आपके सामने खुलासा करना चाहूंगा —

"Provided further that where any law makes any provision for the acquisition by the State of any Estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as is within the ceiling limit applicable to him under any law for the time being in force or any building or structure standing thereon or appartenant thereto, unless the law relating to the acquisition of such land, building or structure, to the acquisition of such land, building or structrure, provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof.

इसमें बिल्कुल स्पष्ट स्पष्टीकरण संविधान में किया गया है। लेकिन सरकार ने अपने यहां पर उसी स्वरूप को कायम रखा जैसा कि पहले चला आ रहा था। इस पर राजस्थान केनाल एरिया के किसानों ने एक आन्दोलन छेड़ा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा गंगानगर में एक बड़ा जबरदस्त किसानों ने आंदोलन छेड़ा।

(1.49 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, इस आंदोलन में करीब 16 हजार आदमी जेल में गये और तीन जगह फाइरिंग हुआ। कुछ लोगों की जानें भी गयीं। उसके बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इसी विधान सभा में यह घोषणा की कि जिन काश्तकारों के पास 1955 से पहले की जमीन है जो सीलिंग के अन्दर है उन्हें बेदखल नहीं किया जायेगा। उनको 25 बीघा बिना कीमत जमीन दी जायेगी और एक मुरब्बा उनको अलाट किया जायगा जिसकी कि कीमत केवल 27 हजार रु. ली जायेगी। सभापति महोदय, उसी घोषणा के अनुसार वहां के किसानों को भूमि अलाट कर दी गयी है। उनके कब्जे में वह जमीन है और उसी हिसाब से वह कीमतें भी अदा कर रहे हैं और कई लोग कीमतें अदा भी कर चुके हैं। अब, सभापति महोदय, समस्या पैदा यह होती है कि जो जमीन दी गई, उनको कब्जा जमीन का मिल तो गया लेकिन सरकार ने अपने कागजों में इस जमीम को खातेदारी न मानकर सरकारी मानी और सन् 1955 के पहले वालों को भूमिहीन मानकर जमीन अलाट कर दी। उस वक्त

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

वहां का जो काश्तकार था उसने कानून की इस पेचीदगी को नहीं समझा । क्योंकि उसके पास जमीन आ गई । इधर राज्य सरकार ने और भी भूमिहीनों को जमीन दी । इस पर राज्य सरकार ने नियम बना दिया कि जो भूमिहीन लोग होंगे उनको एक-एक मुरब्बा जमीन दी । तो यह तो बात रही 55 के पहले वाले काश्तकारों की । और जो भूमिहीन थे जिनको 55 के बाद वाले पोस्ट 55 कहते हैं, उन काश्तकारों ने भी यह मांग की कि उनको भी सीलिंग सीमा तक जमीन दी जाये । उसे प्राप्त करने के लिए वह लोग अदालत में गये । अदालत में ठीक तरह से पैरवी नहीं हुई । अदालत ने सोचा, पहले वाले भी भूमिहीन हैं और यह भी भूमिहीन हैं । तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि55 से पहले वालों को और 55 से जो बाद में हुए हैं उनमें समानता रखी जाय, असमानता न रखी जाय । राज्य सरकार ने 75 में नया नियम बना दिया कि समानता कायम कर दी गई है । प्री और पोस्ट 55 वालों को एक मुरब्बा ही दिया जाय । अब लोगों में असन्तोष इस बात का है कि जो जमीन उनको 15 धारा के अन्तर्गत मिल चुकी है और खातेदारी के अधिकार मिल चुके उस जमीन को सरकारी बना दिया गया है जो संविधान के खिलाफ है, जिसको मैंने अभी पढ़कर आपके सामने सुनाया । अब सरकारी और जमीन बना लेने के बाद जो जमीन उनको आवंटित की गई है वह ली जा रही है और उन्हें बेदखल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे कर के । और ऊपर से असंतोष का एक कारण यह भी है कि जो एक मुरब्बा जमीन उसको अलाट की जा रही है उसकी कीमत 17 से बढ़ाकर 34 हजार रुपये कर दी है । यह वहां की दो समस्यायें हैं एक तो खातेदारी की, और एक जो जमीन की कीमतें बढ़ाई । यह सबसे बड़ी विकट समस्या है, राजस्थान कैनाल के भूमिहीन की । इससे वहां पर जबरदस्त असंतोष है और असन्तोष है वह भी कैसा ? आज वह जमीन पर काबिज है उसके लिये वह सरकार को रुपये दे चुके हैं । उसका विकास करने के लिये वह ट्रैक्टर इत्यादि खरीद चुके हैं । उस जमीन को विकसित करने में, उसका विकास करने में अपना रुपया लगा चुके हैं, अपनी जमीन को वह गिरवी रख चुके हैं लेकिन आज भी उनके सर पर नंगी तलवारें लटक रही है कि वह जमीन के मालिक नहीं है । इस बात को लेकर बड़ा जबरदस्त असंतोष राजस्थान कैनाल के उन काश्तकारों में है जो 55 से पहले वाले थे उनमें आज चला आ रहा है । क्योंकि वह काश्कतार उस जमीन के मालिक हैं । आज से नहीं पीढ़ियों से है । उस जमीन को उनके दादाओं, उनके बाप ने और उन्होंने खुद ने अपनी पसीने से सींचा, अपने पसीने से सुधारा । आज उस किसान का उससे अधिकार लिया जा रहा है, यह सबसे भयंकर असंतोष का सवाल है । सभापति महोदय, हमारे किसानों की मांग यह है कि संविधान में जब उन काश्तकारों के, जो खुद काश्त करते हैं और जमीन सीलिंग से नीचे हैं, खातेदारी के अधिकारों को संरक्षण भी दे दिया गया है तो उसको मान्यता दी जाये । दूसरा उनका निवेदन करना यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कराकर उससे मुकरती है । मगर वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ वह भूमिहीन किसानों

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

में समानता रखने के लिये था न कि 55 में जो उसके मालिक बन चुके थे, कायदे से मालिक थे उनके बीच का है। सबसे बड़ा अन्तर यह है कि सन् 1955 के पहले के काश्तकार भूमिहीन नहीं थे वे खातेदार थे और आज भी कानूनन खातेदार हैं। विधान के शिड्यूल 9 के नीचे एक स्पष्टीकरण डालकर उन काश्तकारों के खातेदारी के अधिकारों की सुरक्षा है कि बिना बाजार कीमत दिये सरकार उन्हें नहीं ले सकती जिसका कि मैं दो बार जिक्र कर चुकी हूं। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगी कि विधान में जो खुद काश्त करने वालों को उपरोक्त अधिकार दिया है इसका प्रावधान 15 "ए', के नीचे क्यों नहीं करते हैं ताकि यह सारी की सारी समस्याएं सुलझायी जा सके। यह 15 "ए" के अन्तर्गत राजस्थान कैनाल की पूरी जमीन जो बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में लगी हुयी है उसके ऊपर इसका प्रभाव है। इसकी वजह से कई तरह की वहां पेचीदगियां आ रही हैं जैसे, छतर गढ़ है वहां पर अलग अलग प्रकार की समस्यायें आ रही हैं। जैसलमेर जिले में अलग प्रकार की समस्या आ रही है। इससे वहां पर जबरदस्त असंतोष फैला हुआ है। मैं यह मानती हूं, मन्त्री महोदय, यह सारा ढचरा काम्पलीकेटेड है—सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना, हाई कोर्ट का फैसला होना, इधर आपका यह कहना काफी है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इस मामले को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम उठावें। ठोस कदम उठाये बिना मैं जानती हूं कि कोई दो दिनों में यह काम साफ नहीं हो सकता। मेरा निवेदन यह है कि कोई ऐसी एक कमेटी बना दी जाय जिस कमेटी में जनता के प्रतिनिधि हों, काश्तकारों के प्रतिनिधि हों और कानून के जानकार हों और सरकार के आफिसों के बड़े बड़े अधिकारी हों जो साथ बैठकर, राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस की तरह इन सारे मामलों पर विचार करके, किस प्रकार के संशोधन करने से उनका सुधार हो सकता है वह किया जाना चाहिये ताकि उनको न्याय मिल सके। जिनके एक ओर खातेदारी थी वह खातेदारी प्राप्त हो सके, और असंतोष मिटाया जा सके और सरकार का काम भी सुचारु रूप से चलें। सरकार किसी प्रकार से वह नहीं चाहती। वह कमेटी मिलकर किसी प्रकार की आपके सामने समस्या सुलझाने के लिये सिफारिश करे और इसके अनुसार आप कदम उठाकर इस लाखों किलोमीटर, एकड़ जमीन में फैले हुये असंतोष को दूर करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इसमें कुछ ऐसे तथ्य रह गये हैं वह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। उनको सुनने के बाद मन्त्री महोदया जबाव दें तो उचित रहेगा।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : सभानेत्री महोदया, मैं पहले ही कह देना चाहती हूं कि सूचना के अभाव में और जानकारी के अभाव में माननीय सदस्या को इतना सारा यहां पर सदन में कहना पड़ा। अगर मेरा पहले ही वह जबाव सुन लेतीं तो मैं समझती हूं कि शायद उनको इतना निवेदन करना नहीं पड़ता। फिर भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो तथ्य मैं आपके सामने कह रही हूं उनको कहने के बाद

(श्रीमती कमला)

में अगर कुछ तथ्य रह जायें तो माननीय सदस्य जो भी पूछना चाहते हैं वह पूछें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदया, 12 सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। इस पर दो तीन सदस्य तो पहले बोलने ही चाहिये।

श्रीमती कमला : पहले मैं बोल लूं उसके बाद जो कुछ रह जाय तो माननीय सदस्य मुझसे सवाल पूछ लें।

सभापति महोदया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 (1) में और 15 (ए) को जोड़कर राज्य सरकार ने 1958 में यह प्रावधान रखा कि राजस्थान नहर क्षेत्र की राजस्थान नहर परियोजना-क्षेत्र में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और न ही पूर्व से प्राप्त हुए माने जावेंगे। यहां पर माननीया सदस्या ने जिक्र किया और इस कारण से राजस्थान नहर क्षेत्र सन् 55 के पहले बसे हुए काश्तकारों के खातेदारी अधिकारों को न माना, यह मामला रखा यह बात सही है। लेकिन उसके बाद में जब वस्तु स्थिति की जानकारी राज्य सरकार को मिली और उसमें होने वाली कठिनाइयां सामने आयी तो उसके बाद में राज्य सरकार ने 29-12-79 को 15 (ए) धारा एक जोड़ करके उसमें यह प्रावधान किया कि जो खातेदार या मौरुसीदार या आकुपेन्सी काश्तकार या ऐसे कृषक जिनके पैत्रिक या हस्तान्तरण से अधिकार बनते हैं उनका नाम वार्षिक रजिस्टरों में 15-10-55 से पूर्व दर्ज है उन्हें टेनेन्सी अधिनियम के अधीन खातेदारी की मान्यता दी जाये। एक उसके अन्दर यह प्रावधान किया। दूसरा यह प्रावधान किया कि जिन व्यक्तियों के इन्द्राज वार्षिक रजिस्टरों में 15-10-55 को बतौर खातेदार अथवा पैत्रिक हस्तान्तरण रखने वाले कृषक की हैसियत से नहीं हैं उन्हें क्षेत्र के सहायक जिलाधीश को एक वर्ष की अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर ऐसे अधिकार घोषित करने का प्रावधान किया गया और उनसे 29-12-80 तक इस प्रकार के आवेदन मांगे गये। इस 29-12-80 तक, माननीय सभानेत्री महोदया, उपनिवेशन विभाग के विभिन्न सहायक उपनिवेशन आयुक्त न्यायालयों को लगभग 16500 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन मामलों के विधिवत एवं जल्दी निपटारे हेतु व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि जिन जिन कालोनाइजेशन कमिश्नर के यहां इस प्रकार के प्रतिवेदन आये हैं उन इलाकों से संबंधित जो भी तहसीलदार हैं वह अपने अपने क्षेत्र के प्रतिवेदन वहां से प्राप्त कर लें। उनको विभाग की तरफ से प्रोफार्मा तैयार करके भेजे गये हैं जिस प्रोफार्मा के अन्तर्गत वह इस प्रकार के खातेदारी के मामले इन्द्राज करें जहां काश्त गिरदावरी के माध्यम से या जमाबन्दी के माध्यम से या रेकार्ड के आधार पर उनके हकूक बनते हैं उनको दर्ज करके अपने स्तर पर उनका प्रोफार्मा भर लें और भरने के बाद में तत्काल उनके हकों के मुताबिक उनका फैसला करने की कार्यवाही करें।

माननीय सभानेत्री महोदया, जो दिक्कत या कष्ट हो सकता था काश्तकारों को वह

(82)

(श्रीमती कमला)

यह है कि इस निपटारे के दौरान, आवेदन पत्र प्राप्त करने के दौरान, उनकी जांच के दौरान, प्रोफार्मा भरे जाने के दौरान अगर उनको हटाया जाता है या बेदखल किया जाता है या हकों से उनको महरूम रखा जाता है तो बाद में उनको न्याय मिले तो कोई अर्थ नहीं होता इसलिए राज्य सरकार ने 7-2-81 को आदेश जारी किये कि इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें से किसी भी किसान को अपनी जमीन से बेदखल नहीं किया जाये। इसलिए बेदखली के डर से या आशंका के कारण से कोई रोष व्याप्त होने वाली बात नहीं है।

यहां इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस संबंध में बहुत बड़ा एक प्रतिनिधि मण्डल काश्तकारों का उस इलाके का कुछ अरसे पहले मुझे मिला था और मौके पर ही मैंने आदेश जारी किये थे जिनका कि हवाला दिया। इसलिए बेदखली इस प्रकार की नहीं की जा रही है जब तक कि सारे मामलों का निपटारा नहीं हो जायेगा।

जहां तक माननीय सदस्या ने इस बात का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का हवाला दिया कि एक मुरब्बा प्रत्येक काश्तकार को दिया जाये वह मामला भी सरकार के विचाराधीन है क्योंकि फैसले के मुताबिक समस्या भी हल नहीं होती। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जिनके दो दो और तीन तीन अडल्ट मेम्बर्स हैं। अलग अलग मुरब्बे पर मेम्बर्स का कब्जा किया हुआ है और उस पर खेती करते हैं और एक मुरब्बा रखते हैं तो मालिक के नाम पर या परिवार के मुखिया के नाम पर रह जाती है। जो अडल्ट मैम्बर्स काफी वर्षों से काबिज हैं उनकी समस्या फिर भी बनी रहती है। इसलिए कुछ दिनों पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने सदन में बताया था कि इस मामले में भी सरकार तमाम मामलों का अध्ययन करके कि किस प्रकार से किया जाये, परिवार के एक मैम्बर को एक मुरब्बा दिया जाये या जो अडल्ट मैम्बर्स काबिल हैं उनको मान्यता दी जाये या दो तीन मुरब्बों पर जो फेमिली के मैम्बर्स हैं और अडल्ट नहीं हैं और लड़के हैं और हक है उनको भी शामिल किया जाये—सारा गम्भीरता से अध्ययन किया जाकर उस मामले में एक केबिनेट मीमो तैयार किया गया है जो कि कैबिनेट के सामने प्रस्तुत होगा और उस पर भी शीघ्र निर्णय होगा लेकिन मुख्य रूप से यह निवेदन करना चाहती हूं कि किसी भी काश्तकार को इस कारण से बेदखल नहीं किया जा रहा है। उसके ऊपर स्टे लागू किया हुआ है और इससे कोई असन्तोष की भावना मन में रखने की किसी भी माननीय विधायक को या क्षेत्रीय काश्तकारों को जरूरत नहीं है। इतनी मैं तसल्ली और विश्वास दिला सकती हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान का वह इलाका जो कि पाकिस्तान से लग रहा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई प्रश्न हो तो पूछ लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ....जागीरदारी प्रथा के अन्तर्गत वह काश्त करते आ रहे हैं और जो लोग पढ़े लिखे थे, सम्पन्न थे उन्होंने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जागीरदारों और जमींदारों से राजस्व के रेकार्ड लिखवा दिये थे लेकिन आज भी ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने राजस्व विभाग में अपना रेकार्ड लाकर दर्ज नहीं कराया है उन लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही विभाग कर रहा है।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में जिन भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटित की गयी है ऐसे किसानों की भूमि बेनामी शिकायत के आधार पर खारिज की जा रही है। हिन्दुस्तान में कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहां ऐसी कार्यवाही की जा रही हो लेकिन इस क्षेत्र में बेनामी शिकायत के आधार पर भूमि में खुदकाश्त करने वाले काश्तकारों को बेदखल किया जाता है....

श्रीमती कमला : यह अलग मुद्दा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कोई परटीनेन्ट क्वेश्चन, जो इससे संबंधित हो वह पूछ लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह राजस्थान नहर परियोजना से संबंधित है जो मूल रूप में हमने प्रस्ताव दिया है आप देख लीजिए।

श्री सभापति : खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं इससे संबंधित पूछ लें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : पहला प्रश्न तो यह था कि जिन लोगों के राजस्व रेकार्ड 1955 के पूर्व दर्ज नहीं है उनके लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि बेनामी शिकायत के आधार पर खातेदारी अधिकारों को क्यों निरस्त किया जाता है?

श्रीमती कमला : माननीय सभानेत्री महोदया, मैने पूर्व में कहा कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जा रहा है। पुख्ता तौर पर आदेश जारी कर दिये गये हैं कि जब तक तमाम मुद्दों का फैसला नहीं हो जाये, इसलिए वह सवाल तो आप अपने मन से निकाल दें कि किसी को बेदखल किया जा रहा है।

दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, जिन लोगों के पास कोई लेण्ड रेकार्ड ऐसा है कि जिससे साबित कर सकें कि हम इस जमीन के मालिक हैं लेकिन वह रेकार्ड नहीं है और दूसरे कोई भी ऐसे निशानात या ऐसे जरिये या ऐसी बातें या तथ्य पाये जायेंगे जिससे साबित हो सकेगा पुख्ता तौर पर कि दरअसल में यह बहुत वर्षो से कदीमी समय से इस जमीन पर काबिज हैं इसलिए काश्तकारी हक रहा है तो उसके माध्यम से भी विवरण प्राप्त किया जा रहा है। उस पर विचार किया जायेगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : सभापति महोदया, मैं एक स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा। जैसा आप सब को पता है कि राजस्थान अपने आप में एक प्रान्त न होकर विविधता से भरा हुआ समूह है जिसको आजादी के बाद स्टेट बना दिया। हालत यह है कि एक स्टेट की रीति

(श्री आत्माराम)

रिवाज और कायदे कानून दूसरी स्टेट से बहुत डिफर करते हैं इसलिए आज तक पोस्ट 55 का जो काश्तकारी संशोधन नियम-है इसके बारे में पूरी जानकारी, मेरे ख्याल से, किसी को न होने की वजह से यह सारा ऐसा हुआ है····

(2.10 म. प.)

(श्री पूनम चंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यह सारा बताने के लिये मुझे पूरी सिचुएशन बतानी पड़ेगी। बीकानेर स्टेट के अन्दर तीन तरह की पोजीशन थी। एक तो स्टेट के थे और दूसरे वह थे जागीरदार्स जिनको जमींदार कहते हैं और तीसरे वह थे जिन्होंने जमीन खरीदी थी। आम भाषा में जमींदार कहते हैं उन्होंने जमीन खरीदी हुई है। जमीन के मालिक हैं। स्टेट के अन्दर उस समय तीन तरह की पोजीशन थी। जो मोरूसी राइट्स हैं उनको कुछ पट्टे मिल गये। कुछ पैसा भर दिया और उनको पट्टे मिल गये। जहां स्टेट में इन्द्राज होता है वहां मोरूसी किसान का इन्द्राज हो गया दूसरे काश्तकार खातेदार हो गये और तीसरे किसान थे जिनको आरजी काश्तकार के नाम से पुकारते थे जो सम्वत् 1985 से आज तक टेम्प्रेरी चले जा रहे हैं। यह बड़ी अजीब स्थिति है। 1985 से बन्दोबस्त चला आ रहा है। उनको काश्तकार ट्रीट किया जाये) इस तरह की तीन सिचुएशन थी। प्रि 55 और पोस्ट 55 का डिफरेन्स इसलिये कर दिया। 55 के पहले और 55 के बाद। जब यह राजस्थान की स्कीम बनी तब इन लोगों के दिमाग में यह बात आई है कि यह जमीन बहुत कीमती है। यह आरजी काश्तकारों को न दी जाये। टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स यह हमेशा मान लिया जाता है एक साल, दो साल के लिये। टेम्प्रेरी का मतलब ही टेम्प्रेरी होता है, थोड़े अर्से के लिये होता है। जो वहां काश्तकार थे 85 के पूर्व के थे। मतलब है आज से 60 साल पहले, उससे भी पहले के हों तो पता नहीं। सं० 1985 के पहले के जो आरजी काश्तकार थे वहां एक मांग पैदा हुई कि हमको मोरूसी हक दिये जायें। हमको मालिक माना जाये। खुश किस्मती से, बदकिस्मती से जोधपुर संभाग से आये खास तौर से नेता महोदय कहते हैं कि हमने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 55 में बनाकर काश्तकारों का बड़ा भला कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त परिस्थितियों के मुताबिक, स्टेट टाइम में, जोधपुर के अन्दर अगर उन्होंने काश्तकारी के हक किसान को दिलवा दिये तो बहुत बड़ी बात है। हम हमारी खुश किस्मती कहें या बदकिस्मती कहें जिनको मोरूसी हक मिले हुए थे जिन्होंने जमीन खरीदी हुई थी जो मालिक थे उनको आपने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में काश्तकारी हक दे दिये। उनको क्या कहेंगे जिनको इस हक से महरूम कर दिया। मोरूसी को तो काश्तकार बना दिया और जो टेम्प्रेरी थे जो सं. 1985 के पूर्व के थे उनको आपने भूमिहीन बना दिया। उनकी यह बदकिस्मती रही कि उनकी बात को कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज यह कहा गया कि इस तरह के अधिकार दिये हैं जो पहले के आते हैं उनको फिर मान लेंगे। यह केस करीब 20 हजार के करीब सैटल हुये। उनको आपने डिस्टर्ब कर दिया। 15 (ए) लागू कर दिया। सबको डिस्टर्ब कर दिया फिर उनसे यह

(श्री आत्माराम)

एपलीकेशन्स डिमाण्ड कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता आप चाहते क्या हैं ? एक दफा उनको सैटल कर दिया आपके इन्हीं अधिकारियों ने मुआयना किया। यह सारा जो अमला है इन्होंने उनको अलाट कर दिया, सैटल कर दिया, उसके बाद फिर आप वही प्रोसीजर चालू करना चाहते हैं। हमारी नासमझी की वजह से, ज्यादा समझने की वजह से हमारे साथ बदकिस्मती रही है कि इन जमीनों के लिए दुबारा तिबारा रि-ओपन किया जा रहा है। इस तरह का केस किसी आफिसर का हो, कोई दूसरा मकदमा हो, रि-ओपन करके देखो क्या नतीजा निकलता है। और हमारे साथ तीन तीन दफा, दो तीन दफा पहले हो गया फिर आप कर रहे हैं। सीलिंग का मामला है जो किसान से सम्बन्धित है उनमें आप क्या कर रहे हैं। आपने इनको भूमिहीन बना दिया। यह फन्डामेंटल राइट्स हैं, हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हमने जमीन को तोड़ा, हम उस जमीन पर काबिज थे। जब से काश्त होने लगी तब से काबिज हैं उनको भी गलती से आपने भूमिहीन बना दिया। मेरा कहना यह है कि वे प्रक्रिया से वाकिफ नहीं थे उनको जमींदारी राइट्स कैसे मिलेंगे। उनको जब यह पता चला कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 1985 के पूर्व की स्थिति यह थी उस वक्त जमीन की कोई कीमत नहीं थी। मर्जी आये जमीन तोड़ो और काश्त करो। इनको आप मद्दे-नजर रखकर 1985 के पूर्व के जो हैं, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ उनको हकदार मान लिया गया लेकिन 1985 के जो पहले के थे उनका नहीं माना। हम सैटिस्फाई नहीं थे। न कुछ समझते थे न हम समझने की पोजीशन में थे। हमने समझा खुश किस्मती है मुफ्त में दे रहे हैं फिर पैसा लिया जायेगा। यह सब समझने और समझाने के लिए जरूरी है। राजस्थान केनाल में सब लोग यह मानकर चलते हैं कि बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत ज्यादा जमीन होने की वजह से हमने जागीरदारों को यह दी, भूतपूर्व सैनिकों को यहां बसाया और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये, कल परसों विवाद चल रहा था उनको भी दी है। उन्होंने कौन सा जुल्म किया था ? यह जो 55 के पूर्व के थे उन्होंने कौन सा जुर्म किया है। वे कादीमी हैं वे फन्डामेन्टल राइट्स मांग रहे हैं। आप उनको कचहरी में भेज रहे हैं। ऐसी हालत में क्या करेंगे। आज वे अपनी आवाज को सुनाने के काबिल नहीं हैं। यह हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारे राजस्थान में कई ऐसे लोग भी आकर बैठ गये हैं उनका पैर कहीं है, और पूंछ कहीं है और सींग कहीं हैं। नियमों का पालन नहीं किया। इसलिये मेरा निवेदन हैं कि मंत्री महोदय आज ही घोषणा करें कि हम उनको फण्डामेंटल राइट्स देंगे। अगर 85 के पूर्व के हैं उनको मौरूसी के राइट्स देंगे। सीलिंग सीमा तक और 55 के पूर्व के हैं उनको एक मुरब्बा और उसके बाद उनको एक मुरब्बा। आज ही डिक्लेयर करना चाहिये। 85 के पहले के जो काश्तकार हैं इन्द्राज हैं रिकार्ड से साबित हो जायेगा उनको मौरूसी हक देंगे और 55 के पूर्व के हैं, एक मुरब्बा और बाद के जो काश्तकार हैं उनको एक मुरब्बा मुफ्त दें। हाईकोर्ट ने इन्टरप्रिटेशन किया है कि सब भूमिहीन है। यह भूमिहीन नहीं है। अगर यह भूमिहीन हैं तो राजस्थान का प्रत्येक किसान भूमिहीन है। वह अकेला

(86)

(श्री ग्रात्माराम)

मालिक है उन मालिकों को भूमिहीन बना दिया। भूमिहीन बनाकर ग्राप हमें, उनको कचहरियों में भेज रहे हैं। मुझे ग्राज तक कोई दिखा दे, किसी एक ग्राफिसर के खिलाफ कोई एक केस रि-ग्रोपन करके देखो, क्या स्थिति होती है.....ग्रौर हमारे साथ 3-3 दफा ग्रौर उसके बाद ग्राप समझ नहीं रहे हैं, तो मेरा मन्त्री महोदय से नम्र निवेदन है कि वो फन्डामेन्टल राइट्स हैं, उनके ऊपर ग्राज ही घोषणा करें, जो 85 से पूर्व के हैं उनको हम मोरल राइट्स देंगे ग्रौर जो 55 से पूर्व के हैं उनको हम एक मुरब्बा देंगे ग्रौर जो बाद में हैं उनको हम जैसा ग्राप कहें दे देंगे।

श्री ग्रध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने इनको किसी भी स्टेज पर भूमिहीन नहीं माना है इसलिए ये सोचना कि भूमिहीन मान लें ग्रौर ग्रब इनका क्या होगा, राज्य सरकार ने उस जमीन पर इनको मानते हुए ही यह व्यवस्था पहले भी की थी। जैसा मैंने कहा कि 1958 में, जब राजस्थान नहर के क्षेत्र में इन काश्तकारों को काश्तकारी खातेदारी हकूक से महरूम रखा गया था, उस समय भी ये प्रावधान किया था, 15-2 के ग्रन्तर्गत कि जो व्यक्ति खातेदारी या स्थायी ग्रधिकार मानते हैं, ऐसे ग्रधिकार निर्धारित कराने के लिए 4 वर्ष की ग्रवधि में ग्रपना कार्य सम्पन्न करा लें, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद जब प्रतिवेदन नहीं दिये ग्रौर उसके बाद ग्रपने ग्रधिकार कायम नहीं करवाये तो फिर समस्या खड़ी हुई, तो राज्य सरकार ने फिर इनको एक साल का समय दिया है ग्रौर सब के प्रतिवेदन लिये हैं। तहसीलदार मौके पर जाकर तमाम के इन्द्राजात कराके लायेंगे ग्रौर जिन जिन ग्रधिकार से उनके ग्रधिकार बनते हैं मौके पर तथ्यों से, ग्रौर से इन्द्राज के बाद निर्णय किया जाकर तब तक बेदखल किसी को नहीं किया जायेगा। ये सारी स्थिति मैंने पूर्व में भी कही है। ग्रब फिर मैं कहती हूं कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जायगा ग्रौर जहां तक किसको कितना मुरब्बा दिया जाय, उसके लिए भी हमने तथ्यात्मक दृष्टि से फैसले के लिए पत्रावली तैयार की हुई है ग्रौर जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे ग्रौर हम कम से कम समय में बहुत ग्रधिक तत्परता के साथ उनके तमाम कागजात तैयार किये जाकर उनके ऊपर निर्णय कर सकें, इनके बाबत फैसला करेंगे। ग्राज ये घोषणा कराना कि सम्वत् 85 के पूर्व का ग्रधिकार है उसके लिए घोषणा कर दीजिए कि वे तो खातेदार तो माने ही जायेंगे, तो ये मेरी सीमा में, बिना तथ्यों के, बिना निर्णय के कहना सम्भव नहीं है।

एक ग्रौर मुद्दा जो बीकानेर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने रखा था, हालांकि इससे सम्बन्धित नहीं है कि जो ग्रारजी है उनके खिलाफ बेनामी शिकायतें ग्रा जाती हैं ग्रौर उनके ग्राधार पर ग्रधिकारी उनको नोटिस दे देते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देते हैं। मैं उनके साथ जोड़ना चाहती हूं कि बहुत से लोग नामजद भी शिकायतें करते हैं लेकिन उनके कागजात देखे बिना ही ग्रधिकारी उनके खिलाफ नोटिस जारी कर देते हैं। इस बारे में

(श्रीमती कमला)

निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि चाहे नामजद, चाहे बेनामी, जो भी शिकायतें आयें, उनको पहले अपने रिकार्ड के अन्दर देखें और उसके बाद अगर कोई ऐसी स्थिति पायी जाय कि नोटिस देना जरूरी है तभी नोटिस जारी किये जायें। यह बात सही है आम तौर पर बिना देखे ही नोटिस जारी हो जाते हैं, आइन्दा से इस मामले पर पाबंदी लगा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरी सिंह।

श्री हरी सिंह (फुलेरा) : ये सारा मसला, जब राजस्थान कैनाल की कल्पना भी नहीं थी, तब से हुआ है। खास तौर से वहां एक समस्या जागीरदारों की संख्या ज्यादा थी और 1955 में जब टिनेन्सी एक्ट आया तो उसकी मन्शा यह थी कि जो भी आदमी काबिज हो चाहे जागीरदार की जमीन पर काबिज है, चाहे····

श्री अध्यक्ष : अलग अलग स्टेटों में अलग अलग परिस्थितियां थीं, आप भी बात काल्पनिक कर रहे हैं, वहाँ जिनका सैटलमेन्ट हुआ था, तीन तरह के काश्तकार रिकार्डेड थे, मारवाड़ में और स्थिति थी, उदयपुर में और स्थिति थी —

श्री हरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, वह बात। आप सुनिये तो सही तो जैसलमेर में तो कोई स्टेट ही नहीं थी, वहाँ की स्थिति तो और भी भयंकर है। खासतौर से 3 तरह के लोग ज्यादातर काबिज हैं, उनका सैटलमैन्ट नहीं हुआ था और जागीरदारों के यहां लैण्ड रिकार्ड नहीं थे, वा तो अलग है। काश्तकार जो बाद में हुए हैं, खास तौर से उन लोगों को सन् 12 और 19 में जो खातेदारी राइट्स मिल गये थे, उनसे भी महरूम कर दिये गये। हालात ये थे कि जो लोग सदियों से रह रहे थे, उनको सन् 55 के टिनेन्सी एक्ट से तो राइट्स मिल जाने चाहिए, ओटोमेटिकली लेकिन जब 58 में धारा 15 आयी और 15–ए के तहत सब के खातेदारी राइट्स खतमकर दिये थे, जिनका लैण्ड रिकार्ड था, उनके भी कर दिये थे और जिनका नहीं था उनके भी कर दिये थे। फिर ये हालात 69 में एजीटेशन हुआ। माननीय मन्त्री महोदया कह रही हैं कि उनको लैण्डलैस नहीं माना गया था। तो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था कि हम इनको जमीन देंगे, किस तरह से देंगे। इनको लैण्ड एक्वायर करके। लेकिन 15-ए धारा लाकर लैण्ड इनसे छीन ली गयी, मैं तो इसको वाजिब कहूंगा। वहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं, रूल्स हैं अन्डर इण्डियन कान्सटीट्यूशन 30 (ए) आया उसमें भी मौजूदा पार्ट है। तो उसके तहत भी इनको रिलीफ दे दिया गया। बल्कि इनको 15ए टिनेन्सी एक्ट के तहत, 15-ए के तहत नयी धारा क्रिएट करके तीन साल बाद में 55 से टिनेन्सी एक्ट लागू हुआ, इनके तहत सब को राइट्स मिले और तीन साल बाद में 15–ए में सरकार ने इनकी जमीन छीन ली। इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जबकि 30–ए आर्टीकल में यह है कि कोई भी कान्सटीट्यूशन के आधार पर अनुच्छेद 9 का एक्सप्लेनेशन हैं···

श्री अध्यक्ष : चेलेन्ज्ड प्रश्न है। वो सब चेलेन्ज हो चुके हैं।

श्री हरी सिंह : वो चेलेन्ज मैं बताऊंगा। सरकार ने किस तरह से किया है, ये सब

(श्री हरिसिंह)

वायलेट करके कान्सटीट्यूशन ला के आधार पर इन्होंने 15–ए बनाया और किसी भी कारणों से सुप्रीमकोर्ट ने 15–ए को समर्थन दिला दिया, लाखों आदमियों को इगनोर करते हुए, मोती लाल वनाम स्टेट, कई केस चले हैं, 2–3 केस चले हैं। हाई कोर्ट ने दूसरा जजमेन्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जजमैन्ट दिया लेकिन जैसे भी हो, हालात ये हैं कि 69 के तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने तमाम जमीन देने का वादा तो किया लेकिन भूमिहीन मानकर किया। जबकि सदियों से काश्त करते थे उनका राइट था, खातेदारी का, जो 55 में मिल जाना चाहिए था। जो 55 में 15–ए में क्रिएट करके लागू होती थी कानून के अनुसार 58 में छीन ली गयी और 69 में क्या करते हैं, इनको हम भूमिहीन मानकर एक मुरब्बा देंगे जब कि किसी की दो सौ बीघा जमीन थी, किसी की तीन सौ बीघा जमीन थी। कहने का मतलब यह है कि उस वक्त यह फैसला लेना चाहिए था। सालों तक इनको जमीन के राइट्स देंगे तो आज हालात यह है, फैसला नहीं किया, 69 में आन्दोलन हो गया और आज हालात ऐसे हैं कि इसका फैसला नहीं किया गया तो इनका आन्दोलन के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो मेरा निवेदन है सरकार को कि वे ऐसा कानून में संशोधन लाये, 15–ए के जो एक्सप्लेनेशन है, कान्सटीट्यूशन के अनुच्छेद 9 में, उसको अगर 15–ए में डाल दें तो इनको रिलीफ मिल जायेगा। कहने का मतलब यह है कि ये या दूसरे कानून लायें जिससे कि ये कादिमी काश्तकार हैं, अपने राइट्स से महरूम रहे हैं, उनको रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से राइट्स दिलाये जायें। यह धारा 15–ए में संशोधन करें। उसमें सिर्फ अलग अलग कादिमी काश्तकार हैं, उन्हीं को मिले जिनका लैण्ड रिकार्ड था, उन्हीं को मिले जिनका सैटलमैन्ट था लेकिन मेरा दावा है कोई भी रिकार्ड नहीं था जब वहां कोई पानी नहीं था, जब वहां कोई जंगल नहीं था, जब वहां कोई डैजर्ट था, ऐसी परिस्थिति में, वहां रह रहे थे, उनको बाद में काश्तकारी राइट्स से महरूम कर दिया। कोई भी कानून में संशोधन लायें, अपने कादिमी राइट्स मिलने चाहिए, और ये सरकार को इस रूप में घोषणा करनी चाहिए कि कादिमी काश्तकारों को कानून में कितना भी संशोधन करना पड़े, हम उनके राइट्स देंगे।

श्री आत्मा राम : मैं दो बातों का स्पष्टीकरण कर दूं····

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही जटिल है और जिस तरह से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य और आत्मारामजी ने सारी भूमिका रखी, मुझे उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। काफी डिटेल में बातें कही गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस धारा 15(एए) में 1979 में 15(एएए) और ऐड की गई और उस धारा के अनुसार उसमें यह लिखा गया कि जिन काश्तकारों के पास हैरिडिटरी एण्ड ट्रांसफरेबल राइट्स होंगे उनको इस प्रकार के खातेदारी अधिकार मिल जायेंगे। उसमें मुझे याद है कि उस वक्त सदन में काफी चर्चा हुई थी। कई माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों के कई मत थे कि इस प्रकार के शब्दों से जो सरकार करना चाहती है वह नहीं कर पायेगी और उस समय उदाहरण भी इस बात के लिए दिए गए कि पुराने राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था थी और इस प्रकार की परिभाषा में किस प्रकार से बाधक होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसे कोलायत के क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं, कोलायत के इलाके पहले जैसलमेर राज्य के अन्दर थे। जैसलमेर राज्य में लोगों के ट्रांसफरेबल राइट्स थे और इस कारण से 15(एएए) का लाभ जैसलमेर के काश्तकारों को किसी भी रूप में नहीं मिल सका। वैसी ही स्थिति बीकानेर स्टेट में थी जहां पर लोगों को इस प्रकार के अधिकार नहीं मिले हुए थे। या तो ट्रांसफरेबल राइट या हैरिडिटरी राइट नहीं थे वे भी किसी प्रकार 15(एएए) का लाभ नहीं ले सके। उस समय हमने भी कई लोगों से राय ली थी और यह राय दी गई थी, कि इस संशोधन के बाद गवर्नमेंट यदि कोई गाइड लाइन इश्यु कर दे कि ट्रांसफरेबल राइट किस प्रकार का माना जाएगा और हैरिडिटरी राइट को किस प्रकार से असैस किया जाएगा तो उस गाइड लाइन से प्रोब्लम सोल्व हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्ट्रिक्टली लीगल सेंस में स्टडी करें तो उस गाइड लाइन से समाधान नहीं हो सकेगा। इसलिए सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा और हैरिडिटरी और ट्रांसफरेबल वर्ड के बीच में एण्ड यूज किया गया है यह दोनों व्यवस्थायें हर काश्तकार की नहीं है। इससे जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर के अधिकांश भाग महरूम रहेंगे। इसलिए और के साथ और्ल्लिग एण्ड आर की व्यवस्था करते हैं तो जिनके पास ट्रांसफरेबल राइट या जिनके पास हैरिडिटरी पजेशन है, इन दोनों में से कोई भी बात साबित कर दे तो ऐसे लोगों को खातेदारी राइट मिल सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि काफी मात्रा में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि 17 हजार के लगभग मामले असिस्टेंट कमिश्नर कोलोनाइजेशन के यहां पेंडिंग पड़े हैं। जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, मैं ऐसा समझता हूं कि ये सब मामले इसी कारण से पड़े हैं। आज उनके सामने प्रश्न खड़ा है, हैरिडिटरी और ट्रांसफरेबल ये दोनों अधिकांश किसानों के पास नहीं है। उस हालत में 15(एएए) में उनको किस प्रकार का अधिकार दिया जावे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदया से कि 15(एएए) में जो खामी रह गई, उस खामी को दूर करने की आवश्यकता है ताकि उसके आधार पर काश्तकारों की बहुत बड़ी इस समस्या का स्वतः ही समाधान हो जाएगा।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य आत्मारामजी ने रखा कि 1955 में जो टिनेंसी एक्ट बना, उसके बाद 1958 में 15(ए) इस नाम की धारा जोड़ कर खातेदारी अधिकारों से उन्हें महरूम किया गया है। 1969 में सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की, मैं डा. हरिसिंहजी की राय से सहमत हूं कि उस समय काश्तकार को भूमिहीन मान कर उसको भूमि अलाट की जाएगी, इस प्रकार की घोषणा इस सदन में की गई थी। उस समय इसका इम्प्लीकेशन क्या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा और इस प्रकार की घोषणा से काश्तकारों को कितना लाभ मिलेगा, उस एजीटेशन के माहौल में न तो सरकार ने गंभीरता से उस पर विचार किया और न उसके परिणामों की किसी प्रकार की जानकारी लोगों को मिल सकी। लेकिन एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रश्न पैदा हुआ तो कई प्रकार की दिक्कतें खड़ी हुई। मुझे खुशी है माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं कि इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए केबिनेट मीमो तैयार हुआ है और सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य आत्माराम जी ने सारी भूमिका बताई है और इस कानून में किस प्रकार की खामी है उसकी लाइट में उसमें किस प्रकार का संशोधन किया जाय। आप स्वयं जानते हैं कि सारा टिनेंसी एक्ट 9(ए) के शिड्यूल में आने के कारण से प्रोटेक्टेड लॉ हो गया और किसान कोर्ट में जाकर कोई रिलीफ क्लेम नहीं कर सकता। तो जहां इस प्रकार की पाबन्दी हो, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार को स्वयं इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग कोर्ट में जाय नहीं और जावें तो भी उनको रोका गया है उस रोकने के कारण से किसी प्रकार की परेशानी नहीं उठानी पड़े, इस आधार पर मंत्री महोदया विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वैसे पूर्व में माननीय सदस्य ने काफी बता दिया है। मैं तो वहां के कोलायत तहसील और जैसलमेर के किसानों के लिए आपके माध्यम से और सारे माननीय सदस्यों से भीख मांग रहा हूं कि उनका या तो बड़े गौर से विचार करके निदान करने की व्यवस्था की जावे। सबसे पहली दिक्कत यह है, जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि जैसलमेर में कोई रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था और भुगता कौन? किसान। इसके बाद तीस साल के बाद प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था हुई उसमें भुगता कौन? किसान। उसकी किसान की जो भी समस्या थी उसका निदान नहीं हुआ। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि पिछले जब 29 दिसम्बर, 1979 को यह अमेन्डमेन्ट हो गया और उसका मतलब आज 15 महीने के बाद किसान जब आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार ने अमेंडमेंट हमारे हित में किया है, उसकी कार्यवाही होनी चाहिए। 15 महीने तक सरकार की तरफ से न तो कोई गाइड लाइन जारी की गई, उनकी एप्लीकेशन्स दबी हुई हैं। उस पर न लोगों को स्पष्ट कहा गया कि आपको क्या सबूत देना है, क्या कार्यवाही करनी है मूल में दिक्कत क्या आती है, अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में जैसे राजस्थान मेन केनाल आ रही है उस मेन केनाल के साथ में बरसलपुर ब्रांच का काफी कंस्ट्रक्शन हो गया है और चारनवाला ब्रांच का भी काफी कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब दिक्कत यह आ रही है कि वहां इर्रीगेशन डिपार्टमेंट वाले चक प्लान पेश कर रहे हैं जिससे कि कौन सी जमीन कमाण्ड है और कौन सी अनकमाण्ड है। जो रजिस्टर बना रहे हैं उसमें यह दिक्कत है कि वहां खाते अलग नहीं हो सकते जब तक कि उसका पिता या दादा जिन्दा है। वह उसके संयुक्त परिवार के रूप में एक

(श्री देवीसिंह भाटी)

शामिल खाता चलेगा । अब आज उस सीलिंग लिमिट के तहत उसको 280 बीघा के राइट हैं और वह संयुक्त परिवार है और आज जैसे भी हों वह क्षेत्र कमाण्ड एरिया घोषित हो जाएगा तो वहां जो 15-15 सदस्यों के परिवार हैं तो भी उनको पचास बीघा जमीन का कमाण्ड जमीन में रूप में मान कर पचास बीघा में से ही बंटवारा होगा । सबसे पहले मूल में यह हो रहा है कि जैसे 2 केनाल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कमाण्ड एरिया घोषित हो रहा है । कमाण्ड, अनकमाण्ड, तो एरिया घोषित होते ही तुरन्त सरकार इसका क्या समाधान करेगी इसके लिए मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान बहुत बुरी तरह से पीड़ित है । आप जानते हैं कि किसान की आज क्या हालत है न वह तहसील में जा सकता है, न ए. सी. सी. के यहां जा सकता है । अभी तक किसान जिन्होंने अभी तक....

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य से जो कानून बनाये जाते हैं वे भी चुनाव नजदीक होते हैं उसी वक्त जैसा-तैसा कानून बना कर काम चलाते हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल सही है ।

श्री अध्यक्ष : दिसम्बर महीने में लागू किया ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं विपक्ष के नेता को भी इसमें उलाहना दूंगा । मैं मेरे क्षेत्र से डेपूटेशन लेकर आया । जैसे आपने स्पष्ट कहा है, मैं किसानों के लिए बोलूंगा, चाहे कोई नाराज हो या राजी हो, 15(ए ए ए) में जो अमेंडमेंट किया गया है, जैसा आपने बताया :

"Was not so recorded but was a holder of Khudkasht or an occupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights."

इसके लिए मैंने डेपूटेशन के साथ....

श्री अध्यक्ष : इसके जनक यहीं बैठे हैं । वे जानते थे कि इसका कोई मतलब नहीं है ।

श्री देवीसिंह भाटी : जनक अभी हाउस में बता देंगे । हमने या विपक्ष के नेता जो उस समय मुख्य मंत्री थे उन्हें एक डेपूटेशन के साथ मैंने निवेदन किया था इसमें ट्रान्सफरेबल एन्ड हैरीडिटरी के बीच में ऑर कर दिया जावे तो यह किसानों को फायदा हो जाएगा । पर आपने उस वक्त यह कहा कि यह वकीलों का चक्कर है, इससे किसानों को फायदा हो जायगा । तो उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, हमें भी उनकी बात माननी पड़ी और वापस चले गये । हकीकत यह है कि आज जो सरकार है उससे मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा ।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा निवेदन है कि 15(ए ए ए) के बारे में मेरा विशेष निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के बहुत बुरी तरह

(श्री देवीसिंह भाटी)

से किसान पीड़ित हैं। आज इस वक्त एक ही बात निवेदन कर दूं कि जो कमाण्ड और अनकमाण्ड की स्थिति आ रही है, उससे सबसे ज्यादा किसान पीड़ित हो रहे हैं। उसके लिए सरकार के अमेण्डमेंट करना है, विभाग क्यों चुप है? 15 महीने पूर्व अमेंडमेंट हो गया और राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये, आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम डेपूटेशन लेकर काश्तकारों का कोलोनाइ-जेशनकमिश्नर से मिले। उन्होंने कहा कि हम तो गवर्नमेंट के इन्स्ट्रक्शन जारी होंगे तभी काम करेंगे। गवर्नमेंट से यहां निवेदन किया तो कहा कि यहां से जल्दी ही इन्स्ट्रक्शन जारी कर दिए जायेंगे। अब किस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स जारी होंगे, हुकुम, और किस प्रकार से उनसे सबूत लिये जायेंगे? निवेदन करना यह है कि उनके पास कोई सबूत नहीं हैं क्योंकि जैसलमेर में, कोलायत में रेवेन्यू रिकार्ड नहीं था। तो उसके अन्दर सन् 1955 में समरी व्यवस्था की गई। समरी के अन्दर जो भी रेवेन्यू इन्स्पेक्टर या अधिकारी आए उन्होंने क्या किया कि गांव में जाकर जागीरदार से या मुखिया से मिल कर मालूम कर लिया कि कौन-कौन जमीन काश्त कर रहा है और अन्दाज से वह लिख दिया। उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, 59 में सैटलमेंट हुआ उसमें भी यही हुआ। तो अगर क्षेत्रीय विधायक या जन प्रतिनिधि या संबंधित अधिकारी बैठ कर तुरन्त समाधान करें कि जो काश्तकार वंचित रह गये जिनके नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए जो वर्षों से काबिज हैं उनसे क्या सबूत चाहेंगे। कोई रेकार्ड था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं जिसको पेश कर सकें। उनके लिये मैं एक सुझाव देता हूं, अध्यक्ष महोदय, या तो जागीरदार जो टैक्स वसूल करते थे, जकात, मालखाना, उसको सबूत माना जाय या बनियों की बहियों का सबूत हो। तो मेरा झगड़ा किसी से नहीं है। सरकार किसानों की है। तो सोच कर आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे तुरन्त काश्तकारों का फायदा हो सके। इसके लिये मंत्री महोदया आश्वस्त करेंगी कि तुरन्त एक कमेटी नियुक्त करके जिसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल हों, जो तुरन्त निदान कर सकें क्योंकि अब जो जमीन कोलोनाइजेशन में आ गई है कोलायत में, वहां किसानों को बेदखल किया जा रहा है। जो संयुक्त परिवार हैं, बाप दादों की जमीनें शामिल हैं उनको 15 सदस्यों को 50 बीघा मिलेगी क्योंकि कमाण्ड एरिया घोषित हो जायेगा, पानी तो पता नहीं पांच साल बाद आयेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जिनको कृपया आप अपनी तरफ से भी कहें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की बात सही है कि रिकार्ड तो उस वक्त था नहीं, 30 साल पुराने तो 60 वर्ष के आदमी आज गवाही देने की स्थिति में हैं छोटे वाले तो दे नहीं सकते और 60 वर्ष वाले भी 7-8 साल में बहुत कम हो जायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में राजस्थान केनाल की स्थिति उत्पन्न हुई है, मंत्री जी ने वक्तव्य दिया। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य को दो भागों में बांटा है।

श्री अध्यक्ष : इस महकमे की सेवा करने का आपको भी अवसर प्राप्त हुआ था।

श्री परसराम मदेरणा : मैं वह बैक ग्राउण्ड भी बताऊंगा। मैं इसको रिकार्ड में भी लाऊंगा। मैं निवेदन कर रहा था इसमें दो सैक्शन बने हुए हैं, एक तो यह है राजस्थान टिनेंसी एक्ट धारा 15-III जोड़ी गई है उसमें खातेदारी अधिकार दिये जाने की परिभाषा है उसमें जैसलमेर के लोग आ रहे हैं या नहीं और कोलायत तहसील, जो जैसलमेर का पार्ट थी उसके लोगों को खातेदारी अधिकार दिये जाते वे शायद नहीं दिये जायेंगे। मंत्री महोदया कह रही हैं कि एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 29-12-80 थी, 16 हजार आवेदन पत्र आये हैं उनमें जो प्रोफार्मा में कमी रह गई थी....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया बोलीं उस वक्त तो आशा नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने इस पर प्रोफार्मा भेज दिया है उसके अनुसार कार्यवाही होगी क्योंकि मामले अभी तक सहायक कलेक्टर की अदालत में पेंडिंग हैं, जिनको सरकार असिस्टेंट कलेक्टर के पावर कन्फर कर देगी वे खातेदारी के मामले में निर्णय देंगे यह 15 (एएए) में लिखा है। दूसरे, जो काश्तकार 355 में हैं जो 15-एएए से कवर नहीं होते क्योंकि 15-ए जो पहले सदन में पास हुआ 10-10-79 को, यहां पर पंचायत अमेण्डमेंट बिल के बाद यह था वह बिल मेरे पास में है। मैंने सेवा की है। इस बिल में लिखा है :

This Bill was introduced in the House on 9th April, 1979 but the House was adjourned sinedie.

इसके बाद यह बिल कंसीडरेशन में आया और पास हुआ 10-10-79 को। और 10-10-79 को जो धारा 15 ए, बी और सी है उसमें टीनेंट का उल्लेख है—15AAA

"Notwithstanding anything contained in sec. 15 A any person who, at the commencement of this act—

(a) Was a holder of Khudkasht or an occupancy tenant or a Maurusidar or a Khatedar tenant or a tenant with transferable and heritable rights and was recorded as such in the annual registers...."

रिकार्डेड नहीं भी हैं तो। यहां पर जो वर्ड ए और बी आया है, पहले भी अमेंडमेंट 10-10-79 को प्रस्तुत किया था कि यह ट्रांसफरेवल और हेरिटेवल, आवलिक लगा कर वर्ड ऑर लगाया जाय। अगर ऑर (OR) नहीं लगावो तो जिस इंटेंशन से अमेंडमेंट लाये हो वह पूरा नहीं होगा और जो आब्जेक्टिव आब्जेक्शन एंड रीजन्स लिखे हैं वे पूरे नहीं होंगे! मैं पहली स्टेज पर भी बोला, अमेंडमेंट पर भी बोला और लास्ट स्टेज पर भी बोला हूं कि यह वर्ड ऑर (OR) लिया जाय क्योंकि मैं सोच रहा था ऑर (OR) आने से फायदा जो जैसलमेर के काश्तकार रिकार्ड में नहीं हैं उनको ही नहीं होगा बल्कि बीकानेर का टिनेंसी एक्ट, 1945 है, उसकी धारा 24 (ख) में जो खातेदार आते हैं उनको भी ट्रांसफरेवल खातेदारी राइट्स नहीं हैं। इसलिये 355 वाले टीनेंट जिनको हेरिटेबल राइट थे, वे कवर हो

९४.

(श्री परसराम मदेरणा)

जायेंगे। यह मैंने सदन को एक दफा ही नहीं कहा बल्कि यह पूरी प्रोसीडिंग है, मैं प्रोसीडिंग ब्रांच से लाया हूं 10-10-79 की, यह मैंने सेवा की है। मैंने वार वार कहा है कि 355 वालों के साथ सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और यह किसी भी आधार पर जायज नहीं है और इस पर अध्यक्ष महोदय, मेरे अमेण्डमेंट को ग्रुप मेजोरिटी की जनता पार्टी ने अस्वीकार कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भी मेजोरिटी थी....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। इसमें प्रश्न यह खड़ा हुआ कि 15–एएए के इंप्लीमेंटेशन के अन्दर जो कानूनी खामी रह गई है उसमें 16500 आवेदन पत्रों को खातेदारी के अधिकार राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट एरिया में मिलेंगे या नहीं एक तो यह प्रश्न है। लेकिन मैं जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मन्त्री महोदया का उन्होंने कहा है कि मैंने केबिनेट मीमो तैयार करा लिया है और केबिनेट में ले जा रही हैं। केबिनेट मीमो तैयार कब होता है जब मुख्य मन्त्री रूल्स आफ बिजनैस के हिसाब से अप्रूव कर देते हैं। इसका मतलब केबिनेट मीमो अप्रूव कर दिया गया है। इसका मतलब जो कुछ भी इंटेशन कवर किये हैं उनका उसमें समावेश है। मैं जानना चाहता हूं मन्त्री महोदया से, आप जो अमेण्डमेंट कर रही हैं वह 15 ए में अमेंडमेंण्ट करके 355 वालों को कवर करना चाहते हैं या राजस्थान केनाल के अन्दर टेम्प्रेरी कल्टीवेटर्स या जो भूमिहीन काश्तकार हैं उन्हें अलाटमेंट रूल्स 8 अगस्त, 75 में बनाये थे जिनका शार्ट टाइटिल यह है-दी राजस्थान कोलोनाइजेशन (अलाटमेंट एण्ड सेल आफ गवर्नमेंट लैण्ड इन राजस्थान कोलोनी एरिया) रूल्स, 1975, इसके रूल 13 में अमेण्डमेंट करके कुछ लोगों को एलिजिबल बनाना चाहते हैं, एक तो यह क्लीयर करें ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, 355 वालों के बारे में यहां पर ने राजस्थान टिनेंसी एक्ट के सेक्शन 15–ए का प्रोविजों जिसमें किसी प्रकार के राइट हो गये हैं वह नहीं रहेंगे और 15-ए की वजह से जबकि 17-3-58 को स्टेचुअटरी बुक में आया उसकी वजह से 355 के खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकेंगे। और यह यही है कि माननीय सदस्या लक्ष्मीकुमारी चूंडावत जैसा कह रही थीं कि सरकार ने आश्वासन दिया था इसलिये 355 में बाद में जो बात कही जा रही है चाहे सैटलमेंट संवत् 82 में हुआ चाहे 86 में, वह 80 साल पुराना था या कितना पुराना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में मान लिया है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जा सकता। लेकिन इसके पूर्व जो गंगानगर का एजिटेशन चला, तत्कालीन मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया ने स्टेटमेंट दिया था इसी सदन के प्रांगण में 25-3-70 जिसकी एक किताब भी छपी थी। 25-3-70 को 355 के टिनेंट्स के सम्बन्ध में जो सरकार ने निर्णय लिया और इस सदन को सूचित किया था उसके संबध में, मैं पढ़ना चाहता हूं जिससे स्थिति क्लीयर हो जायगी।

"राजस्थान नहर क्षेत्र 1955 के पूर्व के आराजी काश्तकार पट्टाधारक : मुख्य मांग 1955 के पूर्व के आराजी काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार देने की है। उनके द्वारा उक्त अधिकार

(श्री परसराम मदेरणा)

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 (ए) के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके, जिसे इस विश्वास के साथ लागू किया गया था कि इससे पहली बार सींची जाने वाली भूमि के वितरण में अधिक समानता लाई जा सकेगी। राज्य सरकार सदैव से लम्बे अर्से से कब्जे में चली आ रही भूमि पर किसानों को उपयुक्त अधिकार देने के पक्ष में रही है। इस सन्दर्भ में हमने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(1) सन् 1955 से अब तक बराबर चली आ रही ऐसे आराजी काश्तकारों की कब्जा काश्त की भूमि पर सीलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकार दिया जायेगा।

(2) एक मुरब्बा (25 बीघा) भूमि निःशुल्क दी जायगी और 25 बीघा से ऊपर की भूमि का आरक्षित मूल्य लिया जायगा।

(3) सीलिंग सीमा से अधिक भूमि उनसे ले ली जायगी और अन्य भूमिहीनों में बांट दी जावेगी।

(4) 1955 से पूर्व के ऐसे आराजी पट्टाधारिकों को जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है, उक्त भूमियों पर निःशुल्क खातेदारी अधिकार दिये जायेंगे और उन्हें इतनी अतिरिक्त भूमि आरक्षित दरों पर आवंटित की जायगी कि उनके पास कुल मिला कर एक मुरब्बा भूमि हो जाय।

(5) उक्त खातेदारी अधिकार दिये जाने में जागीर क्षेत्र के किसानों को खालसा क्षेत्र के सन् 1955 के पूर्व के आराजी काश्तकारों के समान माना जावेगा।

(6) उपरोक्त 55 से पूर्व के आराजी काश्तकारों को उपरोक्त हिसाब से अधिकार उसी अवस्था में दिए जावेंगे जबकि वह भूमि 1955 के पहले से अब तक बराबर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही हो, परन्तु कब्जा काश्त में, यदि अन्य का कब्जा नहीं रहा हो, दो वर्ष तक के व्यवधान को माफ किया जायगा।''

यह फैसला था, अध्यक्ष महोदय, और राज्य सरकार के उसी फैसले के सन्दर्भ में 355, और राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के अन्दर रूल्स बने और रूल्स 355 के बने 1971 में और 71 के जो रूल्स थे, तीन और चार में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। इसके बाद 1975 में रूल्स बने हैं और 355 वाली यह कन्डीशन रखी थी कि एक मुरब्बा भूमि उनको अलाट होगी और उनका कोई लड़का मेजर हो गया है तो उसको भी एक मुरब्बा जमीन और दे दी जायेगी लेकिन यह जो 8,500 काश्तकार बराबर इस मामले में एजीटेट करते रहे और ऐजीटेट करने की वजह से हालांकि रूल्स फोर्स में आ गये थे 8 अगस्त, 1975 को, उस समय मैं कोलोनाइजेशन मिनिस्टर था इसलिए मैंने स्टे दे दिया कन्टेम्प्ट आफ सुप्रीम कोर्ट से बचते हुए कि ये बहुत ही पुराने काश्तकार हैं। वहां तीन और चार का डिस्क्रिमिनेशन डिफरेन्ट है, एक दिन के नहीं है, वहां पर बीसियों साल से हैं और यहां पर भूमिहीन काश्तकार को जमीन दे दी गई है, बड़ा डिफरेन्स था इसलिये किसी तरह से इनकी मदद की जाय। इस मामले में मदद देने के लिये मैंने रूल्स के अन्दर एक रास्ता निकाला था। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं गंगानगर और बीका-

(श्री परसराम मदेरणा)

नेर के, वे तो उनको खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं और यह खातेदारी अधिकार अविलम्ब दिये जायं चाहे सैक्शन 15-ए के अन्दर अमेन्ड-मेन्ट करके, उसके जरिये दिये जायें या अन्य किसी तरह से। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। हांलाकि कान्स्टीट्यूशन की धारा 9 के शिड्यूल के अन्दर यह है और 55 के राजस्थान के टिनेन्सी एक्ट में है, कान्स्टीट्यूशन में रखने की वजह से वहां इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके नीचे एक्स्प्लेशन में दिया हुआ है, यह बातें कोट की गई हैं। 15–ए जहां तक मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट में चेलेन्ज किया हुआ है, उसका क्या फैसला होगा, यह तो कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन काश्तकारों की समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि इसकी एक केटेगरी बनाई जाय और उसके परिणामस्वरूप 15–ए में अमेन्डमेन्ट किया जाए कि उनको सीलिंग तक जमीन मिल जाये। इस तरह का एक केबिनेट मीमो हम लाये थे, केबिनेट ने निर्णय लिया था 24 अप्रेल, 1977 को और फिर वह गजट में चला गया। गजट में प्रिन्ट हो रहा था कि उसके बाद में 20 अप्रेल को असेम्बली भंग हो गई और भंग होने के बाद में श्रीमान् पधारे। चुनाव होने के बाद एएए को ले आये लेकिन 355 वाले काश्तकारों के साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है……

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1969 में सुखाड़िया जी ने घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेन्ट करते करते आप 1977 में अमेन्डमेन्ट लाये….

श्री अध्यक्ष : आपका लास्ट केबिनेट मीमो कब का था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इलेक्शन के पहले वह नहीं था….

श्री अध्यक्ष : इलेक्शन पार्लियामेन्ट के अनाउन्स हो चुके थे….

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1969 में सुखाड़िया जी ने घोषणा की थी और 1977 के अप्रेल में जब आपका जाना हो रहा था तीन दिन पहले आप केबिनेट में मीमो रख रहे थे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं, उस समय पार्लियामेन्ट के इलेक्शन नहीं हुए थे तो असेम्बली के इलेक्शन होने का कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता। परन्तु इनकी सहानुभूति के प्रति मेरी हमदर्दी है….

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात कह रहे हैं, फैक्टस् को ट्वीस्ट कर रहे हैं। 25 मार्च, 1970 के सुखाड़िया जी के स्टेटमेन्ट के बाद…. मेरी बात को सुन लीजिये….

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या अमेण्ड-मेन्ट लाये हैं आप एक्ट में, वह बता दीजिये ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनें तो सही। आप जोर से बोल कर फैक्टस् को ट्वीस्ट कर रहे हैं….

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून में कोई संशोधन नहीं है….

श्री परसराम मदेरणा : आप 15–ए में अमेण्डमेन्ट लाये थे, उस वक्त मैंने कहा था परन्तु उस दिन आपको सांप सूंघ गया था और आज आप एग्री हो रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, 55 के एक्ट में (ए) आपने एड किया, बी भी कांग्रेस सरकार ने एड किया तो कांग्रेसी सरकार ने ही किसानों के साथ अन्याय किया है, अन्याय किसने किया, आपने किया है। हम ने तो इसको किसानों के हित में जोड़ा है और कोई कानूनी कमी रह गई है तो आप इसको दुरुस्त करें। अब आपका राज है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, चाहे जागीरदार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे जनता पार्टी की सरकार हो, पीड़ित किसान हैं, कोई रहम करे तो करे वरना बेचारा किसान मारा जा रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सुखाड़िया जी के स्टेटमेन्ट के बाद 1979 में जो रूल्स बने हैं, लेकिन 355 वाली जो सुखाड़िया जी ने घोषणा की थी, उसको कानूनी रूप देने के लिये 355 वाला अलग से रूल बनाया था। 1971 में, रूल्स बने और रूल्स बन कर 8500 जो काश्तकार थे, जिनके पास एक मुरब्बे से कम जमीन थी उनको एक मुरब्बा और बाकी सीलिंग लिमिट की जमीन सैटल कर दी। उसके बाद मार्च, 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 अगस्त, 1975 को रूल्स बने। इन रूल्स के अन्दर जो इसको रखा था, वह केवल 355 वालों के लिये रखा था कि कम से कम उनके पास दो मुरब्बे जमीन तो रहे क्योंकि ये बहुत पुराने काश्तकार हैं। वे सेटिसफाइ नहीं हुए। इसलिए एक एक्जीक्यूटिव आर्डर से 75 नवम्बर, दिसम्बर के, जिसकी बात माननीय मंत्री महोदया कर रही हैं, मैं यह कह रहा था कि जो अमेन्डमेन्ट 24 अप्रेल, 1977 में किया था, अध्यक्ष महोदय, आप भी काश्तकार अधिनियम के अधिवेत्ता हैं, आपको मालूम है, किस तरह सेपरेट कैटेगरी बनाई थी :

"Persons to whom Khatedari rights accrued under sec. 15 of the Rajasthan Tenancy Act

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। यह केबिनेट मीमो यहां पढ़ कर सुनाया जा रहा है। तब तो मैं भी यह बता सकता हूं कि 15-ए और ए, ए जब इसके अन्दर एड किया गया था तो फाइल पर क्या नोटिंग की थी और आज आप काश्तकारों के हिमायती बन रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई केबिनेट मीमो नहीं है। यह तो मीमो के बाद नोटिफिकेशन बन गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी बता सकता हूं। जो किसानों की हिमायत कर रहे हैं उन्होंने फाइल पर किस प्रकार के नोटिंग किये हैं....

श्री परसराम मदेरणा : मैंने तो किसानों के मामले में चाहे यह प्रश्न आया हो, चाहे राजस्थान केनाल की जमीन का रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रश्न आया हो, चाहे किसानों के सरचार्ज का प्रश्न आया हो,

(श्री परसराम मदेरणा)

जो नोटिंग की है वह केबिनेट मीमो पर है, अगर उनको देख लें तो आपको मुंह छिपाना पड़ेगा इसमें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने देखा है तभी तो कह रहा हूं कि आपकी कलम कैसे चलती है और जुबान कैसे चलती है····

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक सेपरेट केटेगरी बनाई थी, यह जो केबिनेट मीमो था, अब जो मामला जा रहा है, वह जो आपके रूल्स हैं, वह तो रूल 13 में अमेन्डमेन्ट करने की बात सोचते हैं। या तो आप टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट कीजिये और टिनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट नहीं करते हैं तो 24 अप्रेल, 1977 को जो रूल्स में अमेन्डमेन्ट करने के लिये केबिनेट ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन के बाद में जो नोटिफिकेशन आया है, वह केबिनेट मीमो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं····

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है।

24 अप्रेल के निर्णय का कोई नोटिफिकेशन इश्यू ही नहीं हुआ है। अगर इश्यू हुआ है तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : थोड़े दिन बचे हुये थे 31 तारीख में इसलिये हो गया, हो गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं अगर सही जानकारी दे रहे हैं तो बतायें कि कौनसा है बताइये ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, हां, रखो। बताइये वह क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : Government of Rajasthan Revenue (Colon.)

F. 4(5) Revenue (Colonisation) 77 — Notification— dated Jaipur 24-4-1977.

अब आप पढ़िये, पढ़िये। इसको मैं सदन की मेज पर रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये समझ नहीं रहें हैं। नोटिफिकेशन कोई साइक्लोस्टाइल करा देने से ही नहीं निकल जाता है जब तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाय तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात तो मैं पूर्व में ही कह चुका हूं कि इसका प्रूफ बन गया था लेकिन उस प्रूफ को रुकवा दिया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : फिर जनता पार्टी का राज आ गया है इसलिये नहीं हो सका होगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़ी रुसवाई की नोटिफिकेशन को भेजा ही नहीं और स्वयं चले गये।

श्री परसराम मदेरणा : यह बताऊं

"Persons to whom Khatedari Rights accrued under Sec. 15 of the Rajasthan Tenancy Act but were deemed under Sec. 15 A of the said Act having not so accrued and who are continuously in possession of it.

Provided that such person shall be allotted land upto the ceiling subject to his continuous valid possession of such land before the commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहना भी उपयुक्त एवं प्रासंगिक भी होगा कि प्रि 55 टीनेंसी के जो रूल बने थे 71 में और उससे पहले 67 में, उन काश्तकारों को प्रि 55 में आराजी माना गया था जो 1-4-55 से, 15-10-55 नहीं टीनेंसी एक्ट के लाने से पहले कंटीन्यूअसली पजेशन में थे 1-4-75 को, इसलिए उनकी सेपरेट केटेगरी थी उनके साथ इन-जस्टिस हुआ है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, या तो 15 ए में संशोधन करके उनको राइट दें, जो हैरीटेबल थे उनको कवरकर के खातेदारी अधिकार दिये जायें और अगर कानून में किसी प्रकार की रुकावट है तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो केबीनेट मीमो बनने जा रहा है उस केबीनेट मीमो से कोई राहत मिलने वाली नहीं है....

श्री अध्यक्ष : तो क्या इस नोटिफिकेशन, जो साइक्लोस्टाइल है, को गजट में छपाने से काम चल जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : किसानों को खातेदारी अधिकार तो नहीं मिलेंगे लेकिन जो भूमि चली गई है वह मिल जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने भी खूब पकड़ा।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस सारी बहस के संदर्भ में दो मुद्दे....

श्री त्रिलोक सिंह : यह किसानों का मामला है हम भी इसमें बोलेंगे....

श्रीमती कमला : अभी माननीय सदस्यों ने जो मामले उठाये हैं मैं उनका स्पष्टीकरण कर दूं। अगर इसके बाद भी कुछ रह जाय तो आप फिर पूछ लेना।

श्री त्रिलोकसिंह : बोलने दिया जाये। यह लोगों का अहम् सवाल है, किसानों का सवाल है। यह किसानों के हक हकूक का सवाल है।....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। इसमें किसानों पर कितना अन्याय हो गया है या यह हो गया है यह व्याख्या तो होगी नहीं। इसमें तो आपको कोई सुझाव देने हों, जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने दिये हैं कि इस कानून में इस प्रावधान की जगह यह संशोधन किया जाये तो आप बोल सकते हैं, अनुमति दे सकता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन का सवाल है सुबह ही मेरे यहां छतरगढ़ के किसान आये थे वहां पर एक

(100)

(श्री त्रिलोकसिंह)

नहीं हजारों की तादाद में किसानों को वेदखल करने का सवाल है। एक वहुत बड़ा मसला है। राजस्थान के किसानों का सवाल है उनकी जमीन के हक का सवाल है। मुझे मालूम है कि सीकर, शेखावाटी में जो रजवाड़े थे, जो जागीरदार थे तव हमने सन् 21 में श्रौर सन् 25 में जागीरदारों के जुल्म के खिलाफ ग्रान्दोलन किया था श्रौर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ा था कि ज़मीन का मालिक किसान है, जमीन पर हक किसान का है। गांव का मालिक किसान है।....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, वहुत लम्बी भूमिका बांध रहे हैं। ग्रार्डर प्लीज। राजस्थान केनाल....

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं निवेदन करूं कि मुझे कहने दिया जाये।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजस्थान केनाल के बारे में ध्यानाकर्षण करें....

श्री त्रिलोक सिंह : ग्राज राजस्थान का जहां तक सवाल है श्रौर जो दूसरी जमीनें हैं उनका सवाल है....

श्री ग्रध्यक्ष : दूसरी नहीं ग्रायेगी, माननीय, सदस्य इसमें।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि वह किसान जिसका हक जमीन है जो जमीन का काम करता है उस किसान को जमीन का हक दिया जाये श्रौर नहीं दिया जायेगा तो हम इस कानून को नहीं मानेंगे। किसी कानून को पास नहीं होने देंगे। उसको फाड़कर फेंक देंगे....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : हमें इस वारे में बोलने दें। हम कोई दान नहीं मांगते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह : सरकार निकम्मी है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री त्रिलोक सिंह : राजस्थान के किसानों को इन्होंने वर्बाद कर दिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : विराज जायें।

श्री त्रिलोक सिंह : इसलिए मैं मांग करता हूं कि राजस्थान के किसानों को खातेदारी ग्रधिकार दिए जायें।

श्री पीरूराम (टी.वी.) : मैं दो वातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। उत्तर ग्राने दीजिए। श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री पीरूराम : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह बात कही गयी कि जमीन काटी नहीं गयी है, काटी नहीं जा रही है। उपनिवेशन विभाग ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रन्दर काफी कोशिश की थी तो 74 में श्री परसराम जी ने स्टे दिया था श्रौर फिर माननीय कमला जी ने छोड़

(श्री पीरूराम)

दिया फिर कमला जी से वापस स्टे लागू करवाया गया इसके बावजूद भी वहां के अधिकारी जमीनों को तोड़ने में लगे हुए हैं और लोगों को नोटिस दे रहे हैं। अभी चार दिन पहले 10-12 किसानों को नोटिस दिये गये हैं।....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री पीरूराम : 25 तारीख को कहा गया है-कि जमीन काट देंगे। इसलिए जो स्टे दिलाया गया है उसको लागू करायें।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : रियासतों के एकीकरण के समय में जैसलमेर में कोई रिकार्ड नहीं था....

श्री अध्यक्ष : यह बात आ चुकी है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सम्वत् 2012 में जो स्माल सैटलमेंट किया गया था उस समय यातायात की कठिनाई थी। लोग जैसलमेर के नाम से घबराते थे, और आज भी घबराते हैं। उस साल भयंकर अकाल था, लोग गांवों से बाहर गये हुये थे। अपने मवेशी लेकर गये हुये थे तो जो भी सैटलमेंटहुआ है वह गांवों में बैठ कर, बड़े गांवों में बैठ कर किया गया है। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि जिनके पास 200, 300 और 400 बीघा जमीन थी जिन पर काश्तकार काबिज थे इस सैटलमेंट के फलस्वरूप वह किसी की 50 बीघा, किसी की 20, किसी की 10 और किसी की हुई ही नहीं। तो, अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थितियां हैं और हम 55 के पहले के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देंगे तो जिनके पास रिकार्ड ही नहीं है, उनका रियासत में कोई रिकार्ड था ही नहीं वे लोग बड़ी भारी उलझन में फंस गये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी समस्या का हल निकालने की चेष्टा करें। मुझे उम्मीद है इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के काश्तकारों को मुकदमेबाजी में नहीं फंसाकर ऐसा कानून बनाया जाय जिससे उनको राहत मिल सके। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15ए जोड़कर गैरखातेदारी काश्तकारों को खातेदारी काश्तकारों के अधिकार देने का आश्वासन सरकार ने दिया है। उस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश अक्टूबर, 73 में निकाले गये और दिसम्बर, 73 में उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। उस अधिनियम के सम्बन्ध में विधेयक पारित करते समय तत्कालीन राजस्व एवं उपनिवेशन मन्त्री श्री पुरुषोत्तम जी मन्त्री ने बहस का उत्तर देते हुये इस आशय की घोषणा के साथ सदन को यह आश्वासन दिया था कि सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्देश दिये जायेंगे। ज्ञापन नम्बर 1 में वर्णित परिभाषा को दृष्टिगत रखते हुए काश्तकारों के हितों के बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाया जायगा तथा ऐसे निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दिये हैं और उनकी पूर्ति करने का निवेदन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : तीस साल पुराना मुकदमा है माननीय सदस्य, तीस मिनट में इसका

(श्री अध्यक्ष)

हल थोड़े ही निकल सकता है। मुकदमे में आश्वासन कब आया। जब चुनाव आने लगते हैं तो पार्टियां टुकड़ा फैंक देती हैं। अब आप इस धोखे में मत आओ····

(व्यवधान)

अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विशेष कारणों से····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

20 फरवरी को किसानों ने आन्दोलन किया और जिलाधीश से समझौता हुआ तब उन्होंने आश्वासन दिया कि 28 फरवरी तक हम कोई न कोई फैसला करेंगे और फैसला करके अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उसके बाद भी उनको नोटिस दिया गया कि 20 मार्च तक इसका निदान कर दिया जाय। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका हल 20 मार्च तक कर दिया जाय वरना फिर आन्दोलन होगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाय वे मौके पर जाकर ही निर्णय करें क्योंकि काश्तकार आयेंगे तो तहसील हैडक्वार्टर पर काफी खर्चा पड़ेगा। सारा रिकार्ड उनके पास है, इसलिये मौके पर ही गांव-गांव में जाकर इसकी व्यवस्था करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अनेक माननीय सदस्यों ने इस पुरानी, बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या के ऊपर काफी विस्तार से चर्चा भी की है और सुझाव भी दिये हैं। इस मामले में मुख्य दो मुद्दे हैं, एक मुख्य मुद्दा तो यह है

(3.14 म.प.)

(श्री तकीउद्दीन, पदासीन सभापति)

कि 1955 से पूर्व के राजस्थान नहर के काश्तकार हैं उनको खातेदारी हक हकूक किस प्रकार से दिये जायं, दूसरा मुद्दा यह है कि अगर उनको खातेदारी हक हकूक उपलब्ध कराये जाते हैं तो किसको कितनी जमीन दी जाय, कितना मुरब्बा दिया जाय यह मुद्दे इसके अन्दर इन्वाल्व्ड हैं। पहले मुद्दे के बाबत में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि राजस्थान नहर के काश्तकारों के खातेदारी हक हकूक किस प्रकार से रखे जायं, उस वक्त भी यह प्रावधान किया गया था कि अगर किसी को भी खातेदारी हक हकूक कायम करने के लिये कोई भी रेकार्ड या कोई भी सबूत किसी के पास मौजूद है तो वह चार वर्ष के अंदर-अंदर अपने सबूत पेश करके अधिकार ले ले। उस वक्त में अधिकार प्राप्त नहीं किये, किसी का प्रतिवेदन नहीं आया। उसके बाद में किसानों को बहुत बड़ी परेशानी पैदा हुई, लोगों ने आन्दोलन किया और तत्कालीन समय में भी, उस पर स्टे आर्डर कायम किया गया उसके बाद में वह वापिस हुआ। उसके बाद उस सन्दर्भ में भी किसानों को तकलीफ शुरू हुई और फरवरी के महीने में किसानों का एक बहुत बड़ा डेपुटेशन मुझे मिला और उन्होंने कहा कि अभी हमारा, कहना चाहिये, कोई न्यायसंगत फैसला नहीं हुआ है इसलिये इसमें जो बेदखल किये जा रहे हैं या इन जमीनों को दूसरों को आवंटन किया जा रहा है, इस मामले में तुरन्त स्टे लागू किया जाय इस सारे मसले का

(श्रीमती कमला)

विस्तार से अध्ययन किया जाकर फैसला करें और उस वक्त स्टे लागू किया जाय। 79 के अन्दर ट्रिपल "ए" के तहत प्रतिवेदन लेने का प्रावधान किया गया उसके तहत में एक प्रोफार्मा बनाकर अधिकारियों को दिया गया और प्रतिवेदन देने को कहा। माननीय सदस्यों ने कहा कि मुकदमे पड़े हुए हैं अदालतों में और कोई फैसला नहीं किया गया। मुकदमे कोई नहीं पड़े हैं जो 29-12-79 को एक साल के अन्दर अन्दर प्रतिवेदन लेने थे वही पेण्डिग हैं। एक साल पूरा हुआ है अभी 29-12-80 को। मुकदमे पेण्डिग नहीं हैं। उस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में किस प्रकार का हकूक माने और कौन सा सबूत, कागजात, या रिकार्ड हम काउण्ट करें जिससे तत्कालीन समय के मुताबिक खातेदारी साबित हो सके, इस प्रकार का प्रोफार्मा कायम किया गया। लेकिन जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा और जो ट्रिपल "ए" के सम्बन्ध में "और" शब्द है····

एक माननीय सदस्य : "एण्ड"

श्रीमती कमला : "और" हिन्दी का "और" शब्द ट्रिपल "ए" लगाया है। इस कारण से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार के सबूत नहीं मिल पायेंगे और लोग इस राहत को प्राप्त करने से महरूम रह जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो आपने पैतृक अधिकार या स्थानान्तरण के अधिकार इसमें लिखा है, इसके अलावा भी तत्कालीन रियासत में उसके अधिकार माने जाने के लिये अन्य कोई भी व्यवस्था उस वक्त में मौजूद हो वह भी माननीय सदस्य बता सकते हैं, जो कि वेलिड प्रूफ के रूप में हो तो उसको भी इसमें सम्मिलित करते हुए संशोधन का प्रावधान किया जा सकता है। तो उस पर तुरन्त विचार करके इसके अप्रूवल के लिए मैं मन्त्रिमण्डल के समक्ष रखूंगी। लेकिन मैं आपसे भी यह जरूर अपेक्षा करती हूं कि जिस प्रकार से दो उदाहरण आपने दिये पैतृक या स्थानान्तरण के अधिकार या और कोई भी जैसे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि उस जमीन के कोई टैक्स के माध्यम से, या कुए, या उधार के माध्यम से, मकान के माध्यम से जो भी तत्कालीन व्यवस्था हो जिसके माध्यम से यह जाहिर हो सके कि व्यवहारिक रूप में दरअसल 55 से पहले का वहां पर कब्जा है, वह भी बतायेंगे तो उसके आधार पर इस मामले में संशोधन किया जा सकता है। जहां तक मन्त्रि-मण्डल के ज्ञापन का सवाल है, जिसको शायद माननीय सदस्य पूरा समझ नहीं पाये। मंत्रिमण्डल का ज्ञापन तो इस बात के लिए तैयार किया हुआ है कि इन काश्त-कारों को भूमि दी जाय तो कितनी दी जाय एक मुरब्बा दी जाय या दो मुरब्बा दी जाय, या एक एडल्ट मेम्बर को एक मुरब्बा दी जाय, दो तीन एडल्ट मेम्बर हैं तो जिनके पास इस प्रकार की भूमि नहीं है उनको भी इसमें शामिल किया जाय जिससे वह भूमिहीन नहीं रहें। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए मन्त्रिमण्डल का ज्ञापन है। यह जो आप चाह रहे हैं इसके बाबत मन्त्रि-मण्डल का ज्ञापन तैयार नहीं है। यह आपने जो सुझाव दिये हैं इसके अतिरिक्त इनको ध्यान में रखते हुए 69 में जिनको

104

(श्रीमती कमला)

बेदखल किया गया था और भूमिहीन कायम किया जाकर जिनकी जमीनें दूसरों को दिये जाने का मामला है, उस वक्त उस बाबत निर्देश हो गये थे, उससे लीगल काम्प्लीकेशन होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाय, उसको कायम रखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, इन तमाम कानूनी मुद्दों को भी जज करके संशोधन जैसा होगा वह तैयार किया जायेगा। इसके अलावा मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब तक यह संशोधन इस प्रकार का लाया जाय, उस बीच में सरकार की तरफ से ये मार्गदर्शक निर्देश भी आ जायेंगे कि अगर किसी के पास रेकार्डेड प्रूफ न हो लेकिन तत्कालीन व्यवस्थाओं के अनुरूप यदि यह सबूत मौजूद हो तो आप उस समय कन्सीडर करके राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। एक और जो आपको आशंका है और जिसके कारण सोचते हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उसका मैं निराकरण करना चाहती हूं कि किसी काश्तकार को अदालत के रूप में तहसीलदार, उपनिवेशन के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, तहसीलदार स्वयं गांवों में मौके पर जाकर उनकी तस्दीक करके इन्द्राज करेंगे। उसके बाद में वह तमाम कागजात कमिश्नर के यहां आयेंगे। जो कागजात असिस्टेंट कमिश्नर के यहां आए हैं वे तमाम कागजात संबंधित तहसीलदारों के पास भेज दिये जायेंगे इस निर्देश के साथ कि मौके पर जाकर इनसे संबंधित प्रोफार्मा तैयार करके भरवाकर वापस कमिश्नर के यहां भेज दें जिससे उनका निर्णय शीघ्र किया जा सके। आखिर में, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जो स्टे आर्डर लागू किया है उसकी मन्शा यही है कि यह जमीन न किसी को आवंटित की जाय, न उसमें से किसी को भूमिहीन घोषित किया जाय, न भूमि से बेदखल किया जाय। जब तक सारे मुद्दे, कानूनी तौर पर व्यावहारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर निर्णीत नहीं हो जाते हैं।

इस विश्वास के साथ मैं आशा करती हूं कि आपको भरोसा होगा, आप अपने सुझावों के जरिये राज्य सरकार का सहयोग करेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा खुलासा चाहता हूं कि चक प्लान की जमीन जो अनकमांडेड होती जा रही है उसके लिए कोलायत तहसील की तरह से जो भी तहसीलें हैं उनके लिए तुरंत ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे चक प्लान आने से पहले उनको फायदा मिल जाय नहीं तो जो संयुक्त परिवार हैं मारे जायेंगे।

श्री आत्माराम : जो पुराने 8-9 हजार सैटल्ड कैसेज हैं उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको पुराना मान लिया जाय, दुबारा एप्लीकेशन्स देनी पड़ेगी, उसके लिए समाधान किया जाय। दूसरा मेरा सुझाव है कि यह जो स्टे आर्डर है, मेहरबानी की अच्छा काम किया, स्टे आर्डर में कुछ नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, 1959 में जमींदारी एबालिशन एक्ट के तहत जमीन बेचने की मनाही थी, इसको स्टे आर्डर कर दिया और वह स्टे आर्डर वेकेट करने के बाद पोजीशन यह हो गई है कि गंगानगर में जमींदारी, बिस्वेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, वह

(श्री आत्माराम)

जमींदार यहां तक हैं कि उन्होंने जमीन का पैसा देकर ली थी, बाकी जितने काश्तकार हैं, वहां पर नीलामी में गवर्नमेंट से खरीदी थी। वह स्टे आर्डर फिजूल का नाकारा कानून था उसको लागू करके वहां आज व्यवधान पैदा किया गया है। उसी तरह से यह स्टे आर्डर लागू नहीं करके इस तरह की व्यवस्था की जाय कि जब तक अन्य कोई व्यवस्था न हो जाय, उन पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय ने कह दिया कि यदि सुझाव हों तो आप उनको दे दें, इस पर विस्तार से काफी चर्चा हो गई है।

श्री आत्माराम : पुराने जो सैटल्ड केसेज हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री सभापति : स्पष्टीकरण का प्रश्न है, आप मन्त्री को सुझाव दे दें।

श्री आत्माराम : जो 8 हजार केसेज हैं सैटल्ड उनको पुराना मान लिया जाय। ताकि दुबारा एप्लीकेशन्स नहीं देनी पड़ें।

श्रीमती कमला : यह तो मैं पहले कह चुकी हूं कि जिनका रेकार्डेड प्रूफ है खातेदारी का, उनको खातेदारी अधिकार दिये जा चुके हैं लेकिन जिनके पास रिकार्डेड प्रूफ नहीं थे उनमें पुनः व्यवस्था की गई है। जो सबूत दिये जा सकते हैं उनके पक्ष में वे दें।

श्री आत्माराम : 8 हजार पुराने सैटल्ड केसेज हैं।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो गई है। दूसरा प्रस्ताव और है, मन्त्री का वक्तव्य आने का है, काफी चर्चा हो गई है।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : मेरा सिर्फ सुझाव है कि वैसे 1970 में इस सदन में उस समय हमारी कांग्रेस सरकार थी, सुखाड़ियाजी ने कुछ घोषणायें की थीं उसके बाद 24 अप्रेल, 1972 को नोटिफिकेशन की बात आई। आज जब तक हम किसानों के लिए टाइम बाउण्ड घोषणा नहीं करेंगे किसानों को कैसे विश्वास हो सकता है? इसलिए मन्त्री महोदय को मेरा सुझाव है कि जो 24 अप्रेल का नोटिफिकेशन है कैबिनेट में रिजाल्व करके पुनः उसको नोटीफाई किया जाय जिससे किसानों को राहत मिलेगी, 2 मुरब्बे की जमीन उनके पास रहेगी उसके बाद खातेदारी की बात करके अलग अरेंजमेंट किया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, विधि का सामान्य सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का कब्जा होता है 9-10 अधिकार काबिज व्यक्ति का होता है, 1-10 अधिकार आपके पास में है। इसलिए अधिकारियों को आप मौके पर भेजें, जो काबिज व्यक्ति हैं उनको खातेदारी अधिकार प्रदान करें। 15–ए में केन्द्रीय सरकार ने जो उस समय संशोधन किये थे वे जागीरदारों, जमींदारों और बड़े किसानों के लिए किए थे और छोटे किसानों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब आप नया संशोधन करने जा रहे हैं ऐसे समय किसानों को अधिकार देते समय भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों का विशेष ध्यान रखें।

(106)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, लिखित जवाब में मन्त्री ने बताया कि भूमिहीन काश्तकारों को····

शासकीय वक्तव्य

कोटा नगर में ग्रध्यापकों द्वारा परीक्षाग्रों का बहिष्कार

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज । शिक्षा मन्त्री, श्री चन्दनमल बैद । कोटा नगर में ग्रध्यापकों द्वारा परीक्षाग्रों का वहिष्कार करने के संबंध में वक्तव्य ।

श्री चंदनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, राजस्थान कनिष्ठ व्याख्याता संघ ने कतिपय मांगों को लेकर एक ज्ञापन 27–1–81 को प्रस्तुत किया, इसमें कुछ मांगों का शिक्षा बोर्ड, ग्रजमेर से संबंध है, कुछ मांगें शिक्षा विभाग से संबंधित हैं ग्रौर बाकी मांगें ऐसी हैं जिनका ग्रन्य विभागों से भी संबंध है जैसे नये वेतनमानों में ग्रार०एस०ग्रार० के 26 ए का लाभ देना तथा बी०एड/एम०एड० व पी०एच०डी०करने पर ग्रग्रिम वेतन वृद्धि देना इत्यादि । इन मांगों पर शिक्षा सचिव तथा ग्रध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की है । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया है जिसका ग्रादेश 11–2–81 को प्रसारित कर दिया गया है । पहले के पारिश्रमिक की दर तथा बढ़ाये हुए कुछ दर निम्नलिखित प्रकार से हैं :

परीक्षा कार्य	बढ़ायी हुए दर	पुरानी दर
हायर सैकन्डरी		
केवल नई प्रणाली की उत्तर पुस्तिकायें जांचने हेतु	1.50 पैसे प्रति परीक्षार्थी	1.30
प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक को	1.30 पैसे प्रति परीक्षार्थी	1.00
प्रायोगिक परीक्षा के लिए शाला के सम्बन्धित विषयाध्यापक	10 रुपये प्रति विषय	निल
सैकण्डरी स्कूल		
केवल नई प्रणाली की उत्तर पुस्तिकायें जांचने हेतु	1.30 पैसे प्रति परीक्षार्थी	1.10

(श्री चन्दनमल वैद)

जिन मांगों का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है उन पर शिक्षा सचिव की एक से अधिक बार संघ के पदाधिकारियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग से भी विचार विमर्श चल रहा है। शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मुख्य मांगें जिन पर विचार विमर्श हुआ वह इनका पदनाम बदलने, विभागीय समिति में प्रतिनिधित्व देने, सत्य प्रतियां प्रमाणित करने का अधिकार देने, स्थाईकरण करने से सम्बन्धित हैं।

कुछ जगह पर जिनमें कोटा नगर के केन्द्र भी शामिल हैं कनिष्ठ व्याख्याताओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया है जिस कारण परीक्षा कार्य में व्यवधान हुआ है। अतः परीक्षा कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार के बहिष्कार से छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी शिक्षा में व्यवधान होता है। इसलिये छात्रों के हित को देखते हुए यह उचित होगा कि कनिष्ठ व्याख्याता बहिष्कार का रास्ता नहीं अपनायें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखें। राज्य सरकार परीक्षाओं को समय पर व सुचारु रूप से चलाने के लिये कटिबद्ध है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से 5-6 प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि क्या कनिष्ठ व्याख्याताओं ने अपना आन्दोलन प्रारम्भ करने के पहले राज्य सरकार को पोस्ट कार्ड के माध्यम से सूचित नहीं किया? इसके अलावा क्या कनिष्ठ व्याख्याताओं ने उसके दूसरे चरण में एक साथ सामुहिक अवकाश नहीं लिया। इसके बाद में उन्होंने अपने तीसरे चरण में परीक्षाओं का बहिष्कार किया था। यह तो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से जैसा कि यहां पर मन्त्री महोदय ने कहा कि जो कनिष्ठ व्याख्याताओं ने जो परीक्षा शुल्क बढ़ाने की मांग की थी वह हमने मान ली। तो, सभापति महोदय, उन्होंने उनकी 11 मांगों में से एक मांग को माना है बाकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया। इसके अलावा क्या यह सही है कि उन कनिष्ठ व्याख्याता लोगों के समर्थन में आने वाले हायर सैकन्डरी परीक्षाओं में बहिष्कार करने के लिये राजस्थान की जो चार संस्थायें हैं उन्होंने भी परीक्षा में भाग न लेने की घोषणा कर दी है। इसमें रूंगटा, दूसरी रूटा, तीसरी फूटा और चोथी है यूटा संस्था। इन अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग नोटिसेज सरकार को दिये हैं कि अगर कनिष्ठ व्याख्याताओं की मांगों को नहीं माना गया तो वह लोग भी किसी प्रकार की परीक्षाओं में भाग नहीं लेंगे और परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। क्या यह भी सही है कि उनकी मांग संख्या 6 जो कि यह है कि कनिष्ठ व्याख्याताओं का ग्रेड और पुलिस इन्सपेक्टर का ग्रेड एक ही है फिर उनको भी पुलिस इन्सपेक्टर की तरह राजपत्रित क्यों नहीं बनाया जाता? यह तो मांग ऐसी है, सभापति महोदय, राज्य सरकार के अधिकार में है कि वह घोषणा कर सकती है कि उनको राजपत्रित अधिकारी माना जाय। इसको आसानी से माना जा सकता है, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह अपेक्षा करता हूं कि इस मांग की घोषणा तो मन्त्री महोदय आज ही कर देंगे।

(108)

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि शिक्षकों का एक शिष्टमण्डल अपना चार्टर आफ डिमान्ड्स लेकर आज मिला था । आपने उनकी एक मांग तो मान ली बाकी मांगों को आपने नहीं माना। इसमें दिक्कत यह है उन लोगों को कि उनका जो रिवीजन आफ पे स्केल्स किया गया उसके अनुसार ओल्ड ग्रेड से नये ग्रेड में फिक्सेशन किया जाता है उसमें ऐसी एनामोली है कि पुराने अध्यापक को नये ग्रेड में नुकसान होगा। यह जो ग्रेड रिवीजन किया गया था वह जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था। इसलिये मैं समझता हूं कि रिवाइज्ड ग्रेड में फिक्सेशन ऐसे हों जिनसे उनको नुकसान नहीं हो । यह बहुत ही उन लोगों के साथ इनजस्टिस है और उनकी इस मांग के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये । आज टीचर्स में बहुत बड़ा अनरेस्ट है इन जूनियर लेक्चरार्स की जो मांगें हैं वह उनकी मांग वाजिब है।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में साफ कह दिया कि इनकी जो मांगें हैं वह कुछ मांगें तो ऐसी हैं कि जो कि दूसरे विभागों से सम्बन्धित हैं। कुछ का शिक्षा विभाग से सम्बन्ध है। सभापति महोदय, जहां तक उनके परीक्षाओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने का सवाल है वह तो हमने बढ़ा दिया। लेकिन इसके अलावा भी इनके शिष्टमण्डल की हमारे शिक्षा सचिव से बात चीत हो रही थी और सभापति महोदय, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात चीत हो रही थी । उनकी बातों से ऐसा लगता था कि उनके द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जायेगा जिससे विद्यार्थियों की परीक्षाओं पर असर पड़े। तो ऐसी बात जहां चल रही थी उस समय अगर सरकार को कहीं पर झुकना पड़े तो भी कोई बात नहीं थी। सरकार झुकने को तैयार भी थी लेकिन, सभापति महोदय, पता नहीं किन लोगों के भड़कावे में आकर उन लोगों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया। अगर वह यह सोचते हैं कि वह सरकार से तलवार की नौंक पर या पिस्तौल पाइन्ट पर अपनी मांग मनवा लें, तो यह नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, यह आम तौर पर देखा गया है कि जब कभी विद्यार्थियों की परीक्षा आती हैं तब यह शिक्षक लोग अपनी मांगों को मनवाने के लिये हड़ताल पर चले जाते हैं। इसी तरह जब चुनाव आते हैं तब सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल करने की धमकी अपनी मांगों को मनवाने के लिये दी जाती है और वह इस कोशिश में होते हैं कि ऐसे मौके पर सरकार को झुकाया जा सकता है इसलिये ऐसा करते हैं। सभापति महोदय, मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि सरकार हमेशा से उनकी कठिनाइयों को सुनने को तैयार है सरकार उनकी परेशानियों को, जो कि वाजिब हैं, हल करने को तैयार है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों ने कभी भी सरकार की कठिनाइयों को समझने की कोशिश नहीं की। वह सरकार की कठिनाइयों को बढ़ाने में ही रहते हैं। मुझे यहां पर यह भी कहते हुये दुःख होता है कि जिन लोगों को जिस काम के लिये नियुक्त किया जाता है जो कि उन लोगों की रोटी रोजी का आधार है यह लोग उसके लिये भी ध्यान देने को तैयार नहीं होते हैं और जो इनका मुख्य काम है

(श्री चन्दनमल बैद)

विद्यार्थियों को पढ़ाना और परीक्षा लेना उस को भी यह लोग नहीं करना चाहते हैं। इसमें उनका क्या औचित्य है कि वह परीक्षा के समय ही हड़ताल पर जावें? क्या वह अपनी यह मांग दो महीने बाद नहीं कर सकते थे। सभापति महोदय, मगर यह लोग जानते हैं कि हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे तो परीक्षायें नहीं हो सकेंगी, तो यह उनकी भूल है। सरकार इतनी असक्षम नहीं है कि वह परीक्षायें नहीं करा सकेगी। मैं यहां यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि परीक्षायें निश्चित तिथि पर होंगी। सभापति महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रही थी। हमने वित्त विभाग से बातचीत करने के लिये भी कोशिश की। लेकिन उन्होंने इसी बीच में हड़ताल कर दी। इस तरह एकदम सभी मांगों को मान लेना सरकार के लिये मुमकिन नहीं है। जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर आप उनकी एक दो मांगों को मान लो तो वह काम करने को तैयार हैं। तो मेरा उनको यह निवेदन है कि इसके लिये वह पहले सबूत देते। जब तक कोई वह सबूत नहीं देंगे तब तक सरकार किसी भी तरह से उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, अभी जैसा कि मन्त्रीजी ने कहा कि कर्मचारी तलवार की नोंक पर अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, वह बात नहीं है क्योंकि कर्मचारियों ने राज्य सरकार को प्रथम प्रतिवेदन अपना 20-8-80 को दिया, उसके बाद में अपना दूसरा प्रतिवेदन दिया। यह बात सही है कि आप नये हैं लेकिन आपके पहले जो शिक्षा मन्त्री थे उनको दिया। दूसरे चरण में उन्होंने ....

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, यह सारी बात तो माननीय सदस्य ने कह दी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने यह पहले ही कह दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, क्या कनिष्ठ व्याख्याता संघ का प्रतिवेदन 20-8-80 को नहीं आया? क्या यह सही नहीं है? इसके बाद में उन्होंने 5-2 को और फिर 10-2-81 को एच्छिक अवकाश लिया और यह तीसरे चरण में उन्होंने अपना अन्तिम हथियार जो हड़ताल था वह हाथ में लिया। इसलिये शिक्षा मन्त्रीजी का जो यह आरोप है कि वह तलवार की नोंक पर काम कराते हैं गलत है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनकी मुख्य मांगें स्वीकार करें।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षकों के कई प्रतिवेदन मेरे पास मन्त्री बनने के बाद आये। इसमें उनकी किसी में 21 मांगें, किसी में 55 मांगें, किसी में 101 मांगें हैं। उनकी कई मांगें हैं लेकिन जब अभी बातचीत चल रही थी तो कोई भी उनकी तरफ से अल्टीमेटम नहीं दिया गया कि वह परीक्षाओं को बहिष्कार करने जा रहे हैं। इसके अलावा, सभापति महोदय, उन्होने परीक्षाओं को बहिष्कार करना ही उचित क्यों समझा? उन्होंने अक्टूबर से मांग करनी शुरू की थी, जब दो तीन

(श्री चन्दनमल वैद)

महीने ठहर कर राज्य सरकार से बातचीत कर रहे थे तो क्या एक दो महीने और नहीं ठहर सकते थे ? क्या वह और इन्तजार नहीं कर सकते थे ? क्या उनको परीक्षाओं का समय ही बहिष्कार करने का मिला ? इसका मतलब साफ है कि वह यह समझते थे कि परीक्षाओं के समय राज्य सरकार को उनकी जरूरत है इसलिये उन्होंने इस मौके पर यह बहिष्कार किया। वह सरकार को मजबूर करा कर सरकार के घुटने टिकाना चाहते हैं। वह यह समझते हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम काम नहीं करेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री जी, सभापति महोदय, यह कहना चाहते हैं कि मुझे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह नहीं कहा, सभापति महोदय, मैंने तो यह कहा कि मेरे पास बहुत से प्रतिवेदन उनके आये। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब उन्होंने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक इन्तजार किया तो क्या वह और दो महीने इन्तजार नहीं कर सकते थे ? जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम है अध्यापकों का, क्या वह परीक्षाओं के मौके पर उनको पढा नहीं सकते थे ? जब कि सभापति महोदय, उनको तनख्वाह ही इसी बात की मिलती है कि वह विद्यार्थियों को पढ़ावें। लेकिन वह यह काम नहीं करके इस मौके का फायदा उठायें तो यह मौके का फायदा सरकार उठाने देना नहीं चाहती।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं....

श्री सभापति : काफी हो गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक प्रश्न पूछ कर मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। क्या आप इस बात को महसूस नहीं करते कि राज्य में आपके पूर्व के माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्थानान्तरण नीति के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई ? वास्तव में आज जो जनगणना का कार्य चल रहा है क्या वास्तव में बच्चे पढ़ पाये हैं ? जो उन्होंने अपनी मांग मांगी है, परीक्षा लेने का फर्माया था क्या इसको आप जायज नहीं मानते कि स्थानान्तरण जिस प्रकार से हुए हैं राजस्थान के इतिहास में 25 अध्यापकों के स्थानान्तरण हुए हैं और इससे कितने लोग पीड़ित हैं। इसके हमने उदाहरण भी पेश किये हैं। एक अध्यापक के सात, सात और आठ, आठ जगह स्थानान्तरण हुए हैं। क्या आप पुलिस वालों की तरह अध्यापकों को भी सम्मान देने की स्थिति में हैं ? मैं समझता हूं कि आप दो खास तौर से घोषणा कर दें तो निश्चित रूप से यह कर्मचारी अपना आन्दोलन वापस लेने की स्थिति में आ जायेंगे। क्या मंत्री महोदय आप दो घोषणायें करना चाहेंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस संघ के जो भी प्रतिनिधि मिले थे उन्होंने कहा था कि एक दो बात करने के बाद में हम अपना आन्दोलन वापस लेंगे। शिक्षा सचिव ने मेरे से सलाह करके यह कह दिया कि वह तैयार हैं लेकिन वह अपनी बात से

(श्री चन्दनमल बैद)

फिर गए। आप जो बात कह रहे हैं उनके प्रतिनिधि जब बात को नहीं मनवा सके तो आप कैसे मनवा सकेंगे, मैं यह विश्वास कैसे कर लूं।

सभापति महोदय, ट्रान्सफर के बारे में जो शिक्षा विभाग की मांग पर बहस होगी उस समय मैं आपको उत्तर दूंगा लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो विसंगतियां उनके वेतनमानों में हुई हैं या वह कह रहे हैं कि हो गई हैं वह कोई कांग्रेस सरकार के कारण से नहीं हुई हैं। जिस दल में आप बैठे हुए हैं उस दल की सरकार ने जो नियम बनाये हैं उसके कारण से यह विसंगतियां हो रही हैं। यह आपको कहना चाहिए था कि आपकी की हुई यह गलतियां हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे समय में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। सारी परीक्षायें अस्त व्यस्त हो गयी हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज की तारीख में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झुन्झुनूं, चूरू आदि स्थानों पर बिलकुल भी परीक्षायें नहीं हुई....

श्री सभापति : : आर्डर, आर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री महोदय एक विश्वास दिला दें कि 4-4-81 को हायर सैकन्डरी की परीक्षा करा देंगे। इसका विश्वास दिला दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक छोटा सा प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह स्ट्रेटेजी वह अपनी तय करके आन्दोलन करते हैं इसमें कोई संकोच नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है....

श्री चन्दनमल बैद : यह बात तो आप मान गये। आपकी पार्टी के सदस्य नहीं मान रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अक्टूबर से आज तक आप उनको वेट करवा रहे हैं यह भी आपकी स्ट्रेटेजी है। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में। मैं तो मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि 4 अप्रेल से इम्तिहान हैं। ऐसी स्थिति है। केवल माननीय सचिव महोदय पर बात नहीं टालें। आप उनको एक बार बुला लें और हो सकता है उनके बात गले उतर जाये। मैं चाहूंगा इस विषय में कि किसी प्रकार का विद्यार्थियों का हित आपके ध्यान में है और अपने हितों की स्थिति से अध्यापक अपनी स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं। तो उनको बुलाया जा सकता है और कोई न कोई हल निकल सकता है। एक बात एनामोली की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण से बहुत बड़ा वर्ग उसमें फंसा हुआ है। कुछ एनामोली तो बन ही जाती हैं और बाद में उनको हल करना पड़ता है। उसके बारे में आपको सहृदयता से उनकी एनामोलीज पर विचार करना चाहिए और उनका हल करने पर विचार करना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री हैं इस नाते से आप उनको बुलायें। मैं आपको निवेदन करूंगा कि एक बार उनके प्रतिनिधियों को बुला लें और 4 अप्रेल से होने वाली परीक्षा की दृष्टि से उनसे बात कर लें।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कोई न कोई हल निकल जायेगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं उनसे बात कर चुका हूं। मेरी बात करने के बाद वे मेरे से सन्तुष्ट होकर गये। मुझ से एक तरह से मिलने के बाद सचिव से मिले और उनको आश्वासन दे दिया उसके बाद मुकर गये। मैंने यह नहीं कि बात नहीं की। एनामोली की बात मैं नहीं कह रहा हूं। यह तो आपकी पार्टी के सदस्य जो कोटा से आने वाले हैं वह कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि एनामोलीज इसलिए हो गयी होंगी। वेतनमान तो आपने चैन्ज किये तो यह आपके कारण से होंगी। तो आप मन्जूर तो कीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वेतनमान बदलने से 90 पर्सेन्ट को फायदा हुआ उसमें 10 पर्सेन्ट एनामोलीज रह गयीं तो जिम्मेदारी आपकी है दूर करने की।

(व्यवधान)

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति एवं मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

अब मांग संख्या 24 व 23 को संबंधित मंत्री महोदय प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,50,44,11,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री दिनेश राय डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 23–श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,49,79,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक (शिक्षा, कला एवं संस्कृति) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

डा० उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

(1) म्यूजियमों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

(2) खेल कूद प्रकोष्ठ का पृथक रुप से गठन किये जाने की आवश्यकता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

(3) उच्च प्राथमिक पाठशाला बमोतर तहसील प्रतापगढ़ के लिये राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माणार्थ दी गई राशि एवं ग्रामीणों के सहयोग से अध्यापकों द्वारा कराये गये कामों में गबन घोटाले की जांच हेतु चर्चा के लिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(4) प्रतापगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक भेदभाव के कारण विद्यालय न खोलने और विद्यमान विद्यालयों को क्रमोन्नत न करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

(5) निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान बन्द करने व शिक्षा का राष्ट्रीकरण पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

(6) बिलाड़ा में कन्याओं के लिये माध्यमिक विद्यालय न खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

(7) बीकानेर में विश्वविद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर, ग्रामीण) :

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

(8) शिक्षा क्षेत्र में मर्जीदान सेवा निवृत अधिकारियों की सेवा वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

(9) शिक्षा विभाग में अन्धाधुन्ध अध्यापकों के स्थानान्तरणों पर रोक लगाने एवं स्थानान्तरण नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(10) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की कमी की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) **:**

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

(11) राज्य में शिक्षा के गिरते हुये स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) **:**

(12) सिकराय क्षेत्र में अध्यापकों की कमी पूर्ति न होने से छात्र असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

(13) सभी को शिक्षा के समान अवसर देने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

(114)

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर)

(14) जैसलमेर जिले में विद्यालयों की संख्या के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदस्थापन न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

(15) संस्कृत शिक्षकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है एवं उनके वेतनमानों में असमानता है इस पर चर्चा के लिये।

(16) संस्कृत भाषा को हिन्दी के बाद दूसरा स्थान देने बावत चर्चा के लिये।

(17) राज्य में परीक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने एवं शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुर्यकुमार (नैनवा)

(18) नैनवा (बून्दी) हाई स्कूल को क्रमोन्नत करने, देई (बून्दी) हाई स्कूल में कृषि का विषय खोलने, करवर (बून्दी) हाई स्कूल में वाणिज्य विषय खोलने तथा माटूदा (बून्दी) हाई स्कूल में वाणिज्य विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

श्री नाथूसिह (वांदीकुई) :

(19) 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु चर्चा के लिये।

(20) राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के अविवेकपूर्ण किये गये स्थानांतरण के फलस्वरुप विद्यार्थियों को होने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(21) निजी शिक्षण संस्थाओं को जो आपने यहां कार्यरत अध्यापकों को पूर्ण वेतन एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध अन्य सुविधाओं से वंचित रख शोषण की वृत्ति अपनाली है ऐसी निजी शिक्षण संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(22) प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च-माध्यमिक शालाओं के खोलने में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिये।

(23) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परि-वर्तन कर इसे व्यसायोन्मुख बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

(24) अलवर में स्थापित उद्योगों में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की मांग को देखते हुये अलवर पोलीटेकनिक कालेज में नये विषयों का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(25) अलवर जिले के विद्यालयों में कृषि विषय प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(26) कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में वाणिज्य की कक्षायें प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिह (वांदीकुई) :

(27) शिक्षा विभाग में व्याप्त भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त कर शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाये इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(28) प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर छात्रों व छात्राओं के अध्ययन हेतु अलग अलग उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां नहीं हैं खोले जावें एवं निर्धन छात्रों को अध्ययन सुविधा सुलभ कराने हेतु प्रत्येक विद्यालय में निर्धन छात्र सहायता कोष की स्थापना की जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) :

श्री भालू खां (चूरू) :

(29) डूंगरगढ़ व चूरू में लड़कियों के कालेज के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

(30) सामान्य शिक्षा के साथ संगीत, लघु उद्योगों के प्रशिक्षण, बालिकाओं को होम साईन्स आवश्यक विषय पढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(31) शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पाठ्यक्रम में विषय कम करने हेतु चर्चा के लिये।

(32) निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) :

(33) जिला जालौर में 17 स्कूलें खुली हैं जबकि बजट सिर्फ 12 स्कूलों का ही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री अहमदबक्श सिंधी (जोधपुर) :

(34) उर्दू को राज्य में द्वितीय स्थान नहीं देने के कारण उर्दू भाषा की उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) :

(35) 1981 की जनगणना को आधार मानकर 500 की आबादी के प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(36) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(37) वर्ष 1977 में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति प्रदान विद्यालय को प्राथमिकता से खोलने पर चर्चा के लिये।

(38) उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अधीन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) :

(39) राजस्थान में महिला शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(40) प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

(41) शिक्षा संस्थानों से चुनाव पद्धति समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

(42) मिडिल स्कूल को सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(43) रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

(44) शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(45) राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(46) तीनों विश्व विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(47) गिरते शिक्षा के स्तर को रोकने के प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(48) प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की और अधिक स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(49) शिक्षकों को विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(50) परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(51) राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रदेश में गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(52) प्रदेश में युवक छात्रों के कल्याण के लिए युवक बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(53) सीकर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(54) सीकर में स्टेडियम के निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(55) रोजगारोन्मुख शिक्षा पद्धति को प्रदेश के विद्यालयों में चालू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धारा राम फुलवारिया (सिवाना) :

(56) शिक्षा की प्रगति हेतु स्कूल खोलना व अध्यापकों की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :

(57) कोटा जिले में रामगंज मन्डी नगर में (खैराबाद) में महाविद्यालय बनाने हेतु मेड़तवाल समाज मेले को भूमि, भवन के लिये धन देने को राजी है अतः स्वीकृति प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।

(58) रामगंज मंडी विधान सभा क्षेत्र में कोई नये विषय के स्कूल नहीं खोलने एवं परीक्षा केन्द्र नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(59) पब्लिक स्कूलों को बंद करने के लिये स्पष्ट नीति बनाने हेतु चर्चा के लिये।

(60) पब्लिक स्कूलों को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने हेतु चर्चा के लिये।

(61) प्रदेश में लोक कला एवं आंचलिक संस्कृति के उत्थान में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल) :

(62) केशवराय पाटन के उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

(63) शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

(64) शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

(65) शिक्षा विकास के लिये अनिवार्य शिक्षा लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

(66) हर ग्राम में प्राथमिक शाला खोलने व भवन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(67) ग्रामीण अंचल की प्राथमिक शालाओं में गर्मी के बजाय वर्षा ऋतु में छुट्टियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(68) राजस्थानी भाषा अकादमी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

(69) टोंक जिले के पीपलू में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय के अध्यापक नियुक्त करने हेतु एवं जिले के अन्य विद्यालयों में भी रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(70) टोंक महाविद्यालय के छात्रावास में अधिक छात्रों के प्रवेश हेतु व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(71) टोंक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर तथा विधि संकाय की कक्षायें शुरू करवाने हेतु चर्चा के लिये।

(72) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक शाला, न्यू टोंक में अध्यापन कक्षों, क्रीड़ा स्थलों व शौचालयों के अभाव व शाला भवन की जीर्ण शीर्ण हालत पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

(73) शिक्षकों के अनियमित तबादलों से शिक्षण संस्थाओं के कार्य अवरूद्ध हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

(74) राजस्थान में नवीन विद्यालय खोलने में पक्षपात करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

(75) डीडवाना में महाविद्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

(76) ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी से अध्यापन नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

(77) शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी के कारण छात्रों को होने वाली हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) :

(78) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर इसे व्यवसायोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(118)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

(79) उदयपुरवाटी में शिक्षण संस्थाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

(80) नसीराबाद क्षेत्र में अधिक स्कूल खोलने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

(81) अगले सत्र में 56,000 रुपये जमा करने पर नाथद्वारा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

(82) राज्य में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(83) छठी पंचवर्षीय योजना में नाथद्वारा सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(84) बी. एन. कालेज, उदयपुर में कार्यरत प्राध्यापकों को सेवा निवृत के आदेश से प्राध्यापकों में असुरक्षा की भावना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(85) वनस्थली शिक्षण संस्था को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

डा. उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

(86) राजस्थानी भाषा के लिए पृथक से अकादमी बनाये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

(87) टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र में बालक, बालिकाओं हेतु प्राथमिक विद्यालयों को अपर्याप्त पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम)

(88) राजस्थान को पौराणिक कला एवं संस्कृति को पूर्ण सुरक्षा के अभाव पर चर्चा के लिए।

(89) अकादमियों को गतिविधि एवं राज्य के सांस्कृतिक विकास की चर्चा के लिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

(90) विगत कई वर्षों से राज्य में हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये।

(91) विद्यार्थियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु राजस्थानी साहित्य अकादमी के निर्माण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बांरा) :

(92) अध्यापकों के अभाव में अनेक प्राथमिक शालाओं के बन्द होने से उत्पन चर्चा के लिये।

(93) राजस्थान विश्वविद्यालय की घोर अनियमितताओं के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मानूराम (आसीन्द) :

(94) विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

(95) चौमूं क्षेत्र कालाडेरा में पोस्ट डिग्री कक्षायें प्रारम्भ करने तथा चौमू में डिग्री कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर):

(96) सिरोही जिले में विद्यालय भवनों की दयनीय स्थिति पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम) :

(97) राजस्थान में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

(98) नीम का थाना में गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(99) नीम का थाना नन्दलाल पटवारी कालेज में पी० जी० क्लासेज चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

(100) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के जिला विकास अधीकरण के प्रस्तावों के खिलाफ मनमाने ढंग से स्कूल खोलने की नीति के विरूद्ध चर्चा के लिये ।

(101) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में गांव कर्जा नवां गांव, छोटो सरवाण में सैकेन्ड्री स्कूल खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

(102) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में शिक्षा कार्यों में उपेक्षा नीति बरतने एवं एक भी नया विद्यालय नहीं खोलने पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

(103) कला के संवर्धन हेतु कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दिलाने पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

(104) राज्य सरकार कुशलगढ़ में कालेज खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

(105) राज्य सरकार कुशलगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में कसारवादी, इटाला उकाला सेकेन्ड्री स्कूल, सानसेरा में मिडिल स्कूल व प्राइमरी शालायें तथा नये सब्जेक्ट खोलने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

(106) राज्य सरकार जिला बांसवाड़ा अधिकरण के निर्णय के अनुसार शिक्षा को महत्व देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवदान सिंह (जैतारण) :

(107) शिक्षा के गिरते हुए स्तर को ऊंचा उठाने हेतु सुझावों पर चर्चा के लिए ।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :

(108) राजस्थानी भाषा की एकेडमी स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द अामलिया (चौरासी) :

(109) जिला डूंगरपुर में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

(110) पाली शहर में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अन्य विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

(111) दासयां प्राथमिक कन्या पाठशाला को क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

(112) राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

(113) परबतसर सब डिवीजन में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

(114) दांतारामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पलसाना–खाटू माध्यमिक शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) :

(115) शिक्षा की रोजगारोन्मुखी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूम्बर) :

(116) शिक्षा के विस्तार हेतु मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

(117) जिले में शिक्षा का प्रसार मंथर गति से होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

(118) जोधपुर विश्वविद्यालय में गिरते शिक्षा स्तर को देखते हुये अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

(119) सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण लोगों में असन्तोष बढ़ रहा है उस पर चर्चा के लिये।

(120) महाविद्यालय सवाई माधोपुर में संस्कृत विषय की व्यवस्था की जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

(121) शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य में नये विद्यालय खोलने व छात्रों एवं कलाकारों को प्रोत्साहित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

(122) श्री सनातन धर्म पंचायत हायर सैकेण्डरी स्कूल मण्डावा (झुन्झुनूं) की प्रबन्ध समिति द्वारा लगातार राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर भी प्रशासक की नियुक्ति न करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

(123) शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(124) प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(125) नीमीला, ठोंपरे में माध्यमिक स्कूल तथा बोरदा, मोहनपुरा एवं मालवमोरो में मिडिल स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(126) पीपल्दा क्षेत्र में पर्याप्त प्राथमिक स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(127) इटावा व इन्द्रगढ़ में कन्या माध्यमिक स्कूल खोलने तथा गैंता में कन्या मिड़िल स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

(128) जनजाति क्षेत्रों में स्कूलों के खोलने में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(129) रोक के बाद भी समायोजन के नाम पर अनियमित स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(130) प्रौढ़ शिक्षा में खर्च की जाने वाली रकम को स्कूलों के विकास में खर्च किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(131) शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर शिक्षा के गिरते स्तर को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(132) इटावा में उप शिक्षा अधिकारी का कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(123) अध्यापकों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने तथा उनके चिकित्सा बिलों का भुगतान शीघ्र किये जाने पर चर्चा के लिये ।

वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़)

(134) शिक्षा की दशा सुधारने तथा उसकी वर्तमान उपेक्षा वृत्ति दूर कर उसमें उचित सुधार हेतु चर्चा के लिये ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़):

(135) रतनगढ़ में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

(136) शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण है एवं शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

(137) विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति, आदर्श नगर, जयपुर में राजकीय प्राथमिक शाला खोलने हेतु चर्चा के लिये ।

(138) बगरू नगर पालिका क्षेत्र में कालेज खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

(139) पब्लिक स्कूल बन्द किये जाकर कामन स्कूल अधिकाधिक खोले जाय इस पर चर्चा के लिये ।

(140) राजस्थान साहित्य अकादमी तथा अन्य अकादमियों के कर्मचारियों के

(122)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

लिये स्थापना के बाद भी आज तक सेवा नियम आदि न बनाये जा सके हैं इस पर चर्चा के लिये।

(141) निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान उदयपुर तथा सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम मण्डल, जयपुर के पदों पर सेवा निवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(142) राजस्थान साहित्य अकादमी के भण्डार में श्रेष्ठ स्तरीय राजस्थान के लेखकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पड़ी हुई नष्ट हो रही हैं तथा उन्हें विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा पुस्तकालयों में खरीदी नहीं जा रही है क्योंकि क्रय में सौदेबाजी नहीं हो सकती है और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में मौन है तथा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती को राजस्थान के कालेजों, पुस्तकालयों तथा विद्यालयों में अनिवार्य रूप से नहीं खरीदे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

(143) राज्य में वर्तमान सत्र में अब तक अधिकांश शालाओं में कई विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिए।

(144) राज्य में शिक्षकों में गुटबन्दी होने व उन्हें विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

(145) ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा सुविधा बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

(146) समस्त विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

(147) सवाई माधोपुर महाविद्यालय में एल.एल.बी., पोस्ट ग्रेज्यूयेट कक्षाओं तथा विज्ञान विषय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

(148) ग्राम बहरावण्डा कलां तहसील खण्डार में सेकेन्डरी स्कूल तथा ग्राम बमोखरी, बोदक, कर्मापुर, दौलाड़ा में प्राथमिक पाठशालायें एवं ग्राम खिजूरी में माध्यमिक शाला खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

(149) खण्डार हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

(150) फागी विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों के अभाव से शिक्षा स्तर गिर रहा है पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहर थाना)

(151) अक्लेरा (जिला झालावाड़) माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिए।

(152) जावर माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।

(153) पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्रान्तर्गत सेमली हाट ग्राम में उच्च प्राथमिक शाला खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

(154) मौजूदा शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

155–डग व पाटन क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

156–प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

157–राज्य सरकार की ओर से कोटा में इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

158-राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों की संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास के रोकने के विषय में चर्चा के लिये।

159–महिला शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अधिक राशि आवंटित करने के विषय में चर्चा के लिये।

160–खेल मन्त्रालय अलग से बनाने के विषय में चर्चा के लिये।

161–अच्छे स्पोर्टस स्कूल खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

162–कोटा में संगीत विद्यालय को क्रमोन्नत करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

163–बीकानेर डिवीजन मुख्यालय पर श्री जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एवं रामपुरिया महाविद्यालय में एम. बी. ए. कक्षाओं के प्रारंभ के सम्बन्ध में तथा रामपुरिया महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

164–श्री महारानी सुदर्शना महाविद्यालय में स्नातकोत्तरीय संगीत एवं गृह विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

165–श्री डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम में समाज शास्त्र, भूगोल, साइकोलोजी (मनोविज्ञान) एवं विदेशी भाषा डिप्लोमा खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166–बीकानेर शहर में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167–बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168–बीकानेर में नये हायर सैकेन्डरी स्कूल न खोलने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

169–गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने बाबत चर्चा के लिये।

170–बीकानेर डिवीजन मुख्यालय में पोलीटेक्निक महाविद्यालय को इंजिनियरिंग महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू) :

171-राजस्थान विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(१२५)

श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) :

172–ग्राम बारी (फतहपुर तहसील) के प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में बदलने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) :

डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

173– राजस्थान विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षाएं न लिये जाने से छात्रों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

174–वनस्थली विद्यापीठ में हो रही अनियमिताओं पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(175) राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं के कारण दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(176) तीनों विश्वविद्यालयों में राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण भय के वातावरण पर चर्चा के लिये ।

(177) राज्य में प्राथमिक उच्च माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये ।

(178) वनस्थली विद्यापीठ में हो रहे भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार के बावजूद दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

(179) तीनों अकादमियों को जयपुर में एक ही स्थान पर लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(180) राजस्थान के प्रमुख घराना घुप्रद को अपने ही राज्य में मान्यता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(181) हिन्दी को राज्य स्तर पर व्यवहार में न लाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(182) पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति के नियम न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(183) संगीत शिक्षकों को पदोन्नति के अभाव पर चर्चा के लिये ।

(184) सिंधी भाषा के लिये हिन्दी क अध्यापक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा क लिये ।

(185) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये ।

(186) महिला पोलोटेक्निक कालेज खोलने में हो रहे विलम्ब से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

(187) प्राथमिक स्कूलों के अभाव पर चर्चा के लिये ।

(188) स्कूलों में विषय के अनुसार शिक्षक न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(189) शिक्षकों के अनियमित रूप से किये गये तबादलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(190) पुस्तकालयों का अलग निदेशालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(191) राज्य में कार्मियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (उदयपुर ग्रामीण) :

(192) प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(193) ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिये एवं संस्कृत पर भी बल देना चाहिये, साथ ही ऐसे प्रशिक्षण भी देने चाहिये जिससे गांवों के लोग शहर में नहीं आकर अपने क्षेत्र में ही प्रशिक्षण हासिल कर लेवें, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 23 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 23–मुख्य शीर्षक श्रम और रोजगार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

डा० उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(1) शिक्षित बेरोजगारों को उचित व्यवसाय व परामर्श देने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र के बंधक मजदूरों के लिये राज्य सरकार द्वारा रोजगार योजना बनाना एवं उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

(3) ग्रामीण बेरोजगारों को विशेष कोटा मुकर्रर करने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

(4) श्रमिक कल्याण केन्द्रों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री जोतमल जैन (अलवर) :

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

(5) रोजगार दिलाने की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने सम्बंधी सुझावों पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(5) श्रम और रोजगार सम्बंधी समितियों का श्रम कानूनों के अनुसार गठन किये जाने की चर्चा के लिये।

श्री महाराम चोधरी (नागौर)

(7) श्रम कल्याण सम्बन्धी नीतियों पर पुन: विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

(8) गत वर्ष राज्य के कुल नियोजन में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्र 6% रोजगार देने से इस वर्ग के व्यक्तियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(9) राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

(10) विभाग बेरोजगारी उन्मूलन में अक्षम है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

(11) कोटा नगर में स्थित उद्योगों में कोटा जिले व राज्य के नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता दिलवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(12) राज्य का नियोजन कार्यालय लोगों को काम देने में असमर्थ रहा है व इस विभाग में भयंकर रूप से भ्रष्टाचार पनप रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

(13) कर्मचारियों को प्रबन्ध में भागीदार बनाया जाकर प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार सुलभ कराया जायें, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

(14) श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई ठोस योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

(15) जालौर में आई०टी०आई० की स्कीम खोली जाय ताकि लोगों को रोजगार मिलने में मदद मिले, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर)

(16) नियोजन कार्यालय में कोई सिद्धान्त अपनाया नहीं जाता। मर्जी आये जिसका कार्ड निकाल दिया जाता है जिससे भ्रष्टाचार फैलता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)

(17) बेरोजगार का नाम एक ही नियोजन कार्यालय में पंजीवद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(18) खेतीहर मजदूरों के हितों को रक्षार्थ कदम उठाने के सुझावों पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

(19) डग विधान सभा क्षेत्र में भवानीमंडी कस्बे को टैक्सटाइल मिल के मजदूरों के फण्ड की राशि प्रोविडेन्ट फन्ड कार्यालय में जमा होती है। मजदूरों का स्वयं फन्ड होते हुए भी उनको समय पर पैसा नहीं

(श्री वालचन्द्र आर्यवीर)

मिलता है, इस सम्वन्ध में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

(20) बेकार लोगों को रोजगार देने की गारन्टी नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में 'विभागीय असफलता पर चर्चा' के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह श्री माधोपुर)

(21) बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारन्टी अथवा बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

(22) श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मन्डी)

(23 कोटा जिले को मंगलम् सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा श्रमिकों को कानूनी सुविधा नहीं देने तथा खदानों के मजदूरों को ए० एस०आई०कं० रामगंज मण्डी द्वारा पीड़ित करने पर श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(24) श्रमिकों के हित में शासन को स्पष्ट नीति हेतु अधिकरण के गठन पर चर्चा के लिये।

(25) लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के श्रमिकों के कल्याण हेतु आवासीय बस्तियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(26) श्रमिकों के लिये हर शहर व कस्बों में आदर्श बस्तियों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

(27) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

(28) राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ रही है, की चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

(29) रोजगार कार्यालयों में अभ्यर्थियों के नाम भेजने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

(30) श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक विवादों के निपटाने में उचित सहायता प्रदान नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(31) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने पर चर्चा के लिये।

श्री सी०पी०जोशी (नाथद्वारा)

(32) भारत सरकार द्वारा खेतीहर मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिये स्वीकृत राशि से नाथद्वारा में श्रम विभाग द्वारा कैम्प आयोजित करने की चर्चा के लिये।

(33) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

(34) टोंडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में

(श्री चतुर्भुज)

श्रम एवं रोजगार निदेशालय के माध्यम से उद्योग खोलने की चर्चा के लिये।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची)

(35) फैक्ट्रियों में श्रमिकों के शोषण को रोकने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

(36) कोटा के उद्योगों में कोटा जिले के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(37) कोटा जिले में उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने में श्रम विभाग की असफलताओं पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदंर)

(38) सिरोही जिले में पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में रोजगार कार्यालय की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

(39) रोजगार कार्यालय में राजस्थान से बाहर के व्यक्तियों को पंजीकृत किया जाता है और उनके आउट आफ टर्न रोजगार हेतु नाम भेजे जाते हैं। यह राजस्थान के नवयुवकों के साथ न्यायसंगत कृत्य नहीं है। जिसे रोकने में नियोजन कार्यालय की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

(40) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैंरूलाल (उदयपुर ग्रामीण)

(41) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने की चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

(42) ब्यावर नगर एक औद्योगिक नगर है वहां के मजदूरों के लिये नई श्रम कालोनी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

(43) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में राज्य सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

(44) राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

(45) शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जावे एवं श्रमिकों को नियमानुसार पारिश्रमिक और सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

(46) मालिकों द्वारा श्रमिकों के हितों को नजर अन्दाज करने पर विभाग द्वारा

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द ग्रामलिया (चौरासी)

(47) राजस्थान सिन्टेक्स मिल लि. डूंगरपुर में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में नियोजन कार्यालय की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा)

(48) माही परियोजना में लगे हुये श्रमिकों का शोषण रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

(49) प्रदेश में अत्यधिक रोजगार उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरवड़ (परवतसर)

(50) मकराना नगर में मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

(51) राजस्थान में रोजगार के प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा)

(52) सराड़ा तहसील में आदिवासियों को रोजगार दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं)

(53) बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

(54) प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर रोजगार कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(55) कोटा संभाग के बेरोजगारों को कोटा के उद्योगों में प्राथमिकता देने तथा 80./' नियुक्तियां दिलवाने में रोजगार कार्यालय की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़)

(56) शिक्षित नवयुवकों को आर्थिक पिछड़ेपन के मापदंड से रोजगारों में प्राथमिकता देने व बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

(57) रोजगार की समस्या सही ढंग से हल किये जाने के सुझावों पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(58) श्रम निरीक्षकों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

130

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

(59) राज्य के श्रमिक न्यायालयों में अधिकारियों के कई पद रिक्त हैं फलतः विवादों को निपटाने का कार्य अवरुद्ध है इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

(60) नियोजन विभाग में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

(61) कोटा सिटी स्थित फैक्ट्रियों में हाड़ौती क्षेत्र के नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार लगाने में नियोजन कार्यालय की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

(62) बीकानेर में श्रमिक कल्याण केन्द्र खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(63) राज्य में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

(64) जिला जालौर में रोजगार उपलब्ध कराने में विभाग द्वारा शिथिलता बरती जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

(65) श्रम न्यायालयों में समय पर श्रमिकों के निर्णय नहीं होने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(66 ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों का शोषण कर उन्हें पारिश्रमिक कम देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(67) बेकार बैठे श्रमिकों को क्षतिपूर्ति भत्ता दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(68) श्रमिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(69) असंगठित मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई नियम न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(70) प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

(71) बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर चर्चा के लिये।

(72) श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी करने पर चर्चा के लिये।

(73) संस्थानों के खुलने व बंद होने के लिए समय की पाबन्दी का पालन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

(74) संस्थानों के समय की पाबन्दी की देखभाल के लिए उड़न दस्ते की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

(75) श्रम न्यायालयों के निर्णयों को लागू कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

(76) अजमेर नगर के बीड़ी के कारखानों के मालिकों द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से कानूनी प्रावधानों का पालन न करने के बारे में चर्चा के लिये।

(77) अजमेर नगर में स्थित बीड़ी के कारखानों के मालिकों द्वारा अनुज्ञापत्र की शर्तों की पालना नहीं करने तथा श्रम विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(78) अजमेर नगर में बीड़ी के कारखानों के मालिकों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अथवा बीड़ी मजदूरों हेतु निर्धारित रेट से चुकारा नहीं करने पर चर्चा के लिये।

(79) अजमेर नगर में बीड़ी के कारखानों के मालिकों द्वारा मजदूरों को नियमानुसार स्थाई नहीं करने से मजदूरों में व्याप्त असुरक्षा की भावना पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 व 23 पर विचार

श्री सभापति : अब जिन माननीय सदस्यों ने इन मांगों के सिलसिले में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं सदस्य महोदय जो भाग लेंगे कटौती प्रस्तावों पर उनकी सूची मुख्य सचेतक महोदय ने अलग अलग से दे दी है। चूंकि सदन का टाइम काफी से ज्यादा और चर्चाओं में गुजर गया है इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों पर बोलने के लिए अपने नाम दिये हैं उनको बुलाया जाये तो 7-8 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): सम्माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा को तो शिरोधार्य मानता हूं किन्तु जो नेता है उन्होंने पहले ही मुझे अवगत करा दिया है। मैं शिक्षा के संबंध में जो खास मुद्दे हैं वह आपके समक्ष रखना चाहता हूं। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन और टैन-प्लस-टू के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले कह चुके हैं, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता।

खास समस्याओं में विशेषकर जो एडेड संस्थायें हैं, मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो एडेड संस्थायें हैं उनको जो एड देती है उसमें जो भेदभाव की भावना है कि किसी को 50 प्रतिशत, किसी को 80 प्रतिशत और किसी को 40 प्रतिशत और किसी को कम और ज्यादा–मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि राजनीति को थोड़ा दूर रखकर वह यह भी सोचे, निजी संस्थाओं की ओर मैं आपका ध्यान अच्छी तरह से आकर्षित करना चाहता हूं कि सारी जो निजी संस्थायें हैं वह भ्रष्ट नहीं हैं। वह कार्य करती हैं, शिक्षा देती है और बच्चों को उच्च कोटि तक पहुंचाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनमें जो पिंजरा पोल की तरह अध्यापकों को रखा जाता है, 80 वर्ष के, 60 वर्ष के रिटायर होकर और घर में जिनकी बीवियों ने धक्का दे दिया वह मास्टर बनें यह बच्चों के साथ खिलवाड़ है।

माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, आपने ट्रान्सफर का मामला जान बूझकर छेड़ा है।

(132)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

ट्रान्सफर्स के बारे में चाहे ग्राप जनता पार्टी का बार बार नाम लें किन्तु जनता पार्टी के जो तरीके थे, ठीक है जो कुछ शिक्षकों ने भुगता उसके साथ ही साथ विद्यार्थियों ने भी भुगता। मुझमें ग्रापके लिए इज्जत है। मैं ग्रापको बहुत वर्षों से जानता हूं। मैं भी पुराना हूं ग्रौर ग्राप भी पुराने हैं। ट्रान्सफर्स के मामले में बुरा हाल हुग्रा है। मैं खुद वहां बैठा था, किसी काम के लिए गया ग्रौर जब मैं लौटा तो एक महिला के साथ एक नौजवान लड़की, जिसकी उम्र 22 वर्ष की होगी, ग्रति सुन्दर बच्ची है, वह मेरी बेटी है, मैं उसको कन्या मानता हूं, मैं ग्रपनी बेटी मानता हूं, धिक्कार है उस ग्रधिकारी को, माननीय भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री प्रभाकर जी ने पाप करवाया है, वे इन्सपेक्टर ग्राफ स्कूल्स कहते है कि मैं महावीर कालोनी में ग्रकेला रहता हूँ मेरे साथ मनोरंजन करो, ट्रांसफर करवा दूंगा। धिक्कार है। डूब मरना चाहिए। मैं भी 52 से लेकर शिक्षा संबंधित लाइफ में डी.ए.वी. कालेज तक रहा हूं। वह डिग्री कालेज दो बच्चों से शुरू हुग्रा ग्राज कम से कम 10 हजार बच्चों को विद्या दे रहा है। यह ग्रापके ट्रांसफर का नतीजा निकला। ग्रापने हाउस में बैठकर मुझे चिढ़ाया है। शिक्षा विभाग में ग्राप कुछ भी करें, ग्रापको कम से कम यह व्यवस्था करनी पड़ेगी ग्राई. ग्रो. एस. से संबंधित जो बच्चियां हैं, बालिकायें हैं जो ग्रौरते हैं, ग्रापने विधवाग्रों के बारे में तो कर दिया कि हम निरीक्षण करायेंगे, नीति पुनर्निर्धारण करेंगे, जो क्वारी कन्यायें है, वे मजबूर है। वे मजबूरी से ग्रापकी नौकरी करती हैं। उनका ग्रौर कोई कमाने का साधन नहीं है। वे ग्रपना भविष्य बनाने के लिये नौकरी करती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा सिस्टम के कारण वे सर्विस करके ग्रपना भविष्य बनाना चाहती हैं। माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा विभाग का स्तर जो ग्राप देखते है, ग्राप टैन प्लस टू करें किन्तु ग्रापको विषय कम करने पड़ेंगे। जब 36 के पहले मैं पढ़ता था, बड़े बड़े हाई स्कूलों में हम पढ़े हैं........

(3.52 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति पदासीन)

तीन या चार से ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे। ग्राज पांच वर्ष के बच्चे से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे पढ़ाई का बोझ जो थैला ग्रौर बैग लेकर चलते हैं वह पकड़ नहीं पाते। कम से कम जो कम्पलसरी सब्जैक्ट्स है उनके सिवाय कचरा कम से कम दसवीं तक निकाल दें। शिक्षा का जो स्तर है वह गिरने का कारण यह है कि ग्रापने शिक्षकों की बात कही कि ग्रान्दोलन कर रहे हैं। यह ग्रान्दोलन की बात ग्राप जानें, शिक्षक जानें। वे भी ग्राचार्य हैं ग्रपने बच्चों की तरह उनको पालते हैं उनको पढ़ाते है शिक्षा ग्रहण कराने की सामर्थ्य रखते हैं। बच्चे का संबंध माता पिता के साथ 5 वर्ष तक की ग्रायु तक होता है ग्रौर पांच वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक बच्चा जब स्कूल ग्रौर विद्यालय में जाता है तो बेटा बनता है ग्रपने गुरु का, ग्राचार्य का। सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी, विशेष रूप से ग्राज जो विषय ग्रध्ययन किये जाते हैं उसमें विशेषकर मुद्दे सामने ग्राते हैं, विद्या का स्तर गिर चुका है। बहुत से माननीय

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सदस्य कहते हैं कि यह जो इंगलिश स्कूल हैं इनको हटाया जाये और शिक्षा का स्तर एक जैसा कर दिया जाये । मैं आपसे कहूं जहां तक मैनर्स का सवाल है, जहां तक उनके उठने बैठने, खाने पीने का सवाल है, पब्लिक स्कूलों में बच्चों को सभ्यता और संस्कृति वे अपने ढंग से भले ही सिखायें । मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा विषय है मारल साइंस है उसमें किसी भी देवता, किसी के गाड का प्रचार नहीं होता है। आजादी के 32 और 33 साल के बाद भी कई ऐसे स्कूल हैं, कौन मना करता है, क्यों दुकान बना रखी है । ग्रांट इन एड लेकर अपनी आजीविका साधन बना रखा है। ऐसी सभ्यता का मार्गदर्शन होने दीजिये । जो टाई लगाकर जाते हैं उसका मैं हामी नहीं हूं । कम से कम जो मोरल साइंस पढ़ाई जाती है....

सर्व धर्माणि परित्यज मास एकं....

हमने भी काफी अध्ययन किया है किन्तु उसमें लिखा है सब अपने अपने धर्मो और देवताओं को पूजें और पराये धर्म में प्रवेश करके चाहे कलैक्टर भी बना दें तो उसको धिक्कार है । मैं पब्लिक स्कूलों की कोई आपके सामने कीर्ति या यशगान नहीं कर रहा हूं । राज्य सरकार का कर्तव्य है वह पब्लिक स्कूल खोले। अपनी बहुत सी बच्चियां है, अध्यापिकायें हैं वे इंगलिश भी जानती हैं, हिन्दी भी जानती हैं वे अपने बच्चों को सिखायें, कैसे उठना बैठना होता है। कम्पलसरी सब्जैक्ट में और आप्शनल सब्जैक्ट के अन्दर आया है लड़कियों के लिये होम साइंस। जी चाहे लो, जी चाहे न लो । मैं कहता हूं इस विषय का अध्ययन हो । बच्चों का होम साइंस से ही जीवन बनता है। दूल्हा और दुल्हन अपने शहर और गांव को छोड़ कर कोई दूर विदेश में जाते हैं हनीमून करने के लिये । जब कोई मार्ग छोड़कर अपमार्ग को जाने लगता है तो पति समझता है पत्नी मेरे कन्ट्रोल में है मैं कन्ट्रोल कर लूंगा । कन्ट्रोल में आने वाली नहीं है । भारत की प्राचीन सभ्यता में नारी को पवित्र नारी माना जाता है । होम साइंस के साथ साथ धार्मिक संस्कार, जैसे आपको मालूम होगा माथुर काम्युनिटी ने कुछ उद्देश्य रखे थे कि उस लड़की को हम बहू बनाकर घर में लायेंगे जो संगीत जानती हो । यह संगीत नहीं, खिड़की खुली है हम तुमको देखते हैं तुम हमको देखते हो । शास्त्रीय संगीत बच्चों को पढ़ाया जाये । जहां तक मुझे याद है यह 36 और 40 की बात है जब मैं ब्यावर में पढ़ता था । माननीय शिक्षा मन्त्री जी, मेरा कहने का मतलब यह है शिक्षा से सम्बन्धित जितने भी आपके अधिकारी हैं चाहे अध्यापक हों चाहे इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हों, चाहे हमारे नेता हो पवित्रता में आपका भविष्य है, बच्चों का भविष्य है । अगर आप गलत राह पर ले गये तो भटक कर वैश्यालय में जाकर प्रवेश करेगा । बच्चों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, सिविक्स वगैरह तो सब जानते हैं यहां तो जन्म से, पैदा होकर नेता बनता है । अमरीका थोड़े ही है । जॉन कैनेडी ने रसिया को धमकी दी थी कि 24 घन्टे में क्यूबा से बाहर निकलो नहीं तो सारा बारूद डालकर जलाकर राख कर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

दूंगा। क्यों कहा नीचे से ऊपर तक का वह कन्ट्रोलर था उसके साथ साथ सेना में रह चुका था, उसके बाद राष्ट्रपति बना। सम्माननीय शिक्षा मन्त्री, मैं प्रार्थना करूंगा कि आठवीं तक आप कन्ट्रोल रखिये। 9वीं, 10वीं और 11वीं तक जो कक्षायें हैं और विश्वविद्यालय तक कम से कम जो विद्यार्थी बिल्कुल गुजरी हुई अवस्था में आ जाते हैं उनकी कई मजबूरियां होती हैं, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास साधन नहीं, किसी के पास बिजली जलाने का बल्ब नहीं और मोमबत्ती और लालटेन जलाकर वह पढ़ाई नहीं कर सकता। आप कैसी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अभी वन थर्ड कोर्स पूरा हुआ है। हमारे टाइम में मुझे याद आता है जितनी पढ़ाई करते थे। 8वीं तक जितने इन्सपेक्टर्स हैं उनको भेजो क्लासेज में। वर्बली उसमें परीक्षा लें। मौखिक या राइटिंग में ज्ञान देकर पास कर दें। उनका स्तर गिरना नहीं चाहिये आज पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं तक। प्राईमरी सैक्शन के बड़े बड़े पेपर निकलते हैं, बच्चे क्या जानें। उनको कापियां देते हैं, पैसा नहीं। फण्ड्स में चोरियां करते हैं एडेड स्कूलों में। मां बाप के सिर के बाल का सत्यानाश हो जाता है, कट जाते हैं, रोते हैं हम नेताओं के सामने। आप तो रहते हैं जयपुर में, आप तो विशेषकर रहते हैं, सैक्रेटेरियट में पर विरोधी पक्ष जनता के मध्य में रहता है। जितना दुःख दर्द, होता है चाहे विरोधी पक्ष हो, चाहे मन्त्रिमण्डल से बाहर हो, आप नाराज न हों, आपके पास भी आता हूं। सम्माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आज मैं और एक मुद्दे के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं····

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री भगवान दास शास्त्री : मुझे 15 मिनट कहा गया है।

श्री सभापति : वही ध्यान दिलाना चाहती हूं कि समय कम होने की वजह से····

श्री भगवान दास शास्त्री : विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाओं का बायकाट होता है, यह मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अनुभव है, जिनकी उपस्थिति कम है, आपने उपस्थिति कम्पलसरी की है, उसका पर्सेन्टेज रखा है। मैं कहता हूं 2 या 3 साल विश्वविद्यालय में फेल होने वाले को कहो कि घर में जाकर पढ़ाई करे परीक्षा देने के बाद। यह मेरा खुद का अनुभव है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह मेरा खुद का विचार है, आपको बुरा लगे या विद्यार्थियों को बुरा लगे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी, माननीय शिक्षा मन्त्री, घर की दीवार बन्द करके विश्वविद्यालय में कहते हैं कि नेतागिरी कैसे चमकायें। विद्यार्थियों को कैसे हम भुलावे में लायें, आन्दोलन और बहिष्कार करने का उनका तरीका है। जो नियमित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, जो असहाय विद्यार्थी हैं, उनका सारा भविष्य अन्धकारमय हो जाता है किन्तु जो लगातार 3-3, 4-4, 5-5 वर्ष तक फेल होते हैं, वे जान बूझकर फेल होते हैं। अटेन्डेन्स कम

(श्री भगवानदास शास्त्री)

होती है, वह नेताओं के चक्कर में। मैं सब दलों से, विशेषकर जो सत्ता में दल आता है, उससे प्रार्थना करूंगा कि बच्चों का प्रयोग नहीं करें, बच्चों की जिन्दगी का प्रयोग नहीं करें। राजनीति में अगर आपको संघर्ष करना है तो अपनी नीति-रीति पर, अपने भविष्य में मैनीफेस्टो जो चुनाव में घोषणा की, उसके आधार पर करें। बच्चों की जिन्दगी, जितना भारत की एजुकेशन का स्तर गिरा है, ऐसा किसी देश में नहीं मिलता। भारत का स्तर विदेश में है, जिससे छात्र एडमिशन्स ले रहे हैं, वेस्ट अमेरिका के एडमिशन ले रहे हैं। यहां लड़के पढ़ते हैं, मैं कहता हूं, विदेशों के बहुत से बच्चे राजस्थान में इस लिए आते हैं कि राजस्थान में अजमेर, जयपुर आदि जो जिले हैं, विद्या के केन्द्र हैं हमारे बच्चे होशियार होकर यहां लौटेंगे। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति, विदेशी मुद्रा में राजस्थान और भारत में आती हैं विदेशों की। सम्माननीय सभापति महोदया, शिक्षा के स्तर के बारे में आपने एक कम से कम पालिसी तय करनी होगी उसमें स्नातक बने, ग्रेजुएट चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनकी सर्विस के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जो कागजी कार्यवाही है, उससे आप संतोष दिला देते हो। प्रश्न काल में, प्रश्न के टाइम, काल अटेन्शन के टाइम में हमें तो विश्वास दिलाते हैं, किन्तु यह कागजी कार्यवाही और झूठे आश्वासन छोड़कर आपको उन बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर ये भी भारत के नागरिक हैं, ये ही नेहरू हैं, ये ही गांधी हैं, ये ही सुभाष हैं, ये ही शास्त्री हैं। इसलिये आप कम से कम मेहरबानी करके राजनीति को, दलगत राजनीति को एक कूड़े में फेंक कर बच्चों का भविष्य सोचिये। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को कहूंगा जो मेरे विशेष मुद्दे हैं, भटकते हुये बच्चों को शरण देना, सर्विस देना, राज्य सरकार का परम कर्त्तव्य है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है कि सर्विस में हम नहीं लेंगे। मैं कहता हूं ठीक है, जो आपकी सीमा है, 55 वर्ष की, वहां तक तो आप रखो, 55 वर्ष के बूढ़ों को हटा दो। पर जो सूचना है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, आप एक्सटेंड करते हो, 2-2 साल तक बढ़ाते हो। वह हैल्थ का जमाना गया। जो बड़े अधिकारी हैं वे तो मक्खन मलाई खाकर तगड़े रहते हैं। इसलिये विटामिन यूज करके एक्सटेंशन देते रहते हैं। तीन साल, एक साल देते रहो। आने वाली पीढ़ी कहां से क्या कमा सकती है, क्या परिवार की पालना कर सकती है। कम से कम आपको, अधिकारी मेरे पर नाराज होंगे, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। गत वर्ष जो कामर्स की परीक्षाओं में बहिष्कार हुआ, उसके बाद सप्लीमेंटरी में चेंज किया गया। मैं कहता हूं, अब उनका क्या भविष्य बनेगा, उनके भविष्य के बारे में आप क्या कर सकते हो, उनका सारा रिजल्ट सत्यानाश हो चुका। यह क्यों बहिष्कार हुआ, उनका कारण कौन हैं ? कभी कभी मास्टर हमारे आचार्य. प्राचार्य, इनको तो आप और हम दोष देते हैं किन्तु बच्चे खुद आवेश में आते हैं जिनकी पढ़ाई नहीं होती, चाहे पढ़ाई न होने से, कोर्स पूरा न होने से। किन्तु कम से कम हमारे चांसलर और वाइस चांसलर कभी कभी आप उनको रंग में रंग लेते हो।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

ग्रार. एस. एस. कैडर से सम्बन्धित हैं। ग्रार. एस. एस. कैडर में, मुझे जहां तक विश्वास है, शिक्षण संस्थाओं से मेरा संबंध है, आचार्य, प्राचार्य,....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

वाइस चांसलर चांसलर, से जहां तक मेरी बात हुई है, कहीं रंग नहीं चढ़ता, इतना वे समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, एजूकेशन में सब कुछ ज्ञान है उनको। तो माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि आई. ओ. एस. के कुछ सीमित साधन रखिये। हमारे पंचायत समितियों में ज्यादा करके बी. डी. ओ. कभी कभी गलती कर बैठते हैं। अगर नेता खुश है, कन्या से. नेता अगर उन अध्यापिकाओं से खुश हैं प्रसन्न हैं, तो यहां रहेंगी, नहीं तो डवरेला मिल जायेगा, बांसवाड़ा मिल जायेगा, नहीं तो उसको बाड़मेर फेंका जायेगा। कम से कम ये शिक्षा का स्तर जिला परिषद के मार्फत आपने छोड़ा है. ठीक है, उसमें प्रगति होगी या होने की सम्भावनायें हैं किन्तु उन कन्याओं, महिलाओं को बी. डी. ओ. की शरण में न भेजकर, अधिकारियों की शरण में न भेज कर, उसके सतीत्व की रक्षा करें। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी। 10 मिनट का समय दिया जायेगा। आज यही निर्धारित किया है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : मैंने अध्यक्ष महोदय से बात कर ली है। 10 मिनट में बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कटौती प्रस्ताव के तहत माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, हालांकि मैं इस बात से भली भांति परिचित हूं, रेडीकल चेंज जितना कर रहे हैं, उतना सम्भव शायद नहीं हो पाया लेकिन बड़ी गम्भीरता से जो एजूकेशन में समस्यायें पैदा हुई हैं, उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे मोटा मुद्दा यह है कि सोशल रेलेवेंस एजुकेशन का रहे या न रहे, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। यह कहा जाता है, अच्छे विद्वानों ने कहा है कि जैसे जैसे एजुकेशन होगी, आदमी का मोरल अप होगा लेकिन दुर्भाग्य और सौभाग्य से हिन्दुस्तान और राजस्थान का सौभाग्य समझिये कि जो दंगे हुए, आरक्षण विरोधी आन्दोलन हुआ, चाहे जनता पार्टी के शासन काल में, जिसकी रिपोर्ट भैरोंसिह जी जानते हैं, वह आरक्षण विरोधी आन्दोलन राजस्थान में हुए उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन से तत्व थे? ये जो आज भी दंगे हुए हैं, जिसके कारण एक छात्र मरा है। एक गम्भीर प्रश्न इस बात का उठा है कि दंगे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कभी गांव में रहने वालों ने दंगा नहीं किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हिन्दुस्तान में, राजस्थान में कन्जरवेटिव का असर पड़ा है—छात्रों पर? तो हमें बड़ी गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिये कि शिक्षा के बाद मोरल आगे क्यों नहीं बढ़ा। दंगे हुए, रांची में हुए, जमशेदपुर में हुए, दंगा हुआ विश्वविद्यालय में। दंगा प्राइमरी स्कूल में नहीं हुआ, सेकण्डरी स्कूल

(श्री सी. पी. जोशी)

में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि शिक्षा का सम्बन्ध हिन्दुस्तान में इस तरह से है कि जैसे जैसे ज्यादा एजूकेट होते जा रहे हैं, उतने कन्जरवेटिव होते जा रहे हैं। यह गम्भीर प्रश्न है। इस बात के लिये सोचना है। माननीय सदस्य से सुझाव दिये हैं–मोरलिंग और लर्निंग। क्या हमारी शिक्षा लर्निंग और इम्पार्ट कर पा रही है। यह गम्भीर प्रश्न आज की स्थिति में आपके सामने है। मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूं, शिक्षा का सीधा सम्बन्ध बेरोजगारी से भी है और सीधा सम्बन्ध मोरल से भी है इसीलिए हमको गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिये कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। आज जो देश का माहौल है, जो जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार सत्ता में आयी, उस समय जो सम्पूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसके कारण भी वही छात्र थे। आज देश को डिसीप्लीन्ड करने का नारा दिया जा रहा है। असम आन्दोलन, उसका कारण विद्यार्थी बन रहे हैं। इसका मतलब एक चीज समझ में आती है, इन नारों के साथ सत्ता में आने के बाद जो लोग जनता पार्टी में सत्ता में आये, सोचा था कि युवकों को समग्र क्रांति के माध्यम से रचनात्मक कार्यों में लगाकर देश के अन्दर इस तरह का माहौल बनायेंगे कि युवक इसमें इन्वोल्व हों और ढाई साल के शासन में ऐसा कर दिया, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि आज वही छात्र असम आंदोलन की बात कर रहे हैं, आज वही छात्र आरक्षण की बात कर रहे हैं।

यह जब मैं बात कहता हूं, तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं, यह बात कही गई है शिक्षा में राजनीति नहीं आनी चाहिए, लेकिन मेरा खुला आरोप है कि तत्कालीन जनता सरकार ने जिस तरह से वाइस चांसलर्स के अपोइन्टमेंट किए, जिस तरह से सिंडीकेट कायम की उस सिंडीकेट की हालत यह है कि अभी मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि उदयपुर विश्व विद्यालय की जो सिंडीकेट है, उस सिंडीकेट का गठन है, सिंडीकेट के जो नामीनी हैं, मेम्बर हैं उनका सम्बन्ध किन पार्टियों से है यह खुला इतिहास है। उदयपुर विश्व विद्यालय के अन्दर कोई भी अपोइन्टमेंट बिना इण्टरव्यू के नहीं हो सकता है। इस सिण्डीकेट में तत्कालीन वाइस चांसलर जनता पार्टी ने बनाए, उन्होंने लगभग चार सौ अपोइन्टमेंट किये हैं। एडहाक अपोइन्टमेंट किये हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से बड़ी गम्भीरता से निवेदन कर रहा हूं कि विश्व विद्यालय के जो सैक्शन 8 के तहत आपने स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई और जिन लोगों के खिलाफ स्क्रीनिंग कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा है, उन लोगों को इस सिण्डीकेट ने एडहाक रीडर और प्रोफेसर बनाया है। बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि क्या विश्व विद्यालय के अन्दर एडहाक प्रमोशन का कोई प्रोवीजन है? विश्व विद्यालय के अन्दर कोई भी पोस्ट प्रमोशन की पोस्ट नहीं है, फिर किस रूल के तहत जो वाइस चांसलर की नियुक्ति तत्कालीन भूतपूर्व जनता पार्टी ने की विश्वविद्यालय में चार सौ प्रोफेसर और रीडर्स की पोस्टें बनायी हैं। पहला क्वेश्चन मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से यह है। उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर एक्ट में जो प्रोवीजन है कि क्वालिफिकेशन एण्टर होंगी स्टेटेटुअरी। आज दिन तक उदयपुर विश्व-

(श्री सी. पी. जोशी)

विद्यालय के अन्दर 1962–64 के बाद में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी तब से आज दिन तक उदयपुर विश्वविद्यालय में कोई स्टेटुअरी क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब्ड नहीं है। जब स्टेटुअरी प्रेस्काइब्ड नहीं है, उसके बाद नियुक्तियाँ किस तरह से कर रहे हैं ? राष्ट्रपति शासन के अन्दर अप्रैल 4, 5 और 6, 1980 को गवर्नर महोदय ने विश्वविद्यालय को फरदर अपोइन्टमेंट रोक देने के लिए लैटर भेजा। वहां की सिण्डीकेट ने प्रस्ताव पास कर रखा है कि कोई भी अपोइन्टमेंट रीडर और प्रोफेसर का नहीं होगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर अपोइन्टमेंट हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं वे किस तरह से हो रहे हैं ? जनता पार्टी के शासन काल में राजनीति नहीं आई ? मैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कोई भी नियुक्ति नहीं की ? शिक्षा विभाग में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया था ? इस बात को गंभीरता से इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं मानता हूं कि राजनीति की जब हम बात करते हैं कि शिक्षा में राजनीति लागू नहीं होनी चाहिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर, जोधपुर विश्वविद्यालय में, सिण्डीकेट और सीनेट में यदि अभी भी हम यह चाहते हैं कि राजस्थान में आरक्षण विरोधी आन्दोलन चालू नहीं हो, यदि हम चाहते हैं कि शिक्षा से राजनीति दूर हो तो किसी तरह से तीनों विश्वविद्यालयों की जो कण्ट्रोलिंग बोडीज हैं, बोर्ड आफ कण्ट्रोल है, चाहे सीनेट हो, चाहे सिण्डीकेट हो, चाहे एक्जीक्यूटिव हो, यदि उनको भंग नहीं करेंगे और स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। एक तरफ लोगों को प्रमोशन दिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने कोट किया स्पेशली कि सेक्शन 8 के अन्तर्गत स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को देख लीजिए कि अध्यापकों के बारे में क्या रिकमण्डेशन्स की गई हैं और उन अध्यापकों को सिण्डीकेट ने प्रमोशन दिया है, हायर पोस्ट्स पर, रीडर और प्रोफेसर्स को। आज बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि आज उदयपुर विश्वविद्यालय जिसको मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी कहते हैं उस विश्वविद्यालय में डीन और डायरेक्टर, डायरेक्टर आफ रिसर्च एडहाक, डीन एडहाक, डीन आफ आर सी एडहाक, डीन आफ जोनल एडहाक, मास्टर आफ रिसर्च एडहाक। मैं पूछना चाहता हूं कि चार पांच पोस्टें एडहाक हैं और जहां से राजस्थान में मैक्जीमम इनपुट एग्रीकल्चर का उदयपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से देना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं आपको, आप परमानेंट सलेक्शन बोर्ड मीट नहीं कराना चाहते हैं। 1974 के बाद राजस्थान का एक एक्ट आया उस एक्ट के बाद उदयपुर विश्वविद्यालय ने एक्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन पास करके लोगों को कन्फर्म कर दिया। ड्यूली कांस्टीट्यूटेड कमेटी है, 1974 के बाद उदयपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के सलेक्शन के लिए अभी सलेक्शन कमेटी मीट की है। उसके बीच में कभी मीट नहीं हो। लेकिन 1974 और 1977 के बीच में जो अपोइन्टमेंट हुए, आपके इस एक्ट के तहत उसके बीच में उदयपुर विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट ने प्रस्ताव पास करके लोगों को कन्फर्म कर दिया। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह इस बात की द्योतक

(श्री सी. पी. जोशी)

है कि क्या हम गम्भीरता से सोचना चाहते हैं कि जो हम सोशल रेलेवेंस चाहते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह का बनें इस पर गम्भीरता से सोचें।

साथ मे एक निवेदन और भी है। एक प्रस्ताव करते हैं कि अनुदान पास किया जाना चाहिए। इस राजस्थान में प्रजेंट सिस्टम है उसमें अभी एक सुधार हो सकता है। प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन और हायर एजूकेशन के बीच में डीलिंग कीजिए। आज हालात यह है कि बीकानेर में आपका हैड आफिस है प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन का और आपका एडमिनिस्ट्रेशन बंटता है जयपुर में। हर स्टेट में लगभग मुझे याद है, बिहार, उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राइमरी और सैकण्डरी एजूकेशन का अलग विभाग है। एक अलग मंत्री है और हायर सैकण्डरी का मन्त्री अलग है। आज हालत यह है। एक निवेदन और है, राजनीति की बात आई, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजूकेशन के चेयरमैन का नोमीनेशन हुआ तत्कालीन जनता पार्टी के शासन में, वह इसका उदाहरण है। वे देख सकते हैं कि जिसको चेयरमैन बनाया, जिनका नोमीनेशन हुआ, उसकी लिस्ट देख लीजिए कि किस तरह के आदमी लिये हैं। तो राजनीति की बात हम करते हैं लेकिन हमने शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिया कि क्या हालात बन रहे हैं उदयपुर विश्वविद्यालय में। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसके बारे में कुछ कहूं लेकिन अल्टीमेटली आउट-कम है उसको तत्कालीन जनता पार्टी के शासन में किस तरह से शिकजे में कसा चाहे ओ एस डी के माध्यम से या वाइस चांसलर के अपोइन्टमेंट के माध्यम से या सिण्डीकेट को भंग करके, यह भी एक रिकार्ड है। जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहला मोटा काम किया सिण्डीकेट को भंग करने का। 25 जून, 75 को भी लोगों को कन्फर्म किया। यह इंस्टीट्यूशन है जनता पार्टी की और फिर कहते है कि राजनीति में भाग नहीं लें। 25 जून, 75 को आर्डीनेंस लाकर लोगों को कन्फर्म किया, आधे लोगों को बाहर निकाला। ये सब हालात बताते है कि किस तरह से राजनीति में भाग लेते हैं। मेरा शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि हम, मैं खुद इस बात को महसूस करता हूं कि विश्व विद्यालय में राजनैतिक सम्बन्ध इनके होने चाहिए, इनका तरीका यही है। भगवान के लिए आप जो अभी भी सिण्डीकेट बनी हुई है, जो वाइस चांसलर बने हुए हैं, एजूकेशनिस्ट है, अच्छे आदमी हैं उनको रखिये, मुझे तकलीफ नहीं लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दें कि लोग राजनीति के आधार पर सिण्डीकेट के मेम्बर न रहें। यह अच्छा नहीं है, यह उचित नहीं मानता हूं। राजनीतिज्ञ होकर राजनीति की बात करें, राजनीति का विरोध करें लेकिन राजनैतिक आधार पर विश्व विद्यालयों में पदोन्नति और अवनति की जाय यह स्थितियां अच्छी नहीं हैं।

साथ साथ मेरा यह निवेदन है कि हमने बड़ी गम्भीरता से स्कूल बढ़ाये। प्राइमरी सैकण्डरी स्कूल बढ़ाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर को लीजिए, अजमेर को लीजिए, बीकानेर और उदयपुर को लीजिए, इन सब जगहों पर जो स्कूलों की हालत है, जहां पर प्राइमरी सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं उनके मेंटीनेंस की क्या हालत है। गांवो के लिए तो आपने कह

(श्री सी. पी. जोशी)

दिया कि स्कूल भवन बनायें तो स्कूल खोलेंगे लेकिन जो सिटीज में सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी हैं उनके भवन बनाने के लिए आपके पास एलोकेशन ग्राफ फण्ड नहीं है। इनको एलोकेशन ग्राफ फण्ड नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप स्कूल खोल देते हैं, एक तरफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की बात कही जाती है लेकिन आप भगवान के लिए कुछ राशि इसके लिए रखिये कि हम कितने भवनों का निर्माण करना चाहते हैं। हमने कण्डीशन डाल दी इस बात की कि जहां भवन होंगे वहीं स्कूल खुलेंगे जिससे आदिवासी इलाकों में स्कूल नहीं होते लेकिन सिटीज में आप एक तरफ स्कूलों को क्रमोन्नत करते जावें और उनको मेंटीनेंस ग्राण्ट नहीं दें। मैं कुछ स्कूलों में गया हूं, मैं बता सकता हूं कि बिल्डिगें जर जर गिरने की स्थिति में हैं लेकिन डिपार्टमेंट खाली नहीं करता, न उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहता है। तो जो बजट के अन्दर व्यवस्था है उसमें सिटी में बिल्डिगों की हालत सुधारने के लिये एलोकेशन ग्राफ फण्ड करें।

मेरा निवेदन है कि ग्रेड्स के अन्दर जो एनोमोलीज हैं, प्राइमरी सैकण्डरी और हायर सेकण्डरी एजूकेशन और हायर एजूकेशन में जो ग्रेड चल रहे हैं। शिक्षक संघ होने चाहिए इसमें तकलीफ नहीं लेकिन शिक्षक संघ के माध्यम से यदि हम किसी आन्दोलन के साथ राजनीति खेलना चाहें तो हमें बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स की वास्तव में जो जेन्यून प्राब्लम हैं, जो ग्रेड हम देते हैं उस ग्रेड के अन्दर अपने घर से दूर रह कर वह आदमी शिक्षा के प्रति और अपने परिवार के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री महोदय से कि कम से कम जो अध्यापक समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हों, इस बात की बातें नहीं करते हों उनका अपने घर के पास ही पोस्टिंग करें जिससे वे ईमानदारी के साथ एजूकेशन को इम्पार्ट करने में सहायक हो सकें। यदि हम ग्रेड रिवाइज नहीं कर सकें तो यह अविलम्ब उनको राहत देने की आवश्यकता बहुत जरूरी है।

एक और कहूंगा अध्यापकों के बारे में कि एक हजार, दो हजार पद पंचायत समितियों में शिक्षकों के आज भी खाली पड़े हुए हैं। मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि एजूकेशन डिपार्टमेन्ट से पैसा डायवर्ट कर दिया गया पंचायत समितियों को और आज दिन तक वहां पंचायत समितियों में मास्टरों की नियुक्ति नहीं कर सके। लोग बाग बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार की सुविधा दे नहीं सकें। तीन सौ चार सौ बच्चों को एक मास्टर पढ़ाता हो तो एलोकेशन ग्राफ फण्ड वहां पर कम से कम इतना ज्यादा हो सके कि स्वीकृत पद को भरा जावे।

तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि हम बेरोजगारी की समस्या हल नहीं करेंगे तो हालात दिन पर दिन गम्भीर होते जायेंगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैं क्षेत्रीय भावना की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन राजस्थान में हालात यह हैं कि कम से कम एक डिग्री पावर्स वाले को लीजिए, एक कण्डीशन डाल दें कि कम से कम जो अरनेस्टली लेबर का वर्क है उसमें एक डिग्री राजस्थान से पास

(श्री सी. पी जोशी)

किया हुआ आदमी को लें। राजस्थान में हम अनएम्फ्लायमेंट की प्राब्लम को सोल्व करना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास में बीस लाख रुपये 80-81 के बजट में प्रोवीजन है संजय गांधी के नाम से पोलोटेक्निक स्कूल खोलने के लिये आपके पास पड़े हुए हैं। इतने ज्यादा हम आई.टी.आई. खोल सकें, आप पहले डिवीजन हैड क्वार्टर को पूरा कर लीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पूरा कर लीजिए, फिर जितने ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों में खास कर जिस इलाके में मैं आया हूं उस इलाके के आदिवासियों के लिए कहना चाहता हूं उस इलाके में 20 प्रतिशत ईरिगेशन है 80 प्रतिशत खार है. पानी की सुविधा नहीं है वहां पर आई. टी. आई. के माध्यम से आदिवासियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पायेंगे तो एक विषम स्थिति हो जायेगी। इसलिए जहां तक संभव हो, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं वे बड़ी आशा और आकांक्षा के साथ बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं और एम. ए., एम. एससी, एम. काम. करने के बाद जो लड़का मध्यम श्रेणी के परिवार का है, उसका समाज में आने के बाद झगड़ा होता है, द्वन्द्व होता है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जितनी ज्यादा औद्योगिक एजूकेशन देंगे उतना ही मिडिल क्लास का वर्डन कम होगा और छात्र बेरोजगारी की तरफ अग्रसर नहीं होगा। इसलिए गम्भीरता से खर्चा करें आई. टी. आई. पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का स्वरूप है उससे हमारी कृषि विश्वविद्यालय की मांग पूरी नहीं हो रही है। ट्राइबल प्राब्लम को आइडेंटिफाई करने का कोई साधन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं विश्वविद्यालयों में कम से कम एक विभाग ऐसा बनाया जाय जो वहां की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके। उदयपुर में ट्राइबल को ले लीजिये। जयपुर में इन्डस्ट्रियल काम्प्लेक्स बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में खोला जाय जिसके तहत इस एरिया की प्राब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके। आज प्राब्लम यह है कि क्या रिक्वायरमेंट है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राजस्थान की क्या प्राब्लम्स हैं, विश्वविद्यालयों में राजस्थान के ट्राइवल्स की प्राब्लम्स क्या है और जो वातावरण बन रहा है आरक्षण के बारे में उसका आइडेंटिफिकेशन और रेमेडीज विश्वविद्यालय नहीं कर पायेंगे तो विश्वविद्यालयों की क्या हालत बनेगी, वह मैं एक ही बात से निवेदन करना चाहता हूं। जैसे किसी एक ही जगह पर मुझे कहना नहीं चाहिये, जानवरों को इकट्ठा करते हैं तो जैसे जानवर जब सिटी में आ जाते हैं तो सरकार कानून और व्यवस्था की बात करती है। विश्वविद्यालयों में मर्डर हो जाय, मर जाय, सरकार ध्यान नहीं देती लेकिन वही छात्र जब व्यवस्था के विरुद्ध बोलते हैं तो सरकार कानून और व्यवस्था की बात करके इमिजिएट एक्शन लेती है। इसलिये मैं चाहता हूं विश्वविद्यालयों में जो शिक्षण का कार्य है, एजूकेशन का, उसको पूरा करें। सरकार को समय रहते इस स्थिति को समझना चाहिये, यह आवश्यक है। 1977 में जयप्रकाश जी छात्रों से संपूर्ण क्रान्ति की बात

(श्री सी पी. जोशी)

कर रहे थे वही छात्र आज आरक्षण की, आसाम समस्या की बात कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार मूक दर्शक बनी रह जाय। तत्कालीन मुख्य मंत्री बता सकते हैं जब उनकी पार्टी का आन्दोलन चला उसमें छात्रों के प्रति सी. आई. डी. की रिपोर्ट क्या है? यह तत्कालीन मुख्य मंत्री बता सकते हैं। इसलिये समस्या का समय रहते सुधार करें नहीं तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। जनगणना में पूरे साल अध्यापकों से काम लेने के बाद ढंग से पढ़ाई नहीं करा पाये, अब कहीं आपको एग्जाम आगे नहीं बढ़ाने पड़ें। आप इस बात से मना नहीं कर सकते कि उन्होंने शिक्षा का काम पूरा नहीं किया इसलिये इस स्थिति को देखते हुए परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाय।

(व्यवधान)

और अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि उदयपुर विश्वविद्यालय में इन्टरव्यू नहीं हुए लोगों को प्रमोशन दिया गया उनकी जांच करवाई जाय। तीनों विश्वविद्यालयों की सिंडीकेट को भंग करके जो योग्य एजूकेशनिस्ट हैं उनके आधार पर सिंडीकेट बनाई जाय और उसमें उपकुलपति को रखें। तभी जाकर उपलब्धियां हो सकती हैं। विरोध में बैठने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये लेकिन इस बात को दिल पर हाथ रख कर बता दें कि राज सत्ता के साथ 30 साल में जो कार्यवाही नहीं की वह ढाई साल में की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एजूकेशन का सोशल रेलेवेंस क्या होना चाहिये और जो लरनिंग और स्कूलिंग का अंतर है, मैं जानता हूं कि रेडिकल चेंज नहीं हो सकते लेकिन जो मिनीमम फण्ड्स अवेलेबल हैं उनसे प्रशासनिक चेंज प्राइमरी और हायर एजुकेशन को अलग कर की जा सकती है। ये जो प्रस्ताव हैं इन पर मंत्री महोदय जरूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ा मालानी) : सभापति महोदय, मैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सुझाव पेश करना चाहूंगा क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो कोई कालेज या हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है उनके बारे में क्या सुझाव दे सकता हूं लेकिन प्राथमिक शिक्षा के बारे में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बजट में 1400 स्कूल खोले हैं वे बहुत कम हैं इसलिये 400 प्रा० विद्यालयों की संख्या बढ़ावें। जो पिछले साल थे, कम से कम उतने तो कर देने की कृपा करें। हमारे बाड़मेर जिले में अनेक ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 500 से अधिक है लेकिन इन गांवों में अभी भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उदाहरण के तौर पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 ऐसे गांव हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है उनमें भी मैं कई नाम बता दूं--बरसालिया, साजन की ढाणी, रवाना, डेगरी, चोशेरी, खारड़ा, बाबूबैरा, इस तरह के 30 गांव है और हमारे बाड़मेर जिले में जो आबादी बसी हुई हैं वह इस तरह से बसी हुई है कि खेतों में ढाणियां हैं, लोग ढाणियों में रहते है 15-15 मील तक स्कूलें नहीं होने से उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्राथमिक विद्यालय खोलने का जो आधार तय करें। दूरी को मानकर प्राथ-

(श्री हेमाराम चौधरी)

मिक विद्यालय खोलने की कृपा करें तो जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं उनको प्राथमिकता देंगे तो इन गांवों में रहने वाले बच्चों का भाग्य शिक्षा के साथ जुड़ जायेगा।

उच्च प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी के पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसने कुछ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी, जनता सरकार ने शासन में आते ही उन आदेशों को निरस्त कर दिया इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पहले उन विद्यालयों को क्रमोन्नत करें जिनको करने का हमारी पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था। पिछली बार भी एक प्रश्न के द्वारा मैंने इस पर पूछा था जिस पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो विद्यालय भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने खोलने की स्वीकृति दी थी और जनता सरकार ने निरस्त कर दिया था उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा जिसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उदासर में एक विद्यालय क्रमोन्नत होना शेष है, उसको प्राथमिकता के आधार पर खोलने की कृपा करें।

मैं मंत्री महोदय से स्कूल भवनों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भवनों की भारी कमी है और बच्चे धूप में पेड़ों की छाया में इधर उधर बैठते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बिल्डिंग्स बनवाई जाती है, पीने के पानी के टांके बनाये जाते हैं, उसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन बनाये जायें, पीने के पानी के टांकों का निर्माण इस ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार योजना के माध्यम से करवाया जाये।

एक मैं मंत्री महोदय से विशेषकर निवेदन करूंगा कि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान दें–मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है जब कि मैं भी इतनी ही जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप बार बार बराबर हिस्से की बात करते हैं, बराबर शिक्षा देने की बात करते हैं, तो मेरे यहां भी उतनी ही जनता है, जितनी अन्य विधायकों के क्षेत्र में है, तो इस वर्ष जो हायर सैकण्डरी मेरे क्षेत्र में नहीं है, कम से कम आप एक हायर सैकण्डरी स्कूल तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दें ताकि मेरे क्षेत्र को शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाने की बात हो सके और शिक्षा में भी अपना हिस्सा हायर सैकण्डरी तक बढ़ा सकें। यही नहीं मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस विधायक के यहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, उनके यहां भी खोला जाये। इसलिए मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, पंचायत समिति हैड क्वार्टर गरमाना में जहां केवल सैकण्डरी स्कूल है, उसको क्रमोन्नत करने की घोषणा करें, तो मैं उनका कृतज्ञ होऊंगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर जो आबादी है, उस आबादी को आधार मानकर स्कूल खोले जायेंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर सब से पीछे रह जायेंगे।

(श्री हेमाराम चौधरी)

जिस तरह ट्राइबल एरिया के अन्दर भारत सरकार ने ज्यादा स्कूल खोलने के लिए एक नीति बनाई है, उसी तरह से बाड़मेर, जैसलमेर का जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां के लोग दूर दूर रहते हैं, उस इलाके के लिए इस तरह की नीति बनाई जाये कि गांव में रहने वाले बच्चों को कम से कम पांच किलो मीटर से अधिक नहीं जाना पड़े। इस तरह से जो पूरे राजस्थान में स्कूल खोलने का मापदण्ड है, वह न रख कर बाड़मेर, जैसलमेर के लिये अलग से मापदण्ड तय किया जाये जैसा कि ट्राइबल एरिया का मापदंड है, वह लागू करें।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपको बोलते हुए दस मिनट हो चुके हैं....

श्री हेमाराम चौधरी : शिक्षा मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर बाड़मेर कालेज में लॉ क्लासेज चालू करने की व्यवस्था करने की कृपा करें। लॉ कालेज के अन्दर इतना अधिक खर्चा नहीं हो इसलिए आप इस पर विचार करें। बहुत सारे वकील हैं जो पार्ट टाइम पर रह सकते हैं। यह व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम खर्चा होगा।

दूसरा शिक्षा मंत्री जी से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर थर्ड ग्रेड के टीचर तो हैं किन्तु सैकन्ड और फर्स्ट ग्रेड के टीचर नहीं आते हैं। इसलिए इस बात पर आप ध्यान दें कि वे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सेवा कर सकें। जिस तरह से शहर के लोगों को हाउस रेन्ट दिया जाता है, उसी तरह से रूरल अलाउन्स, पांच, दस, पन्द्रह जैसी भी स्थिति हो, उनको दें ताकि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित हो और वे हमारे क्षेत्र के अन्दर, हमारे बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखें....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक सैकन्ड। शिक्षा मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहूंगा। किसी तरह से अगर ज्यादा स्कूल खोलने की व्यवस्था न करे तो पार्ट टाइम अध्यापक रखने की व्यवस्था करें। जैसे बड़े बड़े शहरों में निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, वे व्यवस्था करती हैं, वैसे ही हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इस तरह की व्यवस्था करें, ग्रामीण क्षेत्र में पार्ट टाइम अध्यापक मिल सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था की जाये तो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकता है।

जो प्रोढ़ शिक्षा है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, वह फालतू जा रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा, यह केन्द्रीय सरकार की पोलिसी है इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी को केवल यह निवेदन करूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर जो नेहरू युवक केन्द्र है, उसके माध्यम से इसको चलाया जाये। यह अच्छी तरह से हमारे जिले में चल सकता है और लोगों का फायदा हो सकता है।.....

(श्री हेमाराम चौधरी)

श्रम और रोजगार के बारे में निवेदन मेरा यह है कि कांग्रेस सरकार ने जो बेरोजगार होते थे वे एक नियोजन कार्यालय में पंजीकृत होते हैं लेकिन जनता सरकार ने अपने रोजगार देने की नीयत से यह कानून बना दिया कि एक बेरोजगार तीन-2 नियोजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिससे उनके आदमी जहां भी जिस जिले में वेकेन्सीज हों, उस जिले में फिट हो जाये। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि पहले कांग्रेस सरकार की जो नीति थी, एक ही नियोजन कार्यालय में नाम रख सकते थे, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी ने जो कानून बनाया था उसको हटा कर जो हमारे पूर्व नीति थी, वापस उसको लागू किया जाये तो सही न्याय होगा। क्योंकि बाड़मेर जिले में बाहर के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और इस कारण हमारे जिले के लोगों को पांच, दस साल तक रोजगार नहीं मिल पायेगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपसे माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में अपनी नीति को स्पष्ट करें।

श्री सभापति : श्री मोहन मोदी। दस मिनट का कृपया ख्याल रखें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदया, आज शिक्षा विभाग की डिमाण्ड पर बहस हो रही है। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जो राजस्थान में सरस्वती के मन्दिर कहलाते हैं, उनकी क्या हालत है। जगह जगह झगड़े होते हैं। दो दो गुट बने हुए हैं। विद्यार्थी दो गुटों में बंटे हुए हैं और राजनीतिक पार्टी द्वारा उनसे लाभ उठाने के लिये उनको काम में लाया जा रहा है। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें।

सबसे पहले हमें प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब किसी मकान की नींव कमजोर होगी तो आगे चल कर वह मकान मजबूत कैसे बनेगा। प्राइमरी शिक्षा का जो प्रश्न है, उस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। आप कई दिनों से कहते चले आ रहे हैं हम शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। आज जो भी विद्यार्थी पढ़ कर निकलता है वह सरकारी नौकरी तलाश करता है और दर दर भटकता फिरता है लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें ऐसे कार्य इसके साथ जोड़े जायें जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, इस तरह के काम जोड़ दे जिससे आगे चल कर वह बच्चा बेरोजगार नहीं रहे, कुछ काम कर सके। मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह बेरोजगार रहे और वह अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सके तो उस देश की क्या हालत हो सकती है। यह आप समझते हैं। उनको रोजगार देना है। आपके यहां पर बहुत सी जगह खाली है। पंचायत समिति में अध्यापक नहीं है। उन जगहों पर आप विशेष ध्यान देकर उनको रोजगार दिलावें। एक किसान का लड़का पढ़ने के बाद, आपको अच्छी तरह जानकारी है कि हल नहीं चला पाता है। उसको इन्जीनियर बना दें, एग्रीकल्चर का

(श्री मोहनलाल मोदी)

इन्जीनियर बना दें, लेकिन वह खेत में जाकर उसका उपयोग नहीं करेगा। वह ए.ई.ओ. बनने की कोशिश करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरफ विशेष ध्यान देकर यह करें।

मैं आपसे एक निवेदन यह कर रहा था कि प्राइमरी शिक्षा की जो हालत है, वहां अध्यापक नहीं हैं और कहीं इतने लड़के हैं. 80, 70 लड़कों के उपर एक अध्यापक है। वह पढ़ा नहीं पाता है। पंचायत समिति के माध्यम से आप शिक्षा को चालू कर रहे हैं। सारा ही इसका बजट शिक्षा विभाग से देते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई न कोई नियन्त्रण करके आप शिक्षा विभाग की तरह इसको चलावें तो विशेष अच्छा रहेगा क्योंकि अध्यापक मर्जी प्राप्त रखते हैं जो स्कूलों में जाते नहीं हैं, हाजरी देते नहीं हैं और पढ़ाई होती नहीं है। यह हालत आज हमारे स्कूलों की है तो आगे की क्या हालत होगी आप सोच लें। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं पर्याप्त संख्या में और 40 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक देते हैं तो जहां 60 बच्चे हो जायें वहां पर दो देने चाहिये और इसी प्रकार 100 हो जायें तो 3 देने चाहिये। इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जो प्राइमरी एजूकेशन है, किस तरह से बच्चे को ढाला जाये यह स्थिति है। बच्चों को किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं? आगे जाकर कालेजों में पहुंचते हैं तो कालेजों की भयंकर खराब स्थिति है। मैं थोड़ा सा मेरे यहां के कालेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। नीमका थाना कालेज में आठ महीने से कोई प्रिन्सिपल नहीं है। आप सोचें उस कालेज में क्या स्थिति होगी। अभी वहां पर पिछले दिनों चुनाव में झगड़े हुये। वाइस प्रिंसिपल साहब को हार्ट अटेक हुआ था जो डेढ महीने की छुट्टी पर थे आगे छुट्टी बढ़ा ली। लेकिन आज वहां की हालत यह है कि किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह के लिए जयपुर आकर डिप्टी डायरेक्टर के दस्तखत कराके ले जाना पड़ता है और फिर दुबारा आना पड़ता है। यह त्यौहार भी आ रहा है लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कालेज में प्रिंसिपल किसी ऐसे आदमी को नियुक्त करें जो वहां जाकर 4–5 दिन में चार्ज ले ले। वरना कालेज की स्थिति और खराब होगी। वहां पर जो स्टाफ काम कर रहा है वह उसको चला नहीं पा रहा है। वे कॉलेज को बन्द कर देंगे, ताला लगा देंगे। मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था करें। प्रिंसिपल की नियुक्ति करके ऐसे आदमी को वहां पर भेजा जाये जो वहां पर चार्ज सम्भाल ले वरना आदेश कई दफा हो गये हैं लेकिन प्रिंसिपल वहां पर जाते नही हैं। कुछ मशहूर कालेज हो गया है। इस बात से लोग घबराते हैं। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों को तनख्वाह मिल सके। बिल लेकर के चपरासी जयपुर आता है और फिर यहां से दस्तखत कराके ले जाता है फिर आना पड़ता है। यह स्थिति है। इसलिए निवेदन करूंगा कि वहां पर ध्यान देकर इसकी ठीक व्यवस्था करायें।

दूसरा, हमारे जो ऐसे लेक्चरार हैं जो टेम्प्रेरी चलते हैं और जिनको दो तीन चार

(श्री मोहनलाल मोदी)

साल हो गये हैं उनकी ओर आप विशेष ध्यान देकर उनको स्थायी कराने की कृपा करें। 2,4 और 6 साल तक कोई टेम्प्रेरी चलता रहता है तो उनमें असंतोष रहता है। जब शिक्षा देने वाले में ही असंतोष है अध्यापकों में असंतोष है, लैक्चरार्स में असंतोष है तो वे बच्चों को क्या पढ़ा पायेंगे? वे बच्चों को शिक्षा नहीं दे पायेंगे। इसलिये उनकी ओर भी ध्यान दें।

जो बी०एड० पास लड़के अध्यापक हैं और जो लेक्चरार हैं उनको जो पे देते हैं बड़ा फर्क है। जो बी०एड० करके आता है ज्यादा समय लेते हैं लेक्चरार से एजूकेशन में ज्यादा टाइम लेता है उसको पे कम देते हैं। उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाये। अगर उनको नहीं लगायेंगे तो फिर एजूकेशन किस तरह से चला पायेंगे। इसलिये इस ओर भी ध्यान दें।

एक निवेदन और करना चाह रहा हूं कि जहां कॉलेज हैं वहां पर पी०यू०सी० की कक्षायें बन्द कर दें और हायर सैकण्डरी की कक्षायें चालू कर दें। इससे क्या होगा कि कालेजों में संख्या कम हो जायेगी और वहां पर ऊधम भी कम होगा। उधर जो एडमिशन में झगड़ा होता है वह भी नहीं होगा। मेरा विनम्र निवेदन है इस पर विशेष ध्यान दें। जहां पर कालेज हैं वहां पर पी०यू०सी० को बन्द करके हायर सैकण्डरी चालू करें। इससे कालेजों पर दबाव नहीं होगा और बच्चों को कालेजों में एडमीशन की सुविधा रहेगी और राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार भी बजट का नहीं आयेगा बल्कि कम ही आयेगा। पैसा अधिक खर्च नहीं होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो मिनट में ही खतम करूंगा।

श्री सभापति : आपके दो ही मिनट और हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : दो मिनट और दे देंगी आप। स्कूलों में पढ़ने के लिये जगह नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है। कुछ इस तरफ भी ध्यान दें। इस ओर भी आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिये।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन कर दूं। नीम का थाना पूरी तहसील में एक भी सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल नहीं है। पूरी तहसील में एक भी गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल नहीं है। आप स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहते हैं इसके लिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था लेकिन अब आप इस तरफ ध्यान देकर नीम का थाना में गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल जरूर सैंक्शन करें।

नीम का थाना कालेज छात्रों की संख्या के हिसाब से राजस्थान के इतने गिने कालेजों में से है उसको आप पी०जी० कालेज बनायें। पी०जी० कालेज बनायेंगे वहां पर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, सेठों के नहीं पढ़ते हैं कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको इस कालेज को पी०जी कालेज बनाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं। विद्यार्थियों के लिये आप नियम बनायें कि वे

(श्री मोहनलाल मोदी)

किसी राजनैतिक पार्टी में भाग नहीं ले पायें और शिक्षण संस्थाओं में केवल शिक्षा ही ग्रहण करें। ऐसा मानस बनायें कि वे केवल शिक्षा ही ग्रहण करें तो ही उनकी उन्नति होगी....

एक माननीय सदस्य : अगर ऐसा नहीं होगा तो नेता कैसे निकलेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसी बात नहीं है दूसरे ढंग से ले सकते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री ने जो 400 प्राइमरी स्कूल खोलने की घोषणा की है वह कम है। आपसे निवेदन करूंगा कि अब तो आप नये शिक्षा मंत्री आये है तो आपको कम से कम पिछले वर्ष से ज्यादा स्कूल खोलने चाहिये। यह आप मुख्य मंत्री जी से बात करें कि पिछले बजट में 800 स्कूल खुले हैं तो इस बार इससे अधिक होने चाहिये। आप इसको करने की स्थिति में हैं यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री बुलाकीदास कल्ला 10 मिनट के समय का ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : हमारी पार्टी का भी समय है....

श्री सभापति : बराबर दूंगी।

एक माननीय सदस्य : 8 बजे देंगी।

एक माननीय सदस्य : कभी तो आयेगा।

एक माननीय सदस्य : आप एक और चार का अनुपात रखें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : विद्या ददाति विनयम् विनयम् ददाति पात्रताम्। यह हमारी संस्कृति का उसूल रहा है। उसी बात को सामने रखकर शिक्षा विभाग प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा प्रदान करने के लिये सम्पूर्ण वित्तीय साधन जुटाता है। प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत इस बजट के अन्दर जो प्रावधान किये गये है वह बहुत कम हैं। हमारे ग्रामों में जो भाई रहते हैं उनकी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है और 400 स्कूल तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। इसमें बढ़ोत्तरी करनी चाहिये।

दूसरा मुद्दा यह है कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में फर्क है मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर विशेष आकर्षित करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों में जो फीस ली जाती है वह विश्व विद्यालयों में भी नहीं ली जाती है। प्राइवेट स्कूलों में मास्टरों को तनख्वाह दी जाती है 100 रुपया प्रतिमाह। उनका भारी शोषण होता है इसको रोकने के लिये क्या आप शिक्षा का राष्ट्रीकरण करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में एक जैसी तनख्वाह हो, एक जैसा शिक्षा का पाठ्यक्रम हो और एक ही जैसा शिक्षण शुल्क लिया जाये?

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

ऐसी व्यवस्था आप कर सकें इसके लिये उचित प्रावधान करें।

महोदया जी, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है मैं एक सैद्धान्तिक प्रश्न करता हूं कि क्या आप प्रौढ़ों को शिक्षा देकर उनको नौकरी देना चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि प्रौढ़ों को खेतीबाड़ी के बारे में, वैज्ञानिक कृषि बारे में, सहकारी कृषि के बारे में प्रशिक्षण दें। कुटीर उद्योगों के बारे में ध्यान दें और जो प्रौढ़ों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसको बरबाद मत करें। उन नन्हे-मुन्नों को शिक्षा दें जो शिक्षा के लिये तैयार हैं। ऐसे बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान हो।

महोदया जी, राजस्थान में संस्कृत अकादमी है, सिंधी अकादमी है और उर्दू अकादमी है। लेकिन राजस्थानी भाषा की अकादमी नहीं है। इसलिये आपसे निवेदन करूंगा की अति शीघ्र ही राजस्थानी भाषा की अकादमी भी खोल देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त ललित कला अकादमी, संगीत कला अकादमी का कार्य संचालन सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। इसके प्रवन्ध संचालन की समुचित व्यवस्था विभाग के द्वारा की जानी चाहिये। खेलकूद विभाग के अन्तर्गत केवल जयपुर में ही पैसा खर्च किया जा रहा है। इनडोर स्टेडियम भी जयपुर में ही बनाया जा रहा है। लेकिन बीकानेर डिवीजन, उदयपुर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन और कोटा डिवीजन में खेलकूद के अन्तर्गत कोई विशेष पैसा खर्च नहीं किया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में खेलकूद की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसका एक अलग से विभाग कायम किया जाय ताकि जो राज्य में अच्छे खिलाड़ी हैं उनका विकास करने के लिए विशेष प्रावधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो बजट में प्रावधान किया गया है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए पैसा रखा गया है, हायर सैकण्डरी स्कूल एक भी नहीं खोला जा रहा है। एक एक माध्यमिक स्कूल में लगभग पांच–पांच सौ विद्यार्थी हैं फिर भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला जा रहा है। इस सम्वन्ध में मन्त्री महोदय को निर्णय करना चाहिये, या तो टेन–प्लस टू की स्कीम को लागू करें, जाब ओरियेन्टेड एजूकेशन दें या नये हायर सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान इस बजट में करें ताकि जो माध्यमिक स्कूलों में दस-दस किलोमीटर से चलकर, गांवों से चलकर शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाते हैं उनका स्थाई समाधान हो सके। इस बजट में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के लिये बजट रखा गया है लेकिन हायर एजूकेशन के बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। राजस्थान में बीकानेर एक ऐसा इलाका है जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से यह बात कही थी कि यदि नया विश्व विद्यालय कहीं खुलेगा तो बीकानेर में खुलेगा। उसका आधार यह था कि जो तीन बड़े प्रश्न रखे गये थे, उनमें एक यह था कि बीकानेर में 32 कालेज हैं, एक लाख से ऊपर विद्यार्थी हैं, जैसलमेर से एक लेकर हजार किलोमीटर लम्बे इलाके में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, हायर स्टडी और हायर एजूकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महोदया जी, बीकानेर एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा हुआ इलाका है। जहां राजस्थान

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नहर, उपनिवेशन विभाग, कृषि विभाग की महति योजनायें विश्व बैंक के माध्यम से चल रही हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में दो लाख किलोमीटर भूमि पर भारी कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए, भारी औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, बीकानेर के एक लाख विद्यार्थियों को एडवान्स स्टडी के लिए बीकानेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट प्रावधान रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त राज्य के इंजीनियरिंग कालेज में जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनका प्रबन्ध भी नहीं है, और प्रबन्ध नहीं होने से राजस्थान के विद्यार्थियों के सामने एक समस्या हो जाती है कि वह किस प्रकार से अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। जिनके 75 पर्सेन्ट नम्बर हैं उनको भी प्रवेश नहीं मिलता है। महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रदेशों में 60 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश दे दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य में जो पोलीटेक्निक कॉलेज हैं, इन पोलीटेक्निक कालेजों का विस्तार करके इनको इंजीनियरिंग कालेजों में बदलने का कार्य शुरू करें ताकि मास्टर और बैचलर की डिग्री इन्जीनियरिंग कालेज में प्राप्त करने की सुविधा दी जा सके। पिछले दिनों में जनता पार्टी की सरकार ने एक बिल रखा था जिसको एजूकेशन बिल के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ कमियां हैं। इस एजूकेशन बिल को संशोधित करके इस सदन में पारित किया जाय ताकि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं उनकी सेवा सुरक्षा की गारन्टी सरकार दे सकें। ताकि समय समय पर प्राइवेट कालेजेज और स्कूलों में जो लोग इन अध्यापकों को बिना किसी कारण से, व्यक्तिगत रंजिश या मैनेजमेन्ट की अव्यवस्था या नाखुशी के कारण हटाया जाता है, जिनका शोषण होता है इस शोषण से उनको मुक्ति मिल सके। इस एजूकेशन बिल में मेडिकल के बारे में, हाउस रेन्ट के बारे में, और उनको सर्विस मिले ऐसी व्यवस्था करके प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों की उन्नति और हितों की रक्षा के लिए लागू किया जाना चाहिये। बीकानेर में नये प्राथमिक स्कूल खोले जाने के बारे में, और उच्च प्राथमिक शिक्षा और नये हायर सैकण्डरी स्कूल....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आठ बजे तक बढ़ा दिया जाय। 7 बजे तक माननीय सदस्य बोलें और एक घण्टे में दोनों माननीय मन्त्री महोदय अपना उत्तर दें।

श्री सभापति : आपका यह भी सुझाव है कि सात मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां।

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये हैं माननीय सदस्य, और भी बहुत से माननीय

(श्री सभापति)

सदस्य बोलने वाले हैं, सभी को मौका मिलना चाहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रख रहा हूं और बहुत ही संक्षेप में बोला हूं।

श्री सभापति : 5 मिनट काफी होते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : महोदया जी, मैंने अपने ग्राह्य कटौती प्रस्तावों में बीकानेर में जब तक विश्वविद्यालय न खुले तब तक डूंगर कालेज में सोशियोलाजी, भूगोल, और साइकोलाजी में ......

श्री सभापति : एक मिनट, सदन की कार्यवाही 8 बजे तक के लिए बढ़ाई जाती है, आपकी सहमति से।

मांग संख्या 24 व 23 पर विचार

श्री बुलाकीदास कल्ला : महोदया जी, मैं यह निवेदन कर रहा था जब तक बीकानेर में विश्वविद्यालय खुलने की कार्यवाही की जाय तब तक डूंगर कालेज में जहां वाणिज्य विषय है, विज्ञान और कला के विषय हैं, भूगोल, साइकोलोजी, सोशियोलाजी के विषयों की कमी है, इन विषयों को माननीय मंत्री जी खोलने की कृपा करें। इसके अलावा जो हमारे रामपुरिया जैन कालेज और जैन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज है जिनको 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है यह अनुदान तनख्वाह बढ़ जाने के कारण बहुत ही कम है, इसलिए इनका अनुदान बढ़ाया जाय और एम. ए. की कक्षायें भी खोली जायं।

इसके अतिरिक्त स्थानान्तरण की नीति पर विचार करने से पूर्व ढंग से जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ मिल बैठ कर एक नीति बनाई जाय ताकि जो राज्यादेश आप देते हैं उनका अधिकारी लोग जो उल्लंघन करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके और

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

अब मैं श्रम और रोजगार की मांग पर अपने विचार प्रगट कर रहा हूं....

श्री सभापति : क्षमा करें। श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति : आप तो शिक्षा के आदमी हैं इनको बोलने दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं एक सजेशन देकर अपनी बात खतम कर दूंगा। जो लोग यहां से विदेश जाते हैं, उन लोगों के लिए केरल में और मद्रास में ब्यूरो खोल रखे हैं जब कि हमारे यहां से जो लोग बाहर जाते हैं, प्राइवेट एजेन्सीज के द्वारा गरीब लोगों को बाहर भेजा जाता है। उनके पैसों का गबन किया जाता है, उनका एक्स्प्लाइटेशन किया जाता है। इसके लिए राजस्थान में जो विदेश सेवा में जाते हैं इनके लिए एक ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिये। शिक्षित बेरोजगारों के लिए जाब ओरियेन्टेड एजूकेशन होनी चाहिये और उद्योगों को राज्य में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, यह मेरा दुर्भाग्य है कि शिक्षा मन्त्री जी मेरे समय में ही बाहर गये हैं मैं आपके माध्यम से क्योंकि जब समय बहुत कम मिल रहा है, केवल सात मिनट का, तो अधिक समय न लेकर शिक्षा जगत में वर्तमान हालातों की ओर आपका, माननीय शिक्षा मन्त्री जी का और माननीय सदस्यगण का ध्यान आकर्षित करूंगा । मुझे बड़ा दुःख होता है जब यहां कही हुई बातों को पूरा न किया जाकर केवल उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । संक्षेप में अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पिछले विधान सभा सत्र में जब इस सदन में आरोप लगाये थे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि यह आश्वासन दिया गया था कि निश्चित रूप से जांच कराई जायगी । इस जयपुर के पुराने आमेर के महलों में आज से 350 साल पुरानी जालियां, एक फिल्म की शूटिंग के समय घोड़े दौड़ाने की गलत ढंग से परमिशन अली बाबा चालीस चोर फिल्म फिल्माने की वहां के अधिकारियों ने रिश्वत लेकर दी । उसके बाद वे जालियां टूटीं, उन जालियों को बेचा नहीं जाना चाहिये था, सुधारा जाना चाहिये था, 15 हजार रुपये में वे जालियां बेची गई । भारत में वे आलीशान भवनों में लगी हुई हैं । लेकिन उनकी जांच राज्य सरकार द्वारा आज तक नहीं की गई । रामानन्द सागर के घर में आज वे जालियां लगी हुई हैं और बम्बई में वह फिल्म प्रोड्यूसर आज भी बड़े शान से कहता है कि राजस्थान की जालियां मेरे घराने की शोभा बढ़ा रही हैं इसलिये राजस्थान की सी.आई.डी. या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से इस मामले की जांच कराई जाती । जांच की गई और जांच करने में जो अधिकारी स्वयं मौजूद थे, महेन्द्र जाच कर रहे हैं, ओम प्रकाश इसमें साझीदार था इसकी जांच के लिये भेज दिया । लोग चोरी करते हैं और उन मामलों में शरीक होने वाले अधिकारी जांच के लिये जाते हैं । इस तरह की हरकतों की जांच नहीं होती । इसलिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से या सी.आई.डी. से जांच करवा कर सही तथ्य सामने लाए जायं ।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) : कौन सी जालियां ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : आमेर के महलों की । अभी तक सरकार को मालूम नहीं, दुबारा सदन में बात पैदा हो रही है । राजस्थान में नालंदा और काशी विश्वविद्यालय के रूप में कल्पना किया जाने वाला राजस्थान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । मुझे आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार आंख मींच कर बैठी है । कितना पैसा उसको राज्य सरकार देती है ? कितना पैसा दूसरे अनुदानों से मिलता है ? कितना पैसा छात्रों की फीस से इकट्ठा किया जाता है ? उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है । मेरा आरोप नहीं, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पिछले 10 साल में कितनी पी.एम.टी. की फीस जयपुर में ली गई है ? जितना सरकार ने अनुदान दिया उसका हिसाब नहीं, किसी को जानकारी नहीं और भ्रष्टाचार में उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है । इसलिये राजस्थान विश्वविद्यालय के इस पैसे की जांच होनी चाहिये ।

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

इसी प्रकार भ्रष्टाचार राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्योंकि लम्बी चौड़ी बात कहने का मुझे समय नहीं मिलेगा, संक्षेप में माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

राजस्थान विश्वविद्यालय में पोलीटिकल साइन्स विभाग है जिसके हैड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं। वहां एक नये सैल का निर्माण किया गया साउथ ईस्ट एशिया स्टडी सेन्टर के नाम से। रिटायर्ड प्रोफेसर ए. पी. वर्मा ने इसी सैल को सी.आई.ए. की शाखा के माध्यम से जिसका नाम एशिया फाउण्डेशन है, एक लाख रुपये लेकर स्टार्ट किया। मुझे बड़ा दुख होता है राजस्थान की धरती पर इस प्रकार की गतिविधियां चलें जिसमें इन्टरनेशनल एजेन्सियां सक्रिय होकर राजस्थान की सीमाओं की सूचनायें विदेशों तक पहुंचा रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस सैल के तहत अमरीका के शोधकर्ता, जो पाकिस्तान में अमेरीकन दूतावास में सी.आई.ए. सिपाही के रूप में काम कर चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं की मदद की, को सबसे पहले फैलोशिप प्रस्तुत किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस प्रकार की गतिविधियां जब राजस्थान की धरती पर देखता हूं और राज्य सरकार चुप बैठ कर देखती रहती है। पहले भी यह मामला सदन में उठाया जा चुका है, इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार जिसमें बड़े अधिकारी लिप्त हों, विदेशी शक्तियां कार्यरत हों, मैं सबूत के रूप में निवेदन करूंगा कि इसी सदन में कांग्रेसी सदस्यों ने जब कांग्रेस सरकार थी, बरकतुल्ला मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस बात को स्वीकर किया कि राजस्थान में सी. आई. ए. की हरकतें निश्चित रूप से क्रियाशील हैं। आपको सोचना चाहिये, बड़ा आश्चर्य होता है इसी मामले को लेकर सी. आई. ए. के एक अधिकारी श्री ब्लू की मदद से राजस्थान विश्वविद्यालय में हरकतें हुई हैं, उनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। ऐसे भ्रष्ट तत्वों को जो राजस्थान की धरती पर इस प्रकार की कार्यवाहियां करते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिये। उदाहरण के लिये श्री ए. के. वर्मा जिन्होंने कनाड़ा की शोध पत्रिका में इन्दिरा गांधी तथा उसके नेतृत्व की कटु आलोचना की, उसको फासिस्ट बताया उसके केबिनेट के सदस्यों को मक्कारों की मण्डली बताया, जयप्रकाश के क्रांतिकारी अभियान का खुल कर समर्थन किया, उन्हीं सज्जन को राजस्थान की धरती पर राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में चयन समिति का सदस्य बना कर उनको सुशोभित किया जा रहा है। मुझे दुःख होता है, आपको सोचना चाहिये और गौर करना चाहिये इस प्रकार के पहलुओं पर।

मंत्री महोदय सारी बातें सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है वह राजस्थान के विकास की ओर सोचते हैं, पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उनको विशेष रूप से इस प्रकार की कार्यवाहियों की जानकारी है लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय की हरकतों से आपको आश्चर्य होगा। जहां तक मेरी जानकारी है संसार में इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है, इस प्रकार का कोई पदाधिकारी नहीं है, जिसकी कहीं हाजिरी नहीं होती हो जिसका रिकार्ड नहीं

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

बनता हो जिसको पूछने वाला नहीं होता हो कि आप क्या काम करते हैं। तनख्वाह के बिल पर दस्तखत नहीं, प्रधान मंत्री को भी तनख्वाह के बिलों पर दस्तखत करने पड़ते हैं, राष्ट्रपति को भी दस्तखत करने पड़ते हैं, अमरीका के राष्ट्रपति को भी दस्तखत करने पड़ते हैं, माननीय सदस्यों को भी अपने तनख्वाह के बिलों पर दस्तखत करने होते हैं लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्राध्यापकों को घर बैठे तनख्वाह भेज दी जाती है, दस्तखत नहीं करवाए जाते हैं और हाजिरी भी नहीं करवाई जाती है। केवल मात्र दो घण्टे वहां जाकर अपनी अटेन्डेंस की दस्तखत करने की परिपाटी है, वहां भी कोई सबूत नहीं कि आया या नहीं आया, इस प्रकार की परिपाटी को समाप्त करें जिससे शिक्षा के वातावरण को सुधारने में मदद मिल सके।

राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले दिनों भर्तियां हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है हर तरफ सीटें निश्चित की जाती हैं। पिछड़े लोगों के लिए निश्चित होती हैं, गरीब वर्ग के लिए निश्चित की जाती हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का ढर्रा एक अलग प्रकार का है न जात के नाम पर सीटें हैं न पिछड़ेपन के नाम पर न अल्पसंख्यकों के नाम पर सीटें हैं। वहां केवल मात्र हैं सीटें भाई भतीजों के लिए और खुले रूप से इस बात को स्वीकार किया जाता है कि यह रजिस्ट्रार का रिश्तेदार है, किसी का साला है, किसी का भतीजा है और इस बात के लिए उनको नौकरियां मिलती हैं। बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय उनको नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि वह किसी बड़े अधिकारी का साला नहीं है। इस प्रकार की परिपाटी को समाप्त करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रेस कितने समय से बंद पड़ा है आपको जांच करनी चाहिए, अपना निजी प्रेस होते हुए बहुत सी सामग्री बाहर से छपवाई जाती है उसका कारण यह है कि प्रेस के मालिक के अपने बेटे के नाम से सारा काम बाहर से कराया जाय और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रेस पर ताला लगा रहे, पूंजी व्यर्थ जा रही है, इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। इस प्रकार के भ्रष्टाचारों की, अनियमितताओं की आप जांच करके दोषी लोगों को सजा दें। जहां लोग दर-दर की भीख मांगते हैं, नवयुवकों को रोजगार नहीं मिलता हो वहां राजस्थान की धरती पर विदेशी लोगों को स्थाई रूप से रोजगार दिया जाता है, जिन्होंने अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी हो उन लोगों को पक्का रोजगार मिलता है, मैंने विधान सभा में प्रश्न दिया था, वह कल विधान सभा में आ चुका था लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला है। मुझे पता लगा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय इस बात को महसूस करता है कि वे विदेशी हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज भी विदेशियों ने भारतीय नागरिकता नहीं ग्रहण की....

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : कल आपने प्रश्न पूछा था, लिस्ट पर नहीं आया, देरी से पेश हुआ तो मेरा कसूर तो नहीं।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : उसका जवाब तो मिलना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : विधान सभा को जवाब भेज दिया गया।

श्री दीपेन्द्र सिंह : जो जवाब राजस्थान विश्वविद्यालय सोचता है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। विश्वविद्यालय इस बात को महसूस करता है उसके बाद विश्वविद्यालय कहता है—विश्वविद्यालय के नियमों में कहीं भी प्रतिबंध नहीं है कि विदेशियों को नौकरियां नहीं दी जायं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान की धरती पर नवयुवकों को रोजगार नहीं मिले और ऐसे लोगों को रोजगार देते हैं जो शिक्षा में निपुण नहीं हैं, जिनकी डिग्रियां फर्जी हैं, उनकी डिग्रियां यहां के मैट्रिकूलेट के बराबर हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में दया कृष्ण की डिग्रियों को चैक किया जाय जिन्होंने बिना डिग्री के नौकरी प्राप्त की हो, बिना उचित योग्यता के विश्वविद्यालय में नौकरी दी जाय इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस प्रकार की अनियमितताओं की तरफ आपको देखना चाहिए।

सभापति महोदया, आप निश्चित तौर पर वहां पर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको समाप्त करने में योगदान देंगे। इसके साथ ही, सभापति महोदया, हमारे यहां पर राजस्थानी भाषा के लिए अध्ययन केन्द्र की स्थापना अलग से सैल चलाया जा रहा है। मुझे जब यह पता लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी राजस्थानी भाषा का सैल हमारे यहां चल रहा है। लेकिन जब मैंने इसके कार्यकलापों के बारे में पता लगाया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ कि वहां पर किसी भी तरह से राजस्थानी भाषा की खोज के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किये गये-इसका सबूत, सभापति महोदया, यह किताब है जिसको देखने से पता लगेगा आपको। इस किताब का नाम है "दी सोर्सेज आफ सोशियल एण्ड इकॉनामिक हिस्ट्री आफ राजस्थान" यह किताब है, सभापति महोदया। यह पुस्तक 1979 में लिखी गई है श्री अरूण शाह द्वारा फोरवर्डेड बाई राजेन्द्र जोशी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सभापति महोदया, जिसको इस सैल का इन्चार्ज बनाया है, उन्होंने इस किताब के दो चार पन्ने ऊपर के हटा कर दूसरी किताब अपने नाम से छाप दी। सभापति महोदया, आपको यह देख कर आश्चर्य होगा कि यह पुस्तक जो छपी है इसकी प्रतिलिपि मेरे पास है जिसको बाद में नये इन्चार्ज ने अपने नाम से दो चार पन्ने हटाकर छाप दी थी उसमें किसी भी प्रेस का नाम नहीं लिखा है जबकि यह कानून है कि प्रेस का नाम लिखा जाना चाहिये। इसका एडीशन कब का है वह भी नहीं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के लोग वहां पर आज बैठे हुए हैं जो कि इस प्रकार का कार्य करते हैं। आज वहां पर इस तरह की परिपाटी बन गई है कि कोई काम नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के सरकारी सांडों को वहां पर पालने से क्या लाभ? इनको तुरन्त हटाया जाना चाहिये। अब इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि वह महाशय जब उनको पता लगा कि उनकी चोरी पकडी गई है तो अब इस कोशिश में है कि इस विभाग को समाप्त किया जाय, सभापति महोदया, वह यूनिवर्सिटी पर दबाव डाल रहे हैं कि इसको

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

समाप्त किया जाय। तो मेरा निवेदन है, सभापति महोदया, ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय को, इस सैल को समाप्त नहीं किया जाय। जैसा कि ग्रापने वायदा किया है कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा दिया जायगा, ग्रापने सदन में घोषणा भी की है कि राजस्थानी भाषा को सरकार बढ़ावा देगी ग्रौर ग्रापका मन भी है। तो मेरा निवेदन है कि राजस्थानी भाषा का ग्रलग से एक विषय खोल कर जिस प्रकार जोधपुर यूनिवर्सिटी में ग्रलग से विषय है उसी प्रकार राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रौर उदयपुर यूनिवर्सिटी में विषय ग्रलग से खोला जाय। सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी, राजस्थान की तीनों यूनिवर्सिटीज में राजस्थानी साहित्य का विषय खोल कर राजस्थानी जनता का धन्यवाद स्वीकार करेंगे। सभापति महोदया, जब मन्त्री जी खुद इसको मान चुके हैं, जब मन्त्री जी खुद इसको महसूस करते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दी जाय तो फिर ग्रापको निश्चित रूप से जोधपुर यूनिवर्सिटी की तरह उदयपुर यूनिवर्सिटी ग्रौर राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा विषय की स्थापना करनी चाहिए।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राज हमारे देश में शिक्षा को लेकर ग्रामूल चूल परिवर्तन की बात कही जाती है। हमारे देश की प्रधान मंत्री शिक्षा में ग्रामूल चूल परिवर्तन की बात करती हैं। प्रोफेसर से लेकर कुलपति तक इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश की शिक्षा मे ग्रामूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। इस सदन में भी स्वीकार किया गया है कि शिक्षा में ग्रामूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए ग्रौर मन्त्री महोदय खुद महसूस करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, ग्रापके माध्यम से यह जो दस जमा दो से क्या शिक्षा में ग्रामूल चूल परिवर्तन ग्रायेगा? क्या इससे परिवर्तन हो सकता है? ग्रगर ग्राप यह समझते हैं तो यह दिखावा है। जनता को यह एक भुलावा है। इसलिये मैं यह, सभापति महोदया, निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार हमारे देश में उदाहरण पेश करे इस बात के लिए वैसे तो केन्द्र भी जो निर्देश देती है उनको वह मान लेती है लेकिन जिस काम को सरकार खुद कर सकती है उसका खुद का कार्य क्षेत्र है उसके लिए वह कुछ कदम उठा सकती है। इस लिए, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ग्रपने ग्रधिकारों को काम में ले ग्रौर यह तय करे कि हमारे ग्रौद्योगिक विकास के लिये ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे। जिससे कि हमारा ग्रौद्योगिक विकास हो सके। ग्राज न केवल ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र शहरों ग्रौर जिला स्तर पर खोलें वल्कि ग्राप यह ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तहसील लेवल तक खोलें इसके लिए ग्रगर ग्रापको ग्रपने सरकारी मद में, पैसे में कटौती दूसरे बजट में करनी पड़े तो ग्राप करें। चाहे ग्राप हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोल सकें तो नहीं खोलें चाहे ग्राप नये सैकण्डरी स्कूल नहीं खोल सकें तो नहीं खोलें चाहे ग्राप नये कालेजेज को नहीं खोल सकें तो नहीं खोलें पर ग्राप यह ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलें। इससे हमारे युवकों को रोजगार देने

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

वाले कार्यक्रम मिलेंगे । युवकों के हाथों को रोजगार मिलने की क्षमता पैदा होगी । अगर आप इस तरह के औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलेंगे तब तो आप निश्चित रूप से शिक्षा में परिवर्तन करने जायेंगे अन्यथा तो आपकी शिक्षा में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा । इसलिए आपको नये औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने होंगे युवकों को रोजगार देने के लिये खोले जायं । इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा मन्त्री महोदय को, सभापति महोदया, युवकों को एक्सपोर्ट के लिये सामग्री तैयार करने के लिये प्रशिक्षण देना चाहिये । जैसे, घड़ी के पुर्जे हैं, रेडियो के पुर्जे हैं और इस प्रकार के कई काम हैं जिनके करने से हमारे युवक रोजगार पैदा कर सकते हैं वह यहां पर माल तैयार करके विदेशों को माल एक्सपोर्ट करके और विदेशों से माल इम्पोर्ट करके अपना माल तैयार कर पैसा कमा सकते हैं । इसलिये राज्य सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए शिक्षित बेरोजगारों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा । आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है । इस बात को सभी मानते हैं । मैं राज्य सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे । आज सभापति महोदया, सरकार सोचती है और देखती भी है कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाय । यहां पर मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया तो एक दिन ऐसा आयेगा कि वह लोग सड़कों पर आ जायेंगे तब क्या होगा । आज मुझे चाहे सत्ता पक्ष का समझें चाहे विपक्ष का समझें लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार इन शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रही है । मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन यह शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर आकर राज्य सरकार से अपने रोजगार के लिये कहेंगे । इसलिये जब आप महसूस करते हैं कि यह समस्या हमारे यहां पर है तो क्यों नहीं आप शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दे रहे हैं ? सभापति महोदया, आज राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं के नाम पर राज्य सरकार करोड़ों रुपये इन पर खर्च कर रही है पर सही मायने में वहां पर उन संस्थाओं के अन्दर कोई काम नहीं हो रहा है । आज प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर पर्दे के पीछे लोगों ने अपनी दुकानदारियां लगा रखी हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि बेरोजगारों को आप इन युवकों को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों में लगायें और इनको गांवों में भेजें, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता देकर भेजें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने बहुत समय ले लिया है ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सुझाव मैंने दिये हैं और जिन समस्याओं की तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है उन पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

शिक्षा मन्त्री जी गौर करेंगे। और मैं मान कर चलता हूं और मेरा विश्वास है कि शिक्षा मन्त्री इस पर गौर करेंगे और इन पर विचार करके आने वाले सदन में यहां पर इन समस्याओं का हल करके जवाब देंगे। इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवी सिंह भाटी। (अनुपस्थित)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदया, सदन में शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस चल रही है मैं भी शिक्षा की मांगों पर अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मन्त्री जी, जो कि नये पद पर आये हैं, उन पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की शिक्षा के अन्दर योगदान वह करेंगे। सभापति महोदया, झुन्झुनू जिला के एक ग्रामीण क्षेत्र से मैं आया हूं। झुन्झुनू जिला एक ऐसा जिला है, सभापति महोदया, जो कि देश में सैनिक मामलों में अपना कीर्तिमान रखता है। इसलिये मुझे यहां पर कुछ कहते हुए संकोच होता है कि ऐसे जिले में कोई सैनिक स्कूल नहीं। वहां पर मेरा सुझाव है कि सैनिक स्कूल खोला जाय।

(5.17 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सैनिक स्कूल खोलने के लिये यहां पर सन् 67 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री जी मोहनलाल सुखाड़िया ने घोषणा भी की थी लेकिन वह केवल मात्र घोषणा ही बन कर रह गयी। सभापति महोदय, इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार आज जो इतने सालों से कुंभकरणी नींद में सो रही है उसको जगाया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार तुरन्त वहां सैनिक स्कूल खोले। सभापति महोदय, आज एक तरफ तो हमारे जिले के लोग देश के लिये सीमा पर लड़ते है दूसरी तरफ उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी ठीक तरह से नहीं हो पाती है अगर आप हमारी इस मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको कम से कम इस बात की निश्चिन्तता तो रहे कि हमारे बच्चे वहां पर शिक्षा तो पा रहे हैं और वह हमारे देश की सुरक्षा के लिये अच्छी तरह से लड़ सकते हैं।

इसके अलावा मैं एक सुझाव आपके माध्यम से यह देना चाहूंगा कि आज हमारे देश में अनुशासनहीनता बहुत बुरी तरह से फैली हुई है सभी मानते हैं कि देश में अनुशासनहीनता है। हमारे देश की प्रधान मन्त्री खुद मानती है कि देश के अन्दर अनुशासनहीनता है लेकिन हमारे सामने कोई ठोस कार्यक्रम इस अनुशासनहीनता को मिटाने के लिये नहीं आता है। हमारे प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कहा कि देश में अनुशासन होना चाहिये पर इसके लिये विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं। इसके लिये मेरा सुझाव है कि सरकार हायर सैकण्डरी स्कूल के अन्दर अनिवार्य सैनिक शिक्षा रखे जिससे कि देश के नवयुवकों में अनुशासन की भावना बढ़े। आज अनुशासन नही होने के कारण बच्चे इधर उधर की बातें करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं अगर इनको अनुशासन की

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

शिक्षा दी जाय तो यह सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। सभापति महोदय, हमारे देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान में लड़ाई होगी। जब हमें यह खयाल है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान की सीमा में लड़ाई होगी तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे संकट के आने से पहले ही क्यों नहीं हमारे यहां पर 18 से लेकर 35 साल के युवकों को अनिवार्य मिलिट्री या अर्ध सैनिक ट्रेनिंग दी जाय। यह अगर आप करते हैं तो हमारे लिए यह सैकेण्ड लाइन आफ डिफेन्स होगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं मन्त्री महोदय उनकी ओर गौर करेंगे। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कोई कालेज नहीं है वहां पर कालेज खोला जाय। सभापति महोदय, इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया कि देश में कालेजों में युवक लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं और अगर जैसा मैंने सुझाव दिया कि प्रदेश में हमारे यहां पर आप अनिवार्य सेना की शिक्षा शुरू कर देंगे तो लोग अनुशासन की भावना में भी रहेंगे और आगे जाकर देश के लिये सेवा भी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन की यह भावना है कि राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में एक भाषा का दर्जा दिया जाय लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इसमें मैं मेरा योगदान देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि राजस्थानी अकादमी की घोषणा की जाय। उसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो यह कमी रह गयी है उसको पूरी की जाय। इसके साथ ही यह कहना चाहूंगा कि वृज भाषा साहित्य यहां का बहुत ही समृद्ध साहित्य है और उसकी भी एक अकादमी की स्थापना की जाय क्योंकि अब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री वृजवासी क्षेत्र से आये हैं तो यह उनसे भी मांग है कि वह इस तरफ ध्यान देकर यह काम करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, पुरातत्व विभाग के जितने स्मारक हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे नहीं होगा माननीय सदस्य। जब तक गिरिराज महाराज की जय नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बोलने दें तब तो ध्यान रखूं।

श्री सभापति : आप अपना समय खुद ही नष्ट कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सभापति महोदय, पुरातत्व विभाग के जितने स्मारक हैं उनके रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की मेरी मांग है क्योंकि यह हमारी अमूल्य निधि है जिसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है कि हम उसकी सुरक्षा कर सकें ताकि आने वाली पीढ़ी को कह सकें कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि के मामले में एक गतिशील प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है इसलिए मेरी यह मांग है कि राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। मेरा निवेदन है कि कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए एक गंगानगर में दूसरे कोटा में। माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम होना चाहिए कि गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसके आस पास नहरों से सिंचित अच्छा इलाका है और वह कृषि विश्वविद्यालय को फीड कर सकता है और कोटा पहले से ही डवलप्ड था और वहां केनाल के द्वारा और डवलमेंट हो सकता है। अगर कृषि विश्वविद्यालय इन दोनों जगह स्थापित हो जाते हैं तो वहां प्रगतिशील किसान इसका पूरा फायदा उठायेंगे और जो शोध कार्य होंगे उनका पूरा उपयोग करके इस प्रदेश में हरित क्रांति लाने में सफल होंगे और एक तरह का बहुत बड़ा योगदान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी से एक मैं ही बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : आपने समय से तीन मिनट ज्यादा ले लिये हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : नहीं लिये हैं। यह मेरे साथ अन्याय है और मैं आपसे न्याय की आशा करता हूं।

श्री सभापति : मैं पूरे सदन के साथ न्याय करूँगा।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बिलकुल नहीं करेंगे। यह तो चीफ व्हिप ने कर दिया है। पहले सदस्यों ने 15-15 मिनट ले लिये और हमको 7 मिनट का कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत अकादमी और उर्दू भाषा अकादमी हैं। एक बड़े हर्ष की बात है कि अब जो शिक्षा मंत्री महोदय हैं उन्होंने इस श्रेणी में एक संस्कृत भाषा अकादमी और जोड़ दी है। यह स्वागत योग्य कदम है और हम उनको धन्यवाद देते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : बजट में एक कौड़ी भी नहीं रखी है। यह मैंने पढ़ लिया है इसमें संस्कृत अकादमी के लिए एक पैसा नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो संस्कृत की दुर्दशा की गयी है वह ठीक नहीं है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन अकादमियों के लिए आपने घोषणा भी कर दी कि अकादमी चल रही हैं लेकिन जो इनका मौलिक स्वरूप है वह इस तरह का है कि अधिकारियों के अण्डर में चलने वाली संस्थायें हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि इनको चलाने में साहित्य अकादमी में 50 पर्सेन्ट से अधिक प्रतिनिधित्व साहित्यकारों को, ललित कला अकादमी में लेखकों को और संगीत अकादमी में संगीतकारों को मिलना चाहिए ताकि इन संस्थाओं के

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

उत्थान में वह सक्रिय योगदान दे सकें और उसमें अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें। मैंने बार बार निवेदन किया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अब दो ही पाइन्ट्स रह गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग जितनी भी पुस्तकें खरीदता है उसमें 80 प्रतिशत पुस्तकें वहीं मध्य प्रदेश के लेखकों द्वारा लिखी गयी खरीदता है। लेकिन यह अन्याय हमारे प्रदेश के लेखकों के साथ क्यों होता है ? मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि इसमें प्रदेश के लेखकों ने क्या अन्याय किया है कि उनकी पुस्तकें नहीं खरीदी जाती हैं ? क्या हमारे यहां के लेखकों का स्तर इस स्तर का नहीं है कि हमारी शिक्षा में वह एडजस्ट हो सकें ? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस मार्मिक बिन्दु पर ध्यान देकर 80 पर्सेन्ट पुस्तकें उनकी ही खरीदी जायं जिससे आर्थिक रूप से भी उनको मदद मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर अरबों रुपयों का बजट मौजूद है परन्तु उसकी उपलब्धि क्या है ? क्या यही है कि शाम को रोजाना 500 रुपया पाने वाले सुपरवाइजर और 75 रुपये पाने वाले जाकर अनपढ़ ग्रामीणों से बात कर आते हैं और गप्पे मार आते हैं लेकिन साक्षरता के नाम पर कुछ भी नहीं है ? इसके अलावा मेरा एक सुझाव है कि जो हमारे देश में बेरोजगार नवयुवक हैं उनको प्रतिमाह सौ रुपया देकर 2 घण्टे उनसे शिक्षा दिलाई जाय जिससे कि उनको स्टाइपण्ड मिल सके और साक्षरता आ सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दो मेरे सुझाव और हैं....

श्री सभापति : और माननीय सदस्य भी हैं। आर्डर प्लीज। समय आपने बहुत ले लिया है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरी पार्टी से मैं एक ही बोलने वाला हूं।

श्री सभापति : इस समय पार्टी का कोई लिहाज नहीं है। और पार्टी के नाम से बुलाये जाने का अवसर दिया जाय तो सारे समय में से दो तिहाई कांग्रेस पार्टी को ही मिल जायेगा। अब मेहरबानी करके सीट ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : जो सरकारी सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और जो गरीब रिक्शा चालक हैं और कुली हैं उनके बारे में निवेदन है कि अगर आप रात्रि-कालीन शिक्षा सेवा चालू करें तो वह भी पढ़ लिख सकेंगे।

श्री चतुर्भुज : नियमों से नहीं मानें, मर्यादा से नहीं मानें, आदेशों से नहीं मानें तो फिर क्या हो।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : मेरा यह निवेदन है कि उनके लिए रात्रिकालीन शिक्षण संस्थायें चलाई जायं। हम समाजवाद की बात करते हैं कि जो पिछड़ा तबका है

(१६२)

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

उसको हमारे साथ आना चाहिए लेकिन शैक्षणिक रूप से जब वह सामने नहीं आ सकते तो फिर कैसे साथ आ सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एक मुख्य बात रह गई है।

श्री सभापति : अब समय आपका तो समाप्त हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बस एक बात। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है....

श्री सभापति : आसन पैरों पर है आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, 400 प्राथमिक स्कूल और 100 मिडिल स्कूल का प्रावधान है वह बिलकुल नगण्य है और पिछले बजट के मुकाबले में नगण्य है। पिछली साल 1000 प्राइमरी स्कूल, 250 सैकण्डरी स्कूल और 600 मिडिल स्कूल खोले गए उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। क्योंकि आप कर्मठ और योग्य प्रशासक रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, और आपके पास शिक्षा विभाग भी रहा, वित्त विभाग भी रहा और कमर्शियल टैक्सेशन विभाग भी आपके पास रहा और आपने उनको बहुत ही योग्यता से चलाया—यह पक्ष और विपक्ष के लोग सभी मानते हैं। यह आम राय है। अब आपसे निवेदन है कि इस बजट को बढ़ाने की चेष्टा कीजिए और आप अपनी भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

श्री महाराम चौधरी : मैं ग्रामीण शिक्षा पर बोलने वाला हूं....

श्री अमरा राम चौधरी : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यों के बोलने के बाद उनका नाम पुकारा जाना है, ऐसी व्यवस्था है....

श्री सभापति : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। यह चेयर के ऊपर है।

श्री अमरा राम चौधरी : जब हमारा नम्बर आयेगा यह तो चले जायेंगे....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपका नाम आ जायगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

आपने जो समय निर्धारित किया है समय का जो बंटवारा किया है माननीय सदस्यों की संख्या को देखते हुए उस समय का दो बटा तीन भाग हमें मिलना चाहिए। पहले दो सदस्य इधर से बोलेंगे फिर एक सदस्य विपक्ष से बोलेगा। आपकी खुद की व्यवस्था है, आप पढ़ लीजिये।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कुमारी पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में

(सुश्री पुष्पा जैन)

पिछले 30 साल में और विगत 8 माह में शिक्षा विभाग की जो हालत हुई है मैं सोचती हूं अपने आप में एक मिसाल कायम की है....

एक माननीय सदस्य : 77 की बात याद कर लेना।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं अभी बता रही हूं। सन् 81-82 का जो बजट मेरे हाथ में है उसमें शिक्षा पर 153.75 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। इसमें आपने 16 44 करोड़ रुपये अधिक भी भी बताये हैं। सभापति महोदय, इतना प्रावधान आपने किया। लेकिन आपने स्कूलों में क्या व्यवस्था की है? 400 प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे और 100 मिडिल स्कूल खोले जायेंगे। सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहती थी, मैं इन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहती थी लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे याद दिला दिया कि 1977 में क्या किया इसलिए 1977 का इस सदन में जिक्र करना जरूरी है। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि 77-78 में प्राथमिक विद्यालय खोले गये 586, मिडिल स्कूल खोले गये 430, सैकण्डरी स्कूल खोले गये 349। 1978-79 में प्राथमिक स्कूल खोले गये 1193, मिडिल स्कूल खोले गये 312 और सैकण्डरी स्कूल खोले गये 259। सभापति महोदय, 79-80 में प्राथमिक स्कूल खोले गये 1128, मिडिल स्कूल खोले गये 180 और सैकण्डरी स्कूल खोले गये 185 और 81-82 में, माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊं प्राथमिक स्कूल खोलेंगे 400, मिडिल स्कूल 100 और सैकण्डरी स्कूल निल।

सभापति महोदय, यही जवाब मैं माननीय सदस्यों को चेतावनी पूर्वक कहना चाहती हूं, आपने बढ़ा कर, वह आपका इलेक्शन ईयर था। 71–72 में 214 सैकण्डरी स्कूल खोल दिये क्योंकि वह इलेक्शन ईयर था, 72–73 में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं. निल बटा निल, क्योंकि इलेक्शन ईयर नहीं था। 73-74 में सैकण्डरी स्कूल खोले सिर्फ 4 क्योंकि इलेक्शन ईयर नहीं था। 74–75 में आपने 4 सैकण्डरी स्कूल खोले क्योंकि इलेक्शन ईयर नहीं था। 75–76 में आपने 167 सैकण्डरी स्कूल खोले क्योंकि इलेक्शन ईयर आने वाला था। यह तस्वीर है आपके शिक्षा जगत की, आपने उपलब्धियां की हैं। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल जो स्कूल खोले बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जैसलमेर में आपने एक भी स्कूल नहीं खोला। दो प्राइमरी स्कूल खोले। बाड़मेर में जो स्कूल खुले हैं, शिक्षा मंत्री जी, आप समझदार हैं, आपसे कुछ उम्मीद जरूर है। पिछले शिक्षा मंत्री जी के जो काले कारनामे थे उन पर जरूर प्रकाश डालना चाहूंगी ताकि गुमराह होकर उन्हीं के कदमों पर चलना शुरू न कर दें लिहाजा यह जरूरी है उन्होंने क्या किया है उसका जिक्र करना जरूरी है। शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां की हैं। स्थानान्तरण में उपलब्धि प्राप्त की राजस्थान में उन्होंने तहलका मचा दिया। 10 हजार के करीब अध्यापकों के तबादले किए गये जब पानी नाक से ऊपर हो गया, बेचारे मजबूर होकर कोर्ट की शरण में गये, हाइ कोर्ट से स्थगन आदेश

(सुश्री पुष्पा जैन)

लिये गये करीब 100 रिट हुई, स्थगन दिया गया। स्टे आर्डर होने के बावजूद शिक्षा मंत्री जी, उन अध्यापकों को वापस ड्यूटी पर जोइन नहीं करने दे रहे हैं, हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद। यही नहीं, पंचायत समितियों के शिक्षकों के ऊपर राज्य सरकार का अधिकार नहीं था उनके भी ट्रांसफर कर दिये गये। उनको भी हाइकोर्ट में शरण लेनी पड़ी, वहां भी आपको मात खाकर आना पड़ा। सभापति महोदय, राज्य सरकार के आदेश से तबादले हो रहे हैं लिखित में नहीं टेलीफोन से तबादले हो रहे हैं शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा फिजूल खर्चा किया है तो वह स्थानान्तरण पर किया है। सभापति महोदय, मैं मिसाल बताना चाहूंगी 80–81 में संशोधित अनुमान के अनुसार शिक्षा पर 559.53 लाख रुपया खर्च हुआ है और जो अधिक खर्चा हुआ है 33.93 लाख हुआ है। 44.63 लाख रुपया यात्रा व्यय में अधिक खर्चा हुआ है। अनाप शनाप स्थानान्तरण करने के कारण हुआ है। सभापति महोदय, राजस्थान में जब स्थानान्तरण का बहुत ज्यादा तहलका मच गया तो प्रधान मन्त्री जी ने बहुत दुखी होकर एक पत्र लिखा माननीय पहाड़िया जी को उन्होंने अपने पत्र में लिखा····

श्री चन्दनमल बैद : आपको दुख नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : आपको कॉपी दी क्या ?

सुश्री पुष्पा जैन : 19 अगस्त, 1980 को पत्र लिखा गया माननीय प्रधान मंत्री जी ने आप कहें तो आपको बता दूं। राजस्थान में जो शिक्षा नीति अपनाई जा रही है उसके कारण न सिर्फ सरकार बल्कि अपनी पार्टी का नाम भी बदनाम हो रहा है। शर्म करिये, डूब मरो····

(व्यवधान)

आप सुनना चाहते थे मुझसे कहलवाना चाहते थे इस सरकार को बदनाम करने के लिये, मैं जानती हूं आप के मन की बात की है। मैं कहूंगी, आपके मन की बात कहूंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, अध्यापकों के मामले में तो स्थानान्तरण हुए इन्होंने तो स्कूल्स के स्थानान्तरण करने शुरू कर दिये। सवाई-माधोपुर में बामनवास के एक सैकण्डरी स्कूल का स्थानान्तरण कर दिया गया। यह स्कूल का तबादला कहां किया वहां से 9-10 किलोमीटर दूर कर दिया। आपको सुन कर यह आश्चर्य होगा कि इनको हाइकोर्ट में शरण लेनी पड़ी और उसका स्टे आर्डर ले आये। वहां भी उनको मात खानी पड़ी। अदालत ने पूरा प्रोटेक्शन दिया और इनको वहां भी मुंह की खानी पड़ी।

सभापति महोदय, इनकी उपलब्धियों का कहां तक बयान किया जाय, समय कम है लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। अभी दो–तीन दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा विधि संकाय की 44 कॉपियां बाजार में आ गई। एक दिन पहले गंगानगर में परीक्षा हुई और दूसरे दिन जयपुर में एम.आई. रोड पर कॉपियों के पन्ने फाड़े जा रहे थे रद्दी में बिक रही थीं। यह इनके प्रशासन का कीर्तिमान है

(सुश्री पुष्पा जैन)

और आपके शिक्षा जगत का और मुझ से कह रहे थे 77 में क्या किया ? करोड़ों रुपया आपने बर्बाद किया है राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यहां बैठना दूसरी बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, बोल रही हैं, आप लोगों को उनके भाषण में इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैंने जो यह बजट पढ़ा, इसमें कहा गया, 25 लाख रुपये की लागत के भवन का निर्माण, 81–82 में जयपुर में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिये, कार्य आरम्भ होगा। अच्छी बात है लेकिन मुझे खुशी होती कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी कोई बड़ी बात कही होती। आपने उनके लिए क्या किया ? सिर्फ 400 प्राइमरी स्कूल और 100 मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल का कहीं नामोनिशान नहीं। आज आप इसी बात को कहना चाहते हैं कि किसान आपके साथ हैं। कहना और करना दोनों में फर्क है। मन्त्री महोदय, बड़प्पन वही होता है, बड़ा आदमी वही कहलाता है जो कहे उस पर अमल करे। आपने किसानों को अपने साथ होने की हामी भरी है, आप उनको लेकर रैलियों में गये हैं और यहां बैठ कर आप अपने बजट में प्रावधान करते हैं, जैसे भिखमंगे को भीख देते हैं आप कह रहे हैं, 400 प्राइमरी स्कूल दे देंगे और उनमें से भी पता नहीं उन बेचारों के कितने हिस्से में आयेंगे जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर....

श्री चन्दन मल बैद : आपके नेता जी गये।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य, जिस क्षेत्र में किया है आपने जैसलमेर जिले में निल बटा निल स्कूल। ये करेंगे आप। यही नहीं....

श्री चन्द्रवीर सिंह : आपके मन्त्री तो सदन में ही नहीं आते।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, यही नहीं, कला में कितनी रुचि है, संगीत और कला में कितनी जानकारी रखते हैं, इनकी कितनी रुचि है उसका एक नमूना, जो इसी बजट में कहा है कि माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि केन्द्र सरकार ने सिद्धान्त रूप से जयपुर में हिन्दुस्तानी संगीत का केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये हिन्दुस्तानी संगीत क्या है ? कम से कम आप इसको क्लियर तो करते, हिन्दुस्तानी संगीत के तहत जयपुर में क्या करना चाहते हैं। कौन सी बड़ी उपलब्धियां देना चाहते हैं। हिन्दुस्तान में संगीत के कई रूप हैं, उनमें से कौन सा रूप कायम करना चाहते हैं। उसमें आपने सिर्फ गोल माल दे दिया और इस पर....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आपने एक लाख रुपये बजट में रखे, आप क्या करेंगे, कौन सा हिन्दुस्तानी संगीत का नमूना पेश करेंगे, हम समझ नहीं पाये।

अनेक माननीय सदस्य : आपके क्या सुझाव हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : यही नहीं, आपने तीन लाख रुपये का प्रावधान किया, रवीन्द्र मंच के ओपन एयर थियेटर के लिए, आपने

(सुश्री पुष्पा जैन)

कहा, रवीन्द्र मंच के ओपन एयर थियेटर का निर्माण किया जायगा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये रनिंग कमेन्टरी चल रही है, इसको रोकिये । ये तरीका नहीं है, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मैं नहीं बोलूं लेकिन मुझे मजबूर होकर बोलना पड़ा । बराबर इधर से उधर तक ।

श्री सभापति : कम से कम आप तो अनुशासन को कायम रखिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, रवीन्द्र मंच के ओपन एयर थियेटर के निर्माण के लिए, कोई चीज नयी निर्माण होती है, उसके लिए आपने तीन लाख का प्रावधान कर दिया । मुझे बड़े अफसोस और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, इनको ये नहीं मालूम जनता पार्टी ने यह कम्पलीट करा दिया । रवीन्द्र मंच के पीछे ओपन एयर थियेटर और आप कहते हैं कि इसके निर्माण के लिए, अगर आप कोई दूसरी चीज बनाने के लिए ये तीन लाख रुपये का प्रावधान रखते, तो हम समझते आपने कुछ करना चाहा । उसकी वाहवाही भी लेना चाहते थे तो कम से कम आप स्पष्ट तो लिखते । आपने लिखा निर्माण के लिए, आप तीन लाख रुपये लीपा पोती करके हजम कर जायेंगे उसके बाद कह देंगे कि वह रवीन्द्र मंच का ओपन एयर थियेटर जिसका बजट में प्रावधान था हमने बनाया था, वह तो बन भी चुका, उसका तो उद्घाटन भी हो चुका, कई फंक्शन हो चुके । क्या सरकार को मालूम नहीं ?

श्री चन्दन मल बैद : पिछले कई उद्-घाटन गलत हो चुके हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे लगता है कि उस फंक्शन में आपको बुलाया ही नहीं गया ।

श्री चन्दन मल बैद : अपने नेता जी से पूछिये, बुलाया था क्या मुझे ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि संगीत की नाटक अकादमी नयी अकादमी कायम करने जा रहे हैं और उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन धन्यवाद के पात्र आप तब होंगे, नयी अकादमी तो आप खोलने जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से संगीत नाटक अकादमी खुली हुई है, उसका क्या रूप, उसकी क्या क्या हालत है, क्या आपने देखने का प्रयास किया ? अगर आपने नहीं किया तो मंत्री महोदय, क्योंकि आप अनुभवी हैं, आपको मालूम है कि जोधपुर में उस अकादमी का राजस्थान में कहीं लाभ नहीं है । लिहाजा दरख्वास्त करती हूं कि जयपुर में संगीत नाटक अकादमी का आफिस कायम किया जाय और इसका पूरा कार्य हो सके और इससे फायदा मिल सके, इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

दूसरा, एक सुझाव देना चाहूंगी कि व्यवसायिक शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए । हो सके तो स्कूल और कालेज के स्तर पर पाठ्यक्रम में भाग बनाया जाना चाहिए । सभापति महोदय, एक ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगी कि आप चार सौ प्राइमरी स्कूल भी देंगे और सौ मिडिल स्कूल भी देंगे लेकिन इसके साथ बेहतर होता कि आप

(सुश्री पुष्पा जैन)

उन बच्चों के लिए कम से कम अध्यापकों का तो समाधान करें। स्कूल हैं 10, अध्यापक हैं 4, बच्चे एक स्कूल में 200, 300, एक अध्यापक बेचारा संभाल नहीं सकता उसकी हालत खराब, कभी जनगणना में जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी छुट्टी में रहता है बच्चे उसके पीछे रोते रहते हैं। इसलिए आप कैसे शिक्षा जगत में उपलब्धि करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा का विकास करेंगे। इस तरह से आप उनके लिए अध्यापकों की व्यवस्था कीजिए। स्कूल्स में कितने अध्यापकों की जरूरत है और कितने अध्यापक जाने चाहिए उतना नहीं कर सकते तो 50 पर्सेन्ट तो करिये, वहां तो बिलकुल हाल बेहाल है, बैठने को पट्टियां नहीं, बैठने को टेबल नहीं और आप कहते हैं कि चौथी क्लास वालों तक को ड्रेसें देंगे, उनको प्रोत्साहन के लिए....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उनको आवश्यकता उसकी नहीं है, उनको भवन की आवश्यकता है। भवन नहीं है, उनका निर्माण हो ताकि धूप में, बारिश में वे बेचारे कम से कम कमरे में जाकर पनाह तो ले सकें। ऐसा तो नहीं कि मास्टर को मजबूर होकर बारिश में उनकी छुट्टी करनी पड़े, अगर आपने प्रोत्साहन में दे दीं, ड्रेसें दे दीं और चीजें, उनके बैठने का, भवन नहीं होगा, मास्टरों को छुट्टी करनी पड़ेगी, तो क्या फायदा है प्रोत्साहन का? लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगी कि ग्रामीण शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनके लिए भवन बने, उनके लिए प्रचुर मात्रा में स्टाफ उपलब्ध हो, उनके लिए टाटपट्टियां हों, पढ़ने का सामान हो। और इसके साथ अन्त में कहना चाहूंगी, मन्त्री महोदय कर सकें तो एक काम और कीजिए, एक प्रावधान और कीजिए, एक उपलब्धि और प्राप्त कीजिए, वह यह कि आपके मन्त्रिमण्डल में जो साथी मन्त्री, जो बिलकुल अयोग्य हैं, मेरी भाषा में, उन्हें न तो सलीका है बैठने का, न जवाब देने का, हो सके तो इनकी शिक्षा का भी प्रबन्ध करा दीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : मुझे 5 मिनट की इजाजत मिल सके तो फिर मुझे टाइम मुश्किल होगा।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकार लिया है।

श्री सभापति : इसके बाद बोल लीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अनेक धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, मैं बहुत ही संक्षेप में केवल संकेत मात्र से 2–4 बातें निवेदन करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जो आपने आटोनॉमस बोडीज बनायी हैं, एकेडमीज वगैरह अभी हमारी तीन एकेडमीज हैं, उनमें एक चेयरमैन तो बाकायदा है, ललित कला संगीत, नाटक अकादमी में मुद्दत से कोई चेयरमेन नहीं चले आ रहे हैं। इसी तरह से साहित्य अकादमी में भी एक्स-आफिसियो, पहले भी, वह भी रिटायर हो गये, वह चले आ रहे हैं, जो नियम के विरूद्ध है। तो आपका ध्यान इन अकादमियों, आटोनॉमस बोडीज की ओर संक्षेप में दिलाना चाहती हूं और यह

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

भी मैं याद दिलाना चाहती हूं कि न तो इसकी जनरल कौन्सिल बनी हुई है और न एक्जीक्यूटिव बनी हुई है। ये रामभरोसे गाड़ी चल रही है। तो आप जरा इधर ध्यान दें और इसी तरह अगर मैं यह कहूं कि आपके कई विभाग या मिनिस्टरी का पूरा का पूरा पार्ट टापलेस है। दो चार विभाग आपके टापलेस और भी हैं। आप टाप हैं लेकिन आपके नीचे टापलेस हैं जैसे आपके अजमेर, जो एजुकेशन का बोर्ड है, उसमें भी कोई चेयरमेन नहीं हैं। इधर आप ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट जोधपुर को देखिये, जहां कि मुनि जिन विजय जैसे डायरेक्टर रहे हैं। आज मुद्दत से कोई डायरेक्टर उन जैसा नहीं है। कहां वह स्टैंण्डर्ड था और कहां आज का स्टेण्डर्ड गिरा है। तो आपके नियम कहते हैं कि छः महीने तक कोई इस प्रकार की संस्था टापलेस होती हैं, उसका महत्व खतम हो जाता। लेकिन यहां तो वर्षों से आपकी संस्था टापलेस चल रही है, क्योंकि समय कम है। क्या पता उसका महत्व क्या है, क्या नहीं। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि समय कम है। मैं दूसरे सदस्य का समय नहीं लेना चाहती। साथ ही मैं आपको निवेदन करूं, अभी कई सदस्यों ने राजस्थानी की अकादमी की मांग की है। उसको मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहती हूं और आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि दूसरे राज्यों में इस प्रकार की अकादमी काम कर रही हैं, उसके मुकाबले में हमारी अकादमियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है और इसके कारण जो दूसरे काम होते हैं, उनमें पीछे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकाबले का राज्य है लेकिन वहां की साहित्य अकादमी का बजट 35 लाख रुपये और वहां की संगीत नाटक कला अकादमी का बजट है, 65 लाख। जहां राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आते हैं, समारोह होते हैं, आयोजन होते हैं। अब आप मुलाहिजा कीजिएगा हमारे बराबर के मध्य प्रदेश के मुकाबले राज्य में हमारी अकादमी कहां टिक पाती है। फिर और संक्षेप में, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगी कि राजस्थानी भाषा प्रकाशकों, लेखकों और पुस्तकों की ओर हमारी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न हमारे राजस्थान के कल्चर की ओर ध्यान दे रही है जब कि हम राजस्थान वासी अपने कल्चर में, मेरा डींग मारना तो नहीं होगा, लेकिन देश के दूसरे राज्यों में सर्वोत्कृष्ट तो ठहरते ही हैं। सर्वोत्कृष्ट अगर नहीं भी मानें तो भी नम्बर वन–ए, नम्बर वन तो हैं ही। लेकिन हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। दूसरे राज्यों को आप देखिए, महाराष्ट्र को देखिये, गुजरात को देखिये। उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए न जाने क्या-क्या काम किए जा रहे हैं। उनकी मैं चर्चा करूं, मैं विस्तार से चर्चा करूं तो शायद चार घण्टे लग जायं, केवल संक्षेप में मैंने आपको इशारा कर दिया।

अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि जैसे मध्य प्रदेश है, जब उनके किसी लोकल लेखक की पुस्तक निकलती है तो पांच सौ प्रतियां सरकार खरीदती है। आपके यहां किसी प्रकार का कोई नियम बना नहीं है। मैं यह नहीं कहती कि चाहे जैसा कचरा निकले उसको आप खरीदें, लेकिन उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बना

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

दी जावे। एक स्क्रीनिंग कमेटी जिस पुस्तक को पास कर दे हमारे लोकल लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लोकल भाषा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये और यह पुस्तक व्यवसाय है उसको एक उद्योग के रूप में घोषित कर दें।

अब इसके बाद में, मैं आपसे छोटी सी बात और निवेदन करूंगी संक्षेप में, अभी कुछ दिनों पहले, दो-तीन महीने पहले मुझे मेडिकल कालेज में जाना पड़ा। मेरी बच्ची का प्रि मेडिकल इम्तिहान का रिजल्ट देखने के लिए। मैंने वहां देखा जैसे जैसे लड़कियों के नाम आ रहे थे कौन कौन लिस्ट में आई हैं। बड़ी टेबल रखी हुई थी और उसमें नाम देखने की कोशिश की कि मेरी बच्ची का नाम है कि नहीं। बड़ा सारा कागज था। आस पास कागज काफी खाली भी था। मेरी नजर पड़ी कुछ हाथ से लिखा हुआ था, बाकी तो सारा का सारा टाइप्ड था। मेरी नजर पड़ी कि अगल बगल में चारों तरफ हाथ से लिखे हुए काफी शब्द थे। मैंने सोचा कि कोई खास इंस्ट्रक्शन्स दिये हैं जिन्हे मैं पढ़ूं। उनको पढ़ा तो मैं आपको कहती हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस सदन में कुछ कह नहीं सकती कि किन शब्दों में क्या बात थी। किस प्रकार की भयंकर अश्लील गालियां शायद जीवन में कभी नहीं सुनने में पड़ीं, वह मैंने जिन्दगी में पहली दफा पढ़ीं। मेरे पांव से धरती खिसक गई। मैंने सोचा कि ऐसे वातावरण में, ऐसे कालेज में बच्ची को भर्ती कराऊं या मना करूं। क्योंकि मुझे एक दफा तो गुस्सा आया। मैंने सोचा कि वहां रजिस्ट्रार बैठते हैं, या प्रिंसिपल साहब जहां बैठते हैं, जो कोई भी हो उनसे जाकर कहूं। मैं उनके पी. ए. के दफ्तर में गई। उनसे पता चला कि वे मीटिंग में गए हैं। उनके प्राइवेट सैक्रेटरी या पी. ए. बैठे थे। मैं उनसे क्या कहूं? मैंने उनसे एक क्षण यही निवेदन किया कि मेहरबानी करके जो टेबल पड़ी है, बच्चों के नाम लिखे हैं उसके आस पास क्या लिखा है आप मुलाहिजा फर्मायें। उन्होंने कहा कि क्या लिखा है? मैंने कहा, आप देख लो, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। गालियां थी, क्या कहती। कितना सारा वातावरण यह ऐसा है, शिक्षा मंत्री जी, आप देख लीजिए कि जहां को-एजूकेशन होती है वहां यह स्थिति हमारे बच्चों की है। कैसे हमारी बच्चियां वहां पढ़ने जावें, क्या करें, मैं आपसे कह नहीं सकती। मैं बहुत ही मर्यादित शब्दों में आपसे यह निवेदन कर रही हूं।

मैं, दूसरा, आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है, उसके ऊपर कभी ध्यान दिया है? शिक्षा का स्तर किस तेजी के साथ गिर रहा है। हम जहां पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, किस प्रकार का मसाला, मेटीरियल और लड़के निकल रहे हैं। अभी दो-तीन दिन पहले एक लड़का, विद्यार्थी मेरे पास आया जो एलएल. बी. में पढ़ता है। मैंने उनसे कहा कि जरा एक दो चिट्ठी मैं डिक्टेट करा रही हूं, जरा लिख दो। लिखने को कहा। मैं हैरान हो गई, आठवीं, नवीं कक्षा का बच्चा भी हिन्दी में इतनी गलतियां नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए, वैसी उस एलएल. बी. में पढ़ने वाले लड़के ने, जोधपुर शहर के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

कालेज में पढ़ने वाले लड़के ने वह गलतियां कीं। यह एक नमूना आपके सामने रख रही हूं। मैं आशा करती हूं कि यह टापलेस विभाग को कुछ टोपी पहिना दें। थैंक्यू।

श्री सभापति : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा): माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर आज दिन तक देश में आमूल चूल परिवर्तन की शिक्षा नीति का इन्तजार कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं और मैं कह नहीं सकता हिन्दुस्तान के इतिहास की तकदीर में पता नहीं वह दिन कब आएगा जब हम शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे। अगर हम निगाह डालें शिक्षा के मामले में तो शिक्षा प्रयोगों की एक लम्बी यात्रा हिन्दुस्तान में सिद्ध हुई है और हम प्रयोगों के आधार पर ही शिक्षा नीति का निर्माण करने की सोच रहे हैं। इन प्रयोगों की यात्रा में हमने विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के आयोग गठित किए। उन आयोगों के पड़वों के रूप में कुछ उपलब्धियां मिली हैं लेकिन अगर हम इन पड़ावों की उपलब्धियों को देखें और उनके परिणाम निकालने की कोशिश करें तो आपको आश्चर्य होगा, सभापति महोदय, उन पड़ावों की तकदीर में न कामयाबी है, न नाकामयाबी ही कह सकते हैं। आज की स्थिति में हम शिक्षा की नीति को भटकाव की स्थिति में पाते हैं। हम भटकते रहे हैं। हम विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों में भटक रहे हैं। हम अंग्रेजी शिक्षा और हिन्दुस्तान की भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा के मामले में भटक रहे हैं। हम भटक रहे हैं कि हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, चतुर्मुखी विकास करना चाहते हैं वह हम कौन से तरीके से करें। सभापति महोदय, मुझे एक बात याद आती है कवि दुष्यंत की, उसने कहा—

"मेले में भटके होते तो
कोई भी हमें घर पहुंचा जाता,
हम भटके हैं अपने अपने ही घर में,
ठौर ठिकाने कैसे आयेंगे ?"

आज हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति के आधार पर एक ऐसी शिक्षा नीति का हम निर्माण करें जिससे हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें लेकिन हम भटक रहे हैं। यह भटकाव हमें कब तक भटकाता रहेगा, हम कह नहीं सकते। आप देखिये कि दस-प्लस-दो-प्लस दो या आठ-प्लस तीन-प्लस-तीन, इस चक्कर में जाने कितना अर्सा गुजर गया और पता नहीं और कितने बरस गुजरने हैं न हाइ स्कूल से आगे बढ़ पा रहे हैं और न कोई और चीज हो रही है। इन दोनों के चक्कर में पूरा देश और हमारा राजस्थान प्रान्त आज भी भटक रहा है, लटक रहा है और हम समझते हैं, "खास सड़कें बन्द हैं तब से मरम्मत के लिए। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी पहिचान है। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इतिहास में वह वक्त बहुत कम आता है जब कुछ कर गुजरने का वक्त होता है, जब कि कुछ कर गुजरने के लिए हौसले के लिए वक्त की पुकार होती है। मेहरबानी

(श्री सूर्यकुमार)

करके इस शिक्षा नीति के मामले में कुछ हौसले से कदम बढ़ायें, कुछ निर्णय करें। आप दस जमा दो जमा दो करना चाहते हैं या आप आठ जमा तीन जमा तीन में ही रहना चाहते हैं । कुछ नतीजा निकाल दीजिए और उसके बारे में कोई ठोस परिणाम सामने लाइये। आज यह नतीजा है शिक्षा नीति के नाम पर सारी स्थितियां गटमट हो रही हैं । हमें कहीं भी एक स्पष्ट पिक्चर, एक स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने नजर नहीं आती है और आज युवा पीढ़ी में आक्रोश है । आक्रोश का सबसे बड़ा कारण भी यह है कि हमने शिक्षा नीति में अडल्ट्रेशन के आधार पर, एक मिश्रण के आधार पर जिसको हम समन्वय कहते हैं, जिसको हम सामंजस्य कहते हैं, उसके आधार पर सारा गटमट बना रखा है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अन्दर अज्ञान का अन्धकार दूर भागे, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से यह प्रकाश हम लायें लेकिन "कैसी मशालें लेकर चलें हैं तिरगी में आज जो रोशनी थी वह भी सलामत नहीं रही।" हम देश निर्माण की बात कर रहे थे, हम चरित्र निर्माण की बात कर रहे थे। हम देश में अनुशासन लायें शिक्षा के माध्यम से, लेकिन आज बिलकुल विपरीत हो रहा है। तो मेरा निवेदन है शिक्षा मन्त्री जी, सबसे पहले आप प्रशासन के बारे में सोचें, वह मूलभूत से सोचिये, एक मौलिक बात सोचिये, उनसे मौलिक बात को लेने का प्रयास कीजिए, एक आमूल चूल परिवर्तन की बात आप सोचिये । इसके बारे में सोचिये और उसके अन्दर एक हौसले के साथ कदम बढ़ाइये और अगर आप यह नहीं कर सकें तो यह इतिहास जिस तरह से लिखता आया है, लिखता चला जाएगा। जिस प्रकार से और सरकारें आई हैं, और सरकारें आयेंगी। जिस प्रकार से और शिक्षा मन्त्री बने हैं और शिक्षा मन्त्री आ जायेंगे आपके बाद और कोई आ जाएगा लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इतिहास आपको याद रखे। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के शिक्षा जगत के इतिहास को कुछ दें तो निश्चित रूप से शिक्षा मन्त्री जी इस शिक्षा नीति में जो मौलिक परिवर्तन आप चाहते हैं, उसके बारे में आप निर्णय करें।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, कुछ मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करता हूं। सन् 47 में नैनवा में हाइ स्कूल था। 1947 आजादी का साल और तब से लेकर आज दिन तक हाइ स्कूल से एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। देई के आस पास में बहुत ग्रामीण क्षेत्र है। कृषि विषय देई हाइ स्कूल में होना चाहिए जिसकी सबसे बड़ी मांग है। वहां की मांग को पूरा कर सकें तो शिक्षा मन्त्री जी मैं आपका आभारी होऊंगा।

ठीक इसी प्रकार से करवर के हाइ स्कूल में माटूंदा के हाइ स्कूल में कॉमर्स का का सब्जेक्ट नहीं है। देई स्कूल में साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, इन सब्जेक्ट्स को आप अगर खोल सकें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

जहां तक प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने की बात है, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की मोतीपुरा स्कूल के लिए और ख्यावदा स्कूल के लिए आपसे निवेदन करूं विशेष रूप से कि मेहरबानी करके इन पर ध्यान रखें

(श्री सूर्य कुमार)

और इसी सत्र में पूरा करा दें। मैं फिर दुबारा यह अर्ज करते हुए शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूं कि शिक्षा मन्त्री जी कुछ हौसला दिखाने का प्रयास कीजिए और इतिहास में अपना नाम अमर करने की कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : श्री जगनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला।

(अनुपस्थित)

श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा की अवहेलना की जा रही है उसके बारे में बहुत दुख की बात है कि 80 प्र.श. जो गांवों में रहने वाले आदमी हैं, आप शहरों में तो शिक्षा, कला, संस्कृति देख रहे हैं लेकिन गांवों में प्राइमरी स्कूल भी नहीं दे रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे क्षेत्र में भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुले, एक भी मिडिल स्कूल नहीं खुला। ढाणियों में रहने वाली जो गांवों की आबादी है जिसमें 15-20 बच्चे पढ़ने लायक मिल जायें तो वहां प्राइमरी स्कूल खोलना चाहिए और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या को आधार न मान कर वहां दूरी के आधार पर प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिए। एक यह प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कहते हैं कि पूरे जोधपुर डिवीजन में फैल रहा है और इसमें लिखा है प्रौढ़ शिक्षा और साक्षर बनाने के लिये जाल सा बिछा दिया है। यह कहां है, हमें तो कहीं नजर नहीं आया। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा का जितना भी पैसा है वह प्राइमरी स्कूल की तरफ लगाने की कोशिश करें ताकि गांवों में रहने वाली जो नयी पीढ़ी है उनके लिये क्या सरकार यह सोच रही है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा उपलब्ध करानी शुरू कर दी तो वे चेत जायेंगे, उनके समझ में आ जायगा, इससे क्या आपको सत्ता का खतरा लग रहा है इसलिए हर जगह पर उनकी अवहेलना की जा रही है ?

मैं आपका ध्यान विशेष कर रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेल कूद की ओर भी दिलाना चाहूंगा। शहरों में बड़े बड़े स्टेडियम बनाने और खेल खिलाने की तरफ जितना पैसा लगा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल, हाइ स्कूल में पुराने जो भारतीय संस्कृति के खेल हैं जैसे कबड्डी, खो-खो इस तरह के खेल हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए खेल कूद का पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत खर्चा करने में प्रोत्साहन दें तो बहुत अच्छा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बड़े गरीब होते हैं, स्कूल भवन नहीं बना सकते इसलिए प्राइमरी स्कूल जहां पर भी खोलें उस जगह अध्यापक के रहने के लिए और स्कूल के लिये भवन सरकार की ओर से बनाये जाने चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मिडिल स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल है, छोटे कस्बे हैं जहां 4-5 हजार की आबादी है वहां होस्टल के लिये जमीन का प्रबन्ध और होस्टल बनाने का पैसा सरकार को देना चाहिये, जहां पड़ोसी गांवों के लड़के रह

(श्री महाराम चौधरी)

कर शिक्षा प्राप्त कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा की तरफ भी कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है यह बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की कन्या पाठशालायें, प्राइमरी स्कूल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और उन्हें भी शिक्षा के अन्दर पढ़ने के लिए बजट उपलब्ध होना चाहिये। कला और संस्कृति के नाम पर शहरी क्षेत्रों में पैसे खर्च किये जा रहे हैं, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के पहले यह जरूरी है कि राजस्थान के गांवों में रहने वाले आदमी भी थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करें बाद में कला की तरफ ध्यान जायगा इसलिए मैं तो शिक्षा मंत्री जी से थोड़े में इतना ही कहना चाहता हूं ग्रामीणों की तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे। उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, तो उनको फायदा होगा। उनको शिक्षा दे सकेंगे। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में बहुत से कीमती सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं आपके मार्फत शिक्षा के संबंध में एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो नये स्कूल खोले जा रहे हैं वे एक भी नहीं खोलें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत से मित्र चाहते हैं कि स्कूल खोले जायं, मैं ठीक इसके विपरीत राय रखता हूं। इसका कारण यह है कि जो भी स्कूल खोलने की मेहरबानी करें, पहले यह जांच की जाय कि आपका खोला हुआ स्कूल स्कूल का रूप भी लिया है या नहीं। इस बारे में कई कमियां बताते हुए मैं खास तौर से प्राथमिक स्कूल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां स्कूल तो खोले हुए हैं पर अध्यापक का कहीं नाम निशान नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, आपके विभाग की प्राथमिक एजूकेशन में एक अध्यापक देने की व्यवस्था नहीं है क्या आपने हिसाब लगा लिया है कि जितने प्राथमिक स्कूल को अध्यापक चाहिये, उसके हिसाब से विभाग को 10 हजार अध्यापकों की जरूरत है। 40 के हिसाब से आप अध्यापक लगाते हैं तो पूरे लड़कों की संख्या में 40 का भाग लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं जहां पर 30 लड़के पढ़ते हैं और जहां पर 70 लड़के पढ़ते हैं तो क्या दोनों को जोड़ कर हिसाब लगायेंगे? जहां 100 लड़के हैं वहां एक अध्यापक काम करता है। शिक्षा मंत्री जी, क्या आप यह समझते हैं कि एक अध्यापक 100 लड़कों को, जिनकी अलग-अलग एक से पांच तक क्लासेज हैं और हर एक क्लास में 2, 3, 4, 5 विषय हैं और 100 लड़के हैं तो आप ही समझायें वहां शिक्षा का कार्यक्रम कैसे चलता है। बच्चों को बैठा दिया जाता है भेड़ और बकरियों की तरह। मैं समझता हूं कि यह एक अध्यापक के बस की बात नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आ नये स्कूल खोलने तो बन्द करवाइये और रा पैसा अध्यापकों की नियुक्ति पर लगाइये जिससे स्कूल्स का रूप शिक्षा के अनुसार व्यवस्थित बन सकेगा।

मेरा, दूसरा, निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए आपका जो 40:1 का रेयो है, उसको बदलें। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वे कलम पकड़ कर क, ख, ग

174

(श्री मेरू लाल भारद्वाज)

और एक, दो, तीन सीखते हैं। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क रखे और उनको पढ़ावें किन्तु आपका जो 40:1 का रेश्यो है अध्यापक रखने का, उससे एक अध्यापक उन बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। जिसका नाम पढ़ाई है, उसके लिये अधिक से अधिक 25 लड़कों पर एक अध्यापक होना चाहिये। परन्तु यह व्यवस्था न होने के कारण अध्यापक बच्चों को पढ़ाता नहीं है और बिना पढ़ाये ही बच्चों को पहली से दूसरी तीसरी कक्षा में भेज देता है। इस तरह वह बच्चा पास होता जाता है और अन्त में कॉलेज में पहुंचता है। विश्वविद्यालय में जब वह पहुंचता है तो उसके पास कुछ भी पढ़ने को नहीं होता है। तो वह वहां पर क्या करता है। यह हम अखबारों में रोज देखते हैं। कोई अध्यापक को पीटता है। आपस में द्वंद युद्ध करते हैं। चाकू, तलवारी, छुरेबाजी की घटनाएं होती हैं। जिसको विश्वविद्यालय कहते हैं, वहां आकर वह क्या पाता है। विश्वविद्यालयों में अनुशासनहीनता पैदा हो जाती है। आप वहां पर इलाज करने की कोशिश करते हैं परन्तु इलाज नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो छात्र पढ़ते है, वहां पर जो बीमारी है, उसकी जड़ विश्वविद्यालय में नहीं है। उसकी जड़ प्राइमरी स्कूल में है। प्राईमरी स्कूल का लड़का ही आगे जाकर विश्वविद्यालय में पढ़ता है। वह जब प्राइमरी स्कूल में ही क, ख, ग सही ढंग से नहीं पढ़ पाया है और पास होता चला जाता है और स्थिति यह हो जाती है कि वह एम. ए. की पढ़ाई करता है तो उसको किताबों की पढ़ाई समझ में नहीं आती है। उस विद्यार्थी के पास ज्ञान नहीं है तो वह वहां पर पढ़ेगा क्या। विश्वविद्यालयों के लिए आपने भव्य भवन बना रखे हैं। उनको वहां पर पढ़ाने के लिए प्राध्यापक लगा रखे हैं। एक एक क्लास के लिए, एक एक विषय के लिये एक एक प्राध्यापक नियुक्त किये जाते हैं, जो बहुत ही विद्वान होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं और बहुत अच्छा वेतन भी उनको मिलता है। इसके ठीक विपरीत प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं वे मैट्रिक ट्रेन्ड होते हैं। नये लड़के अध्यापक बन कर जाते हैं। उनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वे बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना उनके बस की बात नहीं होती। वे तो बच्चों को केवल डंडे के जोर पर पढ़ाते हैं और इस प्रकार के संस्कार डालते हैं कि वह आगे चल कर के योग्य छात्र का स्थान नहीं ले पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितने भी पढ़े लिखे लेक्चरर्स हैं, मेहरबानी करके उनको प्राइमरी स्कूल में भेजें और जो नौसिखिया है, उनको आप अपने कालेजों, विश्वविद्यालयों में लगावें। वहां पर तो लड़के पढ़ेंगे नहीं। व्यर्थ में आप इतनी ज्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं। इसलिये नौसिखिए को कालेज में रखें और शिक्षा विभाग के पास जितने भी अनुभव प्राप्त अध्यापक हैं, उनको शिक्षा की जड़ जो प्राइमरी स्कूल है, वहां पर भिजवायें ताकि उनकी जड़ मजबूत हो।

इसके अलावा मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमें स्कूल भवन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। कालेजों के लिये

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

भव्य भवन बनाये जाते हैं। हायर सैकण्डरी और विश्वविद्यालयों के लिये बड़ी बड़ी इमारतें बनती है तो उसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल के भवन के लिये भी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। यदि सरकार आधा पैसा भी देगी तो गांव के आदमी प्राइमरी स्कूल के लिये अपनी ओर से आधा पैसा देने को तैयार मिलेंगे।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षण की पठन सामग्री की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्राइमरी स्कूल में कुछ भी पठन सामग्री, शिक्षण सामग्री नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाय, उसके लिये स्कूल के पास दृश्य और श्रव्य साधन सामग्री होना चाहिए। कुछ इस प्रकार के चित्र, कई प्रकार के खिलौने, जो पढ़ाने की प्रक्रिया में उपयोगी हो सकते हैं, वे प्राइमरी स्कूल के पास नहीं हैं। ऐसी पठन सामग्री इन प्राइमरी स्कूल्स के पास हो ताकि वे बच्चों को आकर्षित कर मनोवैज्ञानिक शिक्षा दे सकें। यह पठन सामग्री की व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं, जिसको करने की भी आप व्यवस्था करें।

एक मोटे तौर पर, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका जो बजट है, इस शिक्षा जगत पर जो पैसा आप खर्च करते हैं, उसका अनुपात मेहरबानी करके आप बदल डालें। जितना भी बजट है, उसका आधा पैसा आप प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करें। इस तरह बजट बनाने का मेरा सुझाव है। यदि एक रुपया बजट में है तो उसका 50 पैसा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च हो, 25 पैसा माध्यमिक शिक्षा पर और 25 पैसा कालेज और विश्वविद्यालय पर खर्च हो। इस प्रकार इसका बंटवारा होना चाहिए। इस रूप में इस सारे बजट का पुनरावलोकन करके नये सिरे से बनाया जाना चाहिए। आज स्थिति यह है–यह उलटी चल रही है। जो पैर हैं वे इतने कमजोर हैं, जिस तरह कि पिरामिड है जो नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा होता है। आज शिक्षा के बजट को उलटा पिरामिड कहा जा सकता है। इसको सही करना है तो नीचे की शिक्षा को मजबूत बनाया जाय यानि प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाय ताकि इसमें सुधार हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय पूरा हो चुका है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बीकानेर, उदयपुर और कोटा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सुझाव दिये हैं। केवल मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले कृषि कालेज जयपुर जिले के जोबनेर में खोला गया था। कृषि की शिक्षा की अहमियत को देख कर जयपुर जिले के स्थानीय लोगों ने जोबनेर में एक कार्यक्रम आरम्भ किया था। इसलिये सीनियोरिटी की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से मैं चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर जोबनेर में खोला जाना चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

(6.13 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

केवल एक बात और रोजगार और श्रम के बारे में कहना चाहता हूं। श्रम के साथ रोजगार का सम्बन्ध हमारी मौजूदा अर्थ व्यवस्था में जुड़ा हुआ नहीं है। यह भयंकर बात है। जहां श्रम ज्यादा है रोजगार कमजोर है। श्रम जितना रोजगार नहीं है, न्यून मात्रा में है। उदाहरण के तौर पर मैं सरकारी सर्विसेज की कहना चाहूंगा। सबसे ज्यादा काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को करना पड़ता है जिसके पास रोजगार अल्प है और वह अपने परिवार को, बच्चों को रोटी नहीं दे सकता है। आगे चलते हैं, साधन सुविधा रोजगार की मिलती है तो वहां श्रम कम होता चला जाता है। श्रम की कीमत नहीं है। श्रम को रोजगार के साथ नहीं जोड़ते हैं। जिसको ज्यादा तनख्वाह देते हैं, रोजगार देते हैं उससे आप अधिक काम लेवें और जो काम नहीं करना चाहते हैं उनको रोजगार कम कर दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक श्रम और रोजगार का समन्वय नहीं होगा तब तक भारत जो श्रम प्रधान देश है, उसकी अर्थ व्यवस्था पर काबू नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल, मनोहर थाना

(अनुपस्थित)

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

सब को समय दूंगा।

श्री रामकुंवार बैरवा।

श्री रामकुंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में अनेक सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार सदन के सदस्यों का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा में जो दोहरी नीति चल रही है, साधन सम्पन्न लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी से और जो अफसरशाही लाइन में हैं, वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ा कर योग्य बना देते हैं लेकिन गांवों में भी यह प्रथा शुरू हो चुकी है। मैं नहीं जानता किसी को पता है या नहीं। गांवों में जो पैसे वाले लोग हैं, जो अध्यापक हैं, विशेष तौर से मैं अपने गांव में ही–माननीय सी. पी. जोशी ने कहा कि अध्यापकों को तनख्वाह थोड़ी मिलती है, और उनके अपने गांव में ही....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कोई केबिनेट मिनिस्टर नहीं हैं....

श्री शीशराम श्रोला (राज्य मन्त्री, सैनिक कल्याण) : आप क्या चाहते हैं। मैं बैठा हुआ हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कोई केबिनेट मंत्री यहां पर बैठा हुआ नहीं है।

श्री शीशराम श्रोला : आपको क्या कहना है हम यहां पर बैठे हुये हैं। वे पानी पीने गये हुये हैं अभी आ जायेंगे। आपको केबिनेट से क्या मतलब है ?

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम खराब कर रहे हैं।

श्री शोशराम ओला : हमारे पास स्वतंत्र चार्ज है। आपके राज में ऐसा नहीं हुआ था।

श्री रामकंवार बैरवा : मैं इसमें यह बता सकता हूं कि जिन अध्यापकों को अपने गांव के पास या अपने गांव में ड्यूटी लगा देते हैं तो वे आधा टाइम भी ड्यूटी नहीं देते हैं अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं या फिर अपने घर का काम करते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस प्रकार वे अध्यापक करते हैं। मेरा निवेदन है कि अध्यापकों की जो कमी है, अभी भारद्वाज जी ने कहा कि 40 बच्चों के ऊपर एक अध्यापक होना चाहिये वही नहीं है इस प्रकार की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। अध्यापकों की कमी है और बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ने से अध्यापक बच्चों को पढ़ा नहीं पाता है हम पूछते हैं तो कहते हैं कि देख लीजिये मैं तो इतने सारे बच्चों को सम्भाल नहीं सकता हूं उठाना बैठाना इसमें ही इतना समय बर्बाद हो जाता है और पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता है। हम जितना पैसा मिलता है उतना काम तो करते ही हैं।

दूसरा, आपसे निवेदन यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था, सारे राजस्थान में अव्यवस्था व्याप्त हो रही है आपसे बैद साहब, पहले जो शिक्षा मंत्री थे जिनसे कई तरह की व्यवस्था इधर-उधर हो गयी है और अनेक अध्यापकों को उन्होंने काले पानी की सजा देने जैसा कर दिया है किसी को बाड़मेर भेज दिया किसी को जैसलमेर भेज दिया है इस प्रकार की भावनायें जो ये अध्यापक दर्शाते हैं कोई ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब में त्याग की भावना नहीं है। जो मेहनत नहीं करते हैं। हमारे यहां ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी ड्यूटी बराबर देना चाहते हैं और परिश्रम करके बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं। इस प्रकार के अध्यापकों के प्रति जो बुरी भावना से इधर-उधर किया है, ज्यादा दूर भेज दिया गया है, अपने जिले में ही लगाया जाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार से वे कहते हैं कि उन्होंने इतने साल तक सरकार की सेवा की और वे उनके प्रति बिलकुल उदासीन हो गयी है और कई लोग मिले हैं वे नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं कि हमारी सालों की सेवा की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि जो स्कूल्स में पौष्टिक आहार दिया जाता है मैं समझता हूं कि उसमें काफी चोरी होती है कई बच्चे कहते हैं कि अध्यापक लोग अपने घरों में ले जाते हैं काफी मात्रा में इसकी चोरी होती है यह नहीं हो इसको भी आपको देखना चाहिये।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि अध्यापकों की जो भर्ती की जाती है उसमें आज तक अध्यापकों की भर्ती के लिये निर्धारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का जो कोटा है वह पूरा नहीं हुआ है। किसी भी गांव में देख लें ऐसा ही है। इसलिये जब तक इन अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी तब तक गांवों में जो भेदभाव की प्रवृत्ति है वह बनी रहेगी और इसी प्रकार एक दूसरे के नजदीक आने की जो बात है

(श्री रामकंवार बैरवा)

तो वे नजदीक भी नहीं आ सकते हैं। मेरा आपसे, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आप अब जब अध्यापकों की भर्ती करें तो आंकड़ों के हिसाब से अनुसूचित जाति और जन जाति का कोटा पूरा करना चाहिये।

दूसरा, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र चाकसू के बारे में कहना चाहूंगा वह इतना बड़ा गांव है वहां पर नगरपालिका है और 35 वर्ष पहले वहां पर हाइ स्कूल खुला था पर आज तक भी उस स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया है वह बाम्बे और कोटा मार्ग पर है और अब तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना चाहूंगा कि उस स्कूल को आज तक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं बनाया गया है। शिक्षा मंत्री जी से बार-बार मांग करता हूं कि इसको हायर सैकण्डरी स्कूल करने की कृपा करें। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है और वह उन्हीं के कारण ही बसे हुए हैं। परन्तु उन कई गांवों में पट्टियां डालने के लिये पैसा नहीं है। मेरा निवेदन है, दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि जो भी अधूरे स्कूल हैं उनकी लिस्ट मंगवाई जाय और उसको पूरा किया जाना चाहिये ताकि थोड़े से निर्माण के बाद में उसको पूरा कर सकें। इस प्रकार····

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा हो गया है।

श्री रामकंवार बैरवा : अन्त में, अध्यक्ष महोदय, श्रम और रोजगार के बारे में मैं समझता हूं कि आज जितने कारखानों में मजदूर काम करते हैं उनको तो आपने श्रम की परिभाषा में मान लिया है परन्तु जो बिल्डिंग का काम करते हैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना है उनकी ओर जो बिल्डिंग का काम करते हैं एक मजदूर है, मिस्त्री है, उसका कोई धनी-धोरी नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ठेकेदार जो मजदूर लेता है अगर उसमें से कोई दो मंजिल से गिर कर मर जाता है तो, मिस्त्री का पैर कट जाय और किसी को कुछ हो जाय तो कोई सुनने वाला नहीं है। एक महीने तक काम करके भी उनको पेमेंट नहीं देते हैं इस ओर ध्यान देना चाहिये इन सब को संगठित करके इन लोगों को उचित मान्यता देनी चाहिये। इसी प्रकार मजदूरों से 8 के बजाय 12 घंटे काम लेते हैं और उसको पूरा मेहनताना भी नहीं मिलता है और पैसा भी पूरा नहीं मिलता है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। जयपुर में और बड़े-बड़े शहरों में सरकारी काम हो रहा है ठेकेदार इस प्रकार के कामों में मजदूरों का शोषण कर रहे हैं उनके हितों की आपको सुरक्षा करनी चाहिए और उनको आपको लिस्ट में लेना चाहिए जिससे कि उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो।

श्री चाव खां : (कामां) दो तीन मिनट दे दें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : आपको भी समय दिया जायगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्रीमती कमला भील।

(अनुपस्थित)

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : कमला भाई बोला है या भील ?

श्री अध्यक्ष : कमला भाई हो तो वह ही बोल लें।

एक माननीय सदस्य : कमला भाई या बाई।

एक माननीय सदस्य : बाई नहीं भाई।

एक माननीय सदस्य : ये दोनों बहिनें हैं क्या ?

श्री कमला भाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। उदयपुर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा की सुविधा भी वहां न के बराबर है। सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे अध्यापक नियमित रूप से पहुंचे। हमारे यहां अध्यापक नियमित रूप से नहीं पहुंचते जो स्कूल चलते हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। अगर आदिवासियों को सामाजिक, आर्थिक रूप से ऊंचा उठाना है तो हमारे क्षेत्रों में अधिक स्कूल खोलने होंगे। अब तक आदिवासियों के उत्थान का जो भी काम हुआ है उसका लाभ सम्पन्न लोगों को ही मिला है। उदयपुर सम्भाग में सबसे अधिक गरीब आदिवासी हैं और इन आदिवासियों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। पिछड़े वर्गों का दुर्भाग्य यह है कि जो भी सुविधायें और रियायतें मिली हैं वे सम्पन्न वर्ग के लोगों तक ही सीमित रही हैं। हमारे उदयपुर क्षेत्र के आदिवासी आज भी हर तरह से पिछड़े तथा उपेक्षित हैं। उनमें चेतना जाग्रत करने के पहले कदम के रूप में आपको यह व्यवस्था करनी होगी कि हर पांच किलोमीटर पर आदिवासी बालक के लिए स्कूल होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब आदिवासी क्षेत्रों और खास कर उदयपुर के गरीब आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्कूलों की संख्या निर्धारित कर दी जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री कमला भाई मीणा : मेरी मांग है कि सरकार इस बजट में जो चार सौ स्कूल खोलने वाली है उनमें से कम से कम सौ स्कूल उदयपुर के उन आदिवासी इलाकों में खोलें जो अभी तक प्रभात और विकास की धारा से अलग थलग पड़े हुए हैं। हरिजन मुख्य मंत्री के कार्यकाल में भी यदि गरीब आदिवासियों के क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए तथा अधिक स्कूल नहीं खुले तो उन्हें यह सौभाग्य कभी भी नहीं मिलने वाला है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय,

"पुष्पेषु चंपा, नगरीषु कांची,
काव्येषु माघः कवि कालिदासः
नदीषु गंगा, नृपरेषु रामः"

इन पंक्तियों के साथ जब हम काव्य

(श्री दाऊदयाल जोशी)

का पाठन करते हैं तो हम संस्कृतज्ञ जो हैं उनकी छाती हर्ष से फूली नहीं समाती। माघ कवि राजस्थान की धरोहर है राजस्थान की धरती पर ऐसे महान् कवि का जन्म हुआ।

श्री अध्यक्ष : संस्कृत के रिपोर्टर नहीं हैं यह बात ध्यान में रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : इसीलिये मैंने, अध्यक्ष महोदय, कुछ पक्तियां ही पढ़ी हैं, मैं संस्कृत में बोलना चाहता था लेकिन कहा गया कि आपकी भावना को कोई समझेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : संस्कृत के प्रतिवेदक नहीं हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था दुनिया में एकता को जोड़ने की कोई भाषा हो सकती है तो वह संस्कृत भाषा ही है। पिछले दिनों आप स्वयं एक संस्कृत सम्मेलन में उपस्थित थे और आपने स्वयं ने बताया था कि रशिया की भाषा में 60 प्रतिशत शब्द आज की तारीख में संस्कृत के इण्डोनेशिया में, जर्मनी में मंगोलिया में, जावा में, सुमात्रा में आज भी संस्कृत के शब्द अपने आप में शोभायमान हैं, उपस्थित हैं। अभी भी कुछ समय पूर्व इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण जो एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जो शब्द वहां पर शोभा बनाये हुए है उसको मेरे भारत में भुला दिया गया है। सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां संस्कृत का एक अलग से निदेशालय है और उस नाते मैं यह अपेक्षा करता था कि शिक्षा विभाग का जो निष्पादन आय-व्ययक हमको प्राप्त हुआ है उसी प्रकार से संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में भी निष्पादन आय-व्ययक प्राप्त होगा। लेकिन वह प्राप्त नहीं हुआ और केवल एक पुस्तिका राजस्थान सरकार प्रगति प्रतिवेदन शिक्षा की जो हमें प्राप्त हुई है उसमें संस्कृत शिक्षा के लिए केवल 23 लाइनें लिखी गई हैं। उसके अलावा कोई वर्णन उसमें नहीं किया गया हैं। इन लाइनों में कहा गया है कि संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न कक्षाओं के लिए आपको जान कर ताज्जुब होगा, इसमें कहा गया है- विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की गई, ताकि छात्र-छात्रायें परम्परागत वैदुष्य तथा संस्कृत की विभिन्न शास्त्रीय शाखाओं के अध्ययन की ओर उन्मुख हो। इसके अतिरिक्त प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई।"81-82 के आय-व्ययक में 31.66लाख का प्रावधान आयोजना भिन्न मद में, केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 6.25 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संस्कृत ज्ञान को प्रोत्साहन देने हेतु प्रवर्तित तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 0.15 लाख का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों, अत्यन्त निर्धन छात्रों, मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों, राजनैतिक पीड़ितों, भारत-चीन युद्ध में या भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त या अपंग हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जायगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बात को कह कर राज्य में संस्कृत शिक्षा की क्या प्रगति करने जा रहे हैं। अभी हमारे बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राज्य

(श्री दाऊदयाल जोशी)

में संस्कृत अकादमी की स्थापना की जायगी। इसके पूर्व रक्षा बन्धन के अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि हम संस्कृत अकादमी की स्थापना करेंगे। अभी संस्कृत विभाग के निदेशक मुझको बाहर मिले थे, मैंने पूछा मान्यवर, शिक्षा विभाग का जो निष्पादन आय-व्ययक हमको प्राप्त हुआ है इसमें तो संस्कृत अकादमी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वे कहने लगे शायद इस साल 50 हजार रुपया खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं भी वर्णन नहीं है। इसी आय-व्ययक में यह भी कहा गया है कि "राज्य में कार्य कर रही साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, एवं सिन्धी अकादमी को अनुदान राशि का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। साहित्य अकादमी के लिये आयोजना भिन्न मद से 3.40 लाख रुपया व आयोजना मद से 2.00 लाख का, उर्दू अकादमी व सिंधी अकादमी के लिये आयोजना मद से क्रमशः 1.50 व 1.00 लाख रुपया अनुदान का प्रावधान किया गया है। ये संस्थायें भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रहे सृजनशील साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने व उनकी कृतियों के प्रकाशन में सहयोग प्रदान करती हैं। साहित्य के क्षेत्र में शोध कार्य भी इनकी प्रवृत्तियों का एक अंग है।" एक फूटी कौड़ी भी संस्कृत अकादमी के लिये नहीं रखी गई है। मुझे आश्चर्य और दुख केवल इसी बात का है कि मुख्य मंत्री जी निरी घोषणा मात्र कर रहे हैं। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय निश्चित रूप से इस शंका का निवारण करेंगे संस्कृत अकादमी जो वास्तव में राजस्थान के लिये आवश्यक है, जिसके माध्यम से संस्कृत भाषा का विकास निश्चित है। संस्कृत के विकास से हम राजस्थान का नाम उज्जवल कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उर्दू अकादमी और सिन्धी अकादमी से अधिक राशि के प्रावधान की घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी आज अपने भाषण में करेंगे। इस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि एक शोध संस्थान की स्थापना की जायगी। जनता पार्टी की सरकार ने भी अपने अन्तिम भाषण में कहा था कि जल्दी से जल्दी एक शोध संस्थान की घोषणा कर रही है लेकिन साढ़े तीन साल हो गये।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम भाषणों में हर एक सरकार और मन्त्री यही बात कहते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री नये आये हैं और वैद हैं, संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि है मैं समझता हूं वह निश्चित घोषणा करेंगे। संस्कृत शिक्षा के साथ यह एक प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो प्रगति पत्र है उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान में केवल एक मात्र राज्य है जहां पर संस्कृत का अलग से निदेशक है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि राजस्थान में संस्कृत के विद्यार्थियों की संख्या 52,861 है और उनमें 6022 विद्यार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रक्षा बन्धन के अवसर पर घोषणा की थी जो विद्यालय छात्रावासों के अन्दर सवर्ण और हरिजन छात्र को प्रवेश देकर अनुसन्धान करायेंगे उनको हम अनुदान देंगे। मुझे दुःख है यह कहते हुए कि उनकी यह घोषणा भी निरी कपोल कल्पना मात्र ही रह गई। कोटा में संस्कृत महाविद्या-

(श्री दाऊदयाल जोशी)

लय है जिसमें 80 छात्र सभी जाति के हैं लेकिन एक फूटी कौड़ी भी उसको नहीं दी गई। मुझे आशा है नये शिक्षा मंत्री जी अवश्य अनुदान दिलाने की कृपा करेंगे। 25 वर्षों से राजस्थान में संस्कृत का एक अलग से निदेशालय चल रहा है, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि इस पूरे निदेशालय में, जहां राजस्थान में 52 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें केवल एक निदेशक है, एक डिप्टी इन्स्पेक्टर, और एक मात्र सहायक निदेशक है। इस साल संस्कृत के पढ़ने वालों की संख्या में 5.12 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई उसके बावजूद इन 5 पदों के अलावा एक पद भी संस्कृत निदेशालय में नहीं बढ़ा। डिप्टी इन्स्पेक्टर केवल ? जिला स्तर की बात छोड़िए। डिवीजनल स्तर पर कम से कम इन्स्पेक्टर हो, डिप्टी डाइरेक्टर हो, संयुक्त डाइरेक्टर हो जिसके आधार पर संस्कृत भाषा आगे बढ़ सके और संस्कृत के प्रति आगे से आगे इसके लिए उत्साह बन सके।

मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि बारबार संस्कृत अध्यापकों के वेतनमानों को लेकर आन्दोलन करना पड़ता है। पिछली बार राज्यपाल ने घोषणा की थी और मैं यहां फैसला पढ़ता हूं :

"नई दिल्ली" 22 सितम्बर।'

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब विश्वविद्यालय से कहा है कि परम्परागत तरीकों से शिक्षित संस्कृत विद्वानों को उन स्नातकों के बराबर ही समझा जाय जो आधुनिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़कर निकले हैं। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय से स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्वेश्वरानन्द संस्कृत संस्थान और होशियारपुर के इण्डोलॉजिकल (भारत-विद्या) स्टडीज में अध्यापन कार्य करने वाले आचार्यों को वही वेतन पास किया जाय जो संस्कृत में एम० ए० डिग्रीधारी प्राध्यापकों को दिया जाता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों उल्लागिरी स्वामी, पी० के० गोस्वामी व एन० एल० उन्टवालिया ने उक्त निर्णय 1968 के केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के ज्ञापन के आधार पर दिया जिसमें राज्य सरकारों व विश्वविद्यालयों को आदेश दिया गया कि तमाम संस्कृत परीक्षाओं को समान समझें। उक्त ज्ञापन में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया था कि वे कम से कम एक परम्परागत संस्कृत विद्वान को अवश्य प्राध्यापक नियुक्त करें और ऐसे विद्वान को वही दर्जा तथा वेतन दर दिया जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों में पढ़े संस्कृत विद्वानों को दिया जाता है।

न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि संस्कृत के आचार्य को यह ग्रेड मिलना चाहिये और ग्रेड के मामले में किसी भी प्रकार से पक्षपात न किया जाय।"

इस फैसले के बाद भी आज तक मेरी राज्य सरकार ने उनके ग्रेड की चिन्ता नहीं की। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि कालेज शिक्षा में जो प्राचार्य है उसको 1550-1900 का वेतनमान मिलता है लेकिन संस्कृत महाविद्यालय में आचार्य स्तर वाले को 1150-50-1260 मिलता है। इसी प्रकार से अन्य कालेजों में प्रचार्य का

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ग्रेड है 1250-1700 लेकिन मेरे संस्कृत कालेजों में शास्त्री स्तर तक वाले को 800-50-1300 का ग्रेड मिलता है। इसी प्रकार प्राध्यापक को कालेजों में 750-1350 मिलता है और मेरे संस्कृत वाले का ग्रेड शास्त्री और आचार्य स्तर वाले को 375-25-550 ? आखिरकार इस प्रकार का भेदभाव क्यों ? राणावन आयोग ने कहा था कि संस्कृत के विद्वानों, आयुर्वेद के विद्वानों और पशु चिकित्सा के प्रोफसरों को समान वेतन मिलना चाहिए। दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद वालों का ग्रेड बढ़ गया, खुशी की बात है, पशु महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वालों का भी बढ़ गया लेकिन संस्कृत वालों का नहीं बढ़ा। अभी पिछले मंत्रिमण्डल ने यू०जी०सी० ग्रेड प्रोफेसर्स और लैक्चरर्स को दिए थे उसके बाद उनमें और संस्कृत अध्यापकों के ग्रेड में दुगुना अन्तर हो गया है।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जब जवाब दें तो निश्चित रूप से इस भेदभाव पूर्ण नीति को समाप्त करें, और संस्कृतविदों की कीर्ति प्राप्त करें। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में महाराजा संस्कृत कालेज चल रहा है उसके लिये विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया था कि इसको हम हस्तांतरित करेंगे और हम चलायेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि तीन साल हो गये न विश्वविद्यालय चला रहा है न और कोई चला रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य है कि महाराजा संस्कृत कालेज का निजी भवन नहीं है, निदेशक संस्कृत विभाग का कोई भवन नहीं। महाराजा संस्कृत कालेज का भवन बनना चाहिए और उसके लिए जमीन तय हुई है। ढाई साल से खामोशी के वस्ते में है। स्वायत्त शासन मंत्री का फैसला उस फाइल में जो जमीन दी जाने वाली है जिसको पैसा भी देने वाले हैं, आज भी खामोशी के बस्ते में बन्द पड़ा है।

सहायता देने की बात यहां कही गई है। कुछ विद्यालयों को संस्कृत के नाम पर सहायता दी जाती है। जयपुर में भी दो विद्यालय चलाये जाते हैं एक संरक्षक स्वनाम धन्य वयोवृद्ध श्री राम किशोर व्यास जब मंत्री थे उन्होंने रविन्द्र नाथ टैगोर विद्यालय के नाम पर जनता कालोनी में जमीन ली ढाई लाख की। लेकिन आज तक भवन नहीं बनाया, भवन बना सी. एल. गुप्ता का जो मैनेजिंग कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे। बाकी सारी जमीन पर कोयले का स्टोल लगाया गया है। दुख का विषय हैं ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के संरक्षण में चलने वाले विद्यालय का भवन नहीं बना। दूसरा है सुगम शिक्षा समिति। जयपुर में जनता पार्टी के शासन में शिकायत आई माननीय भंवरलाल जी ने जांच कराई, डेढ़ लाख की फीस का गबन करके वह संस्था आज भी चल रही है, कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जहां स्कूल खोले जायं 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाय। कम से कम संस्कृत भाषा को सभी प्रकार के व्यक्ति पढ़े, हरिजन हों या और व्यक्ति हों। संस्कृत के लिए 1:10 का अंतर हो जहां 10 विद्यालय दूसरी भाषाओं के खोलते हैं तो एक विद्यालय संस्कृत का खोलें। आपने इस साल में, पिछले डेढ़ साल में एक भी संस्कृत विद्यालय नहीं खोला केवल मात्र इस साल आपके विभाग ने घोषणा की है कि राजस्थान में

(श्री दाऊदयाल जोशी)

इस वर्ष 11 नए संस्कृत विद्यालयों को मान्यता दी जायगी। केवल मान्यता देने का निर्देश देते हैं। कोई नया विद्यालय नहीं खोला गया। राजस्थान में 253 विद्यालय आज चल रहे हैं!

आचार्य स्तर संस्कृत विद्यालय	14
शास्त्री स्तर संस्कृत विद्यालय	31
शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षण महाविद्यालय	3
उपाध्याय विद्यालय	48
प्रवेशिका विद्यालय	42
उच्च प्राथमिक विद्यालय	81
प्राथमिक विद्यालय	30
बी.एस.टी.सी.	1
छात्रावास	3

मेरा निवेदन है कि राज्य में मुश्किल से राज्य सरकार के द्वारा 15-20स्कूल चलाये जाते हैं, प्रत्येक जिला स्तर पर सरकार के द्वारा आचार्य स्तर के विद्यालय खोले जायं और उसके माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार राजस्थान में होना चाहिए। बड़े दुख और खेद का विषय है, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं पधारे थे संस्कृत सम्मेलन में। मेरे राजस्थान में केवल जयपुर ही एक मात्र क्षेत्र है जहां चतुर्वेद के पंडित हैं, राजस्थान में और कहीं नहीं मिलेंगे। चार वेदों को पढ़ने वाले व्यक्ति और नहीं हैं!

श्री अध्यक्ष : चतुर्वेदी अपनी विधान सभा में तो हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : अभी तिरुपति विश्वविद्यालय ने सर्वे कराया था उसके आधार पर सारे देश में केवल 71 चतुर्वेद के पंडित रह गए हैं और यह चिंताजनक विषय है, वेद अपने आप में महान् हैं और वेद लुप्त हो गए हैं, आपने कहा था सामवेद....

श्री अध्यक्ष : नियम यह बना लें कि चतुर्वेदी अपने नाम के पीछे वही लगायेगा जिसको चारों वेदों की जानकारी हो।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपने स्वयं ने देखा था, 80 साल के वृद्ध जिनके मुंह में दांत नहीं, शायद उनकी मृत्यु के बाद जयपुर में सामवेद का ज्ञाता बचेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको एकाध वेद कंठाग्र हैं या नहीं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे केवल ऋग-वेद का एक अध्याय मात्र याद है आगे याद नहीं।

जिस प्रकार से तिरुपति विश्वविद्यालय ने व्यवस्था की, सारे हिन्दुस्तान में जो विद्यार्थी वहां जाकर अध्यापन कार्य करायेगा उसको 1200/- मासिक वेतन मिलेगा और वेद पढ़ेगा उसको 600/- मासिक अनुदान दिया जायगा लेकिन यह अनुदान और धन-राशि तब मिलेगी जब 12 महीने के अन्दर वह उस विद्या को पारंगत कर लेगा।

श्री अध्यक्ष : बड़ा कठिन है। एक तरफ 33 प्रतिशत से पास होना और दूसरी तरफ पूरे का पूरा वेद कंठस्थ करना कठिन काम है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अब निश्चित रूप से राज्य सरकार विचार करेगी। एक बात जैसे चतुर्वेदी की कही। मुझे याद है हिन्दुस्तान के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री अमरीका गये थे तो उनसे गीता के विषय के बारे में पूछा गया उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं गीता

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नहीं जानता, तो उनसे कहा गया कि इंडोनेशिया में मुसलमान रहते हैं, वे रामायण के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। एक-एक पद का जिनको ज्ञान है। बाली सुमात्रा में रहते हैं लेकिन हमारे देश के मुसलमान इन शब्दों को कह कर अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हैं। हिन्दुस्तान की तस्वीर, उसकी ख्याति को दुनिया के देशों के अन्दर बिगाड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा है भारतस्य प्रसिद्धि द्वे-संस्कृतम् संस्कृतियथा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा श्रम रोजगार के बारे में कहना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, श्रम और रोजगार की कोटा में बहुत भारी समस्या है। मैं बहुत सी बातें निवेदन करना चाहता था पर समय का अभाव है और श्रम मंत्री जी मैं कहूंगा कि बड़ी चालाकी और मुस्तैदी से बच गये हैं इसलिये मैं इतनी ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप कहां पर अलौकिक बातें करते हुए श्रम और रोजगार के विषय में चर्चा करो। आप स्थान ग्रहण करो। श्री हरेन्द्र मिर्धा।

श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले मुझे बोलने का अवसर दिया जाय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, तीन चार मिनट में ही कुछ जरूरी बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चाव खां जी, आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा। आपकी बातें पूरे ध्यान से सुनूंगा। आपका नम्बर आयेगा आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कुछ अपने विचार निवेदन करना चाहूंगा। उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी उस पर गौर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में राजस्थान में कई जगह प्राइमरी स्कूल्स खोले गये हैं चूंकि पापूलेशन बढ़ती है तो नये स्कूल खोलने का प्रस्ताव आना भी जरूरी हो जाता है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांवों में स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। वहां पर न तो कोई पूरे मास्टर ही हैं और अगर मास्टर हैं तो पूरे भवन नहीं बने हुए हैं और कहीं पर अगर भवन हैं तो लड़के पढ़ना चाहते हैं वह सबजेक्ट्स नहीं हैं सबजेक्ट्स हैं तो वहां पर उन के टीचर्स नहीं हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है वहां पर इतना खराब माहौल हो गया है कि स्कूल का वहां पर होना या नहीं होना बराबर ही है। इसलिये नये स्कूल आप खोलें पर अगर इन स्कूल्स की तरफ गवर्नमेन्ट पूरी तरह से ध्यान नहीं दे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाय। आज जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं उनकी शहरों में इतनी हालत खराब है कि मैं आपसे क्या वर्णन करूं!

श्री अध्यक्ष : आप कभी इन देशी स्कूल्स में पढ़े थे क्या ? आप भी कभी इनमें गये थे क्या ?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं गया पर मैंने देखा जरूर है। आपको उन स्कूल्स की हालत देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां पर न तो प्रॉपर, बच्चों के बैठने की जगह है न कोई वहां पर प्रॉपर फर्नीचर ही है। न वहां पर कोई पढ़ने का प्रॉपर एनवायरमेन्ट ही है। वहां पर ऊपर छत नहीं है आंधी, बरसात में बच्चे बैठे रहते हैं। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ाई का वातावरण ही नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज स्कूल के बच्चों का इतना कोर्स रख दिया है, इतने सब्जेक्ट्स और उनकी किताबें हैं कि बच्चे उनको पढ़ ही नहीं सकते हैं। बच्चे इससे इतने हैवीली बर्डन्ड हो जाते हैं कि उनको गेम्स और वोकेशनल काम के लिये कोई टाइम ही नहीं मिलता है। अगर इस यूथ में बच्चों को टाइम ही खेलने का नहीं मिले तो कैसे उनकी पर्सनलिटी डवलप हो सकती है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि बच्चों की पर्सनलिटी डवलप करने के लिये इन एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में गेम्स की व वोकेशनल व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा आज जो एजूकेशन दी जाती है उसका कोई प्रेक्टिकल यूज लाइफ में नहीं होता है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लड़का चार पांच साल पढ़ कर कर बी. ए., एम. ए. करता है और उसकी कोई रुचि नहीं है तो पढ़ाई का कोई यूज नहीं। इससे तो अच्छा है कि अगर उस बच्चे का किसी वोकेशनल सब्जेक्ट में कोई इन्ट्रेस्ट हो तो वह दो चार पांच साल पढ़े तो आगे जाकर वह लाइफ में कुछ कर सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था करावें ताकि बड़ा होकर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना जीवन यापन कर सके। इससे आप बच्चों में एम्प्लायमेन्ट की एनर्जी जनरेट करेंगे। तीसरी बात जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जो मास्टर्स की हालत है वह अध्यक्ष महोदय, आपसे छुपी नहीं है। उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत दोनों ही खराब है। जब एक युवक सभी जगहों पर हार जाता है कहीं भी उसे सर्विस नहीं मिलती है तब वह युवक जाकर टीचर बनता है। जबकि हालात इससे उलटे होने चाहिये। टीचर एक नोबल प्रोफेशनल है जिसके हाथ में देश का भविष्य है उसके पास पढ़ने वाले आगे जाकर लीडर बनते हैं, डाक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, इन्जीनियर बनते हैं, और अगर आप ऐसे टीचर्स रखेंगे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हों तो बच्चों की फाउण्डेशन ही ठीक नहीं होगी। तो इसके लिये सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि टीचर्स की हालत सुधारी जानी चाहिये जिससे कि वह अच्छे बच्चे तैयार कर सकें। इसके अलावा जो यह मिड सैशन में आप ट्रान्सफर्स कर देते हैं इससे न केवल स्कूल के बच्चों का ही नुकसान होता है पढ़ाई लिखाई का, बल्कि टीचर्स के खुद के बच्चों को और उसकी फैमिली को भी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात पर भी सरकार गौर करके मिड सैशन में ट्रान्सफर्स नहीं करे तो अच्छा है। यह मेरा सुझाव है। बस यही दो चार बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा के सम्बन्ध में मांगों पर विचार हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : शिक्षा मंत्री जी तो आपके ही हैं।

श्री चन्दन मल बैद : मैं तो सभी का हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आप बातें करके मेरा समय जाया कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के विषय में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं भी शिक्षा मंत्री जी के सामने अपने कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से बड़ी निश्चिन्तता से बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि जब अध्यक्ष महोदय आयेंगे तब मेरा नाम पुकारा जाएगा। इसके पहले तो कोई मेरा नाम पुकारा जायगा भी नहीं। इसलिये आठ बजे तक अगर मेरा नाम नहीं आता तो मैं यह प्रस्ताव करता कि सदन का समय 12 बजे रात तक के लिए बढ़ाया जाय उस वक्त मेरा नाम जरूर आता क्योंकि 12 बजे तक यहां पर आगे बाद में बैठने वाला होता नहीं। शर्मा जी, आप जरूर बैठे मिलते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर शिक्षा के बारे में जो अभी बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है 81-82 का उस को देख कर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई। यह तो भगवान आशुतोष की कृपा से ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है कि शायद शिक्षा मंत्री जी की सीमा में अगर हो, उनकी परिधि में हो और आउट आफ वे जाकर कहें तो वे रतनगढ़ में कालेज खोलने की जो मेरी मांग है उसको पूरी करें। शिक्षा मंत्री को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में तो रतनगढ़ में कालेज खोलने का प्रावधान है नहीं और इसमें मुख्य मंत्री जी का कोई नुकसान भी होने वाला नहीं है। हां, इतना जरूर है कि आपके ही एक विश्वस्त व्यक्ति से आपको वन्चित होना पड़ सकता है।

श्री अध्यक्ष : इनको खुद को भी अपने गांव आपके ही रास्ते से जाना पड़ सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं उसको तो टाल कर जा सकता हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रतनगढ़ में कालेज खोलने के लिए मैं पहले सत्र में भी बहुत कुछ बोल चुका हूं। मैं इस बात के लिये भी निश्चिन्त हूं कि अगर मैं चाहूं तो जिस दिन भी चाहूंगा उसी दिन वहां पर कालेज खुलवा लूंगा क्योंकि इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं सभी इस बात को चाहते हैं कि रतनगढ़ में कालेज खोला जाय। चाहे आपकी सरकार चाहे या नहीं चाहे पर सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि रतनगढ़ में कालेज खोला जाय। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, शिक्षा-मंत्री जी को एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं विशेष रूप से कि हमारी संस्कृति भारतीय है और शिक्षा मंत्री जी हमारी सरकार के लिए जब भी सदन चलता है तब यहां पर प्रायः यह नारे लगते रहते हैं कि इसका नाश हो उसका नाश हो तो चाहे वह कोई भी सरकार रही हो यहां पर

(188)

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

समय समय पर यह नारे लगते रहते हैं। प्राय: ऐसा माहौल रहता है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इससे हमारी सरकार की बदनामी होती है और होता यह है कि सरकार द्वारा काफी नुकसान उठाने के बाद में उनकी मांगों को मन्जूर किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, जब भी सरकारी कर्मचारियों की कोई मांग आवे या और कोई मांग हो तब आप शान्ति से बजट को मद्दे नजर रखते हुए जो भी समाधान कर सकते हैं कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा उससे राष्ट्र का नुकसान होता है और नुकसान होने के बाद आप उनकी बातों को मानते हैं यह उचित नहीं होगा क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि सरकार की विचारधारा दृढ़ नहीं है या सरकार जान बूझ कर इस प्रकार का नाटक करवाना चाहती है। इसलिये चूंकि हमारे राष्ट्र का कोई नुकसान नहीं हो और हमारे यहां के जितने भी लोग हैं सभी राष्ट्र के भगत हैं क्योंकि जब भी, हमारे देश में समय समय पर बाहरी आक्रमण होता है तब यहां पर सभी लोग, चाहे कोई किसी भी राजनैतिक पार्टी का हो, मिल कर उसका सामना करते हैं चाहे कोई भी कारण हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी मांग करने आये उसमें चाहे डाक्टर हों, वैद्य हों, चाहे मास्टर हों, हमें चूंकि वे भी राष्ट्र के नागरिक हैं उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और अपनी सीमा से जितना दिया जा सकता है राज्य-सरकार से वह दिया जाना चाहिये।

मैं प्रश्न पूछता हूं सरकार से कि एक सेठ के यहां नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी जरूरत के समय सेठ से ही कहेगा कि सेठजी मेरी लड़की का विवाह है मुझे इतनी रकम की आवश्यकता है। इसी तरह से इस सरकार का कर्मचारी सरकार से ही मांग करेगा तो, श्रीमन, समय रहते उसका समाधान करना चाहिये। आज जिस संस्कृत की हम बातें करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस भाषा की उपेक्षा कर दी गयी है। हम जो यहां बैठे हैं माननीय सदस्यगण जब नामकरण हुआ था तो सबसे पहले इस मंत्र से उनके नामकरण संस्कार की पूजा शुरू होती है :

"गणांनान्त्वा गणपति,
हवा महे प्रिया नान्तवा प्रियपति
हवा महे निधि नान्त्वा निधिपति,
हवा महे, वशोमम:"

और अन्त में जब हम अन्त्येष्टि में जाते हैं तो आप देखते हैं चाहे नेता हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी सम्पन्न हो सब को उसी संस्कृत भाषा, भाषा की जो जननी है वेद, के शब्दों का उच्चारण होता है। इस राजस्थान में उस संस्कृत भाषा की सर्वथा उपेक्षा की जाती रही है। शास्त्री को बी. ए. के समकक्ष मान लिया, आचार्य को एम. ए. के समकक्ष मान लिया विद्वता की दृष्टि से तो मान लिया लेकिन आर्थिक की दृष्टि से वह उनकी सहायता नहीं कर सकते। एम. ए. और बी.ए. वाले को ज्यादा पैसा मिलता है और शास्त्री और आचार्य को कम मिलता है। तो इस दृष्टि से इस भाषा का क्रमश: धीरे-धीरे ह्रास होता गया। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो बीच में असमानता है उसको वह दूर करें।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

इस बजट में संस्कृत भाषा अकादमी का उल्लेख किया है। यदि यह काम हो जाय तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने बजट में सारे आंकड़ों को देखा। वैसे मैं आंकड़ों के मामलों में कमजोर आदमी हूं.........

श्री चन्दनमल बैद : मेरी बात मान लीजिए, हो गया है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : धन्यवाद। वहां कोई संस्कृत अकादमी के लिए धनराशि का प्रावधान दिया हो ऐसा मुझे आय-व्ययक पत्र में नजर नहीं आया इसलिए मुझे भ्रम हो गया था।

श्री अध्यक्ष : काफी बड़ा पोथा है कहीं रह गया होगा।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : हो सकता माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद मेरी नजर में नहीं आया हो। तो मैंने पहले ही स्वीकार किया है कि आंकड़ों के खयाल में मुझे कम अनुभव है। अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हो जायगा तो आज तक तो जितनी भी घोषणायें हुई हैं चाहे इस सदन से बाहर हुई हों या इस सदन के अन्दर हुई हों मैंने तो पूरी होते नहीं देखा लेकिन जिस मुख से यह बात निकली है उनकी प्रकृति से और उनकी प्रवृत्ति से मैं जानकार हूं तो निश्चित रूप से यह काम तो हो जायगा यह मैं मान कर चलता हूं लेकिन मेरा मूल प्रश्न है उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौन हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मौन हैं.....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मौन का मतलब आधी स्वीकृति है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : अध्यक्ष महोदय यह कह दें तो मान लूं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी मौन हूं इस पर।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : आप भी मौन हैं तो इस सदन में मेरे कोई संरक्षक हैं तो आप ही हैं।

श्री अध्यक्ष : मौन का मतलब मान लिया गया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : मैं आपके माध्यम से ही शिक्षा मंत्री जी से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि जहां और सब काम आप खोल रहे हैं अब क्या राजस्थान का जो शिक्षा का बजट आया उसमें प्राइमरी और मिडिल उसके बाद न तो सैकण्डरी खोलेंगे, न हायर सैकण्डरी खोलेंगे, न महाविद्यालय खोलेंगे और न कभी यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के बालकों को यह छूट दे दीं कि तुम ऊंट की और बैल की पूंछ मरोड़ते जाओ और टर्र-टर्र करते जाओ। इस वैज्ञानिक युग में ठीक है प्राइमरी शिक्षा आवश्यक है, वह होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ इस वैज्ञानिक युग में जहां हम अणु की बात करते हैं, जहां हम हवाई जहाज और पाइलेट की बात करते हैं वहां यदि हम उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि हम पहले ही से पिछड़े हुए हैं और ज्यादा पिछड़ जायेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी महाविद्यालय नहीं खोलने की आपकी पाबंदी तो ठीक है लेकिन सब लोगों से मिल कर मैंने जानकारी की है और मुझे जानकारी मिली है और माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी जानकारी

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

है कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसमें शायद जो इसकी पाबन्दी है वह नहीं रहेगी। तो भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से मेरा जो क्षेत्र है वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसके अन्दर मैं मांग करूंगा कि सहयोग मिला है श्रेय लेना है ले लो अन्यथा दूसरों को मिले उसमें मुझे भी दुख होगा और आपको भी प्रसन्नता नहीं होगी। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर ज्यादातर लोग मजदूर और छोटे किसान तबके के लोग रहते हैं। जो मैंने कल बात कही थी कि जब भी बरसात होती है तो सारा पानी इकट्ठा होकर उस क्षेत्र को तबाह कर देता है। मैं आपको शिक्षा के ऊपर बताऊं कि पिछले वर्ष जो भी स्कूल खोले गये, आपको यकीनी बताता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक भी, किसी प्रकार का, कोई स्कूल नहीं खोला गया यानि सैकण्डरी हायर सैकण्डरी तो कररहे हैं और मिडिल और एक भी प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोला गया। एक बात तो यह कहूंगा। नये मंत्री महोदय से मैं आशा करता हूं कि वह इस पर ध्यान देंगे और जैसा हमारे साथियों ने बताया है, उन्होंने बार बार यह कहा है कि इस वर्ष जो बजट लाया गया है वह बहुत कम है। यह बताया गया है लेकिन इसके साथ साथ एक कहावत है सपूत की और कपूत की। अगर सपूत बच्चा किसी के होता है तो उसकी कमाने की जरूरत नहीं है वह थोड़े को भी बहुत कर देता है और कपूत हो तो कितना भी कमा कर रख दो वह सब को बर्बाद कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि जो नये मंत्री आये हैं यह थोड़े को भी ज्यादा करके दिखायेंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो स्कूल हैं मैं अपने इलाके की बात बता सकता हूं जो कि मैंने अपनी आंखों देखी है। स्कूल तो हैं लेकिन वहां इमारत नहीं हैं। बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं और बरसात आती है तो उनकी किताबें भीग जाती हैं। मिसाल के तौर पर नोगा गांव है जिसमें 100-150 बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उस गांव में स्कूल की इमारत नहीं है। अब आप ही सोचें कि कितनी बड़ी दिक्कत उन बच्चों को उठानी पड़ती है। एक मेरा यह सुझाव है कि पिछली विधानसभा में भी इसकी चर्चा उठी थी नौकरी के लिये जो उम्र रखी हुई है उसको बढ़ाना चाहिये। आदमी अलबत्ता पढ़ते नहीं है और पढ़ते भी हैं तो उनको कहीं नौकरी में लिया नहीं जाता सारी उम्र उसकी खतम हो गई। न हल चला सकता है न ढोर चरा सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह उम्र 30-32 साल तक बढ़ा दें कम से कम कहीं तो उसको मुलाजमत मिल सके। इसके साथ मेरा एक और है कि जहां पर जिस स्कूल में कम से कम 20-25 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हों वहां बराबर एक टीचर उर्दू पढ़ाने वाला होना चाहिये। उर्दू इसी देश की जुबान है आज स्कूल में टीचर नहीं होने की वजह से यह जुबान खतम होती चली जा रही है बहुत कम उर्दू पढ़े लिखे मिलते हैं। अंग्रेजों के जमाने में यह कहते हैं कि 75 फीसदी हिन्दू भाई उर्दू जुबान बोलने लिखने वाले मिलते थे आज

(श्री चाव खां)

सिर्फ पंजाब हरियाणा में मिलेंगे । यहां पर जहां 25 बच्चे उर्दू पढ़ना चाहें वहां एक टीचर उर्दू के लिये रखना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा अब की बार, मैं आपको यह बता दूं क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूल खुले है जहां कुल 20 बच्चे हैं, इमारत नहीं, स्थान नहीं, स्कूल खोल दिया । 10, 15 बच्चों के लिये मिडिल स्कूल खोल दिया । एक दो किलोमीटर की दूरी पर के लिये भी खोला गया है । वह पैसा बेकार खर्चा हुआ । न बच्चे हैं, न स्कूल हैं, मेरा कहना है कि आप भी ऐसा न करें जहां जहां स्कूल नहीं खोले गये उनको ध्यान में रख कर आप स्कूल खोलें । बस इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें आपके यहां किसी मेव लड़की ने मिडिल पास किया है ?

श्री चाव खां : हमारे यहां पर पी.पी. साहब है उनकी लड़की ने बी.ए. पास किया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 34 सालों के अन्दर शिक्षा की आमूल चूल परिवर्तन की बात लगातार सुनते आ रहे हैं । कई आयोग गठित किये गये सब ने अपनी रिपोर्ट दे दी । हर बार लोक सभा में और विधान सभाओं में शिक्षा नीति के सम्बन्ध में चर्चा होती रहती है लेकिन परनाला वहीं का वहीं गिरता है । आज तक हमने इस दिशा के अन्दर कोई निश्चित रूप से कोई कदम नहीं उठाये चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जनता पार्टी का भी शासन रहा, शिक्षा नीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं कर पाये । यह वास्तव में हमारे देश में लिये दुर्भाग्य है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें । इस देश के अन्दर एक शिक्षा नीति बन सके जिसके आधार पर हम आगे चल सकें । इस देश के अन्दर बार बार एक्सपेरीमेंट होते रहते हैं वे बन्द हों । इसके साथ साथ हमने लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई । लोकतंत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि हर नागरिक शिक्षित हो कम से कम अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिये । लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि 30 साल के अन्दर लोगों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं । शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान विशेष रूप से काफी पिछड़ा हुआ है इसलिये हर बार इस तरह की बात की जाती है शिक्षा के मदों के अन्दर उचित अर्थव्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा अगर देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, उसकी नींव को मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश के अन्दर 9 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिये शिक्षा अनिवार्य करनी पड़ेगी यदि हमारी आस्था लोकतंत्र के अन्दर है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सक्षेप के अन्दर कि हमारी जो कुछ भी शिक्षा है वह ऐसी है वह केवल व्हाइट कालर पीपुल तैयार करने की स्थिति है । बी.ए.,एम.ए. करते रहते

(श्री जीतमल जैन)

हैं और बी.ए.,एम.ए. करने के बाद सरकारी नौकरियां ढूंढते रहते हैं। पिछले तीस सालों में उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाये ? बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध करा सके ? इसलिये आवश्यक है कि शिक्षा नीति के अन्दर इस प्रकार का परिवर्तन करें, विचार करें बी.ए., एम.ए. पैदा न करें। हायर सैकण्डरी के बाद जॉब ओरियेन्टेड शिक्षा दें जिसके आधार पर जीवन के अन्दर किसी धन्धे के अन्दर लग सकें और योजनायें बनायें कि काम धन्धे के लिये सहायता उपलब्ध करा सकें और आने वाले युवक अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना जीवन चला सकें। इसके साथ साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर आज नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसके लिये आवश्यक है शिक्षा नीति के अन्दर नैतिक शिक्षा को स्थान मिले इसके अन्दर हो। किसी भेदभाव की बात छोड़ कर जो हमारी संस्कृति के अन्दर सभी अच्छी बातें वह चाहे किसी सम्प्रदाय की हों उनको लेकर पाठ्यक्रम के अन्दर नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाना चाहिये। आने वाले बच्चे जिनके ऊपर भविष्य निर्भर करता है वे निश्चित रूप से नैतिक शिक्षा को पा सकें और निश्चित रूप से देश की प्रगति में सहायक बन सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में आज बहुत सी प्राइवेट शिक्षण संस्थायें चल रही हैं उन शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों का शोषण होता है। जनता पार्टी के शासन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्य से शासन चला गया उसकी कोई बात नहीं। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस सत्र में या आगामी सत्र में इस प्रकार विधेयक लाकर इन प्राइवेट संस्थाओं में जो अध्यापकों का शोषण हो रहा है उसको दूर करें और राजकीय स्तर के अध्यापकों को जो सुविधायें मिलती हैं वे सारी सुविधायें उन शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से स्थानान्तरण कर शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न किया है वह वास्तव में अपने आप में अनहोनी घटना है। श्रीमन्, मैं समझता हूं सिर्फ सरकार ही नहीं हम सब के लिये शर्म और लज्जा की बात है। मैं आपसे, श्रीमन् हनुमान प्रभाकर के संबंध में निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप भंवर लाल शर्मा की तारीफ कर रहे थे।

श्री जीतमल जैन : इसके साथ साथ इसलिये मैं निवेदन कर रहा था उन्होंने किस प्रकार के स्थानांतरण किये। इन्होंने हमारे अलवर की प्रताप स्कूल में एक साल के अन्दर दो–दो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति कर दी एक प्रधानाध्यापक ने टेलीफोन को ताला लगा दिया। दूसरे ने कहा इसने ताला कैसे लगा दिया और उसने टेलीफोन की तार खेंच कर टेलीफोन को अलमारी में बन्द कर दिया। तीसरे दिन क्या स्थिति हुई, दूसरे ने उस पर एक दूसरा ताला लगा दिया। इस प्रकार की स्थिति स्कूल के

(श्री जीतमल जैन)

अन्दर हो प्रधान अध्यापक इस प्रकार झगड़ें तो उनके जो शिष्य हैं वे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इसके साथ साथ शिक्षा अधिकारियों के जिस प्रकार से तबादले हुए हैं, वे तो अपने आप में बेमिसाल हैं। मैं समझता हूं कि आप देखेंगे पिछले 4-6 महीनों के अन्दर जिस प्रकार से डिप्टी इन्स्पेक्टर्स के तबादले अलवर में हुए हैं वे अपने आपमें अनहोनी बात है। एक श्याम-लाल शर्मा 11-8-80 को आये, 1-9-80 को चले गये, दूसरे घीसा लाल तिवारी 20-9-80 को आये 21-10-80 को वापस चले गये, श्री सोमप्रकाश तिवारी 1-7-80 को आये, 16-8-80 को वापस चले गये फिर 22-9-80 को आये वहां टिके हुए हैं। इसी प्रकार से एक सतीश चन्द गुप्ता 16-8-80 को आये 26-8-80 को चले गये। इस प्रकार की पूरी सूची, इस प्रकार शिक्षा के नाम पर जिस प्रकार की अव्यवस्था फैलायी है, श्रीमन्, हनुमान प्रसाद प्रभाकर व इस सरकार के लिए लज्जा की बात है। इसी प्रकार से डी. आई. जे. एस. स्कूल के अन्दर इसी प्रकार से और ट्रान्सफर के मामले चलते रहे। कोई दस दिन रहे कोई बीस दिन रहा। जो ट्रांसफर कराये गये दूसरे ने केन्सिल करा लिये हैं इस तरह का मामला चलता रहा। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से हमारे यहां जिला शिक्षा अधिकारी ने राजनीतिक दबाव के अन्दर आकर 105 स्थानान्तरण किये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि ये कुछ दिनों में किये। ये कुछ तो सूचियां मेरे पास हैं। मैंने एक प्रश्न इस सम्बन्ध में भेजा है, अभी तक उसकी सूचना नहीं मिली है। 105 ट्रान्सफर हुए, इसकी जानकारी करवायें। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से कहूंगा कि शिक्षा अधिकारी ने किस प्रकार से ट्रांसफर किये, किस दिन आदेश निकाले हैं, किस दिन आदेश पहुंचा, किस दिन रिलीव हुए। पूरी जानकारी करायेंगे तो आपको सारा मामला पता लग जायगा कि किस प्रकार से सारा गोलमाल हुआ। एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से एक स्कूल है, स्कीम नम्बर दो के अन्दर, वहां पर जो भी हमारी प्रधान-अध्यापिकायें थीं, उनको हटाया गया। खुशी की बात है, आपका राज है, आप हटा सकते हैं। दूसरे पुष्पलता चावला 1-8-80 को आयीं, 6-9-80 को वापस चली गयीं, 6-9-80 को शोभा गंगवार आयीं 11-10-80 को चली गयीं, 11-10-80 को पुष्पलता चावला फिर आयीं और 24-11-80 को रिलीव हो गयीं, 24-11-80 को फिर शोभ गंगवाल आयीं और 31-12-80 को चली गयीं। 31-12-80 से वहां पुष्पलता चावला आती हैं उसके साथ एक राजनीतिक आधार पर हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कोई ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन इस मामले में आदेशों में शिथिलता प्रदान की है. श्रीमती शोभा गंगवाल के पति हैं वे वहां पोलिटेक्नीक में लेक्चरर हैं। नीति के अनुसार पति-पत्नी दोनों को एक ही जगह रहना चाहिए लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि उसके पति मेरे सहपाठी रह चुके हैं। उसके कारण यह भेदभाव बरता गया। इसके साथ-साथ हमारे सदन के अन्दर भारतीय संस्कृति चर्चा कुछ लोगों ने

(श्री जीतमल जैन)

की। हमारे देश के अन्दर एक कार्यक्रम भारतीय संस्कृति प्रसार योजना के अन्तर्गत कुछ लोगों को शिक्षित किया गया इस योजना में शिक्षा विभाग की 2 या 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, उन दिनों का वेतन सरकार भुगतती है। उस ट्रेनिंग आने के बाद उनको 7-8 हजार रुपये का सामान केन्द्र सरकार उपलब्ध कराती है, सामान उपलब्ध कराने के बाद वे चाहते हैं कि विद्यालय के अन्दर इस प्रकार के केन्द्र में भारतीय संस्कृति का प्रसार हो लेकिन राजनीतिक आधार पर ऐसे अध्यापकों के स्थानांतरण इस सरकार ने कर दिये। आप देखेंगे, आज यशवंत स्कूल के अन्दर अलवर में इस प्रकार का एक केन्द्र चलता था लेकिन वह केन्द्र, वे सारी व्यवस्थायें 7-8 हजार रुपये की जो सरकार ने उपलब्ध करायी थी, वह सारा बेकार पड़ा है। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपके शिक्षा मंत्री महोदय से कि इस बार नये महाविद्यालय नहीं खोल कर रहे हैं। उन्होंने अलवर के अन्दर महाविद्यालय खोला है पिछली बार लड़कियों का, बड़ी खुशी की बात है. आर्य कन्या महाविद्यालय खोला है, बड़ी खुशी की बात है। अलवर में एक और विद्यालय खोला, किसी को दुख नहीं हो सकता लेकिन आश्चर्य करेंगे वहां अध्यापन कार्य करने वालों को केवल दो सौ रुपये प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है। मैं नहीं समझता हूं कि दो सौ रुपये प्रति मास लेने वाला लेक्चरर वहां किस प्रकार का शिक्षण देगा, मेरी समझ में नहीं आता। एक बात और आप आश्चर्य करेंगे कि जो शर्त दी गयी, महाविद्यालय शुरू करने की एक शर्त थी कि कोई भी महिला प्रधानाध्यापिका होगी लेकिन वहां पर एक महिला प्रधानाध्यापिका की जगह पुरुष सारा कार्य-भार प्रधानाचार्य का सम्भाल रहा है। इसी प्रकार से आप कहें तो जिन लोगों को रख रखा है, दो दो सौ रुपये दे रहे हैं। ये सारा इन्क्वायरी का विषय है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से सारे मामले की, आर्य कन्या महाविद्यालय की जानकारी करवायी जाय कि किस प्रकार से वे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल 14 विद्यार्थी हैं, कालेज के अन्दर कालेज की आवश्यकता नहीं थी, उनमें 7-8 तो फेल्योर हैं। इस प्रकार से राजनीतिक आधार पर ये विद्यालय अलवर में प्रारम्भ किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल जैन : बस समाप्त कर रहा हूं। इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने क्षेत्र के बारे में शिक्षा मंत्री महोदय। पिछली जनता पार्टी की सरकार के अन्दर जो गर्ल्स स्कूल है, उसके होस्टल के लिये, भंवरलाल शर्मा, 4 एकड़ भूमि दे दी थी कि होस्टल बने लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद से मामले को खड्ढे में डाल दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि एक बहुत बड़े कालेज के लिये एक होस्टल की नितान्त आवश्यकता अलवर में है, उसके लिये जो 4 एकड़ भूमि का निर्णय जनता सरकार ने लिया था आप उसको राजनीतिक

(श्री जीतमल जैन)

भेदभाव से ऊपर उठ कर उसको अलाट करने का इस बात को करने का, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, निर्णय लेंगे। ऐसी आशा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल जैन : आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश तिवाड़ी। आपके बाद में श्री माणक मल मेहता।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और राजस्थान महिला शिक्षा के क्षेत्र में और भी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान में जो विद्यालय बालक और बालिकाओं के लिए हैं, उनके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं उच्च माध्यमिक विद्यालय 309 हैं बालकों के और बालिकाओं के 42,13 प्रतिशत बालिकाओं के विद्यालय हैं। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय 1565 बालकों के लिए और 236 बालिकाओं के लिए, जो 15 प्रतिशत आता है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक विद्यालय 4,133 और बालिकाओं के 563, 13 प्रतिशत। इससे यह अन्दाज होता है कि हमारे यहां राजस्थान में महिला शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है और महिला शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की वही हालत है जैसे आप सदन में नजर डालें, एक महिला सदस्या नजर नहीं आयेगी और सरकारी गैलरी में भी उसी प्रतिशत से आप अन्दाज लगा सकते हैं,

(7.27 रात्रि)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

कि जहां कहीं कन्या विद्यालय देखने का नहीं मिलेगा। मेरा विनम्र सुझाव है कि हमें महिला शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां कम से कम पंचायत समिति स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्याओं के अलग से स्थापित किये जायं, खोले जायं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष में यदि वे किसी प्रकार का का प्रावधान रख कर जिन पंचायत समिति मुख्यालय में बालिकाओं को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए विद्यालय उपलब्ध नहीं है, वहां उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय खोले जायं। इसके अलावा मेरा एक दूसरा सुझाव है, निर्धन छात्रों के लिए। कई विद्यार्थी आर्थिक कारणों से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। हम समाज कल्याण विभाग की तरफ से छात्रवृत्ति भी देते है, तब भी कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस सुविधा से वंचित रहते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए, वे आगे अध्ययन कर सकें ऐसी व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि समय-समय पर विद्यालय से भी आर्थिक सहयोग या पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए। उसके लिए मेरा यह निवेदन करना है कि शिक्षा मंत्री जी अगर इसी वित्तीय वर्ष में व्यवस्था कर सकें तो प्रत्येक विद्यालय के निर्धन छात्रों के लिए निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की व्यवस्था कर दें और उसके लिए सरकार सहयोग दे और अगर सरकार नहीं कर सके तो जन

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

सहयोग के माध्यम से निर्धन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कोष की स्थापना की जा सके तो की जानी चाहिए।

तीसरा, मेरा निवेदन है गांव के प्राथमिक विद्यालयों के बारे में, पंचायत समितियों को शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों का वेतन दिया गया और विद्यालय खोलने के लिए सहायता के रूप में पैसा भी दे दिया जाता है। जैसा कि शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से जाहिर होता है। लेकिन और जहां तक मेरा अनुभव है मुझे जानकारी है, शिक्षा विभाग, पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा पर जितना व्यय होता है वह पूरा पैसा नहीं देता। अगर शिक्षा विभाग पूरा पैसा दे दे तो पंचायत समितियों के विद्यालयों की यह स्थिति नहीं हो। आज प्राथमिक शालाओं का स्तर गिरता जा रहा है। अध्यापक पूरे नहीं हैं। पंचायत समितियों में जो विद्यालय हैं उनके स्तर को ठीक नहीं किया गया, पूरे अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गई, तो हमारी नींव कमजोर होगी और आगे जाकर जो मंजिल हम चढ़ाना चाहते हैं वह नहीं चढ़ा पायेंगे। जो प्राथमिक शालाओं के विद्यार्थी हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं, अध्ययन में वैसे ही कमजोर रहते हैं। शहरी वातावरण में आ करके वे लोग समावेश नहीं कर पाते और आगे अध्ययन करने में असमर्थ रहते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्राथमिक शालाओं की जो दयनीय स्थिति है उसको ठीक किया जाना चाहिए। जहां अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं, पंचायत समितियों को पर्याप्त अध्यापक छात्र संख्या के अनुपात में दिये जाने चाहिए।

संस्कृत के बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दो माननीय सदस्यों ने मेरे पूर्व अपने विचार प्रकट किये थे, उसमें सहमति प्रकट करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षा की तरफ भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार कन्या शालाओं की हालत है उसी प्रकार की संस्कृत शिक्षा की हालत है। और संस्कृत शिक्षा में आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि 12 जिले अभी तक वंचित हैं संस्कृत शिक्षा से। शिक्षा मंत्री महोदय, इस संदर्भ में भी व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी ले करके संस्कृत शिक्षा के लिए उनके प्रभाव से, व्यक्तित्व से जो कुछ कर सकें वह करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

इसके अलावा जो हमारे प्राथमिक शाला भवन हैं, जहां जहां अधूरे पड़े हुये हैं उन विद्यालय भवनों को पूरा करने के लिए चाहे शिक्षा विभाग सहायता दे, चाहे विकास विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय भवनों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जावे ताकि विद्यार्थी विद्यालय भवन में पढ़ सकें। आज विद्यालय भवनों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पेड़ों के नीचे विद्यालय चलाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था जल्दी की जावे। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री माणकमल जी मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : सभापति महोदय, आज मैं इस सभा भवन

(श्री माणकमल मेहता)

में कटौती प्रस्ताव के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं । यह शिक्षा का, जो शिक्षा के विषय में आपके समक्ष माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनतांत्रिक समाज में शिक्षा का बहुत ही बड़ा महत्व है। जब तक देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस वक्त तक और जब तक एक एलीयन कण्ट्री का राज था उस वक्त तक हमारी शिक्षा की पद्धति भिन्न हो सकती थी । क्योंकि अंग्रेजों को इस देश में राज करना था और उन्हें क्लर्क्स पैदा करने थे लेकिन देश स्वतंत्र हुआ। उसके पश्चात् आज इतने वर्षों के बाद भी हमें खेद और दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम शिक्षा की नीति को तय नहीं कर सके। किसी भी देश को आगे बढाने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस देश की शिक्षा की नीति निश्चित रूप से निर्धारित हो। हम एक्सपेरीमेंट्स करते रहे हैं अभी तक और उन एक्सपेरीमेंट्स से आज तक किसी एक मंजिल पर नहीं पहुंच पाये। हम लड़खड़ाते रहे और आज तक भी हम यह नहीं कह पा रहे हैं कि हमारी शिक्षा की नीति क्या है ? उसी पुराने ढर्रे पर आज हम चलते रहे हैं चल रहे हैं । आज भी वही विश्वविद्यालय जो पुराने अंग्रेजों के जमाने के थे उसी तरह के विश्वविद्यालय हैं। उसी तरह के आपके सब्जेक्ट्स हैं। उनके अन्दर वह फैकल्टीज हैं । उसी तरह का प्राइमरी से लेकर ऊपर तक वही माहौल जो उस वक्त था वही है। तो आज जब तक हम इस देश की शिक्षा के तरीके को नहीं बदलेंगे, शिक्षा के अन्दर एक नई दिशा और निश्चित रूप से नई दिशा नहीं देंगे, तब तक आज हम जो जन आन्दोलन विद्यालयों में देख रहे हैं, वह जन आन्दोलन समाप्त नहीं हो पायेगा। मैं इसके लिए शिक्षा को ही बहुत ज्यादा उत्तरदायी मानता हूं । जहां डेमोक्रेटिक कण्ट्रीज हैं और जिसमें सारे चुने हुए राज करते हों, जिस किसी प्रदेश में और वहां पर शिक्षा प्रणाली में यदि वह यह नहीं सोचें कि किस तरह से हमें शिक्षा दी जावे तो मैं समझता हूं कि उस प्रदेश का और देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता देश में चरित्र निर्माण की होती है। जब तक हमारे देश में बच्चों से हम चरित्रकानिर्माण नहीं करें तब तक यूनिवर्सिटीज के लेवल तक जाकर वह चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। पौधों को ही हमें ठीक ढंग से पालना होगा। पुराने जमाने में हम देखते थे कि हमारे गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे। ऐसे वातावरण में वे रहते थे उन्हें आचार्यों के संरक्षण में जिस प्रकार का विद्या अध्ययन करना पड़ता था उस विद्या अध्ययन के अन्दर नैतिकता को सबसे ज्यादा प्रश्रय दिया जाता था।

(7.36 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

नैतिकता को वहां महत्व दिया जाता था। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्राइमरी स्कूल में शुरू से लगा कर यूनिवर्सिटीज एजूकेशन तक नैतिकता को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाय और

(श्री माणकमल मेहता)

इसके लिए मेरा यह सुझाव है, कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स का सलेक्शन होता है, उस सलेक्शन के लिए हमें बहुत ही उत्तरदायी ढंग से टीचर्स का सलेक्शन करना चाहिए। क्योंकि टीचर्स वह बच्चा, वह आदमी और वह पढ़ा लिखा आदमी, जब उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है तो वह मास्टरी के लिए जाता है। उसको हम शिक्षक के रूप में रख सकें....

श्री अध्यक्ष : उसमें बी.ए. और बी.एस.सी. को भी हम सलेक्ट कर सकते हैं।

(व्यवधान) .

श्री माणकमल मेहता : नहीं, उसको कर तो सकते हैं, साहब, लेकिन उसमें फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हों, जिनका एक मापदण्ड बनना चाहिए, जिसके अनुसार उनके नैतिक चरित्र को देख कर प्राइमरी स्कूल में टीचर्स को रखें तो ज्यादा उचित रहेगा। उन बच्चों को शिक्षा शुरू से ही अच्छी मिलने लगेगी तो आगे जाकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। आपके समय में जैसे टीचर्स रहे और जैसी आपको शिक्षा दी आज भी आप उनके पांव छूते हैं, आज भी हमने यह देखा है। लेकिन आज का विद्यार्थी अपने टीचर्स के साथ कितना सम्मान करता है यूनिवर्सिटीज में यह अपने सामने है। यह सम्मान उनका नहीं होने का कारण यही है कि हम भारतीय संस्कृति में जो एजूकेशन का मूल तत्व था उसको भूल चुके हैं। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि आज यह जो टीचर्स कौन होते हैं,

Gone are the days when a man chose to become a teacher for the love of the ennobling taste of the unreserved respect that he received from students and society. Now, more often than not, he becomes a teacher as a last resort because he cannot find a more lucrative job.

इसलिए वह टीचर बनने के लिये आता है जब कहीं उसको जगह नहीं मिलती है। वह मास्टरी के अन्दर चला जाता है। हम उसको रखते हैं, बताइये, वह विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देगा ? मेरा निवेदन है कि प्राइमरी स्कूल में हमें बेस्ट पासिबल स्टाफ को लेना चाहिये। बहुत योग्यतम लोगों को लेकर उनसे शिक्षा प्राइमरी स्कूल में दिलानी चाहिये। इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि पंचायत समितियों में जो टीचर्स हैं उन टीचर्स का लॉट बहुत खराब है। एजूकेशन डिपार्टमेंट ने जब से पंचायत समितियों को टीचर्स का महकमा दिया है तब से किसी तरह से उनका कोई संरक्षण नहीं होता। एक ही जगह टीचर्स रहते हैं, उसी पंचायत समिति में रहते हैं और न कहीं और जगह उनका ट्रांसफर होता है और धीरे-धीरे वे सरपंच के साथ अपना तालमेल मिला कर और उनकी जी हुजूरी साधने के अलावा विद्यार्थियों को पढ़ाने का धन्धा ही वे छोड़ देते हैं। आठ, दस, बारह साल वहां रहने के बाद में वह पॉलिटिक्स में, वहां की लोकल पॉलिटिक्स में घुस जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों के पास जो एजूकेशन है वह कम्पलीटली एजूकेशन डिपार्टमेंट को वापस ट्रांसफर कर देनी चाहिये और एजूकेशन डिपार्टमेंट ही उनको सम्भाले तो यह थोड़ा

(श्री माणकमल मेहता)

सा ठीक हो सकती है। आज हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं विलेजेज में, रूरल एरिया में, वहां पर एक चपरासी तक नहीं होता। हम स्कूल तो खोलते चले जाते हैं, उनके भवन चाहे नहीं हों लेकिन जितने स्कूल हम खोलते हैं, जैसा कि अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने फर्माया था, स्कूल चाहे कम खोलें लेकिन वे फुल्ली इक्वीप्ड हों तभी उन स्कूल्स का फायदा है वरना आप धड़ल्ले से स्कूल खोलते चले जायेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को स्कूल में पेड़ों के नीचे बिठा कर पढाईये, लेकिन पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ आज प्राइमरी स्कूल में, पंचायत समितियों में देखते हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, चपरासी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक प्राइमरी स्कूल में एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट रखना चाहिए जो कम से कम पानी पिला सके। इसके बाद मेरा निवेदन है कि हायर एजूकेशन की तरफ जाते हैं तो उसके लिए वोकेशनल एजूकेशन बहुत आवश्यक है। इसलिए अवश्यक है स्वीट्जरलैण्ड में देखें, जापान में देखें, विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है तो वहां उसके साथ-साथ कोई न कोई धन्धा सिखाया जाता है जिससे वह अपना जीवन-यापन कर सकता है, अपनी फीस के पैसे इकट्ठे कर सकता है जिनसे शिक्षा की प्राप्ति कर सकता है। अपने यहां यह पद्धति नहीं है। जो एक्सपेरीमेंट हमने किये थे, मल्टीपर्पज हाइ स्कूल वगैरह के एक्सपेरीमेंट हुए वे भी पूरी तरह से सफल नहीं हुए, एक एक्सपेरीमेंटल स्टेज था, हम निश्चित रूप से दिशा नहीं दे सके और आगे जाकर हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने भी कोई प्रणाली नहीं अपनाई जिससे शिक्षा उन्नत हो सके। आज जो आक्रोश विद्यार्थियों में छाया हुआ है, यूनिवर्सिटी से जब विद्यार्थी निकलता है तो वह बिलकुल फ्रस्टेटेड होकर निकलता है, निश्चित नहीं होता कि हमारा भाग्य कहां ले जायेगा, दूसरा धन्धा कर सकेगा या नहीं, नौकरी मिल सकेगी या नहीं। यह जो मेंटेलिटी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एक गांव का लड़का जिसका बाप मजदूरी करके, खेती करके, पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय में भेजता है तो होता यह है, कि बाबू साहब बन कर वह अपने पैतृक धन्धे को छोड़ कर नौकरी की कोशिश करता है और नौकरी नहीं मिलती तो फ्रस्टेटेड हो जाता है और उसके बाद देश का जैसा माहौल देख रहे हैं आरक्षण के खिलाफ आदि, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विद्यार्थी को शुरू से ही वोकेशनल एजूकेशन देने लगें तो वह जब भी अपने प्रोफेशन में जायगा तो उसके बाद, प्रोफेशन के अन्दर निकलने के बाद उसके पास टेक्निकल एजूकेशन होगी तो ज्यादा उपयोगी होगी और विद्यार्थियों का आक्रोश हमें समाज में नजर नहीं आयेगा।

शिक्षा, हम जानते हैं हमारे समाज में शिक्षा द्वारा समाज की तमाम गतिविधियों का पता चलता हैं, हमारे समाज की गतिविधियां हमारे साहित्य द्वारा प्रदर्शित होती हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण होता है साहित्य। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र का, जिस समाज का, जिस समय का साहित्य है, वह उसका दिग्दर्शन है यह

(250)

(श्री माणकमल मेहता)

साहित्य जो आज सृजन किया है, आज का सृजन किया हुआ होगा उसमें आज की गतिविधियों का दिग्दर्शन होगा। तो अच्छा साहित्य देने के लिये, अच्छी शिक्षा देने के लिये, शिक्षा जो हमारा सबसे, जिसके ऊपर देश की नींव आधारित है, उसका विश्रृंखलन हो चुका है। मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री जी से कि राजस्थान को शिक्षा की कोई नई दिशा दीजिए, शिक्षा शास्त्रियों की गोष्ठी करके कोई ऐसा केरीकुलम बनावे जिससे कम से कम फर्स्ट क्लास से मैट्रिक तक तो राजस्थान में शिक्षा ऐसी हो जिससे लड़कों का विकास कर सकें। जो ऐसी मशीन से निकलें और ऐसी शिक्षण संस्थाओं से निकलें कि जो हमारे देश में नाम पैदा कर सकें। शिक्षा मंत्री जी अनुभवी हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे शिक्षित लोगों की, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है जिनकी कमेटी बना कर इस चीज को निश्चित रूप से किया जा सकता है। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं मैं समझता हूं मुझे फर्माने वाले है, इसलिए समाप्त कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं तो खैर, दूसरी बात कहने वाला था, लेकिन आप समाप्त करें तो अच्छा है।

श्री माणकमल मेहता : मैं इसके साथ आपसे निवेदन करूंगा नारी एजूकेशन के लिये जो हमारे माननीय सदस्य ने फर्माया, इस बात को पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि बच्चियों की एजूकेशन जब तक नहीं होगी, एक ही रथ के दोनों पहिये, मानव जीवन को चलाने वाले एक समान नहीं होंगे तब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी फीमेल एजूकेशन को बहुत महत्व दें। इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, आजकल हमारे यहां कॉपीज, बुक्स नहीं मिलती हैं। शुरू में जब सैशन प्रारंभ होता है तो ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ जो प्रवेश होता है स्कूल्स में उसके लिये भी बहुत परेशानी होती है निश्चित रूप से कई आदमी जो कुछ योग्य होते हैं, जिनका प्रेशर होता है उनका तो एडमिशन हो जाता है, और गरीबों का आसानी से नहीं होता चाहे योग्य हो तो भी सिफारिश चलती है। शहरों में विशेष रूप से ये बातें हैं जहां एडमिशन में इस प्रकार की कठिनाई आती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्री जी से, ये चीजें हैं, इनकी ओर विशेष रूप से आप देखेंगे तो ये डिफिकल्टीज हट जायेंगी और जो हायर एजूकेशन, यूनिवर्सिटी एजूकेशन है वहां पर बेस्ट पासिबल स्टाफ को भेजिये और आप उन स्टूडेंट्स को कालेज में एडमिशन दीजिये। इस तरह का प्रावधान बनाइये, रूल्स बनाइये, और जो फर्स्ट क्लास, जैसे इंजीनियरिंग कालेजेज में, मेडीकल कालेजेज में, टैस्ट बना रखे हैं पी० एम० टी० के, इंजीनियरिंग क्लासेज में 80-90 पर्सेंटेज वालों को प्रवेश दिया जाता है उसी तरह हायर एजूकेशन में भी इसी तरह के विद्यार्थियों को प्रवेश दीजिये तो मैं समझता हूं देश की प्रगति हो सकेगी और इसके साथ ही नैतिक चरित्र का प्रमाण पत्र अनिवार्य कराइये और जो

(श्री माणकमल मेहता)

हायर एजूकेशन के लिये एडमिशन देते हैं वह इसके बिना बन्द करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : चरित्र का प्रमाण पत्र तो आज भी अनिवार्य है।

श्री माणकमल मेहता : आज अनिवार्य नहीं है, वह केवल परंपरा है, परिपाटी है उसके अनुसार नैतिक प्रमाण पत्र मिल जाते हैं और वह धौंस देकर ले लिये जाते हैं कि प्रमाण पत्र दिया जाय, नहीं देंगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो इसके लिये भी पैनल बैठना चाहिये। एक आदमी का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं होता। हैड मास्टर के सर्टिफिकेट को वेलेडिटी नहीं दी जाय उसके बजाय पैनल बना दिया जाय कि लड़के का शुरू से 10 वीं क्लास तक करेक्टर कैसा रहा है और 10 वीं क्लास तक उसका कौन सा मेरिट में नम्बर है–Then they should be allowed to be admitted in the higher education. मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये आभार प्रदर्शित करता हूं और मंत्री महोदय को सुझाव देते हुए इन पर अमल करने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब 8 बजे सरकार की ओर से उत्तर होगा। श्री गुलाबचंद कटारिया। संक्षेप में।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री चंदनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार उत्तर न दे तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : उत्तर ही नहीं, मांग के समाप्त होने तक। सदन की अनुमति से बैठक का समय विचाराधीन मांग के पारण होने तक बढ़ाया गया, सुबह 8 बजे तक के लिये संक्षेप में।

मांग संख्या 24 व 23 पर विचार

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाग्यशाली हूं कि पिछले 8 महीनों में दो विद्वान शिक्षा मंत्री और दोनों उपस्थित हैं। वैसे विद्वान लोग शिक्षा की परिभाषा दूसरी करते हैं लेकिन मुझे तो शिक्षा की साधारण सी परिभाषा, कहीं पढ़ी थी, मैं यह मानता हूं कि,

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री विद्वान होना आवश्यक नहीं है।

श्री चंदनमल बैद : मुझे देख कर कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री के लिये कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं।

श्री गुलाबचंद कटारिया : आज की परिभाषा में, मैं ऐसा मानता हूं कि किताब प्लस परीक्षा बराबर शिक्षा। यह आज 34 सालों के बाद हमारी शिक्षा की स्थिति है और वर्तमान में आजादी के बाद चाहिये था देश के लोगों को "मैं" शब्द है, इस "मैं" को अपने राष्ट्र के हम शब्द में मिला देते तो मानता कि शिक्षा हमारी पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से "मैं" के अहंकार को विलीन नहीं कर सके और इसलिये हमारा देश बहुत बड़े विकट चौराहे पर खड़ा हुआ है। श्रीमन् 34 सालों में जो कुछ भी किया है, हम समानता नहीं ला सके। राजस्थान के 26 जिलों में, श्रीमन्, हमारी प्राइमरी एजूकेशन का औसत 62.35./:

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन आज जो राजस्थान के 16 जिले हैं वे इससे नीचे हैं । यह हमारी असमानता का कारण क्यों रहा, यह आपके विचारने का प्रश्न है । उच्च प्राथमिक का औसत 29.5./ है लेकिन 15 जिले उससे भी नीचे हैं । ये भी असमानता के शिकार हुए । यही नहीं श्रीमन्, राजस्थान का दुर्भाग्य और भी है । हमारे यहां प्राइमरी स्कूल्स में 100 बच्चे पढ़ने जाते हैं तो प्राइमरी से मिडिल में उनमें से 35 आते हैं, और आगे जाते हैं केवल 21 माध्यमिक विद्यालयों में और आगे जाते जाते लगभग 9 रह जाते हैं और उनमें भी कमी हो जाती है । यह हमारे यहां शिक्षा की स्थिति है ।

मैं सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं वर्तमान में, शिक्षा मंत्री जी से मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि जो पब्लिक स्कूल वाली बीमारी है उसको खतम करें । जब पहले से हम भेद तैयार कर रहे हैं । बड़े लोगों के लड़के बड़ी स्कूल में अपटू डेट कपड़े पहन कर बैठेंगे....

श्री अध्यक्ष : कोई आज हिन्दी इंगलिश में लिख कर देता है तो सब समान हो जाते हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हो सकता है लेकिन कामन स्कूल जब होंगे, एक ही विद्यालय में सब पढ़ेंगे तो कलेक्टर भी मजबूर होता है कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी हालत क्या है, मिनिस्टर भी सोचेगा कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें टाट पट्टी है या नहीं । इसलिये मेरा सुझाव है....

श्री अध्यक्ष : वह सोचेगा तब तक तो नई पीढ़ी आ जायगी, तो सोचने का सवाल ही नहीं है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो एजूकेशन बिल आया था किसी कारणवश पेश नहीं हो सका । निजी शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले हमारे शिक्षक आस लगाये बैठे हैं जो दूसरे की दया पर जिन्दा हैं । जिसको हमेशा मैनेजमेंट की चाकरी करना पड़ती है । अपने स्वाभिमान को खो कर के शिक्षक कभी स्वाभिमानी बालक पैदा कर सकेगा, यह कम से कम मुझे तो विश्वास नहीं है । इसलिए आप इस विधेयक को लायें । इसके अन्दर अगर आपको कोई छोटी मोटी हेरा फेरी करनी है तो कर लीजिये । कम से कम उनकी सेवा की सुरक्षा की गारन्टी तो आप दें ।

मेरा एक सुझाव है । यह जो औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के नाम का भूत इस देश में चल रहा है, मेरा छोटी उम्र का अनुभव है ....

श्री चन्दनमल बैद : यह आपकी देन है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसके पहले आपकी देन है ।

मेरी यह मान्यता है कि इतना बड़ा धन आप खर्च करते हैं । इस धन का उपयोग यदि हम सारा प्राइमरी एजूकेशन पर करते तो कम से कम राजस्थान की शिक्षा का जो प्रतिशत 19-20 के लगभग चल रहा है, उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे ।

शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाय यह सुझाव आया है । एक और सुझाव है ।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें हमारे मन की तैयारी नहीं लग रही है। आज भी कम है। जो भूमि है, जो राजकीय विद्यालय शहरी क्षेत्र में हैं, उनको भूमि निःशुल्क उपलब्ध नहीं करते हैं और शहरों में जो जमीन है, वह बड़ी-बड़ी निजी शिक्षण संस्थाओं के पास है। गरीबों के बच्चे राजकीय स्कूल में जाते हैं। वहां वे सरायों के अन्दर, पठारे के अन्दर बैठते हैं। एक-एक में पांच-पांच अध्यापक गोल कुण्डा बना कर बैठते हैं। उनमें से तो कई अध्यापक कक्षा में बैठ करके बीड़ी पीते हैं। ऐसी दुर्गति इन राजकीय विद्यालयों की मैंने देखी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम भू खण्ड देने की बात के लिए, मास्टर को चिन्ता नहीं है, राज्य सरकार व्यवस्था करेंगी। यू.आई.टी. नगरपालिका सब का अधिकार आपके पास में है। कम से कम राजकीय विद्यालयों को निःशुल्क भूमि दें जिसके कारण से जन सहयोग से वहां पर भवन खड़ा कर सकें।

मेरा एक सुझाव है। सीनियोरिटी के के आधार पर प्रमोशन होते हैं। क्या होगा? विद्यालयों में काम कैसा होगा? उसकी वर्क एफीशियेन्सी, क्या उपलब्धि दी है, यह भी उसके प्रमोशन का एक हिस्सा होना चाहिए यह ठीक है कहने के लिए कि प्रमोशन जैसे-जैसे सर्विस होती है, उसके कारण हम करते हैं परन्तु इसके कारण वे काम नहीं करते हैं। काम की चोरी करते हैं। और एक आदमी मेहनत करता है और हम दोनों को एक ही सीढ़ी पर लाकर खड़ा करें। तो मेरी यह इच्छा है मंत्री महोदय कि कम से कम आप ऐसी व्यवस्था करें।

मैं चाहूंगा कि स्थानान्तरण की भी कोई नीति हो। वह कठोरता से हो। ऐसी न हो कि समय की हवा के साथ साथ स्थानान्तरण करें। शिक्षा के क्षेत्र में यह जो पिछला वर्ष गुजरा है राजस्थान का, हर जलता हुआ दिल बोलता है कि हम ने राजस्थान के लाखों बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती की है। मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकांश विद्यालय इस वर्ष में लगभग चार, पांच महीने तक खाली पड़े रहे। विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हुई जिसका स्थानान्तरण हुआ वह गया नहीं और जो आया उसने जोइन कर लिया। इस बीच में वहां विद्यालय खाली पड़े रहे। इसलिए आप स्थानान्तरण की नीति तय करें।

श्रीमन्, मेरा सौभाग्य है कि पुराने मंत्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। मैं आपके सामने एक नमूना रख रहा हूं........

श्री चन्दनमल बैद : तीन चार पुराने मंत्री हैं। भंवरलाल जी शर्मा हैं, अध्यक्ष महोदय हैं........

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप चाहते हैं मैं उनका नाम पुकारूं जिससे आप का भी मन प्रसन्न हो तो वे हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर हैं, श्रीमन्।

श्रीमन्, एक फिजीकल स्कूल पहले सूरोठ चलता था, जिसकी मान्यता उस समय अमरावती के फिजीकल स्कूल से एफीलियेटेड थी वहां से डिग्री मिलती थी और पढ़ाई यहां पर होती थी। पिछली कांग्रेसी सरकार ने 74-75 में यहां से निकले हुए जितने भी ट्रेनीज थे उनको राज्य सरकार ने यह कह कर मना किया था कि हम इस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्कूल को रिकोग्नाइज नहीं करते हैं और इस कारण से राजस्थान में इनको नौकरी नहीं दी जा सकती है और वह इन्स्टीट्यूशन बंद हो गई थी। आपके राज में बन्द हो गई थी। आपके कुछ सहयोगी लोगों ने अनियमितता को देख कर के, उनका यह सारा एफीलिएशन छीना था। लेकिन, श्रीमन्, उन्होंने हमारे टाइम में भी प्रयत्न किया कि किसी तरह से उनको मान्यता मिल जाय लेकिन वह असफल रहे। लेकिन उनको जानकारी मिली कहीं से कि इस बार हो सकता है। इस बार कोई विशेषता लगी और उसके कारण से उन्होंने एक प्रयत्न प्रारंभ किया कि उनके विद्यालय को फिर से मान्यता मिले। और इस मान्यता के कागज प्रारंभ हुए। नीचे से आता है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं। नीचे के सारे अधिकारियों ने इस बात से बिलकुल स्पष्ट मना किया था कि इस प्राइवेट विद्यालय की आज राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं है। जोधपुर का जो कालेज फिजीकल एजूकेशन का है वह राजस्थान में जितने भी शारीरिक शिक्षा के अध्यापक चाहिये, पर्याप्त मात्रा में निकालता है, उनको भी हम आज नहीं खपा पाते हैं। इस कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह कहा कि बीच सेशन में। लेकिन इसके पश्चात् भी इस विद्यालय के बारे में जब बहुत आग्रह हुआ तो एक रिपोर्ट मांगी गई और उस रिपोर्ट में बिलकुल स्पष्ट रूप से मना किया किन्तु उसके बाद भी आपको सुन कर ताज्जुब होगा, उसमें लिखा है; अधिकारियों की सारी राय से सहमत होते हुए, "फिर भी," यह फिर भी क्या बीमारी है? दिसम्बर, जनवरी में, क्या श्रीमन्, इस बात को यह इन्डीकेट नहीं करती है कि हमारे मन में पाप है, यह पाप "फिर भी" शब्द लगवा कर इसका कराना चाहता है। इसकी आवश्यकता न होते हुए भी मंत्री जी ने उस पर लिखा, फिर भी इसको मान्यता दे दें और अगले सत्र 1981-82 में इसको प्रारंभ किया जाय। जैसे ही यह जांच के लिये कमेटी गई। जांच कमेटी ने जाकर के इसकी फिजीकली क्या पोजीशन है, उसको देखा। उसकी रिपोर्ट आई। न तो प्ले ग्राउन्ड है, न कोई सुविधा है, न कोई साधन हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरी, यह राय दी कि आखिर इनका सत्र कब तक चलेगा लेकिन फिर भी मंत्री जी ने अपना हुक्म दिया है, इसको देना है और इसकी स्वीकृति दी गई। 5 फरवरी के दिन उसके इन्टरव्यू हुए कि किसको प्रवेश दिया जाय। पांच फरवरी अभी अभी गई है। पांच फरवरी को इसके इन्टरव्यू हुए हैं और जोधपुर में फिजीकल कालेज के जो प्रिन्सिपल हैं, इस इन्टरव्यू में आये। स्कूल में इन्टरव्यू में आपने हर विद्यार्थी को स्पष्ट कहा कि यह इन्टरव्यू हो रहा है लेकिन आप का प्रवेश अगले साल होगा। मंत्री जी ने यह भी लिखा, यह स्कूल अगले वर्ष सारी व्यवस्था ठीक कर लेगा। यह स्पष्ट बात हर विद्यार्थी को कही गई लेकिन उसके बाद आपको सुन कर ताज्जुब होगा, सदन के माननीय सदस्यों को सुन कर ताज्जुब होगा कि उनको एक दूसरा इशारा किया गया और इस वर्ष से सत्र वहां पर चालू हो गया। क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि लोगों को भ्रष्ट करके आप और आपके राज्य के अधिकारियों को भ्रष्ट करके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यहां से स्वीकृति लेकर गये हैं और आज वहां पर फिजीकल स्कूल चल रहा है और वहां लोगों से दो हजार रुपये चन्दे में लेकर उसमें शार्ट पीरियड में ट्रेनिंग दी जा रही है। मैंने उस दिन भी कहा। आप नाराज होंगे। मेरा फिर चार्ज है, वहां के लोग मुझसे मिले हैं। इस घटना के बाद मुझसे कहा, यह जो आपने सवाल उठाया है गंगानगर का वैसा का वैसा मामला है और वहां के मैनेजमेन्ट ने कहा कि मैं पैसा ले देकर लेकर आया हूं। उस वक्त मुझे स्वीकृति नहीं मिली और वह 75,000 रुपया यहां बांट कर, यह स्वीकृति लेकर गये हैं। क्या आप चाहेंगे कि एजूकेशन में सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में इतना घृणित कार्य करता है, उस आदमी को यहां बैठने का अधिकार हो? यद्यपि यह हम मानते हैं कि उसको वोट मिले हैं, वह चुन कर आया है पर यह कभी नहीं हो सकता है कि राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में इतना पाप घोल दें और सम्पूर्ण आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए मजबूर कर दें कि वह भी तुम्हारी तरह से चोरी, बेईमानी कर अपना जीवन बितावे। यह राजस्थान की शिक्षा का स्तर गिरा है। यह स्थानान्तरण का जो कुछ हुआ है, यह सामने है.....

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह जो शब्द काम में लिये गये हैं उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि या तो मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय या इस तरह के शब्द को प्रयोग में न लिया जाय....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कोई बात नहीं, आप शिक्षा मंत्री नहीं रहे और स्पष्टीकरण मंत्री रहें तो मुझे एतराज नहीं है....

श्री हनुमान प्रभाकर : स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके आरोप लगाये गये हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया वह नहीं किया जाना चाहिये या तो आप मुझे स्पष्टीकरण का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण का अवसर दे दिया जायगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां ले लेना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें अब, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नौजवान ठिकाने लग सकें अपने स्वयं के निजी जीवन के आदर्शों को त्याग कर; आने वाली पीढ़ी को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम तो रोटी सेकने में लगे हुए हैं यह सोचें कि हम तो 10-15 वर्षों में जोकर भगवान को प्यारे हो जायेंगे लेकिन आने वाले राजस्थान का क्या होगा इसकी कोइ दर्द नहीं है, मैं मंत्री महोदय से वे नाराज तो होंगे परन्तु आपको नाराज नहीं होना चाहिये आपके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिल में दर्द नहीं होना चाहिये। आपको तो घर घर में बच्चे-बच्चे तस्वीर पर × × × हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बाद जो गंगानगर का बी. एड. कालेज खुला, मैं तो आपसे ही पूछना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात कह चुके हैं पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। उस पर जो रिपोर्ट जिस अधिकारी ने दी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था जो आपने दिसम्बर में वी.सी. को प्रस्तुत की और 17/12 को वाइस चांसलर ने उस पर अपना नोट लगाकर भेजा कि फरवरी के महीने में बी. एड. का कालेज खोलना उपयुक्त नहीं होगा एक बात। दूसरी, जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायगा उनकी जो उपस्थिति है उसका कैसे हिसाब रहेगा और इस प्रकार से राजस्थान में क्या हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुआ था कि फरवरी में खोला गया हो और इस कारण उसको आउट राइट रिजेक्ट किया लेकिन इसके पश्चात् भी बी. एड कालेज खोला गया हो आप यह मानेंगे कि ढाई महीने में राजस्थान का वह विद्यार्थी जो तीन हजार रुपया देकर बी. एड. की डिग्री अपनी जेब में डाल कर ले जायगा और हमारे यहा का पढ़ने वाला बी. एड. का विद्यार्थी जो 10 महीने तक पांच-पांच हजार रुपये अपने माता पिता के खर्च करके कर्जा लेकर भाड़ झोंकेगा उसको डिग्री मिलेगी 10 महीने के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर मालिक मेहरबान हो गये हैं इसलिए उसको ढाई महीने में बी. एड. की डिग्री दे दी जायगी। मैं आपके माध्यम से वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में इतिहास बना है राजस्थान का एक इतिहास बना है और यह इतिहास है बेईमानी और भ्रष्टाचार को मैं चाहता हूं कि आप इसकी जांच करें और दूसरे सारे माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि ऐसा मंत्री जिसने शिक्षा पर इतना बड़ा कलंक लगाया हो उसको बर्खास्त किया जाय जिसने हमारी शिक्षा को अपवित्र किया है, शिक्षा की इतनी बड़ी हानि की है और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में आज सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे नाम की चर्चा है। इसके साथ कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह जो एन. ओ. सी. प्रदान की गई है इसमें नियम इस प्रकार के हैं कि कम से कम एक वर्ष पहले दिसम्बर, 79 में अगर एप्लीकेशन लगाई है तो ही उस पर विचार किया जा सकता है। और उस समय जो यहां से एन. ओ. सी. जारी की गयी अन्य कई लोगों के आपके पास प्रार्थना पत्र बाकी थे मैं सोचता हूं कि यदि आपके मन में कोई दया पैदा हुई तो आपको सारी एप्लीकेशंस पर विचार करना चाहिये था और इन सारी एप्लीकेशंस पर विचार करके आप एन. ओ. सी. जारी

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करते फिर आपको भेजना चाहिये था लेकिन वह नहीं भेजा गया फिर उसी पर उनकी विशेष कृपा क्यों है ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि हालांकि समय का अभाव है लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप कम से कम जो श्रम न्यायालय हैं और इन श्रम न्यायालयों में आपके जो कमिश्नर अपाइन्ट नहीं किये हुये हैं, तो इसके कारण से 6–6 महीने से और 8–8 महीने से ज्यादा से भीलवाड़ा और उदयपुर में मजदूरों के केसेज पेण्डिग पड़े हैं और उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। और जिन लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी है, उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि कम से कम यूनियन को मान्यता देने के बारे में जो झगड़े चलते हैं तो इसके बारे में कोई स्पष्ट नीति तय करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक सैकण्ड। मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि उद्योगों में भागीदारी का जो है वह यह कि लेबर के साथ भागीदारी जारी रखी जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप स्पष्टीकरण पहले देना चाहेंगे या बाद में देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण का अवसर दिया है तो वह किस बात का स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री अध्यक्ष : जब देंगे तब आप सुन लेना।

स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, पंचायत मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उदयपुर से आये हुये विधायक को शायद रात को भी सपने में या सोते हुये श्री हनुमान प्रसाद दिखायी देता है यही कारण है कि कोई मौका मिलता है वह अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि जिसका आधार शून्य हो, मैं इसमें इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों का प्रयोग करना तो मुझे भी आता है और उनको भी आता है और यदि उन्हीं शब्दों का प्रयोग मैं करने बैठूंगा तो मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में जो पवित्रता बरती है वह माननीय विधायक अपने जीवन में भी नहीं बरत पायेंगे इतना ही कहना चाहता हूं कि इतिहास लिखा जायगा तो यह जमीन गवाही देगी कि किस तरह का....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, कल भी इन्होंने गंगानगर का प्रश्न उठाया था, आपने स्वयं भी इसको अनुभव किया है एक प्रश्न उठने के बाद उसकी पुनरावृत्ति करने का क्या हक है इसको मुझे

(श्री हनुमान प्रभाकर)

कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वहां पर खोल दिया तो आगे जो यूनिवर्सिटी थी तो यूनिवर्सिटी आपत्ति कर सकती थी। इसके अलावा आपने यह बात कही है जो शारीरिक महाविद्यालय खोला है उस पर आरोप लगाया है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदय को, मैं हमेशा ही चुनौती देता रहा हूं और आप हमेशा से ही चुनौती स्वीकार करते रहे हैं तो एक बार फिर कहना चाहता हूं कि न्यायालय खुले हुये हैं, जाइये और जिस दिन आप इन आरोपों को सिद्ध कर देंगे कि मैंने एक भी पैसा लिया है तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा और यदि आप इन आरोपों को न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाये तो किसी व्यक्ति के जीवन को कलंकित नहीं किया जा सकता है, अपने विचार को खुद को स्पष्ट करने की कोशिश करें इस तरह से किसी का जीवन मारा नहीं जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इस पर चर्चा नहीं होगी, आर्डर प्लीज।

श्री चतुर्भुज : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब सत्ता पक्ष वाले सदस्यों को दो-दो मिनट का समय दिया जायगा। श्री रामधन।

मांग संख्या 24 व 23 पर विचार

श्री रामधन चौधरी (लाड़नूं) : शिक्षा मंत्री जी हमारे शिक्षा विभाग से जब से प्राइमरी की शिक्षा पंचायत समितियों को दी गयी है उसके बाद से इसमें इतनी ज्यादा गिरावट आई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन प्राथमिक पाठशालाओं को पुनः शिक्षा विभाग को दे दिया जाय। क्योंकि ज्यादातर तो इन प्राथमिक पाठशालाओं में मास्टर उसी गांव के होते हैं या फिर आस-पास के दो, तीन, चार माइल के गांवों के मास्टर होते हैं जो सुबह-शाम आते जाते रहते हैं। मैं जब से विधायक बना हूं और जब-जब भी गांवों में गया हूं तो इन मास्टरों को नहीं पाया है वहां वे जाते ही नहीं हैं। मैं जब पूछता हूं तो कहा जाता है कि वे तो हफ्ते में दो तीन दिन आते हैं और अटेंडेंस भी खुद ही लगाते हैं क्योंकि कोई दूसरा वहां पर होता नहीं है इस तरह उन पर कोई पाबन्दी नहीं है और जो बच्चे हैं उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह की शिक्षा चल रही है प्राइमरी पाठशालाओं में। उनका स्तर इतना गिर गया है मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको शिक्षा विभाग में दे दिया जाय। इसके बाद प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे गांवों के होते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी एक असेम्बली क्वेश्चन दिया था और उसका रिप्लाई भी आया, कि 1976 में जो मास्टरों की नियुक्तियां की गई थीं वह 131 थीं। लाडनूं कान्स्टीट्यूएन्सी में और अब कितने हैं, 40 तो पहले से ही कम हैं और चार साल में कितने बढ़ने चाहिये, उनमें से भी पचास प्रतिशत जो है टेम्प्रेरी मास्टर हैं। वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा छः महीने रखने वाले हैं, या चार महीने रखने वाले हैं, फिर तो निकालेंगे। इस तरह से प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा का स्तर गिर रहा है,

(श्री रामधन चौधरी)

इसको अगर आप नहीं सम्भालेंगे तो वड़ी मुश्किल हो जायगी और हम अच्छे नागरिक और अच्छे वच्चे तैयार नहीं कर सकते हैं।

अव सवाल यह है कि यदि इन प्राथमिक पाठशालाओं को एजूकेशन विभाग पंचायत समितियों में रखना चाहता है, तो जहां पर दो सौ वच्चे हैं वहां पर एक मास्टर है। एक मास्टर के लिए दो सौ वच्चों को पढ़ाना सम्भव नहीं है, उसके लिए अटेन्डेन्स लेना सम्भव नहीं है क्योंकि मैं खुद कई स्कूल्स में गया हूं। मैंने पूछा मास्टर से कि आप कैसे पढ़ाते हैं तो उन्होंने कहा कि परीक्षा होती है तब हम वोर्ड पर क्वेश्चन्स लिख देते हैं और वच्चे उतार लेते हैं, इन्स्पेक्टर पकड़ नहीं सकता, मुझे डर क्या ? तो पांचवीं कक्षा तक जो वच्चे इस तरह से पास होंगे वह आगे जाकर अपनी शिक्षा को कैसे सुधार सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अक्षर ज्ञान तो होता है, नहीं तो नकल कैसे करेंगे।

श्री लच्छू राम : पांचवी कक्षा तक परीक्षा ही नहीं होने वाली है।

श्री रामधन चौधरी : दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि गांवों के वच्चे मिडिल स्कूल या हाइ स्कूल तक पढ़कर, दसवीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ देते हैं। आज कल दसवीं और ग्यारहवीं पास वालों को नौकरी भी नहीं मिलती। स्कूल की वात अधिक और मास्टरों की वात कम होगी तो वच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिल सकेगी। कम से कम जितने स्कूल हैं उनमें मास्टर तो होने चाहिये। पचास पर्सेन्ट लड़के तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि उनके मां-बाप गरीब होते हैं, गांवों में अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स और गरीब लोग वसते हैं उस हिसाव से आगे पांच पर्सेन्ट लड़के भी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि उनकी रोजगार की समस्या है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में रोजगार की उचित व्यवस्था के लिए लघु उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जावे। इसके लिए मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस वात का विशेष ध्यान रखने की कृपा करें।

हमारे यहां लाडनू और सुजानगढ़ दोनों को मिला कर पहले तो नाम का झगड़ा चला और जैसलमेर के एरिया में पड़ता है इसलिए इसका नाम पड़ा सुजला कालेज। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी उधर के हैं, उनको मेरे से अधिक जानकारी है, क्योंकि मैं तो यहां पर पहली वार एम.एल.ए. वन कर आया हूं। लेकिन एक सुझाव दूंगा वहां पर उस कालेज में विदासर और उससे भी आगे के वच्चे पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन वच्चों के लिए वस की व्यवस्था नहीं है। लाडनू से भी छात्र आते हैं, कई वार वस वालों से झगड़ा होता है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिए कोशिश करके सुजला कालेज के लिए जो वहां के स्टूडेण्ट्स हैं उनके लिए एक वस की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

एक वात के लिए मैं और निवेदन करूंगा क्योंकि टाइम आपका वहुत कीमती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वीकानेर में एक विश्वविद्यालय

(श्री रामधन चौधरी)

जरूर हो। क्योंकि कोई डिमाण्ड निबटती नहीं है, जैसे जैसे काम आते जायेंगे, डिमाण्ड तो आती ही रहेगी। बीकानेर एरिया जो है, मैं कोलायत की तरफ भी गया हूं, राजस्थान केनाल एरिया में भी गया हूं, वहां का एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। क्योंकि हमारा गांवों से भी सम्बन्ध होता है, इधर नागौर तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि बीकानेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावे जिसके लिए माननीय शिक्षा मन्त्री जी को को वित्तीय संकट नहीं होगा क्योंकि भारत सरकार को इसी साल बीकानेर से 50 करोड़ की भूमि बेची जाने वाली है उसमें से पांच सात करोड़ रुपया इधर लगा देंगे जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, अभी कुछ दिन पूर्व आप स्वयं ब्यावर कालेज के अन्दर आए थे और आपके सामने विद्यार्थी संघ ने अपनी दिक्कतें और मांगें रखी थीं। उस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो हमारे यहां पर हिन्दी की पोस्ट ग्रेजूएट कक्षाएं खोली जायं और लेबर लॉ के लिए, ये दो सब्जेक्ट हमारे यहां खोल देवें तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे यहां जो लॉ कालेज चल रहा है उसमें करीब साढ़े तीन सौ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र मजदूर क्षेत्र है अगर लेबर लॉ की क्लासेज खुल जाती हैं तो हमारे यहां बच्चों को काफी राहत मिलेगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन एक और करना चाहूंगा कि कालेज के अन्दर इस समय करीब 2100 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और कालेज में पढ़ाई के जो कमरे हैं वे बहुत कम हैं। यह भी विद्यार्थियों ने बतलाया था और निवेदन किया था। इसलिए उस सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग का जो फण्ड है अभी उसमें कमरों का निर्माण करने के लिये फण्ड बचा हुआ है, इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस फण्ड में से राशि आप पांच छः कमरे ब्यावर कालेज निर्माण करने के लिए दें।

इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि ब्यावर में एग्रीकल्चर का विषय नहीं है। इसलिए इस वर्ष 81-82 में एग्रीकल्चर का विषय आप अवश्य खोल देने की कृपा करें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि मजदूर क्षेत्र होने की वजह से हमारे आदरणीय लेबर मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मजदूरों के आवास के लिए हमको बहुत कठिनाई है, उनके लिए कालोनियों का अवश्य निर्माण करावें।

इतना ही निवेदन है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव यह है कि दो-तीन सालों के लिए आगे के लिए स्कूल खोलना बन्द कर

(श्री चतुर्भुज)

देना चाहिये और जो मौजूदा स्कूल हैं उनमें पूरे अध्यापक हों, पूरा आप उनमें सामान दें और यह सब देकर उनको मजबूत बनाया जाना चाहिये। यह मेरा निवेदन है, इससे राजस्थान का और हमारे गांवों का भला हो सकता है। आये साल सरकार स्कूल खोलती है, लेकिन वहां पर मास्टर कम हैं, सामान भी नहीं है, इसलिए मैं शिक्षा के विस्तार में कम विश्वास करता हूं, ऐसी मेरी मान्यता है। इस बात को शिक्षा मंत्री जी मानेंगे और जो मौजूदा स्कूल हैं उनको ही मजबूत करेंगे। गांवों में अध्यापकों की भर्ती और डेस्क वगैरह नहीं है उनकी व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे। आखिर में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि देहातों में कन्या शालाओं की बहुत कमी है। जो पूंजीपति लोग हैं वो तो अपनी कन्याओं को शिक्षा दिलाने में समर्थ हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं वे इससे वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे बच्चों को शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं ग्राम जाति क्षेत्र में लड़कियों की पाठशाला खोलने का राज्य सरकार का दिमाग है ही नहीं यह दुर्भाग्य की बात है। आज देहाती क्षेत्र में बहुत सी लड़कियां इच्छुक हैं कि हम पढ़ाई करें, बहुत सी लड़कियों के मां-बाप इस बात के इच्छुक हैं कि वे अपनी लड़कियों को शिक्षा दें लेकिन शिक्षा देने की शक्ति, क्षमता न होने के कारण वे शिक्षा से वंचित रहती हैं। देहाती क्षेत्रों में पाठशाला के भवन न होने के कारण, मंजूरी न होने के कारण, लड़कियों का विकास रुका हुआ है, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि शिक्षा मंत्री हमारे बहुत पुराने हैं; बहुत समझदार हैं, भाग्यशाली हैं, इनका नाम पवित्र है जो हमारे भारत में चंदन का नाम है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री चतुर्भुज : चंदनमल जी के बाद भी कन्या पाठशालायें न हों, मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बच्चियों का विकास हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, अभी व्यवस्था कर रहा हूं। 5 मिनट माननीय ताम्बी बोलेंगे उसके बाद दो से तीन मिनट तक दूसरे माननीय सदस्य। उसके बाद मंत्री महोदय का उत्तर होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने लिखित में दिया है—He will be the last speaker.

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय को देखते हुए भूमिका न बांध कर अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में जो बजट सामने आया है वह अत्यंत चिंताजनक है। लक्ष्मण रेखा खींची। वैसे 400 प्राइमरी स्कूल का इस साल प्रावधान किया गया है और वह भी शहरी क्षेत्रों में। मैंने बजट पुस्तकी के पेज नं० 13 को देखा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 400 प्राइमरी स्कूल जो खोलेंगे वे केवल शहरी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

क्षेत्र में खोलेंगे, यह राजस्थान की देहाती जनता के साथ बहुत बड़ा भेदभाव और अन्याय होगा। इस किताब में लिखा है पेज 13 पर।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की शिक्षा 19 प्रतिशत हो उसमें इस प्रकार के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल और सब्जेक्ट्स की बहुत बड़ी कमी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है इसलिये मेरा सुझाव है कि इस बार राजस्थान में प्राइमरी स्कूल 400 किये गये हैं वहां एक हजार संख्या होनी चाहिए, मिडिल स्कूल 500, सैकण्डरी स्कूल 250 और कम से कम 100 हायर सैकण्डरी स्कूल होने चाहिए जो पिछले सालों से नहीं खोले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत समिति हैडक्वार्टर महरूम है।

इसके साथ साथ अपने जिले के मामले प्रस्तुत करूंगा। भीलवाड़ा राजस्थान का औद्योगिक जिला है....

श्री अध्यक्ष : अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी तक ही सामित रहें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं प्रगतिशील विधायक दल राजस्थान का हूं। भीलवाड़ा जिला जरूरी है, भीलवाड़ा जिले की कोई बात ही नहीं करता। मैं निवेदन कर रहा था कि 14-15 लाख जिस जिले की संख्या है। आज के दिन भीलवाड़ा में वाणिज्य कालेज नहीं है, 17-18 विषय मौजूद हैं। इसलिये शिक्षा मंत्री आप भीलवाड़ा को जानते हैं, औद्योगिक जिला है इसलिये इस बार आप वहां पर कामर्स कालेज का प्रावधान करें और देश में सबसे बड़ा माइका का क्षेत्र है इसलिए जियालोजी का विषय भी वहां हो। इसी तरह से सापरा और देवली में कृषि विषय होना चाहिए। भीलवाड़ा जिले में पोलिटेक्निक विद्यालय की मांग कई वर्षों से चली आ रही है, वह औद्योगिक जिला है। इसलिये पोलिटेक्निक विद्यालय वहां स्थापित करें और जहाजपुर में 50 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रहते हैं। वहां पर आई.टी.आई. की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुझाव मुझे कई देने थे लेकिन मोटे तौर पर दो तीन बातें कहता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा।

कनिष्ठ व्याख्याता संघ जो राजस्थान का है, उसकी तरफ से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है, उसमें ग्रेड्स के मामले को लेकर बड़ा असंतोष है। पिछले शिक्षा मंत्री ने जनता पार्टी के राज में आश्वासन दिया था। आज तक उनकी जो रिवाइज्ड ग्रेड तय हो गई उसमें यह स्थिति पैदा हो गई कि रिकवरी हो रही है इसलिये उनके मामले को फिर से देखा जाना चाहिए और उनको रिवाइज करके उनकी जो पुरानी ग्रेड थी उसके अनुकूल उनको लाया जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अभी जो कटारिया साहब ने कहा, इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा, कैसे हुआ मैं नहीं जानता लेकिन इस विद्यालय में इस बार जो छात्र प्रवेश के लिए गये, तो 3 से 8 हजार तक वहां व्यवस्थापकों ने, विद्यालय को चलाने वालों ने लिये हैं, इसका प्रमाण मेरे पास

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मौजूद है कि उस विद्यालय में पैसे लिए जाते हैं। अगर वहां इस तरह से पैसे लिये जाते हैं तो आप जांच करें, युवकों के साथ शोषण होता अविश्वासपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, 5 मिनट हो गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : बी.एन. कालेज उदयपुर के प्राध्यापकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर 14 प्राध्यापक ऐसे थे जिनकी सर्विस किसी की 15 साल, किसी की 27 साल, किसी की 12 साल की है, 10 साल की है; वहां छात्रों की कमी बता कर उनको निकाल दिया गया। उनको नोटिस दिये गये हैं. इस संबंध में विचार किया जाना चाहिये। मेरे क्षेत्र में कृषि विषय, सांइस और बायलोजी के विषय सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में खोलने की मांग है। उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

जहाजपुर में हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि विषय की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही है। इसके साथ साथ खाजूरी में साइंस की मांग है, अमरावास में कृषि की मांग है, खेतसिंह जी मौजूद नहीं है, जब वह शिक्षा मंत्री थे तो मेरे गांव में घोषणा करके आये थे कि राजस्थान में जब हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जायेंगे तो पंडिया गांव में हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जाएगा, 12 साल हो गए लेकिन आज तक नहीं खुला।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया, मुझे काफी बातें कहनी थीं उस हिसाब से नहीं कह पाता हुआ जो मांग दोहराई है, उस पर ध्यान दें। शिक्षा मंत्री बहुत अनुभवी और जागरुक हैं, उनसे राजस्थान को आशायें हैं। राजस्थान के शिक्षा बजट में इस बार जितनी कटौती हुई है, जितनी हालत खराब हुई है वह अर्थशास्त्री हैं, इस दिशा में कुछ पहल करेंगे, शिक्षा बजट में बढ़ोतरी करके जो समस्यायें ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं, शिक्षा की विषमता को दूर करेंगे, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जयहिन्द।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम व रोजगार मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से हमारे बयाना सब-डिवीजन अपने क्षेत्र की बात करूंगा। वहां तीन तहसीलें हैं, किस किस विभाग में कितने कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स के बी.ए. लड़के, 11वीं, व आठवीं क्लास के लड़के नौकरी कर रहे हैं? कितने हैं या नहीं? मंत्री महोदय इस बात को सदन की मेज पर रखें और सदन को अवगत करायें कि कितने कितने लड़के किस किस विभाग में हैं किस में नहीं?

दूसरी बात मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री हमारे इलाके को देख कर आये हैं, वह ऐसा पिछड़ा हुआ है जहां सड़कें नहीं, बिजली नहीं और बयाना सब-डिवीजन ऐसा सब-डिवीजन है कि 32 साल से वह पिछड़ा रहा है।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है उस इलाके में आज तक कोई कालेज नहीं है। इसलिए

(श्री रामप्रसाद)

मंत्री महोदय वहां पर कालेज खोले जाय। हमारे भरतपुर में तीन सब डिवीजन है जिसमें डीग, धौलपुर और वयाना। अध्यक्ष महोदय, धौलपुर और डीग में तो कालेज है, लेकिन हमारे वयाना में कोई भी कालेज नहीं है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर इस वर्ष कालेज जरूर खोले जायं। इसके अलावा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इलाका पिछड़ा हुआ है, इसलिये उसका जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गरीब इलाका है। वहां पर कोई यातायात के साधन भी नहीं हैं इसलिए मैं यातायात मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वयाना सब डिवीजन में जहां पर कि रोडवेज का डिपो नहीं है वह वहां पर खोला जाय। यातायात के मंत्री जी यहां पर बैठे, हैं आज डीग में रोडवेज का डिपो है और धौलपुर में डिपो है तो बयाना में रोडवेज का डिपो क्यों नहीं खोला जा रहा है? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी जल्दी से जल्दी इस जगह पर डिपो खोलें। अगर आप ने यह नहीं किया तो वहां का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है वहां पर लोगों में बहुत रोष है और लोग वहां पर भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा आपने वहां पर कालेज नहीं खोला तो वहां के लोग और मैं उनका घेराव करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार विश्नोई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है, आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है इसलिए मैं दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मेरा इलाका सूरतगढ़ जो कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और यह एक नवजात शिशु की तरह है। क्योंकि वह इलाका सन् 71 से पहले तक बंजर पड़ा हुआ था, वहां पर सारा एरिया वीरान था जब सन् 71 के बाद में वहां पर जमीन का अलाटमेंट लोगों को हुआ तब से इसकी पापूलेशन बहुत बढ़ गयी है। आज वहां की पापूलेशन पहले जो सन् 71 में थी उससे चार पांच गुणी बढ़ गयी है। वहां पंचायत समितियों में जो पंचायतें हैं वह भी आबादी के अनुपात में बहुत अधिक हैं आज आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां की पापूलेशन ढाई लाख तो उसमें, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वोटर ही हैं। अभी जब जनगणना हो रही है और थोड़े दिन बाद आपको पता चल जायगा तो, अध्यक्ष महोदय, ज्यों ज्यों पापूलेशन बढ़ी त्यों त्यों उनके एक परिवार में किसी के पांच किसी परिवार में सात बच्चे हैं तो इस प्रकार बच्चों की आबादी भी वहां पर बहुत बढ़ गयी है लेकिन वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की संख्या आबादी के अनुपात में बहुत कम है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह दरख्वास्त करूंगा कि अब जब आईन्दा आप नये स्कूल्स खोलें और कालेजेज खोलें, तब सूरतगढ़ इलाके को जो कि और प्रोसपर्स हो गया है उसकी तरक्की और मांग को देखते हुए खोलें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर सिर्फ

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

तीन हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं। जब बच्चे प्राइमरी स्कूल से पढ कर बाहर जाते हैं तो हायर सैकण्डरी स्कूल में उनको अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर ज़्यादा से ज्यादा आबादी को देखते हुए हायर सैकण्डरी स्कूल, कालेजेज़ और प्राइमरी स्कूल भी खोलें।

श्री अध्यक्ष : आपने हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का कहा पर प्राइमरी स्कूल के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय भी होता है। फिर बाद में हायर सैकण्डरी स्कूल में जाते हैं। कोई सीधे ही थोड़ी प्राइमरी स्कूल से हायर सैकण्डरी स्कूल में चले जाते हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : तो साहब मिडिल स्कूल भी खोली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा सूरतगढ़ का क्षेत्र 150 किलोमीटर का एरिया है और वहां पर ढाई लाख की आबादी है उसको देखते हुए वहां पर कालेज खोलना बहुत ही आवश्यक है इसलिए मेरा विश्वास है कि सूरतगढ़ क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए वहां पर हायर सैकण्डरी स्कूल और कालेज जल्दी से जल्दी खोलने की व्यवस्था कराने की तरफ ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। मैं भी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कुछ सुझाव उपस्थित करना चाहूंगा। पहली मेरी राय है कि शिक्षा विभाग एक विशेष प्रकार की विचार धारा को पनपाने का माध्यम नहीं बनाया जाय। दुर्भाग्य से पहले से ही ऐसा होता आ रहा है, मुझे इस बात की तो प्रसन्नता है कि पिछली सरकार ने बहुत इस संबंध में किया लेकिन गई सरकार ने जो शिक्षा का प्रचार किया उसमें बहुत से स्कूल खोले यह काम ठीक किया। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि वह तो जरूरी ही था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस सरकार ने जो स्कूल खोले उसमें उनका इन्टेन्शन ठीक नहीं था। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से ही इन्टेन्शन शब्द पर जोर देता आया हूं इसका कारण यह है कि वह एक विशेष धारा की शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और शायद उनकी सरकार को यह पता भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी सत्ता से चले जायेंगे। अगर उनको यह पता होता तो जो उन्होंने 800 प्राइमरी स्कूल खोले उसकी जगह दो हजार स्कूल खोलते। चाहे उन स्कूल में पढ़ाने के लिये कोई गांवों में मास्टर ही नहीं जाता। इसके अलावा वे प्रौढ़ शिक्षा के नाम से अपना झूठा प्रचार करने के लिये और अपनी विशेष प्रकार की विचारधारा को लागू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांवों में ऐसा किया। अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर इतना धन का दुरुपयोग किया गया लेकिन वहां पर कोई प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ, वह तो सिर्फ धन का दुरुपयोग करना चाहते थे।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा, सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

शिक्षा के लिये कहा कि "सा विद्या या विमुक्तये"।

यह सही नहीं है यह श्लोक यों नहीं हैं। यह श्लोक यों है, कि सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो धन से विमुख करती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमारे देश में शिक्षा पद्धति चल रही है, वह पाश्चात्य प्रणाली के अनुरूप चल रही है यह हमें धन से विमुख नहीं करती है विमुख का मतलब है कि डीटचमेंट और यह करती है उसके प्रति अटैचमेंट और जो विद्या अटैचमेंट करे वह विद्या अच्छी नहीं होती है। मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूं। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये, एक बहुत बड़ा विद्वानों का सेमीनार इस पर विचार करने के लिये बुलायें, और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष निकले उससे ही पता चल सकता है, अलबता मैं यह समझता हूं कि जब तक हमारी संस्कृत भाषा को शिक्षा के अन्दर सम्मिलित नहीं किया जायगा तब तक हम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये दोनों शिक्षायें संस्कृत भाषा में होती हैं, उसमें ज्ञान है और ज्ञान होने से हमारी भाषा सुसंस्कृत होती है हांलाकि इस शिक्षा में नॉलेज तो काफी है पर सुसंस्कृत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि यह शिक्षा संस्कृत की तरह छान कर तैयार नहीं होती है। इसमे तो सिर्फ नॉलेज ही है। लेकिन इसमें संस्कृत नहीं है। इसलिये संस्कृत का जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक हमारे यहां कोई विकास नहीं हो सकेगा। इसलिये मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि संस्कृत का प्रचार नहीं किया गया है और जब तक इसका प्रचार हमारे यहां नहीं होगा तब तक आगे भी कोई अच्छी बात होने वाली नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा बहुत संस्कृत का विषय सैकण्डरी क्लासेज तक रखा गया है, लेकिन जब हम अपने बच्चों को पूछते हैं कि संस्कृत के अन्दर तुम कितने नम्बर लाये तो वह बच्चे कहते हैं कि पापा, संस्कृत के नम्बरों का फिक्र नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स तो जोड़े ही नहीं जाते हैं। तो जब परीक्षाओं के अन्दर उसके नम्बर नहीं जोड़े जाते तो बच्चे इसमें व्यर्थ ही सिर क्यों लगायेंगे। तो मेरा यह सुझाव है कि यह पद्धति ठीक नहीं है। बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान देना चाहिये। इसके अलावा पाश्चात्य पद्धति को बदल कर हमें यहां पर बच्चों को स्कूल में स्काउट का भी ज्ञान देना चाहिये। यह एक ऐसी संस्था है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगर बच्चों को उसकी शिक्षा दी जायगी तो मैं समझता हूं कि आज जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वह अच्छे स्काउट बनेंगे और इनमें अनुशासन की भावना भी बढ़ेगी उनकी एनर्जी जो आज इधर उधर लड़ाई झगड़े में और फसाद करने में खराब होती है वह एनर्जी डाइवर्ट हो जायगी अच्छे कामों में। इसके अलावा बच्चों को आज स्कूल में खेल कूद की कोई व्यवस्था नहीं है वह होनी चाहिये। जिससे बच्चों का विकास हो सके। बस इतनी बातों का ध्यान मंत्री जी रख लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे अहो-भाग्य। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सुझाव तो यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक शिक्षा बनायी जाय इस दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में कम्पलसरी एजूकेशन देश में की जाय जिससे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कम्पलसरी एजूकेशन दी जाय, इस प्रकार की दूरगामी योजना इसके लिये बनायी जाय, प्राथमिक स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोले जायं। इसके अलावा आज सारे देश के मुकाबले हमारे राजस्थान में महाविद्यालय बहुत कम है। इस पर हमें विचार करना होगा। अभी रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और दूसरे सदस्यों ने भी कहा कि रतनगढ़, बयाना, कुचामन, रामगंज मंडी और कुशलगढ़ जैसे क्षेत्र में महाविद्यालय नहीं हैं। आज सारे देश की आबादी के सन्दर्भ में इसको देखें, चाहे विद्यालयों की दृष्टि से इसे देखें तो हमारे यहां पर विभिन्न प्रकार के स्कूल और कालेजों की कमी है जो कि पूरी करना बहुत आवश्यक है। इन जगहों पर कालेज खोले जाने चाहिये। इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अभी मुख्य मंत्री जी कोटा पधारे थे और वहां पर इस बात की चर्चा भी हुई थी कि कोटा में जो पोलिटेक्निक कालेज है उसको इन्जीनियरिंग कालेज में क्रमोन्नत करने के के संबंध में, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा खर्च नहीं है सिर्फ दस लाख रुपये का खर्च है। इस प्रकार की व्यवस्था जनता राज में की गयी थी पर अभी तक इसकी आगे व्यवस्था नहीं हुई है। इण्डस्ट्रीज की दृष्टि शिक्षा की दृष्टि से देखते हुए वहां पर कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोलना अत्यन्त आवश्यक है।

एक अन्तिम बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जैसे अभी भीलवाड़ा जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने सूरोठ के बारे में कहा, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सूरोठ के बारे में कहा, मैं भी थोड़े समय शिक्षा मंत्री रहा हूं। वह विषय मेरे पास भी आया था....

श्री अध्यक्ष : कितने महीने रहे आप?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं एक साल रहा। पूरे एक वर्ष रहा। वह विषय मेरे सामने भी आया था। पुरानी तत्कालीन सरकार ने एस.टी.सी. स्कूल बन्द किया, फिजीकल ट्रेनिंग स्कूल को बच्चों ने नहीं बल्कि उन्होंने बन्द किया। उस रिपोर्ट के आधार पर सब लोगों ने, हमने सूरोठ जो सारी वहां दो हजार से पांच हजार की चर्चा आती रही उस आधार पर न मैंने दिया और न भंवरलाल जी शर्मा थे तब उन्होंने दिया। कुछ विषय आज आपके सामने खड़े हुए हैं. आज भी चार्जेज लगाये हैं। मेरे पास टेप मौजूद है अगर आप प्राइवेटली सुनना चाहेंगे तो सुना दूंगा। मैं अभी हिण्डौन गया था वहां के हैड मास्टर प्रोपराइटर ने चर्चा करते समय मेरे मित्र से कहा है कि मैं जयपुर से 70 हजार खर्च करके आया हूं। मैं इसलिए चाहता हूं कि वह टेप आप सुन लें....

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोवर्सी की बात उठा रहे हैं। यह बात उठाई जा चुकी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फैक्ट्स को बता रहा हूं, नम्बर एक । बात नम्बर दो, फरवरी में स्कूल चला । बात नम्बर तीन, 3 हजार से 8 हजार रुपया प्रति व्यक्ति प्रति बन्धु के हिसाब से मांगा जा रहा है और बात नम्बर चार, यहां फरवरी में देने की उसकी शिकायत क्यों हुई । क्या हुआ । नीचे की रिपोर्ट क्या थी....

श्री अध्यक्ष : यह सब आ चुका है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस फाइल को आप मंगायें, आप देखें और आपको लगे कि हां, इसमें इन्क्वायरी की आवश्यकता हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि आप कन्विन्स हो जाय और यह जो फाइलें हैं यह राज्य की प्रापर्टी है कोई मेरी अपनी नहीं हैं । इतना बड़ा चार्ज लगाया जाता है, राजस्थान का वातावरण दूषित हुआ तो मेरी अपील है कि उस विषय में फाइल को आप स्वयं देखें और उसके आधार पर मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के पांच सदस्यों की एक समिति गठित की जाय जिसमें शिक्षा से संबंध रखने वाले हों उनको रखें, वह चिन्ता की बात नहीं है–वह इसकी इन्क्वायरी करें । सूरोठ के जो विभिन्न प्रकार के बिन्दु उठे हैं आप कन्विन्स हो सकते हैं कि फरवरी में कैसे स्कूल को चलाने की इजाजत दी जाय और 1981–82 में चला....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां स्कूल चला गया और वहां कुछ लोगों के द्वारा कहला दिया गया कि विद्यार्थियों को भेज दो, विद्यार्थी चर्चा करेंगे और विद्यार्थी चर्चा करके अपने आन्दोलन के बल पर इसी वर्ष से चलाया जाय इसकी चर्चा करेंगे । मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि यह चार्ज लगाये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन में सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं इस विधान सभा में, आप दोनों की फाइलें मंगायें और उनका अवलोकन करें और शिक्षा मंत्री जी को बैठायें । मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । केवल मात्र चर्चा हो जाय और स्पष्टीकरण नहीं हो यह बात नहीं है । न्यायालय का क्षेत्र अलग है, मैं उस पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं । मेरी विनम्र अपील है कि शिक्षा जैसे अच्छे विषय पर ऐसे अगर चार्ज विधान सभा में लेंगे, फाइलें कोट की जाय और नीचे के लोगों ने क्या किया इसकी चर्चा कोट की जाय और मंत्री महोदय को रिपोर्ट दें, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इसका निर्णय करें और पांच लोगों की कमेटी बना कर दोनों काण्डों का पर्दाफाश करें और दोषी लोगों को कटघरे में खड़ा करें ।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी ।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का बहुत आभारी हूं कि करीब 32 सदस्यों ने शिक्षा की मांगों पर बहुत ही अपने अनुभव और सारगर्भित विचार प्रकट किये हैं । मैं बहुत सारे सदस्यों का आभारी हूं । एक दो को छोड़ कर बाकी सदस्यों ने राजनीति से ऊपर

(श्री चन्दनमल बैद)

उठकर शिक्षा के बारे में बहुत ही गम्भीर, बहुत ही अच्छे उपयोगी सुझाव सरकार को दिये हैं और मैं उन सारे सदस्यों का इस सदन के प्रति बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्यों का आभार प्रकट करने के साथ ही साथ मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने शुरूआत इतनी अच्छी की कि राजनीति से ऊपर उठ कर के उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये और उन्होंने जो परम्परा डाली उस परम्परा को इस सारे सदन के सदस्यों ने निभाया और बहुत ही अच्छी आज की सारी चर्चा हुई। माननीय सदस्यों ने विशाल शिक्षा विभाग के किसी भी कोने को अछूता नहीं छोड़ा और एक एक कोने पर उन्होंने रोशनी फेंकी और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सारा विभाग आज उनके सुझावों से जगमगा गया है। इस बात से भी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य अगर कोई हो सकता है तो वह यह है कि इसके द्वारा सारे समाज को शिक्षित करके उसमें परिवर्तन लाना और इस वास्ते शिक्षा विभाग इस बात में प्रयत्नशील है कि जितने भी हमारे समाज के तबके हैं उन सारे तबकों को हमें किसी तरह से शिक्षित करें और उनके द्वारा समाज में एक बदलाव लायें, समाज में एक क्रांति लायें जिसकी कि हमें अपेक्षा करते हैं। इस वास्ते, अध्यक्ष महोदय, एक साधारण शिक्षा जिसको कहते हैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, कालेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा वह एक साधारण शिक्षा है जिसमें करीब 44 लाख विद्यार्थी इस समय राजस्थान में शिक्षा पा रहे हैं। वह एक तरीका है।

दूसरा तरीका हमारे पास यह है जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत से विद्यार्थी होते हैं एक साल के बाद या दो साल के बाद अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण या और किसी कारण से शिक्षा में नीचे रह जाते हैं, ड्राप आउट हो जाते हैं उनके लिए नान-फार्मल सेन्टर्स खोल दिये गए हैं जिससे कि हम शिक्षित करके उनको मेन स्ट्रीम जो शिक्षा की है, जो एक खास धारा है शिक्षा की उसमें डालें क्योंकि जब उम्र बड़ी हो जाती है तो उनसे जो छोटे लड़के हैं वह आगे निकल जाते हैं तो उनको बड़ी शर्म सी महसूस होती है कि हम कैसे शुरू की पहली कक्षा में जायं। उनके लिए नान फार्मल तरीके से कुछ हमने इन्तजाम किया है और ऐसे करीब 2427 सेन्टर्स राजस्थान में आज चल रहे हैं और अगली साल हम 500 और ऐसे सेन्टर्स खोलना चाहते हैं। इन सेन्टर्स में 43,462 विद्यार्थी हमारे शिक्षा पा रहे हैं जिससे कि जो लोग पिछड़ गये हैं उनको वापस शिक्षा की मेन स्ट्रीम में डाल सकें।

तीसरा तरीका यह है कि इन दोनों चीजों से बच गये तो 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं जिनको हम प्रौढ़ कहते हैं और मेरे विचार में जो वास्तव में प्रौढ़ नहीं है, जो शिक्षा से जुड़े होते हैं लेकिन 15 से 35 वर्ष के जो जनता के लोग हैं वह हमारे भाई हैं, उनको प्रौढ़ नहीं कहते मैं यह कहना चाहूंगा कि उनकी शिक्षा का भी इन्तजाम हमने

(श्री चन्दनमल बैद)

अडल्ट एजूकेशन के मार्फत किया है। इस अडल्ट एजूकेशन का गम्भीर क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी हुआ है तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि उसमें सुधार करके हमें जो साधन भारत सरकार की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से मिले हैं उनका उपयोग करके 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं उनको अडल्ट एजूकेशन के द्वारा शिक्षित करके कुछ ज्ञान दे सकें जिससे वह भी देश के विकास के भागीदार हो सकें। इस तरह के 5,872 सैन्टर्स चल रहे हैं और उनमें 1,56,809 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पिछली साल इससे ज्यादा विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की लेकिन इस साल क्योंकि एड भारत सरकार की कम आई इसलिए विद्यार्थियों की संख्या कम हो गयी....

श्री अध्यक्ष : आप काफी घूमते फिरते हैं आप बता दें यदि कोई केन्द्र आपके ध्यान में आया क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में गुजरात की एक संस्था ने इवेलुएशन किया और उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि राजस्थान की अडल्ट एजूकेशन देश में अति उत्तम है। इस वास्ते मेरा यह कहना है कि हो सकता है इसमें कुछ कमियां हों मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं लेकिन इसकी कमियों को हम दूर करेंगे और 15 से 35 वर्ष के जो लोग हैं उनकी शिक्षा का हम अच्छी तरह से इन्तजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि एक तरफ हमारे यहां जो बेकारी है उसको दूर कर सकेंगे और साथ ही कुछ लोगों को शिक्षित भी कर सकेंगे। तो यह मेरी मान्यता है कि चाहे आज के समय में कुछ कमियां हैं वह दूर की जा सकती हैं और जो लोग 15 से 35 वर्ष के, शिक्षा से वंचित रह गये हैं उनको शिक्षा देने का इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है।

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बूढ़े लोगों को पढ़ा कर क्या करेंगे ? लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए और आपको बताना चाहता हूं कि बूढ़े लोगों में जितनी जिज्ञासा होती है उतनी जवानों में नहीं होती लेकिन फिर भी 15 से 35 वर्ष के लोगों को हमें पढ़ाना होगा।

एक तरफ तो यह पहलू है और दूसरा यह भी पहलू है कि कुछ तो साधारण शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा द्वारा। उसके बाद कालेज की शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा है। यह एक तरह से एकेडेमिक शिक्षा इसको कहते हैं, वह हो रही है। करीब 1 लाख 41 हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। दूसरी टेक्निकल शिक्षा है जिसमें आज मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन्जीनियरिंग और फिजीकल एजूकेशन एस. टी. सी., बी. एड. यह सारी शिक्षायें हैं। इस शिक्षा में भी करीब 20 हजार विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। उसके अलावा फिजीकल शिक्षा के बारे में मैं आगे चल कर अर्ज करूंगा उस में 155 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात की तरफ माननीय सदस्यों ने ध्यान खींचा है कि एकेडेमिक शिक्षा देते हैं। हम टेक्निकल एजूकेशन भी

(श्री चन्दनमल वैद)

दे रहे हैं और उसके बाद फिजीकल शिक्षा भी दे रहे हैं। मन शरीर दोनों स्वस्थ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन जो आदमी में चरित्र निर्माण करने की बात है, अभी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ ध्यान खींचा है। स्कूल में प्रार्थना कर देने से या सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में 1-2 पाठ दे देने से काम नहीं होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो धरोहर है, संस्कृति है, वेद है, पुराण है, कुरान है, गुरु ग्रंथसाहब है, जैनों के ग्रंथ हैं, बौद्धों के ग्रंथ हैं और जो भी धर्म हैं हमारे देश में जिनकी जड़े जम गई हैं उन सब को मिलाकर देश की संस्कृति बनी है। उस संस्कृति की शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को देनी चाहिये अगर नहीं देते हैं तो सचमुच में हमें देनी चाहिये। इसलिये अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अगले साल से पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के लिये सारे विद्वानों को सारे धर्मों की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनका निचोड़ लेकर एक पुस्तक तैयार करना चाहते हैं उस पुस्तक की पढ़ाई पहली से आठवीं तक कम्पलसरी होगी, जिससे हमारे विद्यार्थियों को मालूम हो सके हमारे देश की संस्कृति क्या थी और क्या है। आज हालत यह हो रही है कि आज का विद्यार्थी कालेज और यूनिवर्सिटी तक चला जाता है, महाभारत का, रामायण का, हमारे वेदों का, पुराण का, कुरान का सब चीजों का ज्ञान ही नहीं। हम चाहते हैं इस बारे में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब हम अपनी प्रगति की तरफ देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मैं कुछ आंकड़े देकर आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1950-51 में 4,336 थी वह 79-80 में 21,313 हो गई। जहां विद्यार्थियों की संख्या उस समय 3 लाख 30 हजार थी आज विद्यार्थियों की संख्या 27 लाख 22 हजार है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 50-51 में 732 थी वह बढ़ कर आज 5175 हो गई और इसमें विद्यार्थियों की संख्या 61 हजार थी जो अब 7 लाख 14 हजार हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के बारे कहना चाहता हूं। 51 में जहां 175 माध्यमिक विद्यालय थे वहां 79-80 में 2168 माध्यमिक विद्यालय हो गये। अध्यक्ष महोदय, पिछली जो हमने उन्नति की है उसको देखते हैं तो हमें गौरव होता है कि हमने बहुत काम किया है लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो अफसोस होता है अभी बहुत काम करना है। प्राथमिक विद्यालयों को ले लीजिए अभी भी 45 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला हुआ है। हमें बहुत काम करना है। अध्यक्ष महोदय, बहुत काम किया है और बहुत काम अभी करना है। 150 करोड़ रुपये का शिक्षा का बजट, माननीय सदस्य मांग रहे थे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय कामर्स कालेज, एग्रीकल्चर कालेज न मालूम कितनी मांगें चारों तरफ से आ रही हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग सरस्वती का विभाग है, लक्ष्मी का विभाग नहीं है। लक्ष्मी

(श्री चन्दनमल बैद)

का विभाग तो वित्त मंत्री जी के पास है, हम तो उन पर ग्राश्रित हैं ।

एक माननीय सदस्य : ग्राप लक्ष्मी पुत्र हों ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं लक्ष्मी पुत्र हूं मेरे पास लक्ष्मी का विभाग नहीं है । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे ग्रर्ज करना चाहता हूं, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च-माध्यमिक या महाविद्यालय के बारे में ग्रापकी भावनाग्रों को मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं उन तक पहुंचा दूंगा । ग्राप भी इस बात के लिए मेरी मदद करें ग्राप भी कहें कि शिक्षा के लिए इस बात के लिये ज्यादा प्रावधान दें जिससे ग्रापकी जो ग्राशायें हैं थोडी बहुत मैं पूरी कर सकूं । माननीय इन्दोरिया जी, जो रतनगढ़ से ग्राते हैं. इस बात के लिये ग्रामादा हो रहे हैं कि यदि इनके यहां कालेज नहीं खुला तो जान देनी पड़े । ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप रतनगढ़ पधारे हैं जब जिला कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन हुग्रा था, ग्राप जानते है इस बात को इन्दोरिया जी के प्रति मेरी कितनी श्रद्धा ग्रौर इज्जत है । ग्राप क्या समझते हैं शिक्षा मंत्री रहते हुये इन्दोरिया जी के शरीर पर ग्रांच ग्राये, मैं पसंद कर सकता हूं क्या ? मेरी तो यही कोशिश होगी जितनी भी ग्रापकी तरफ से सदन की भावनाग्रों को मुख्य मंत्री तक पहुंचा सकूं लेकिन सदन के दूसरे माननीय सदस्य जो मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे भी मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, पर इस बात के लिए जोर डालें कि कम से कम शिक्षा का जो बजट है ज्यादा बढ़ाया जाय जिससे हमारी ग्राशायें पूरी हो सकें । ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी कुछ लिमिट्स हैं । इस सरकार का पांच साल तक मैं वित्त मंत्री रहा हूं ग्रौर मुझे मालूम है वित्त मंत्री की मुसीबतें क्या होती हैं । 95 करोड़ का घाटा ग्रौर उसके बाद मैं इस बात के लिए जिद करूं तो कह सकते हैं वित्त मन्त्री रहे हो भाई, तुम ऐसी बात कैसे कह रहे हो । मेरे लिये संकट की बात हो सकती है ग्रगर माननीय सदस्य मेरी मदद करें तो निश्चित रूप से कोशिश कर सकता हूं ।

ग्रध्यक्ष महोदय, जो व्यक्तिगत बातें यहां उठाई गई हैं उनके बारे में विशेष नहीं कहूंगा लेकिन कुछ ऐसी बातें जो एक समूह के रूप में उठाई गई हैं उन कुछ बातों के बारे में सरकार की विचारधारा के बारे में ग्रापको ग्रवगत कराऊंगा । ग्रांट इन एड के बारे में माननीय सदस्य ने कहा जो ग्रजमेर से ग्राते हैं. इसमें राजनीति नहीं ग्रानी चाहिए ग्रौर सब को बराबर ग्रांट इन एड मिलनी चाहिए । ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत सी संस्थायें बहुत पुरानी हैं बहुत ग्रर्से से काम कर रही हैं जैसे वनस्थली ग्रौर दूसरी ग्रौर भी संस्थायें हो सकती हैं, बहुत ग्रच्छा काम कर रही हैं ग्रौर एक मामूली संस्था हो सकती है जो दो तीन साल पहले ग्राई है । दोनों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है । एक को 50 पर्सेंट ग्रांट इन एड वाजिब नहीं हो सकती है ग्रौर दूसरे को 90 पर्सेन्ट भी इस वास्ते गैर वाजिब हो सकती है कि उसको ग्रौर दिया जाना चाहिए, विशेष कार्य कर रही है शिक्षा जगत में । मैं, माननीय सदस्य जिन्होंने यह बात उठाई उन्हीं की पार्टी के लोगों से

(श्री चन्दनमल बैद)

पूछना चाहता हूं तीन साल वे भी मंत्री रहे हैं उनके हाथों में राज्य का शासन रहा है इसको इतना नावाजिब समझते थे तो उनको बन्द कर सकते थे। कोई बन्द करने वाला नहीं है। कांग्रेस का शासन था या जनता पार्टी का सारी संस्थाओं को अनुदान दिया जाता रहा है और देते रहेंगे। यह बिलकुल सही बात है कुछ संस्थायें ऐसी हो सकती हैं जो अपने अध्यापकों का शोषण कर सकती हैं लेकिन एक लाठी से सबको बराबर हांका नहीं जा सकता इस वास्ते एजूकेशन बिल जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मेरा मतभेद है इस बारे में। आप यह कह सकते हैं कि कोई भी संस्था यदि गड़बड़ी करती है तो क्रिमनल आफेंस है। मैं पूछना चाहता हूं कि डा. कालू राम श्रीमाली किसी संस्था के अध्यक्ष हैं अगर उनको मालूम पड़े कि स्टाफ की या किसी की गलती की वजह से उनको सजा हो सकती है तो क्या वह अध्यक्ष बनना पसंद करेंगे। कलकत्ता, बम्बई के करोड़पति आदमी किसी संस्था के लिए लाखों रुपया खर्च करना चाहते हैं उसका अध्यक्ष या मंत्री बनना पसंद करेंगे। कभी कभी हम भावावेश में आकर कुछ ऐसे कदम उठाने की कोशिश करते हैं जो आगे चल कर हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मार दे। इस वास्ते एजूकेशन बिल के बारे में यही सोचते हुए अध्यापकों के ऊपर जो अत्याचार, गलत काम हो रहे हैं, शोषण हो रहा है उसको रोका जाय और साथ ही साथ जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स आगे बढ़ रही हैं उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाय। यह दोनों बातें सोचनी पड़ेगी। आज क्या कारण है यूनिवर्सिटी के कालेजेज हैं उनसे अच्छा रिजल्ट गवर्नमेंट कालेजेज का है और गवर्नमेंट कालेजेज से अच्छा रिजल्ट प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स का है। कोई न कोई खास बात तो होगी। मैंने शिक्षा विभाग से कहा है कि एक टीम नियुक्त करके इसकी स्टडी करायें ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कारण है जो प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा है और यूनिवर्सिटी के कालेजेज का रिजल्ट खराब है ऐसा क्यों। इसके लिए स्टडी हम कर रहे हैं। एक लाठी से हांक कर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को नेशनलाइज कर लें यह कोई अच्छी बात नहीं है। हर चीज की दवा नेशनलाइजेशन नहीं है। कई चीजों का नेशनलाइज करके देख लिया। खराबी भी आ जाती है। नेशनलाइजेशन उस चीज का करना चाहिए जो बहुत बड़ी हो। सरकार हर काम में, हर व्यापार में उतरे यह जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर्स के बारे में एक बात उठाई गई। मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं 77-78 में, माननीय सदस्या जो आमेर से आयी हैं उन्होंने बड़े जोर शोर से स्कूल्स के बारे में जिक्र किया था। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं....जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल ज्यादा खोले, अच्छा काम किया, हम यह तो नहीं कहते कि बुरा काम किया, इन्होंने अच्छा काम किया तो उसका श्रेय भी इनको मिलेगा। लेकिन ट्रांसफर के बारे में अर्ज करता चाहता हूं, 77-78 में इस विभाग में 11,098 ट्रान्सफर हुए, 78-79 में 14,710 ट्रान्सफर हुए। ये सब आपकी सरकार की

(श्री चन्दनमल बैद)

बातें हैं, 79-80 में 19,148 ट्रान्सफर हुए और 80-81 में 14,619 ट्रान्सफर, इसमें एतराज केवल इस बात का है, ट्रान्सफर का नहीं है, ट्रान्सफर में तो एक लाख, सवा लाख होंगे तो ट्रान्सफर तो होंगे। लेकिन एतराज इस बात का नहीं है····

श्री अध्यक्ष : वास्तव में इतने तो नहीं हुए होंगे, क्योंकि एक एक के 4-4, 5-5 हो गये।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, ये गलतियां हर साल होती हैं, इनका स्ट्रक्चर ही ट्रान्सफर करने का ऐसा है, डायरेक्टर भी कर देता है, मिनिस्टर भी कर देता है। होते हैं, हर साल होते हैं, एतराज इस बात का है, राज्यादेश से क्यों। अध्यक्ष महोदय, एक इन्स्पेक्टर ट्रान्सफर करे तो कुछ नहीं मिनिस्टर कर दे इसलिए बुरा हो गया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आखिर मिनिस्टर जनता के द्वारा चुना गया है और विधान सभा का प्रतिनिधि कर दे, इसलिए वह कर दे तो बुरा हो गया और इन्स्पेक्टर सेवा भावी और सरकारी नौकर है, वह ट्रान्सफर कर दे तो अच्छा होगा। मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कोई नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। ट्रान्सफर तो प्रशासन का तरीका है और तरीका आदमियों के साथ बदलता रहता है। हमारे दो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री यहां विराज रहे हैं। प्रशासन का तरीका उनका अलग हो सकता है, हमारे साथी मेरे पास विराज रहे हैं, माननीय प्रभाकर, उनका प्रशासन का तरीका अलग हो सकता है, मेरा भी अलग हो सकता है। वे ट्रान्सफर करके प्रशासन में मजबूती, कसावट लाने की बात सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं। मेरा दूसरा तरीका है कि मास्टर मानव है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके मां-बाप हैं, उसकी बहिन भी हो सकती है, उसकी बुआ भी हो सकती है। इस वास्ते इसके ट्रान्सफर में पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं तो प्रशासन नीति में विश्वास करने वाला हूं। कम से कम ट्रांसफर करो इसलिए. माननीय सदस्यों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं, कोई किसी काम के लिये आओ लेकिन मेहरबानी करके ट्रान्सफर के लिये आओगे तो यह कहोगे कि यह बहुत खराब मिनिस्टर है। इसके लिए माफी चाहता हूं। यह इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आते ही शिक्षा सचिव से बात की कि ट्रांसफर के बारे में नीति बनाओ, नीति पहले से बनी हुई है लेकिन मैंने उनसे कहा, शिक्षा संस्थाएं जो हैं, जो हमारे शिक्षक संघ, डायरेक्टर, सैक्रेटरी, दूसरे लोग हैं, उनसे मिलकर शिक्षा समिति, ट्रान्सफर की नीति बनाओ, उसको बना कर मुझे भी बताओ और उसको फिर सारे सदस्यों को प्रसारित करा दें क्योंकि हमारे विभाग में यह नीति है। उसमें ठीक है, कभी कभी हमको कोई न कोई एक्सेप्शन करने पड़ते हैं लेकिन आम तौर पर हमारी इच्छा है, ट्रान्सफर नीति बना कर उसके अनुसार शिक्षा विभाग चले, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा विभाग है, लाखों कर्मचारी हैं, अगर बिना नीति के काम करेंगे तो उसमें खराबियां गल्तियां तो आती हैं। अध्यक्ष महोदय, पहले भी मेरा अनुभव है, कभी कभी

(श्री चन्दनमल बैद)

मजाक में भी मैं कहा करता था कि शिक्षा विभाग है, यह मैरिज ब्यूरो है, पति पत्नी हमें कहते हैं, हमें एक साथ करो, ऐसे सैकड़ों हजारों पति पत्नी हैं, उनको एक साथ करते करते शिक्षा मंत्री की तो हालत खराब हो जाती है और कोई न कोई मुसीबतें हो जाती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये कहा करता था कि मेरे से दूर रहें शिक्षा विभाग तो कठिनाइयां, परेशानियां तो हो सकती हैं लेकिन नीति रहे तो आम तौर पर लोगों को सहूलियत हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की भी बड़ी शिकायत की गयी कि सर्विसेज में बहुत से लोगों को एक्सटेंशन दे दिये गये। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में कुल 2 एक्सटेंशन अब तक दिये हैं, वह भी इस वास्ते कि नेशनलाइज्ड टैक्ट बुक्स इन्चार्ज मिस्टर राजदान रिटायर हो गये, किताबें छपनी बीच में थी, छः महीने का एक्सटेंशन हुआ। इसी तरह से उदयपुर में भगवान लाल जी व्यास को छः महीने का एक्सटेंशन दिया गया, कुल 2 को दिये गये।

जहां लाखों कर्मचारी हों, उसमें दो आदमियों को दे दिया जाय, तो मैं समझता हूं, इसके लिए आलोचना की बात नहीं है। ये तो एक्सेपशन हैं, जो रूल को प्रूव करते हैं कि एक्सेपशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक बात बड़ी मजेदार कही गयी कि आज लोग पढ़े लिखे हैं, इस वजह से दंगे हो रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता, पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, बिना पढ़े लिखे भी कर रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है कि पढ़े लिखे दंगे करें, बिना पढ़े लिखे नहीं कर रहे हैं। देहातों में जहां हमारे हरिजन भाइयों पर गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वे पढ़े लिखे थोड़े ही कर रहे हैं, वे तो बिना पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो ये कोई जनरल रूल नहीं है कि पढ़ने लिखने से लोग उच्छृंखल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह इसलिए हो जाते हैं कि उन्हें हमने चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं दी. और जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं, हम इस पर पूरा ध्यान देंगे। वेकेन्ट पोस्टों के बारे में काफी कहा गया और मैं मानता हूं कि हमारी पोस्ट वेकेन्ट हैं, आदिवासी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बहुत सी पोस्ट वेकेन्ट हैं और जगह भी पोस्ट वेकेन्ट हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन वेकेन्ट पोस्टों को हम भर दें। कुल हमारे पास, अध्यक्ष महोदय, इस समय करीब 5 हजार पोस्टें वेकेन्ट हैं।

एक माननीय सदस्य : लाहौल विला कूव्वत।

श्री चन्दनमल बैद : तो इसका कारण यह है कि जिला परिषदों और पंचायत समिति सर्विस सलेक्शन के चेयरमेन का अपाइन्टमेन्ट नहीं हो पाया है। इसलिए जो पंचायत समिति के उनको टीचर्स लेने हैं, उनको परमानेन्ट बेसेस पर नहीं लिया जा रहा है, एडहाक बेसेस पर जाते हैं, कहीं कोई जाता है, कहीं नहीं। क्योंकि एडहाक को लिया जाता है, जैसे परमानेन्ट इनको लगा दिया जाता है तो बाड़मेर भी चला जाता है। तो ये भी एक कमी है और आपके मार्फत सारे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ बहुत विशेष ध्यान देकर इनको भरने की कार्यवाही हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात जो कही गयी, वह गलती से बजट में छिपी रह गयी कि 400 प्राथमिक पाठशाला खोलेंगे, विद्यालय खोलेंगे, वह शहरी क्षेत्र में खोलेंगे, वे

(श्री चन्दनमल बैद)

देहाती क्षेत्रों में खोलेंगे। ये गलती से छप गया, ये सही नहीं, देहातों में खोलेंगे। इसमें संशोधन करवा रहा हूं और मैं इस बारे में आभारी हूं कि यह बात सुझाई। अध्यक्ष महोदय, 10 जमा 2 जमा 3 के बारे में, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, चर्चा हुई थी। उसमें अपने विचार प्रकट कर चुका हूं कि 10 जमा 2 जमा 3, ये पद्धति कुछ स्टेट्स में लागू कर दी है कुछ स्टेट्स में नहीं की। हरियाणा ने लागू नहीं की है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ने नहीं की और बाकी स्टेट ने लागू कर दिया है तो शिक्षा सचिव को आज ही कह रहा था कि मेहरबानी करके सातों स्टेट के सचिवों और बाकी मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिवों से मिल कर आपस में विचार विमर्श कर लीजिये कि आखिर इस पर क्या सुधार लाना चाहिये और इसके क्या ड्रा बैक्स हैं, ये विचार नहीं है कि हम इसको लागू नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : लागू उन्होंने ही की है जिन्होंने पहले वाली लागू नहीं की थी।

श्री चन्दनमल बैद : यही मैं अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने 10 जमा 2 जमा 2 उठायी ही नहीं थी, 10 जमा 2 तो आई ही नहीं, उनके लिए आसान काम हो गया और जो हम आ गये थे, हमारे लिए परेशानी का काम हो गया लेकिन देश का जो प्रवाह है, जो मेन स्ट्रीम है, उसमें हम बहना चाहते हैं, उससे अलग नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इन सातों आठों प्रदेशों के शिक्षा सचिव बैठ कर मंत्रणा करें, मंत्रणा करके बहुत बड़ी कमेटी नहीं बनाना चाहते, बहुत बड़ी कमेटी बनाने का मतलब यह हुआ कि हम टालना चाहते हैं, टालने की मन्शा नहीं है, मन्शा है कि कुछ न कुछ काम, इसमें आप जल्दी से जल्दी मिल सकते हो, 10 दिन में, 20 दिन में मिल कर इसमें रिपोर्ट दें तो वित्त विभाग के पास जायं कि, भई, हमको इतने रुपये की जरूरत पड़ेगी और इसको लागू करना चाहते हैं। मेरी मन्शा तो यह है कि जुलाई तक हम अगर सारी बाते सम्भव हुई तो कुछ न कुछ स्कूल्स में लागू करना चाहते हैं जिससे कि भ्रम मिट जाय कि हम व्यवसायिक एजूकेशन पर जाना नहीं चाहते।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कर नहीं पायेंगे आप।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, दो अकादमियों की बात यहां कही गई। एक संस्कृत अकादमी की बात चली यहां पर। हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान है, मैं तो संस्कृत शब्दों का, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि उच्चारण भी पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं, वे बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है, इस मार्च के समाप्त होने के पहले उनको पचास हजार रुपया दे दिया जाएगा और अप्रेल शुरू होते ही पचास हजार रुपया और दे दिया जायगा। एक लाखका तो संस्कृत अकादमी के लिए प्रावधान है। और राजस्थानी अकादमी के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में इतना ही कह सकता हूं, कई लोगों ने कहा कि राजस्थानी भाषा

(श्री चन्दनमल बैद)

ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थानी बोली जाती है और लिखी जाती है तो भाषा कैसे नहीं है। भाषा तो वही है जो लिखी जाय और बोली जाय। जो लिखी जाय और बोली जाय वही तो भाषा होती है तो राजस्थानी भाषा कैसे नहीं है। यह मैं नहीं मानता। राजस्थानी भाषा है और देश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो सारे हिन्दुस्तान में बोली जाती हो। देश के अन्दर ऐसे हिस्से मिल जायेंगे जहां हिन्दी समझने वाले नहीं मिल पायेंगे लेकिन राजस्थानी समझने वाले मिल जायेंगे। चाहे केरल हो, चाहे पंजाब और कश्मीर में चले जाइये, चाहे आसाम में चले जायं। इस वास्ते राजस्थानी तो एक समृद्ध भाषा है और, अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा कौन इस बात को जानता है कि राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। तो इसकी अकादमी के बारे में सरकार बड़े एक्टिव रूप से, बड़े सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मुझे आशा है, कि अगले वित्तीय वर्ष में इसकी हम शुरूआत कर सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इस वास्ते माननीय सदस्यों को इसके बारे में कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि बजट में इसका प्रावधान नहीं है। शिक्षा का बजट, अध्यक्ष महोदय, डेढ सौ करोड़ का बजट है, वहां दस पांच, दो चार लाख इधर उधर से खुरचन के रूप में निकाल देना बड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पोस्टें नहीं भरें तो भी हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में विश्वविद्यालय की बात आई। बहुत से माननीय सदस्यों ने और, बीकानेर से आने वाले और लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर में विश्व विद्यालय हो, इससे मुझे जितनी खुशी हो सकती है दूसरे किसी को और को क्या हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि सरस्वती तो है लेकिन लक्ष्मी वाहन किसी दूसरी जगह है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लक्ष्मी के लिए अर्ज किया था।

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, अर्ज किया था लेकिन वह धन पचास करोड़, सौ करोड़ रुपया, राजस्थान का है। अगर राजस्थान नहर राजस्थान की धरती पर नहीं बनती तो वह जमीन सौ रुपया बीघा भी नहीं बिकती। वह धन तो राजस्थान का है। उस धन पर बीकानेर, जोधपुर या दूसरे कोई जिले या खण्ड या रीजन, क्षेत्र जो हैं, अपना अधिकार समझते हैं तो यह अधिकार की बात नहीं है। तो उस धन को अगर आप अपना समझते हों तो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी से कहें कि जो धन आ रहा है वह बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने के लिए दे दें तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा खुशी, मेरे से ज्यादा खुशी किसी दूसरे को होने वाली नहीं है। राजस्थान के क्योंकि वित्त मंत्री भी वे ही हैं ....

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अजमेर में भी मांग है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरस्वती मेरे पास है, लक्ष्मी मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में कुछ आरोप यहां पर लगाए गए हैं। यह सही है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सर्विसेज में चाहे वह शैक्षणिक हो, चाहे गैर शैक्षणिक हो ....

श्री रामप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बयाना कालेज के लिए मैंने निवेदन किया था।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इसमें आरक्षण नहीं है। इसके बारे में सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि सारी संस्थाओं में आरक्षण हो और वह आरक्षण हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं है, यह बात सही है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में कुछ इस बात का जिक्र किया गया कि वहां पर कुछ लेक्चरर्स को बिना किसी कानून कायदे के रीडर्स के पद पर क्रमोन्नत कर दिया गया है, पदोन्नत कर दिया गया है। इसके विषय में, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जानकारी कर रहे हैं। अगर कोई इसमें गैर वाजिब, गैर कानूनी काम हुआ है तो हम उचित कार्यवाही करेंगे।

हमारी रानी साहिबा मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी एकेडेमीज के हैड गायब हैं, उनको टोपी पहिनाने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही अकादमीज को हम टोपी पहिनाने की बात करेंगे।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सफेद टोपी तो नहीं पहिनाओगे ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, टोपी तो सफेद ही पहिनाऊंगा, काली नहीं पहिनाऊंगा। शिक्षा विभाग में काला काम नहीं करूंगा वह तो धोला ही होगा।

(व्यवधान)

विदेशियों की नियुक्ति के बारे में—

श्री अध्यक्ष : या कुन्देन्दु तुषार हार धवला।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, विदेशियों की नियुक्ति के बारे में एक सवाल यहां उठा। कल एक प्रश्न भी था इसके बारे में जो लिस्ट पर नहीं आ सका, परसों था वह लिस्ट पर नहीं आ सका और मैं उसका जवाब नहीं दे सका। दो विदेशी महिलायें राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्त है। एक को परमानेंट कर दिया 63 में और दूसरी परमानेंट कर दी गई 65 में। 69 में भारत सरकार की

(श्री चन्दनमल बैद)

तरफ से पत्र आया शिक्षा विभाग को कि विदेशियों को आम तौर पर विश्वविद्यालयों में नियुक्ति नहीं दी जाय और दी जावे तो टेम्प्रेरी बेसेस पर दी जाय और उनको आगे एक्सटेंड करते हैं तो उस वक्त भारत सरकार से पूछ लिया जावे । अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वीसा पोस्टपोन कर दिया जाएगा । इसके बाद 79 में इस प्रकार का पत्र फिर आया । हमने उसके बाद भी पांच-छः पत्र भारत सरकार को को लिख दिये कि हमारे यहां दो लेक्चरर्स हैं जो विदेशी हैं और जो वीसाज को बराबर रिन्यू करा रही हैं, उसके बारे में हमको क्या नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि परमानेंटली हमारे यहां पर हैं, टेम्प्रेरी नहीं हैं । लेकिन अभी तक भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है । वह वीसा रिन्यू हो रहा है इसका मतलब है कि भारत सरकार को उनके यहां रहने पर कोई आपत्ति नहीं है । अगर वह परमानेंट नहीं होती तो निश्चित रूप से हम उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते । लेकिन जब वे 63 में और 65 में परमानेंट हो चुकी थीं, हमारे सामने दिक्कत यह है कि जब वे परमानेंट हो चुकीं उस समय और हमारे पास जो आदेश 69 में और 79 में आए, हम भारत सरकार से आदेश मांग रहे हैं और मैं फिर पत्र लिख रहा हूं । मैं यह भी सोच रहा हूं कि हमारे शिक्षा सचिव दिल्ली जावें तो भारत सरकार के शिक्षा सचिव से बातचीत करके इस बात का निर्णय करें कि भारत सरकार की इसके बारे में क्या नीति है ।

संस्कृत भाषा के बारे में मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं । संस्कृत अकादमी बना रहे हैं और संस्कृत भाषा तो सारे देश की भाषाओं की जननी है, मां है, उसके प्रति अवहेलना करना, अवमानना करना कैसे सम्भव हो सकता है । वह हमारी सारी भाषाओं की जननी है । सारी भाषायें उससे निकली हैं ।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह भी उठाया गया कि हम प्राइमरी एजूकेशन में कम खर्च कर रहे हैं और हायर एजूकेशन में ज्यादा खर्च कर रहे हैं । मैंने फिगर्स निकलवाये हैं । प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 80,52,53,000) खर्च हुआ है और हायर सैकण्डरी पर 49 करोड़ 58 लाख खर्च हुआ और हायर एजूकेशन जिसको कालेज एजूकेशन, यूनिवर्सिटी एजूकेशन कहते हैं, पर 16 करोड़ 38 लाख का खर्चा आया इन दोनों एजूकेशन के मुकाबले में प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजूकेशन पर ज्यादा खर्चा हुआ । इस वास्ते यह कोई भ्रांति हो कि हम हायर एजूकेशन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर कम खर्च कर रहे हैं तो इस भ्रांति को दूर करने की माननीय सदस्य कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय, लास्ट में आहोर और गंगानगर के बारे में जिक्र नहीं करूं तो अच्छा नहीं रहेगा । और सारी बातों के बारे में तो आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं, एक बात का जवाब देना बाकी रह गया । वह यह है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक तरफ हमारे वे बच्चे हैं जो दस महीने तक अपने पिताजी की कमाई को खराब करके अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे और एक तरफ

(श्री चन्दनमल बैद)

ढाई महीने में डिग्री प्राप्त कर लेंगे। आज इस प्रश्न के उठने के पहले ही मैंने वाइस चांसलर को और शिक्षा सचिव को कह दिया कि वे इस बात का निर्देश दे दें कि उन लोगों को जितनी प्रेक्टिकल क्लासेज लेनी चाहिए, जितनी थ्योरिटिकल क्लासेज लेनी चाहिए, उतना पूरा होने के पहले उनकी परीक्षायें नहीं होंगी। उनकी परीक्षायें पूरा समय बीतने के बाद ही होंगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मगर दो परीक्षायें लेंगे क्या ?

श्री चन्दनमल बैद : कोई दिक्कत नहीं है, दो नहीं चार परीक्षायें ले सकते हैं हम इसकी कोई बात नहीं है......

(व्यवधान)

इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं बता दूं आपको ....

श्री चन्दनमल बैद : कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम परीक्षायें दो भी ले सकते हैं। सरकार है, यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ हमारे पास है, हम दो भी ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : परीक्षायें बराबर चलती रहती हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ठीक है, दस विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा हो सकती है लेकिन आपने जो एतराज उठाया है उसका यही सही जवाब है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं बहुत आभारी हूं सदन का, एक बार फिर और इस बात का भी आभारी हूं कि आज कम से कम चार भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मेरे सामने विराजे हैं जिन्होंने विचार विमर्श में भाग लिया, विचारों को सुना....

श्री अध्यक्ष : चार नहीं, पांच। पांचवां मैं भी तो हूं।

श्री चन्दनमल बैद : दो-दो चार। भूतपूर्व चार हैं, वर्तमान में तो मैं एक ही हूं। वैसे तो मैं भी भूतपूर्व हूं, अध्यक्ष महोदय। मैं भी एक दफा रह चुका हूं। तो उनके सामने मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, उनके सामने विचार रखने का मुझे मौका मिला। मेरी कुछ गलती हुई हो तो जरूर ये शिक्षा मंत्री जी, जो विराज रहे हैं, करेक्ट करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे सदन को धन्यवाद देता हुआ आभार प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जो मांग रखी हैं इन्हें पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे कहने का मौका नहीं दिया गया। मैं कहना चाहूंगी, मेरे प्रश्न कटौती प्रस्तावों में थे। लेकिन एक बात जो रह गई, छूट गई है सब जगह महिला शिक्षा के बारे में मंत्री महोदय ने नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। अपने यहां का सदन का नियम है कि जब अनुदान की मांगों पर मतदान होता है तो उस वक्त सभी सदस्य स्थान ग्रहण कर

(श्री अध्यक्ष)

लेते हैं और उसके बीच में कोई बाधा उपस्थित नहीं की जाती। आर्डर प्लीज। पहले जवाब आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : क्या शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आर. एस. एस. के लोगों द्वारा स्कूल्स के अन्दर एक प्रकार का भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है उसके ऊपर विचार करेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल यही उनकी देन है। तुम्हारी देन तो कुछ भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आमेर से सम्बन्धित जो मामला उठा था....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। यदि कोई स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं तो चर्चा के अन्दर जो विषय उठे हों उन्हीं पर मांगे जाते हैं। नये विषय के लिए माननीय सदस्य, अब बहुत देर हो गई है। बाद में। आर्डर प्लीज। अब चर्चा समाप्त हो गई। कोई चर्चा नहीं होगी। यदि कोई प्रश्न है तो उत्तर के बाद देखेंगे। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाहती हूं, जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं उनके उत्तर लिखित में मिल जायेंगे क्या ? मुझे बोलनें तो नहीं दिया जा रहा है पहले भी नहीं बोलनें दिया गया तो अब मुझे लिखित में उत्तर मिल जायेंगे क्या?

श्री चन्दनमल बैद : मिल जायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप जानती हैं इसी प्रश्न पर मैंने 5-7 बार निवेदन कर दिया कि सभी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे और सभी माननीय सदस्यों को कटौती प्रस्तावों के उत्तर लिखित में मिल जायेंगे। इसके लिए सदन का समय व्यर्थ न करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो ठीक है लेकिन अन्त में बोल दिया जाता है जिन पर मैं बोल चुका हूं वे तो पास हैं; बाकी सब रद्द। मतलब हमने जो दिये वे सब रद्दी की टोकरी में गये। उनका उत्तर हमें पूरा चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 23 पर सदन के 9 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उनके अमूल्य सुझाव मिले। मैं उनका आभारी हूं।

वैसे श्रम विभाग और श्रम शक्ति देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है। देश का श्रमिक यदि संतुष्ट रहे तो उत्पादन भी बढ़ता है। इस विभाग का यह काम है कि जितने भी श्रमिक सम्बन्धी कानून हैं, जो श्रमिकों के हित के लिए, कल्याण के लिए हैं उनका परिपालन कराना और उनको न्याय दिलाना। इसके प्रति श्रम विभाग सदैव जागरूक रहेगा।

(श्री दिनेश डांगी)

मुझे यह बात आपको बताते हुए खुशी है कि आज राज्य में किसी भी बड़ी औद्योगिक इकाई में न तो तालाबन्दी है और न ही कोई हड़ताल चल रही है। केवल 5–6 औद्योगिक छोटी इकाइयों में तालाबन्दी है।

श्री अध्यक्ष : वह बिजली की कमी से चलते ही कम हैं इसलिए ।

श्री दिनेश डांगी : इस औद्योगिक शांति के लिए राज्य के श्रम संगठन एवं नियोजक को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर जब से मैंने श्रम मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला है, मैंने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला कर उनसे बात की है जिससे महत्वपूर्ण विषयों, जो श्रम से सम्बन्धित हैं, पर उनका सहयोग लिया जा सके, जिससे उत्पा-बढ़ाया जा सके और श्रमिकों में अशांति दूर की जा सके और राज्य सम्पन्नता की ओर बढ़ सके। मैं इस अवसर पर आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह निर्णय मंत्रिमण्डल में हुआ है।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर एक सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन किया जाय जो पहले भी बना था लेकिन उसकी बैठकें इससे पूर्व नहीं हो पाईं। उसमें औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, श्रम संगठनों के प्रतिनिधि, लोक सभा के सदस्य एवं विधान सभा के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिलाया जावे। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई है ताकि उसकी मीटिंग बहुत शीघ्र बुला कर नीति सम्बन्धी मामलों में उनकी राय जानी जा सके।

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बालक एवं महिला श्रमिकों की देश में व्यापक समस्या है। उसके बारे में भी जुलाई, 80 में जो श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी, उसमें प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी न सम्बोधित करते हुए कहा था कि चूंकि बाल श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता उनके लिए कार्य के कुछ घण्टे और कार्य की सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रख कर भी एक समिति का निर्माण करने का तय किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बाधा उपस्थित न करें।

श्री दिनेश डांगी : सुनते रहें। सुनते रहें।

इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव था, फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि ठेकेदारी के अन्तर्गत जो मजदूर काम करते हैं उनके साथ अन्याय होता है। उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। अगर वह मकान से गिर जाय तो उनको किस तरह से सहायता मिले। इसके लिए भी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि इस प्रकार की समिति बनाई जाय। उसमें आप सबका

(श्री दिनेश डांगी)

परामर्श लेने के लिए जन प्रतिनिधियों और विधायकों को साथ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : मुझे इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। आपको कहने की जरूरत नहीं है।

हमने राजस्थान में एक श्रम कल्याण कोष की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके और श्रमिकों के लाभ के लिए हमको सुझाव मिल सकें।

हमारे राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, 10 श्रमिक कल्याण केन्द्र चल रहे हैं। उनमें श्रमिकों के लिए मनोरंजन, लाइब्रेरी रीडिंग रूम, रेडियो, बाहर और अन्दर के खेलों का प्रबन्ध भी है। इस प्रकार की सुविधा भी हम श्रमिकों को देते हैं। इसके साथ-साथ हम साल में एक बार राज्य स्तर पर औद्योगिक इकाइयों की टीमें जिसमें भाग लेती हैं उनकी प्रतियोगिता भी रखते हैं। इस प्रकार की वर्ष 80 के अन्दर प्रतियोगिता खेल कूद की खेतड़ी नगर में आयोजित की गई जिसमें करीब-करीब 45 औद्योगिक इकाइयों के लगभग 2 हजार श्रमिकों ने भाग लिया। इससे उनमें खेल कूद के प्रति जागरूकता तो बढ़ती ही है, इसके साथ-साथ भाई चारे की भावना भी पैदा होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया।

श्री दिनेश डांगी : उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया कि जल्दी से श्रमिकों के केसेज का निपटारा नहीं रखने से उनमें बड़ा असन्तोष है। मैं आपको बताऊंगा कि विभाग के द्वारा वर्ष 1980 में 35,194 संस्थानों का विभिन्न अधिनियमों के तहत निरीक्षण किया गया तथा 12,783 नियोजकों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये। दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के तहत विभिन्न नियोजकों पर 1,17,318 की राशि न्यायालयों द्वारा जुर्माना की गई विभाग के अधिकारियों द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम के तहत 13,47,389 की राशि, न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम के तहत 2,26,738/– की राशि एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त के तहत 25,73,247/– की राशि, दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के तहत 88,105/– की राशि तथा ग्रेचूएटी एक्ट के तहत 26,529/– की राशि श्रमिकों को दिलाई गई। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे श्रमिकों को राहत दिलाई गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी : मैं इसके साथ साथ यह भी बताना चाहता हूं कि औद्योगिक नियोजन नियम के तहत सेवा की शर्तें निर्धारित की जाती हैं। इसके अन्तर्गत नये स्थाई नियम 8-1-1981 के गजट में प्रकाशित कर दिये गये हैं। इससे श्रमिकों को निलम्बन अवधि में वेतन, उनकी पदोन्नति आदि का प्रावधान किया गया है।

राज्य में औद्योगिक श्रमिकों को लाभार्थ आकस्मिक अवकाश दिलवाने हेतु तथा

(श्री दिनेश डांगी)

राष्ट्रीय एवं त्यौहारों की छुट्टी दिलवाने हेतु अधिनियम बनाये जा रहे हैं और विधान सभा के अगले सत्र में इसके लिए विधेयक पेश किया जायगा।

राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों, जो श्रमिकों को सामाजिक न्याय दिलवाने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं का भी श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रिसाइडिंग आफिसर के पद पर नियुक्ति दी जा सके, इस हेतु कार्यवाही करने के लिए एक विधेयक विधान सभा के अगले सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा।

राज्य में कार्यरत कार्यकारी पत्रकार, एवं गैर कार्यकारी पत्रकार के लाभार्थ पालेकर रिपोर्ट की सिफारिश राज्य में प्रकाशित होने वाले राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत तथा दैनिक नवज्योति के नियोजकों द्वारा पालेकर रिपोर्ट लागू कर दी गई है।

मैं इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इतने पन्ने और हैं क्या ? अब आप धन्यवाद दे दें

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं करूंगा। श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : हमारे यहां के मजदूरों की आवास व्यवस्था के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है। मजदूरों की आवास व्यवस्था के बारे में बतावें, वे मजदूरों के नेता रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया है, उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि 152 श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था कर दी गई है और उसके बाद सहकारी संस्थाओं की मार्फत ऋण, अनुदान से 86 मकान और बनाये गये हैं इस प्रकार उनके लिए 238 मकान बनाये गये हैं। भारत सरकार और हमारी सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में और प्रयास किये जायेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय को निर्देश दिये गये हैं और नियोजन के लिए अब तक जिस प्रकार की परिपाटी चल रही है, कि जो पहले आता है उसका पहले नम्बर आता है और जो नीड़ी है, जिसके घर में एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और जिसके घर में किसी को नौकरी नहीं मिली है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है कि उसको नौकरी दी जाय। इस बात के लिए निर्णय ले लिया गया है।

इसके साथ ही बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हिन्दुस्तान से बाहर जो श्रमिक जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। इन मजदूरों को लोग ठग लेते हैं। इसके बारे में भी विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के शासन काल में बिना एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज

(एक माननीय सदस्य)

के आदमियों को नौकरी में रख लिया गया था। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। जनता पार्टी ने नियोजन कार्यालय के सम्बन्ध में जो आदेश दिया था और बिना नियोजन कार्यालय में नाम पंजीकृत कराये ही लोगों को रख लिया गया था, उस आदेश को हमने विदड्रा कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय, विदेशों में राजस्थान के कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए निगम की स्थापना के लिए सुझाव दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करने के पूर्व केरल, महाराष्ट्र द्वारा जो प्रणाली लागू की गई है उसका अध्ययन करने के बाद इस पर निर्णय लिया जायगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया है। संगठित मजदूर तो अपनी मांगों को पूरा करवा लेते हैं परन्तु जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए भी कोई आधारभूत योजना है जिससे कि उनको सुविधा मिल जाय। इनके लिए भी आपने कुछ सोचा है ? यह दो-तीन प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था। उनका ध्यान इस ओर नहीं है। आपकी मार्फत मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि नियोजन कार्यालय में व्यक्ति का पंजीकरण एक ही कार्यालय में हो, तीन चार जगह नहीं होना चाहिए। उनकी यह बात सही है। पहले एक ही जगह होता था किन्तु बाद में तीन, चार जगह का बढाया गया। यह इसलिये किया गया कि जो बेरोजगार होते हैं, उनको रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। एक आदमी का पंजीकरण बाडमेर में है लेकिन वेकेन्सी जोधपुर में निकली है तो उसका नाम नहीं जाता था और उसका चांस चला जाता है। इसलिए यह किया गया है और इसमें कोई कटौती करने से लाभ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में प्रश्न नहीं करें। सामान्य नियम है वाद-विवाद के, एक पक्ष बोल रहा है तो दूसरे माननीय सदस्य नहीं बोलें।

श्री दिनेश डांगी : अन्त में मैं ज्यादा रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयत्नों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे डी. पी. ए. पी. कहते हैं, मरु विकास योजना जिसे डी.डी.पी. कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम और राष्ट्रीय समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इस प्रकार की स्कीम्स चल रही हैं। इनके तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को काम मिले, इस ओर भी हमारा विभाग

(श्री दिनेश डांगी)

ग्रौर इससे संबंधित सारे विभाग प्रयत्नशील हैं। राजस्थान सरकार को पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से राजस्थान के ग्रन्दर श्रम ग्रौर रोजगार के ग्रवसर, लोगों को न्याय मिलेगा ग्रौर रोजगार के जरिये राजस्थान को समृद्धि की ग्रोर ग्रग्रसर कर सकेंगे।

इसके साथ में ....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

मांगों पर मतदान।

मांग संख्या 24 व 23 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24, शिक्षा कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 50, 44, 11, 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–23, श्रम ग्रौर रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6, 49, 79, 000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रात: 8 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.40 बजे बुधवार दिनांक 19 मार्च, 1981 के प्रातः 8 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची

पीपल्दा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले (विचाराधीन)

क्रमांक	मुकदमा सं. व दिनांक	अतिक्रमी का नाम व पता	अतिक्रमी ग्राम के ख. नं.	रकबा	मुकदमे का कारण	सुनवाई का स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	174/14-10-80	श्री अजीत सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 371	18 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
2.	130/27-9-80	श्री राधेश्याम पुत्र जयनारायण काछी, बालूपा	बालूपा 366	4 बीघा	”	”
3.	114/27-9-80	श्री छीतरसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 371	1 बीघा	”	”
4.	166/27-9-80	श्री गोपाल पुत्र भूरा गूजर, बालूपा	बालूपा 314	6 बीघा	”	”

1	2	3	4	5	6	7
5.	133/27-9-80	श्री मथुरा पुत्र गोपाल राव, बालूपा	बालूपा 362	7 बीघा	बन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इंटावा
6.	110/27-9-80	श्री मोती पुत्र बजरंगा नाई, बालूपा	बालूपा 314	8 बीघा	,,	,,
7.	103/27-9-80	श्री मडू पुत्र नारायण, बालूपा	बालूपा 362	8 बीघा	,,	,,
8.	120/27-9-80	श्री रामचन्द्र पुत्र मंगलदास बैरवा बालूपा	बालूपा 371	10 बीघा	,,	,,
9.	119/27-9-80	श्री देव्या पुत्र माधो बैरवा, बालूपा	बालूपा 371	8 बीघा	,,	,,
10.	206/3-2-81	श्री रामनारायण छोट्या पुत्र मोती कुम्हार, जटवाडी	जटवाड़ी 123	6 बीघा 10 बिस्वा	,,	,,
11.	122/27-9-80	श्री नाथ्या पुत्र अमरा बैरवा, जटवाड़ी	जटवाड़ी 351	10 बीघा	,,	,,
12.	128/27-9-80	श्री किशोर पुत्र आनन्दीलाल काछी, बालूपा	बालूपा 366	7 बीघा	,,	,,
13.	123/27-9-80	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र मोती कोली जटवाड़ी	जटवाड़ी 351	10 बीघा	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
14.	129/27-9-80	श्री कल्याण पुत्र भूरा गूजर, बालूपा	बालूपा 366	8 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
15.	219/3-2-81	श्री अजीतसिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 372	7 बीघा	"	"
16.	238/3-2-81	श्री रामनारायण पुत्र भूरा कीर, खातोल	गोरधनपुरा 109	15 बीघा	"	"
17.	227/3-2-81	श्री लड्डू नारायण पुत्र गोपाल बारेठ, बालूपा	बालूपा 372	10 बीघा	"	"
18.	237/3-2-81	श्री लक्खा पुत्र भूरा कीर, गोरधनपुरा	गोरधनपुरा 109	15 बीघा	"	"
19.	226/3-2-81	श्री जगन्नाथ पुत्र भूरया बैरवा बालूपा	बालूपा 371	6 बीघा	"	"
20.	225/3-2-81	श्री शंकर पुत्र गंगाराम काछी, बालूपा	बालूपा 371	12 बीघा	"	"
21.	224/3-2-81	श्री बृजमोहन पुत्र रामनारायण काछी, बालूपा	बालूपा 188	6 बीघा	"	"
22.	234/3-2-81	श्री शंकर पुत्र हीरा मीणा, जटवाड़ी	जटवाड़ी 262	3 बीघा	"	"

239

1	2	3	4	5	6	7
23.	118/27-9-80	श्री नारायण पुत्र गोरू काछी, बालूपा	बालूपा 371	10 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
24.	132/27-9-80	श्री गंगाधर पुत्र गोपाल गूजर, बालूपा	बालूपा 372	6 बीघा	”	”
25.	43/1-9-80	श्री रामप्रसाद पुत्र कान्हा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	”	”
26.	49/1-9-80	श्री प्रहलाद भगवानदास पुत्र रामनाथ बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	”	”
27.	52/1-9-80	श्री भूरा पुत्र धन्ना बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	”	”
28.	209/3-2-81	श्री ग्रम्बालाल पुत्र बैजनाथ गूजर, कैंथूदा	कैंथूदा 2	8 बीघा	”	”
29.	207/3-2-81	श्री रामकिशन पुत्र जमनालाल खाती, जटवाड़ा	जटवाड़ा 123	10 बीघा	”	”
30.	205/3-2-81	श्री ग्रौंकार पुत्र देवा बैरवा, कैंथूदा	कैंथूदा 74	1 बीघा	”	”
31.	202/3-2-81	श्री भवरिया लोड़किया पुत्र सुखदेवा बैरवा, कैंथूदा	कैंथूदा 74	4 बीघा	”	”

1	2	3	4	5	6	7
32.	200/3-2-81	श्री किशन गोपाल पुत्र जगन्नाथ गूजर कैथूदा	कैथूदा 81	3 बिस्वा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
33.	196/3-2-81	श्री कन्हैयालाल पुत्र भूरा भील, कैथूदा	कैथूदा 211	3 बीघा	,,	,,
34.	195/3-2-81	श्री मंडू पुत्र सुखपाल गूजर, कैथूदा	कैथूदा 131	बीघा	,,	,,
35.	194/3-2-81	श्री बृजमोहन पुत्र भूरा भील, कैथूदा	कैथूदा 81	2 बीघा	,,	,,
36.	193/3-2-81	श्री भैरू पुत्र जगन्नाथ गूजर, कैथूदा	कैथूदा 81	7 बिस्वा	,,	,,
37.	192/3-2-81	श्री रामनाथ पुत्र हरचन्दा गूजर, कैथूदा	कैथूदा 81	5 बिस्वा	,,	,,
38.	190/3-2-81	श्री पांच्या पुत्र अगरिया भील कैथूदा	कैथूदा 174	3 बीघा	,,	,,
39.	189/3-2-81	श्री प्रहलाद पुत्र ग्यारसीया कीर कैथूदा	कैथूदा 74	0 बीघा	,,	,,
40.	188/3-2-81	श्री नागा पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण, कैथूदा	कैथूदा 74	बीघा	,,	,,

1	2	3	4	5	5	7
41.	187/3-2-81	श्री जगन्नाथ पुत्र कान्हा गूजर कैथूदा	कैथूदा 71	5 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
42.	211/3-2-81	श्री प्रहलाद पुत्र कान्हा गूजर, कैथूदा	कैथूदा 40	5 बीघा	,,	,,
43.	212/3-2-81	श्री बद्री पुत्र गोप्या गूजर, कैथूदा	कैथूदा 2	2 बीघा	,,	,,
44.	214/3-2-81	श्री गोपाल पुत्र नैनग्या कुम्हार कैथूदा	कैथूदा 40	5 बीघा	,,	,,
45.	215/3-2-81	श्री सीताराम पुत्र रामप्रसाद कुम्हार, कैथूदा	कैथूदा 40	2 बीघा	,,	,,
46.	216/3-2-81	श्री बद्री पुत्र बजरंगा कीर, कैथूदा	कैथूदा 40	3 बीघा	,,	,,
47.	217/3-2-81	श्री कान्हा पुत्र गंगाराम गूजर, कैथूदा	कैथूदा 40	2 बीघा	,,	,,
48.	221/3-2-81	श्री भैरू पुत्र रामचन्द्र गूजर, कैथूदा	कैथूदा 233	3 बीघा	,,	,,
49.	222/3-2-81	श्री राधेश्याम पुत्र भंवरलाल गूजर, कैथूदा	कैथूदा 233	5 बीघा	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
50.	218/3-2-81	श्री केदार पुत्र बजरंगा कीर, कैथूदा	कैथूदा 40	3 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
51.	223/3-2-81	श्री माधो पुत्र देवा कीर, कैथूदा	कैथूदा 158	2 बिस्वा	"	"
52.	232/3-2-81	श्री भंवर लाल पुत्र देवा कीर, गोरधनपुरा	गोरधनपुरा 109	1 बीघा	"	"
53.	233/3-2-81	श्री मोती पुत्र गिरधारी धाकड़ गोरधनपुरा	गोरधनपुरा 109	5 बीघा	"	"
54.	235/3-2-81	श्री चान्द खां पुत्र मूरा फकीर, गोरधनपुरा	गोरधनपुरा 26	5 बीघा	"	"
55.	236/3-2-81	श्री छीतर पुत्र मांग्या कीर, गोरधनपुरा	गोरधनपुरा 26	5 बीघा	"	"
56.	240/3-2-81	श्री किशन गोपाल पुत्र ओंकार कीर, कैथूदा	कैथूदा 158	2 बिस्वा	"	"
57.	241/3-2-81	श्री किशना पुत्र रामपाल गूजर, कैथूदा	कथूदा 233	2 बीघा	"	"
58.	242/3-2-81	श्री भंवर लाल पुत्र ओंकार गूजर, कैथूदा	कैथूदा 233	4 बीघा	"	

243

244

1	2	3	4	5	6	7
59.	243/3-2-81	श्री कजोड़ पुत्र गोरधन कुम्हार, कैथूदा	कैथूदा 158	2 बिस्वा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
60.	197/3-2-81	श्री रामदयाल पॉच्या पुत्र अगरिया, भील कैथूदा	कैथूदा 158	2 बिस्वा	"	"
61.	201/3-2-81	श्री रामदयाल पुत्र अगरिया भील, कैथूदा	कैथूदा 74	4 बीघा	"	"
62.	267/25-2-81	श्री देवा पुत्र घूलिया कोली, लाखणी	लाखणी 120	15 बीघा	"	"
63.	268/25-2 81	श्री मूलचन्द पुत्र मियाला कोली खातोली	लाखणी 122,123	20 बीघा	"	"
64.	266 25-2-81	श्री कल्याण पुत्र अमरा कोली, लाखणी	लाखणी 105	9 बीघा	"	"
65.	265/25-2-81	श्री चतर्भुज पुत्र रूघा कोली, लाखणी	लाखणी 120	15 बीघा	"	"
		पीपल्दा क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले (जो निर्णित किये जा चुके)				
66.	239/3-2-81	रामदयाल पुत्र अमरिया भील, कैथूदा	कैथूदा 233	2 बीघा	"	"
67.	213/3-2-81	श्री राधाकिशन पुत्र नारायण कीर, कैथूदा	कैथूदा 40	3 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
68.	191/3-2-81	श्री ग्यारस्या पुत्र बजरंगा कीर, कैथूदा	कैथूदा 74	2 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
69.	199,3-2-81	श्री कन्हैया पुत्र भूरा भील, कैथूदा	कैथूदा 81	3 बीघा	"	"
70.	198/3-2-81	श्री राधाकिशन पुत्र नारायण कीर, कैथूदा	कैथूदा 158	2 बिस्वा	"	"
71.	208/3-2-81	श्री केदार पुत्र गोपाल गूजर, कैथूदा	कैथूदा 71	1 बीघा 10 बिस्वा	"	"
72.	210/3-2-81	श्री सीताराम पुत्र कान्हा बैरवा कैथूदा	कैथूदा 2	2 बीघा	"	"
73.	131/27-9-80	श्री नारायण पुत्र दीपा चमार, बालूपा	बालूपा 368	6 बीघा	"	"
74.	127/27-9-80	श्री गफूरशाह पुत्र रहीमशाह फकीर बालूपा	बालूपा 372	5 बीघा	"	"
75.	115/27-9-80	श्री अचपल सिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 371	25 बीघा	"	"
76.	113/27-9-80	श्री वन्दा सिंह पुत्र केसर सिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 371	8 बीघा	"	"

1	2	3.	4	5	6	7
77.	136/27-9-80	श्री बग्घा पुत्र कंवरिया बैरवा, बालूपा	बालूपा 372	10 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
78.	203/3-2-81	श्री छीतर सिंह पुत्र किशनसिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 366	10 बीघा	"	"
79.	230/3-2-81	श्री उदय सिंह पुत्र किशन सिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 372	15 बीघा	"	"
80.	231/3-2-81	श्री पीरू पुत्र लालू चमार, बालूपा	बालूपा 372	2 बीघा	"	"
81.	228/3-2-81	श्री ग्वाला पुत्र कंवरिया बैरवा, बालूपा	बालूपा 372	10 बीघा	"	"
82.	204/3-2-81	श्री छीतर सिंह पुत्र किशन सिंह राव, बालूपा	बालूपा 372	7 बीघा	"	"
83.	116/27-9-80	श्री अलावन्दा पुत्र नूरा तेली, बालूपा	बालूपा 372	15 बीघा	"	"
84.	117/27-9-80	श्री लक्ष्मण पुत्र श्यामा माली, बालूपा	बालूपा 372	8 बीघा	"	"
85.	111/27-9-80	श्री द्वारकादास पुत्र सीताराम त्यागी बालूपा	बालूपा 372	50 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
86.	134/27-9-80	श्री शम्भूसिंह पुत्र माधो सिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 372	15 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
87.	135/27-9-80	श्री माधो पुत्र कंवरिया बैरवा, बालूपा	बालूपा 372	10 बीघा	"	"
88.	121/27-9-80	श्री तेजा पुत्र भूरा बैरवा, बालूपा	बालूपा 371	8 बीघा	"	"
89.	158/27-9-80	श्री मांगी लाल पुत्र राधाकिशन लुहार, बालूपा	बालूपा 372	20 बीघा	"	"
90.	112/27-9-80	श्री किशन पुत्र भूरा गूजर, बालूपा	बालूपा 371	2 बीघा	"	"
91.	229/3-2-81	श्री नारायण रामचन्द्र पुत्र मोतिया, बालूपा	बालूपा 372	15 बीघा	"	"
92.	173/14-10-80	श्री बहादुर सिंह पुत्र अजीत सिंह राजपूत, बालूपा	बालूपा 371	5 बीघा	"	"
93.	220/3-2-81	श्री गंगाधर पुत्र कान्या गूजर, बालूपा	बालूपा 371	10 बीघा	"	"
94.	108/27-9-80	श्री मांग्या पुत्र धन्ना बैरवा, संग्रामपुरा	बालूपा 371	4 बीघा 10 बिस्वा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
95.	68/27-9-80	श्री नामा पुत्र माधो बैरवा. संग्रामपुरा	बालूपा 371	4 बीघा 10 बिस्वा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
96.	30/19-4-79	श्री शंकर पुत्र भैरू बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	"	"
97.	31-19-4-79	श्री सुका पुत्र गंगाराम बैरवा, हरीपुरा	सीनोता 229	8 बीघा	"	"
98.	32/19-4-79	श्री मथुरा पुत्र श्री राम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	12 बीघा	"	"
99.	33/19-4-79	श्री भगवान दास पुत्र रामलाल बैरवा सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
100.	34/19-4-79	श्री शंकरलाल पुत्र देवीराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	20 बीघा	"	"
101.	35/19-4-79	श्री गोपी लाल पुत्र सुका बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	6 बीघा	"	"
102.	36/19-4-79	श्री प्रभू पुत्र भूरा कीर सीतोता	सीनोना 229	4 बीघा	"	"
103.	37/19-4-79	श्री पांचू पुत्र रामा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
104.	38/19-4-79	श्री कालू पुत्र गोमदा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
105.	39/19-4-79	श्री घासी पुत्र मंगला. बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	5 बीघा	"	"
106.	40/19-4-79	श्री रामकुवार पुत्र शंकर लाल कीर सीनोता	सीनोता 229	4 बीघा	"	"
107.	41/19-4-79	श्री रामचन्द्र पुत्र गंगाराम बैरवा सीनोता	सीनोता 229	29 बीघा	"	"
108.	42/19-4-79	श्री मांगीलाल पुत्र नारायण बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	16 बीघा	"	"
109.	43/19-4-79	श्री सीताराम पुत्र अमरा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	20 बीघा	"	"
110.	44/19-4-79	श्री केसरी लाल पुत्र नारायण बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	6 बीघा	"	"
111.	45/19-4-79	श्री कस्तूरा पुत्र रामचन्द्र बैरवा सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	"	"
112.	46/19-4-79	श्री मंगल्या पुत्र शंकर मीणा, सीनोता	सीनोता 229	5 बीघा	"	"

249

1	2	3	4	5	6	7
113.	47/19-4-79	श्री मुकुट पुत्र रामचन्द्र ब्राह्मण, सीनोता	सीनोता 229	5 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
114.	146/6-10-79	श्री मूलचन्द पुत्र सीताराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	,,	,,
115.	148/6 10-79	श्री शंकरा पुत्र ख्याला बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	,,	,,
116.	149/6-10-79	श्री मूलचन्द पुत्र कल्याण माली, सीनोता	सीनोता 229	7 बिस्वा	,,	,,
117.	150/6-10-79	श्री प्रभू पुत्र गेंदीलाल भील, सीनोता	सीनोता 229	4 बीघा	,,	,,
118.	151/6-10-79	श्री केसरा पुत्र नारायण बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	16 बीघा	,,	,,
119.	152/6-10-79	श्री रामपाल पुत्र किशना गूजर, सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	,,	,,
120.	153/6-10-79	श्री माधो पुत्र कालू मीना, सीनोता	सीनोता 229	6 बीघा	,,	,,
121.	154/6-10-79	श्री नारायण पुत्र हीरा कीर, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	,,	,,

(251)

1	2	3	4	5	6	7
122.	155/6-10-79	श्री घन्ना पुत्र बजरंगा राव, सीनोता	सीनोता 229	7 बिस्वा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
123.	160/12-11-79	श्री चांदू पुत्र रामा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	"	"
124.	161/12-11-79	श्री शंकर पुत्र भैरू बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	20 बीघा	"	"
125.	162/12-11-79	श्री सुखा पुत्र गंगाराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
126.	163/12-11-79	श्री मथुरा पुत्र श्रीराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
127.	164/12-11-79	श्री रामचन्द्र पुत्र गंगाराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
128.	165/12-11-79	श्री कालू पुत्र गोमदा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	17 बीघा	"	"
129.	166/12-11-79	श्री सीताराम पुत्र अमरा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
130.	167/12-11-79	श्री गोपीलाल पुत्र सुखा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
131.	168/12-11-79	श्री मंगला पुत्र शंकर मीणा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
132.	169/12-11-79	श्री रामकुमार पुत्र शंकर कीर, सीनोता	सीनोता 229	3 बीघा	"	"
133.	170/12-11-79	श्री बिरधीलाल पुत्र मोती बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	5 बिस्वा	"	"
134.	171/12-11-79	श्री कालू पुत्र रामचन्द्र बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	"	"
135.	39/1-9-80	श्री नारायण पुत्र हीरा कीर, सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	"	"
136.	40/1-9-80	श्री रामपाल पुत्र किशना गूजर, सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	"	"
137.	41/1-9-80	श्रीमती मूली पत्नी गोपीराम, सीनोता	सीनोता 229	5 बिस्वा	"	"
138.	42/1-9-80	श्री देवीराम पुत्र शंकर बैरवा सीनोता	सीनोता 229	10 बीघा	"	"
139.	44/1-9-80	श्री शंकर पुत्र दयाला बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
140.	45/1-9-80	श्री गोपीलाल पुत्र सुक्खा बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
141.	46/1-9-80	श्री मूलचन्द पुत्र सीताराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	7 बीघा	"	"
142.	47/1-9-80	श्री गेन्दीलाल पुत्र भूरा कीर, सीनोता	सीनोता 229	5 बीघा	"	"
143.	48/1-9-80	श्री सुक्खा पुत्र गंगाराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
144.	50/1-9-80	श्री कालू पुत्र गोमदा बैरवा सीनोता	सीनोता 229	8 बीघा	"	"
145.	52/1-9-80	श्री रामधन पुत्र गंगाराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
146.	54/1-9-80	श्री मथुरा पुत्र श्रीराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	15 बीघा	"	"
147.	55/1-9-80	श्री शंकर पुत्र भैरू बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	30 बीघा	"	"

1	2	3	4	5	6	7
148.	56/1-9-80	(1) बिरधी लाल पुत्र मोती (2) श्री माधो पुत्र बिरधा (3) श्री रामदेव पुत्र बिरधा (4) श्री रतन पुत्र गोरू समस्त बैरवा, निवासी सीनोता	सीनोता 229	32 बीघा	वन भूमि पर अतिक्रमण	सुल्तानपुर एवं इटावा
149.	57/1-9-80	श्री केसरा पुत्र नारायण बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	16 बीघा	"	"
150.	58/1-9-80	श्री हरजी लाल पुत्र सीताराम बैरवा, सीनोता	सीनोता 229	30 बीघा	"	"

नोटः—क्रम संख्या 36 से 150 तक के 85 मुकनमे निर्णित किये जा चुके हैं।

मण्डल वन अधिकारी,
कोटा।

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके)

तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

जयपुर में मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों से जल प्रदाय की प्रतिमाह निश्चित राशि से अधिक की वसूली

341. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि वह राजकीय दर से अधिक दर पर अन्य व्यक्तियों को जल का बेचान कर सकें ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार की जानकारी में यह तथ्य हैं कि जयपुर में बहुत से मकान मालिक अपने किरायेदारों से पानी की सुविधा देने हेतु एक मुश्त राशि प्रत्येक माह लेते हैं और वह राशि जल प्रदाय विभाग द्वारा निश्चित मासिक राशि से अधिक होती है ?

(3) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । उपभोक्ता को जल बेचने का अधिकार नहीं है ।

(2) जी नहीं । मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों से जल शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में विभाग में सूचना नहीं है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भीनमाल स्थित ग्रिड स्टेशन पर रेस्ट हाउस का निर्माण

342. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल स्थित 132 के. वी ग्रिड सब स्टेशन पर एक रेस्ट हाउस बनाने का प्रावधान था तथा इसके निर्माण हेतु निर्माणसामग्री की खरीद भी की थी ? यदि हां, तो कृपया रेस्ट हाउस निर्माण कार्य की प्रगति का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) रेस्ट हाउस का निर्माण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । 132 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन भीनमाल पर एक रेस्ट हाउस बनाने का प्रावधान था, परन्तु इसके निर्माण हेतु कोई सामग्री खरीद नहीं गई ।

(2) वर्तमान में उक्त सब स्टेशन पर रेस्ट हाउस के निर्माण का विचार नहीं है । अतः निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है ।

भूमि विकास बैंक द्वारा वसूली में किसानों के सामान को जब्त किया जाना

343. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1974-75 में भूमि विकास बैंक ने ऋण की वसूली में कुर्की करके ट्रैक्टर्स, आयल इन्जिन, बिजली की मोटरें, गाय, बैल, भैंस, बछड़े तथा घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं, रजाई बिछौने, खाट, आटा, दाल महिलाओं के पहनने के वस्त्र व जेवर वगैरह जब्त किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक द्वारा कुर्क किए हुए माल की नीलामी के लिये चौमूं, बस्सी व दौसा ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और उक्त प्रदर्शनी में एक शादी चंवरी के कलश, एवं जापायत के खाने के लड्डू व महिलाओं के वस्त्र, जिसमें लहंगे व साड़ियां भी थीं, प्रदर्शित की गई व नीलामी की गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि दौसा में नीलामी की प्रदर्शनी में एक अनुसूचित जन जाति के कृषक का जिसके कि एक कच्ची झोंपड़ी ही थी, उसका किवाड़, 20 किलो अनाज, 5 किलो आटा, दो रोटियां, एक खाट, एक रजाई व एक थाली भी नीलाम की गई थी ?

(4) यदि हां, तो इस सब सामान की कितनी कीमत मिली व कुर्की का खर्चा, कुर्की के सामान को दौसा तक लाने का किराया व नीलामी का खर्चा कितना हुआ ? ऋणी के खाते में सब खर्चा निकालने के बाद कितना पैसा जमा हुआ ?

उत्तर

(1) ऋण वसूली में बैंक द्वारा ट्रैक्टर, इंजिन, बिजली की मोटरें गाय भैंस बैलगाड़ी, आदि को कुर्क कर जब्त किया गया था। परन्तु घरेलू उपयोग की वस्तुऐ जैसे रजाई, बिछाने महिलाओं के वस्त्र जेवर आदि की कुर्की और जप्ती नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

फसल बीमा योजना

344. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय)-

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)- क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार फसल बीमा योजना प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जीहां। इस योजना को परीक्षण के तौर पर राज्य की कुछ चयनित तहसीलों में खरीफ 81 के मौसम से लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला चूरू में पेयजल व्यवस्था

345. **श्री रेवतराम** (डूंगरगढ़):-क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू में पीने का पानी 200–300 फुट गहराई में है ? यदि हां, तो क्या वहां पर हैण्ड पम्प सफल हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो हैण्ड पम्प क्यों लगाये जा रहे हैं ? यदि चूरू जिले में हैण्ड पम्प लगाने की योजना है, तो कहां-कहां पर है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पेयजल योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में श्री डूंगरगढ़ तहसील में अनेक गांवों में पाइप लाइन डाल दी गई परन्तु पानी नहीं दिया गया है और पाइप लाइन नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो ऐसे कितने और कौन-कौन से गांव हैं ? इस अव्यवस्था के लिये कौन जिम्मेदार है ? इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले में पेयजल की गम्भीर समस्या को दूर करने के लिए अनेकों गांवों में पेयजल देने की योजना है ? यदि हां, तो श्री डूंगरगढ़ तहसील में कितने और किन-किन गांवों में ?

(4) चूरू जिले की तहसील श्री डूंगरगढ़ के कितने ग्रामों में मार्च, 1981 तक पानी दिया जायगा एवं बाकी गांवों को कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। हैण्ड पम्प अधिकतर 50 मीटर की गहराई तक कार्य कर सकता है। चूरू जिले में हैंण्ड पम्प वहीं लगाये जा रहे है जहां मीठा भू-जल 50 मीटर तक उपलब्ध है। हैण्ड पम्प योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। पांच ग्रामों अर्थात् नोसरिया, मिगसरिया इम्पालसर, सांखलन व इम्पालसर बडा बास हेतु तीन वर्ष पूर्व डाली गई पाइप लाइन का ग्रामवासियों द्वारा दुरुपयोग करने के कारण अव्यवस्था है। इस वर्ष नोसरिया व मिगसरिया ग्रामों में मिगसरिया का कुआ चालू कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। शेष तीन ग्रामों को पेयजल शीघ्र ही स्रोत अमृतवासी से उपलब्ध करा दिया जावेगा।

(3) जी हां। वर्ष 1980–81 में डूंगरगढ़ तहसील के तीन ग्राम लखासर, सम्नदर व राजपुरा हेतु योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(4) श्री डूंगरगढ़ में मार्च 1980 तक 55 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका था। 5 और ग्रामों को वर्ष 1980–81 में लाभान्वित करने का लक्ष्य है जिसके पूर्ण होने की सम्भावना है। तहसील के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों को छठी पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

चूरू जिले की हैण्ड पम्प योजनाओं की सूची

क्र० सं०	गांव का नाम	तहसील	कोड सं०	जनसंख्या 1971
1	2	3	4	5
(1)	जाटवास	रतनगढ़	52	231
(2)	बालान	,,	144	702
(3)	बीसलम	,,	88	402
(4)	गागरवास	,,	89	848
(5)	बजरंगसर	,,	24	437
(6)	भारपालसर-बीदाकाटन	,,	46	340
(7)	चम्पावासी	,,	47	252
(8)	छाजूसर	,,	45	315
(9)	गोपालपुरिया	,,	26	331
(10)	मालासर	,,	9	695
(11)	बाचरारा छोटा	,,	61	270
(12)	सुलेखानिया	,,	93	859
(13)	चामवासी	,,	47	543
(14)	आबादसर	,,	27	426
(15)	बन्दवा	,,	30	847
(16)	भारमालसर लोडरबानिया	,,	43	581
(17)	भारमालसर चारनाम	,,	44	190
(18)	छोटग्रीया	,,	7	374
(19)	गोरिसर	,,	16	1135
(20)	बन्दवा	,,	30	847
(21)	होदरा सिदान	,,	50	181
(22)	जोगनिया बिदावतन	,,	35	700
(23)	जगनिया किहान	,,	34	470
(24)	जोरावर पुरा	,,	31	247
(25)	कानगर	,,	10	1215
(26)	खोथड़ी	,,	74	935
(27)	लोढ़ासर	,,	19	1275
(28)	रतनडेसर	,,	69	791
(29)	सिमसियाबिदावतन	,,	37	804
(30)	बछरारा बाड़ी	,,	60	844
(31)	बीनसर वेड़ावतन		29	834

1	2	3	4	5
(32)	लून्व	रतनगढ़	66	1019
(33)	जीली	सुजानगढ़	80	746
(34)	कानडालसर	,,	12	856
(35)	मारोंघिया	,,	87	262
(36)	अंबसर	,,	102	1293
(37)	बिनेर्शा जोगलिया	,,	37	453
(38)	राजियासर	,,	12	966
(39)	रान्धीसर	,,	46	901
(40)	काटनवारी	,,	1	982
(41)	काटनछोटी	,,	49	584
(42)	अरमालसर	सरदार शहर	154	321
(43)	हारवालसर	,,	137	251
(44)	रूपलिसर	,,	165	872
(45)	सिगसों	,,	164	191
(46)	सरणनसर	,,	135	376
(47)	लखासर	डूंगरगढ़	31	1152
(48)	खीनसर	चूरू	14	1442
(49)	चलकोई वनीरोतान	,,	31	1284
(50)	महरी रजीयान	सरदारशहर	87	1255
(51)	मेलूखर	,,	93	1277
(52)	रंगीयासर	,,	71	515
(53)	कंगर	रतनगढ़	10	1215
(54)	लढ़ासर	,,	19	1275
(55)	लूण्डा	,,	66	1019
(56)	श्रमरसर	सुजानगढ़	10	1008
(57)	नडसा	,,	13	1293

260

आवासन मण्डल द्वारा नगरों एवं ग्रामों में निर्मित मकान.

346. श्री आत्माराम(हनुमानगढ़):-क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के गठन के उपरान्त राज्य के कितने जिलों में अब तक कितने मकान निर्मित कराये गये हैं ?

(2) क्या आवासन मण्डल के माध्यम से देहाती क्षेत्रों में भी निर्मित मकान उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक अमली रूप दिया जायगा और क्षेत्रों के चयन का क्या आधार होगा ?

उत्तर

(1) आवासन मण्डल द्वारा राज्य के 16 जिलों में, गठन के उपरान्त सितम्बर, 1980 तक 34,651 मकान निर्मित किये हैं । जिलेवार विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) देहाती क्षेत्रों में मकान निर्मित कराने का मामला राजस्थान आवासन मण्डल में विचाराधीन है ।

आवासन मण्डल द्वारा मकान निर्मित कराने की जिलेवार सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	निर्माणाधीन मकान	निर्मित मकान	योग
1.	जयपुर	5195	5271	10466
2.	जोधपुर	1340	2413	3753
3.	अजमेर	172	1329	1501
4.	अलवर	28	638	666
5.	बीकानेर	325	644	969
6.	झुंझुनूं	116	100	216
7.	पाली	423	269	692
8.	नागौर	—	143	143
9.	भरतपुर	38	192	230
10.	श्रीगंगानगर	540	279	819
11.	भीलवाड़ा	77	584	661
12.	उदयपुर	338	2658	2996
13.	कोटा	4757	4932	9689
14.	बून्दी	382	—	382
15.	बांसवाड़ा	318	974	1292
16.	चित्तौड़गढ़	37	139	176
योग :—		14086	20565	34651

सवाई माधोपुर में सब-रजिस्ट्रार का पृथक् से कार्यालय खोलना

347. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार):**—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर सब-रजिस्ट्रार द्वारा कितने दस्तावेज गत 5 वर्ष में पंजीकृत किये गये हैं ? कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार रजिस्ट्रेशन का इतना कार्य होने के कारण सब-रजिस्ट्रार का कार्यालय अलग से स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में रजिस्टर किये गये लेख्य पत्रों की संख्या निम्नानुसार 3836 हैं।

क्रम सं.	वर्ष	लेख्य पत्र संख्या
1.	1976	537
2.	1977	554
3.	1978	807
4.	1979	815
5.	1980	1123 (अगस्त ———80 तक)
		3836

(2) जी नहीं।

ग्राम लखोर, तहसील लूणकरणसर की भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से हटाना

348. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर)–क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गांव लखोर बड़ी राजस्व तहसील लूणकरणसर के कुल रकबा 15,531 बीघा में से 557 बीघा असिंचित भूमि चकों में शामिल की हुई है ?

(2) यदि हां, तो उपरोक्त 557 बीघा असिंचित भूमि के अलावा 14974 बीघा भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यदि सिंचाई विभाग इस भूमि को इस परियोजना के सिंचित क्षेत्र से निकाल देगा तो उपनिवेशन विभाग द्वारा इस क्षेत्र को अउपनिवेशन कर दिया जायगा।

अलवर डिवीजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की मद में आवंटित राशि का

अभ्यर्पण

349. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर डिवीजन के वार्षिक बजट सन् 1979-80 व 1980-81 में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग न होने के कारण राशि अभ्यर्पित की गई ?

(2) यदि हां, तो कितनी राशि अभ्यर्पित की गई ? कृपया वर्षानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 1979-80 का आवंटन व खर्चा व वर्ष 1980-81 का आवंटन व अनुमानित खर्चा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

1979-80 का आवंटन विवरण सूची

मद	मांग प्रथम समीक्षा में	मांग अन्तिम समीक्षा में	अन्तिम आवंटन	वित्तीय वर्ष 79-80 का खर्चा
259 मरम्मत	10	10	10	999561
283 सामुदायिक	1.5	1.57	1.8	180110
337 मरम्मत	79.38	79.38	75.50	7550215
459 सार्वजनिक निर्माण	4.638	4.339	4.56	452350
477 शिक्षा	2.36	1.783	1.78	178163
480 मेडिकल	5.66	3.204	3.20	320020
481 परिवार कल्याण	.37	.245	.283	28568
483 आवासीय	.43	5.01	73	73024
505 कृषि	5.798	4.802	4.40	493004
510 पशुपालन	.06	.06	.06	6402
313 जंगलात	1.12	1.02	1.25	125182
314 सामुदायिक विकास	5.12	5.274	5.00	498516
337 सड़कें एवं पुल (सीएसएस)	3.00	3.60	3.60	360000
537 राज्य पथ	5 90	5.905	5.905	589248
537 जिला एवं अन्य सड़कें	2.36	2.355	2.35	235701
537 बाढ़	4.30	4.867	4.86	485055

263

537 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	25.02	21.21	21.21	2121973
259 जेल	.10	.01	.01	997
योग :—	157.21	150.325	146.498	14698312

1980-81 का आवंटन विवरण सूची

मद	प्रथम समीक्षा में की गई मांग (लाखों में)	अन्तिम समीक्षा में की गई मांग (लाखों में)	वित्तीय वर्ष 80-81 का अनुमानित खर्चा
259 मरम्मत	7.30	7.66	
259 मरम्मत (मेडिकल वि० द्वारा)	2.65	2.65	
283 आवासीय योजना	2.10	2.37	
337 अनुरक्षण एवं मरम्मत	65.77	68.28	
313 जंगलात	40	—	15 मार्च, 81 तक 141.60 लाख रुपये खर्च हो चुका है व शेष राशि 31 मार्च तक खर्च हो जावेगी।
459 सार्वजनिक निर्माण	4.581	3.558	
477 शिक्षा	3.205	2.995	
480 मेडिकल	7.84	6.79	
481 परिवार कल्याण	.077	.014	
483 आवासीय	4.41	4.27	
505 कृषि	5.98	4.52	
510 पशु चिकित्सालय	.015	.01	
313 जंगलात	1.25	.27	
314 सामुदायिक विकास	3.28	1.28	
337 सड़कें व पुल (सीएएस)	1.46	1.47	
537 राज्य पथ	1.79	1.75	
537 जिला एवं अन्य सड़कें	1.90	2.18	
537 बाढ़ (–)	.655	.077	
537 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	33.91	37.16	
259 जेल (सीएसएस)	.09	.09	
योग :—	147.353	149.394	

तहसील बाड़मेर के ग्रामो में पेयजल व्यवस्था

350. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) बाड़मेर जिले की तहसील बाड़मेर के सज्जन का पार, लघेका पार, लकडियाली, हिन्दिया, बुकड सैलाऊ गडरिया, बीन्डे का पार, बने की वस्ती, अजवाणी भैलूण्ड एवं तहसील शिव के ग्राम जैसीन्दर रेलवे स्टेशन खानियानी, घायडली, करीमेका पार, डौकर वन्दड़ा बिकूली, कैलनली, रतेडरी मगरा, खारची मौसेरी, जोरानाड़ा नागन्दा धौलकिया ग्रामों में लोग बरसात के पानी के समाप्त हो जाने के बाद कहां पर पानी पीते हैं। और उक्त ग्रामों में सरकार टैंकर्स द्वारा कितनी कितनी दूरी से पानी उपलब्ध कराती है ?

(2) क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हेतु उक्त ग्रामों का सर्वेक्षण हुआ है या नहीं ? जिन ग्रामों का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, उनका कब तक सर्वेक्षण किया जावेगा और इन ग्रामों को सरकार स्थाई तौर पर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से कब तक जोड़ देगी ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के ग्राम सज्जन का पार, लघेका पार, लकड़ियाली, हिन्दिया, बीन्डे का पार, अजवाणी, भैलूण्ड, जैसीन्दर रेलवे स्टेशन, खानियानी, बन्दडा विकूसी, केलनली, रतडोरा मगरा को टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम नागदड़ा को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रातड़ी नोखाल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां तक दूरी का प्रश्न है, ऐसे सभी ग्रामों को जहां पेयजल 5-10 किलोमीटर तक उपलब्ध नहीं है जिलाधीश द्वारा उपलब्ध साधनों से टैंकरों इत्यादि द्वारा पेयजल पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाता है।

(2) जी हां। 1971 की जनगणना पुस्तक में उपलब्ध जिले के सभी ग्रामों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। स्थाई समाधान जिला आयोजना समिति के अनुमोदन के पश्चात् तथा धन उपलब्धि के अनुसार किया जाना सम्भव होगा।

कृषि उपज मंडी समितियों में सचिव पद पर नियुक्ति के संदर्भ में लखनऊ में प्रशिक्षण दिलाना

351. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विभाग के कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को कृषि उपज मंडी समितियों में सचिव पद पर लगाने से पूर्व सन् 1980-81 में कितने कर्मचारियों को लखनऊ में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया ?

(2) प्रशिक्षण के लिये भेजे जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों पर सरकार को प्रति उम्मीदवार कितना भार वहन करना पड़ता है ?

(3) इस प्रशिक्षण में भेजने के लिए कर्मचारियों के चयन में इस वर्ष क्या प्रक्रिया

अपनाई गई है ? कृपया इस वर्ष प्रशिक्षण में भेजे गये कर्मचारियों व अधिकारियों के नाम एवं जाति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह 1 फरवरी, 1980 से 31.1.81 तक 47 अराजपत्रित अधिकारियों एवं 5 राजपत्रित अधिकारियों को विपणन सचिव के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में भेजा गया।

(2) प्रशिक्षण का आर्थिक भार विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। अतः राज्य सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ता है।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त कर्मचारियों का चयन किया गया है। विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। इन मापदण्डों के साथ कर्मचारियों की वरिष्ठता का भी ध्यान रखा गया है। प्रशिक्षण में भेजे गए कर्मचारियों व अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

वर्ष 1980–81 में विपणन सचिव प्रशिक्षण हेतु भेजे गये व्यक्तियों की सूची

सत्र 1–2–80 से 31–5–1980

क.सं.	नाम	जाति	विशेष विवरण
1.	श्री गंगासिंह	राजपूत	
2.	,, नारायणसिंह	,,	
3,	,, कीतपालसिंह	,,	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
4.	,, नरपत सिंह	,,	
5.	,, विष्णु वर्धन सिंह	जाट	
6.	,, ज्वाला देव सिंह	राजपूत	
7.	,, पी.सी. कटारिया	वैश्य	
8.	,, अशोक कुमार नाग	कायस्थ	
9.	,, गोपालसिंह राजावत	राजपूत	
10.	,, गिरधारी सिंह राठौड़	,,	
11.	,, भंवर सिंह चम्पावत	,,	
12.	,, महावीर सिंह	,,	
13.	,, महेन्द्र राज महता	ओसवाल जैन	
14.	,, प्रभात मोहन शर्मा	ब्राह्मण	
15.	,, शेरसिंह राठौड़	राजपूत	
16.	,, महेश्वर सिंह सूद	पंजाबी	
17.	,, आर.पी. सिंह	राजपूत	
18.	,, आनन्दी लाल माथुर	कायस्थ	

सत्र 1–6–80 से 30–9–80

क.सं.	नाम	जाति
1.	श्री गंगा प्रसाद जैन	जैन
2.	,, प्रेमराज साहरण	जाट
3.	,, नेमीचन्द दीक्षित	ब्राह्मण
4.	,, रामकुमार धरणिया	जाट
5.	,, मानमल सिंघवी	जैन
6.	,, शिव कुमार जैन	जैन
7.	,, हनुमान प्रसाद डागला	अनुसूचित जाति
8.	,, तिलक विष्णु जोशी	ब्राह्मण
9.	,, एस. एन. मन्धाना	माहेश्वरी वैश्य
10.	,, हरिसिंह धाकड़	धाकड़ (जाट)
11.	,, गोविन्द सिंह	जाट

क्र.सं.	नाम	जाति	विशेष विवरण
12.	श्री चेतनसिंह	माली (सैनी)	
13.	,, रिछपाल सिंह	जाट	
14.	,, अवध बिहारी माथुर	कायस्थ	
15.	,, खेमचन्द रामदेव	ब्राह्मण	
16.	,, रघुनाथ-सिंह	जाट	
17.	,, मंगल राम	जाट	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
18.	,, राम भरोसे पाल	गड़रिया	
19.	,, मोहनलाल एम. राय	कायस्थ	
20.	,, राम स्नेही राठौड़	राजपूत	
21.	,, मोहनलाल जगेसिया	माहेश्वरी वैश्य	
22.	,, सुभांश चन्द्र तनेजा	पंजाबी	
23.	,, ताराचन्द शर्मा	ब्राह्मण	

सत्र 1-10-80 से 31-1-81 तक

1.	श्री जगदीश सिंह गहलोत	माली	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
2.	,, भैरू सिंह नाथावत	राजपूत	,,
3.	,, राजपाल भाटिया	पंजाबी	
4.	,, प्रभात कुमार तिवाड़ी	ब्राह्मण	
5.	,, मदन मोहन भंवर	माहेश्वरी वैश्य	
6.	,, राजकुमार परनामी	पंजाबी	
7.	,, शिव शंकर सिंह	राजपूत	
8.	,, पूरणसिंह	,,	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
9.	,, सुखलाल जाट	जाट	
10.	,, यदुनाथसिंह	राजपूत	
11.	,, कमलेश चन्द पुरोहित	ब्राह्मण	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
12.	,, गिरजा शंकर दुबे	ब्राह्मण	
13.	,, मोहनसिंह	राजपूत	
14.	,, बलवन्त सिंह	जाट	
15.	,, उदयलाल कुम्हार	प्रजापति	प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया
16.	,, दीप सिंह खर्रा	जाट	
17.	,, राजपाल कुल्हार	जाट	
18.	,, रूप नारायण	जाट	
19.	,, बलवन्त सिंह माकड़	पंजाबी जाट	

(268)

जिला चित्तौड़गढ़ की सतर्कता समिति से सम्बद्ध विचाराधीन विवाद

352. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जिला चित्तौड़गढ़ की सतर्कता समिति के समक्ष वर्ष 1980 में कितने मामले आये ? उनमें से कितने का निर्णय किया गया एवं कितने विवाद ऐसे हैं जो सरकार को निर्णय हेतु प्रस्तुत किये गये हैं ? प्रस्तुत मामलों पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया ? कृपया सरकार के पास विचाराधीन मामलों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

चित्तौड़गढ़ जिले की जन अभियोग व सतर्कता समिति के समक्ष वर्ष 1980 में 232 मामले प्रस्तुत हुए हैं। इनके अतिरिक्त पूर्व के बकाया 23 मामलों पर भी 1980 के दौरान ही विचार किया गया। इनमें से 198 मामले निर्णित हो चुके हैं। समिति द्वारा राज्य सरकार को निर्णय हेतु कोई मामला प्रेषित नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पर्यटन विकास हेतु आवंटित राशि का उपभोग

353. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पर्यटन विकास के लिए 1980-81 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

(2) क्या आवंटित धन राशि खर्च कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि बहरोड स्थित मिड वे को बड़ा बनाये जाने की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में पर्यटन विकास हेतु 110 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(2) माह जनवरी, 1981 तक रु. 54.73 लाख की राशि खर्च हो चुकी है।

(3) जी हां।

सूची 'अ'

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न सं. 332 की सूचियां)

विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सर्वेक्षण किये गये ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	रानोली	20.	बसेडी
2.	टोडा	21.	उच्छपुर
3.	गंजपुरा नूरपुर	22.	भूरपहाड़ी
4.	सालीमपुर	23.	शेहरा
5.	पावटा	24.	भगवतपुरा
6.	बडीका	25.	कालीपहाड़ी
7.	जांगरू	26.	सुनारी
8.	खेड़ा सारंगपुरी	27.	मुकन्दपुरा
9.	भांवर	28.	झालाटाला
10.	खेड़ा उर्फ कल्याणपुरा	29.	नारनोल कलां
11.	तिगारिया	30.	गोठड़ा
12.	मानपुर	31.	बिदरका
13.	खेड़ा मेढा	32.	अन्तपाडा
14.	तीतपुर	33.	खेड़ा मंगलसिंह
15.	चांदपुर	34.	अमरपुरा
16.	नंगला खूर्दा	35.	पहरावती
17.	मंड जोड़ी	36.	भीखाहेड़ी
18.	तिलकपुरा	37.	सायपुरा
19.	नारनोल खुर्द	38.	परवार

सूची 'ब'

कठूमर विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्र.सं.	ग्राम का नाम
1.	तसई	25.	हर साना
2.	तुसारी	26.	बिचगांव
3.	हुत्याना	27.	जहाड़
4.	मेंधना	28.	मनोखर
5.	धोंक रोजी	29.	कालवाड़ी
6.	सभोली	30.	सोखरी
7.	मानखेड़ा	31.	नगला माधोपुर
8.	बडोदा कान	32.	सोंखर
9.	बलदेवपुरा	33.	शहाजपुर
10.	बादला	34.	दोरोली
11.	जाडला	35.	बहरामपुरा
12.	कठूमर	36.	गहलावता
13.	हलीपुरा	37.	खेडलीरेल
14.	रेला	38.	समूची
15.	बहतू कलां	39.	सालवाड़ी
16.	बासेठ	40.	दांतिया
17.	अडुवा	41.	धोसराना
18.	मसारी	42.	रोनीजा थाना
19.	गारू	43.	बादसा
20.	दरोदा	44.	साजनपुरा
21.	नाटोज	45.	जैतपुरा
22.	खेड़ली उर्फ तूहिया	46.	रामपुरा पाटन
23.	खोह	47.	खोंखर
24.	नाहर खोहरा		

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 334 का परिशिष्ट)

Government of Rajasthan

ORGANISATION & METHODS DEPARTMENT

(Group IV)

No. F. 8(6)O&M/Gr. IV/75 Jaipur, dated the 22nd April, 1976.

Subject :—Adoption of correct attitudes towards the people and expeditious disposal of the complaints, representations etc.

CIRCULAR

Attention is invited to Government order on the above subject issued vide this department circular No. F 8(6)O&M/Gr. IV/75 dated the 11th July, 1975 which lays down that :—

1. A member of the public irrespective of his or her status should be patiently heard and his/her problems adequately attended to in all offices of the Government.

2. Communications received from the public and particularly from Members of Parliament and Legislative Assembly should be promptly acknowledged and a suitable reply should follow soon thereafter.

3. All Officers should reserve some time for hearing grievances of the public during office hours as well as during the tours.

All the Officers, Incharge of departments/Offices are requested to follow these instructions.

Sd./- H.P. Agarwal

Deputy Secretary to Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action :—

1. All Heads of the Depaitment.
2. All Collectors.
3. Registrar, Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.
4. Guard file.

Sd./- H.P. Agarwal
Deputy Secretary to Government

Copy also forwarded to the President, Rajasthan Pradesh Congress Committee (Minority Department), Jaipur with reference to his letter No. 1639 dated 12th March, 1976.

Sd./- H.P. Agarwal
Deputy Secretary to Government

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 339 की सूची)

आवंटन सूची दिनांक 2-8-80 मुकाम किशनगंज पंचायत वादीपुरा भूमि आवंटन सलाहकार समिति तहसील किशनगंज

क्र०सं०	नाम आवंटी	नाम ग्राम	खसरा नं०	रकबा जो आवंटन किया गया		किस्म जमीन	खाते की भूमि का विवरण	
							खाते की भूमि	हिस्से में आई भूमि
1	2	3	4	5		6	7	8
				बीघा	बिस्वा			बीघा बिस्वा
1.	श्री भजनलाल पुत्र देवीलाल धाकड़ निवासी बन्दाखुर्द	वादी पुरा	5	7	7	वा० सो०	भूमिहीन है	
2	श्री घासीलाल पुत्र भरलाल धाकड़	वादीपुरा	323	6	14	बंजड़		
3	श्री रामचरण पुत्र भैरूलाल धाकड़ निवासी वादीपुरा	वादीपुरा	256	4	18	बंजड़		10 बीघा

273

1	2	3	4	5		6	7	8	
				बीघा	बिस्वा			बीघा	बिस्वा
4	श्री शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ निवासी पचलावड़ा	पचलावड़ा	7	5		बंजड़		8	4
5	श्री मदनलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ निवासी वादीपुरा	,,	7	12	....	,,	भूमिहीन	....	
6	श्री हरिराम पुत्र जयलाल धाकड पचलावड़ा	,,	8	7	....	बंजड़पठार	....	5	
7	श्री शंकरलाल पुत्र प्रभूलाल वादीपुरा ,,	,,	8	10	....	बंजड़	भूमिहीन (ग्रन्त्योदय)		
8	श्री भरतसिंह पुत्र कल्याणसिंह पचलावड़ा	,,	11	10	....	बंजड़पठार	....	5	—
9	श्री श्यामलाल पुत्र मोहनलाल धाकड़ निवासी पचलावड़ा	,,	11	6	....	,,	....	5	
10	श्री मोडूलाल पुत्र घासीलाल चमार निवासी पचलावड़ा	,,	11	5	....	गै०मु०पठार	भूमिहीन है।		
11	श्री छीतरलाल पुत्र भागचन्द चमार निवासी पचलावड़ा	,,	11	10	....	,,	....	3	
12	श्री द्वारकालाल पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ निवासी पचलावड़ा	,,	35	5	....	,,	....	5	
13	श्री प्रहलाद पुत्र मथुरालाल धाकड़ निवासी धिलोदा	,,	35	5	....	,,	....	5	
14	श्री बृजमोहन पुत्र गोपीलाल धाकड़ निवासी पचलावड़ा	,,	50	5	....	पठार	....	10	

1	2	3	4	5	6	7	8
				बीघा विस्वा			बीघा विस्वा
15	श्री पर्वतसिंह पुत्र जोगनसिंह पचलावड़ा	पचलावड़ा	147	6	बंजड़	....	3
16	श्री फुलसिंह पुत्र केशरीसिंह पचलावड़ा	,,	147	8 6	बंजड़	....	3 4
17	श्री गुलाबचन्द पुत्र वृद्धिलाल धाकड़ खेड़ली	बन्दाकलां खेड़ली	57	1 बी० 2....	बंजड़	भूमिहीन	
18	श्री जगदीश पुत्र रामकिशन धाकड़ खेड़ली	,,	105	4 बी० 11 बि०	,,	....	10 बी० 9 बि०
19	श्री नन्दकिशोर पुत्र कन्हैयालाल, धाकड़ खेड़ली	,,	105	5 बी० 11 बि०	,,	पिता के खाते में	9 बीघा 10 बि० [illegible] भूमि है ....
20	श्री कोमल प्रसाद पुत्र हरदयाल धाकड़ खेड़ली	,,	104	10 बी०	,,	भूमिहीन	
21	श्री इन्द्रलाल पुत्र जगन्नाथ खेड़ली	,,	104	10 बी०	,,		
22	श्री रामदयाल पुत्र रामगोपाल धाकड़ खेड़ली	,,	104	5 बी०	,,		10 बी० 10 बि०
23	श्री जग्गू पुत्र कालू सहर खेलड़ी	,,	104	4 बी०	,,		8 बी०
24	श्री मदनलाल पुत्र बद्रीलाल धाकड़, खेड़ली	,,	136	8 बी०	,,	भूमिहीन	....
25	श्री दुर्गालाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ खेड़ली	,,	136	8 बी० 10 बि०	,,	....	6 बी०
26	श्री ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द धाकड़ खेड़ली	,,	136	10 बी०	,,	....	
27	श्री मांगीलाल पुत्र बद्रीलाल धाकड़ खेड़ली	,,	136	10 बी०	,,	....	
28	श्री नाथूलाल पुत्र गोपाल धाकड़ खेड़ली	,,	136	3 बी० 9 बि०	,,	पिता के खाते में	11 बी० 11 बि०
29	श्री चुन्नीलाल पुत्र मथुरालाल धाकड़ खेड़ली	,,	127	7 बी०	,,	....	5 बी० 6 बि०
			149	2 बी० 14 बि०	,,	....	....

1	2	3	4	5		6	7	8	
				बीघा	बिस्वा			बीघा	बिस्वा
30	श्री कंवरलाल पुत्र किशना सहर खेडली	खेड़ली	149	12 बी०		बंजड़	भूमिहीन	....	
31	श्री बद्रीलाल पुथ जगन्नाथ धाकड़ खेडली	,,	94	2 बी	10 वि०	,,	1 बी०		
32	श्री प्रेमनारायण पुत्र रामगोपाल लोधी, दुर्गनिपुरा	दुर्जनपुरा	94	4 बी०		,,		5 बी०	
33	श्री हीरालाल पुत्र परमा सहर विलोदा	विलोदा	288	3 बी०		,,	11 बी० 10 वि०	....	
34	श्री नेनगा पुत्र मांगीलाल सहर बिलोदा	,,	288	8 बी०		,,	4 बी०	....	
35	श्री श्यामलाल प० लक्ष्मन राव बिलोदा	,,	89	8 बी०		,,	भूमिहीन		
36	श्री घासी पुत्र गोरिया सहर विलोदा	,,	89	5 बी०		,,	4 बी०	5 बी०	
37	श्री कान्हा पुत्र हरबन्दी सपर बिलोदा	,,	89	10 बी०		,,	4 बी०	....	
38	श्री प्रेम पुत्र रतन सहर बिलोदा	,,	89	5 बी०		,,	4 बी०	1 बी०	5 वि०
39	श्री बिकमना पुत्र नाथू सहर बिलोदा	,,	89	7 बी०		,,	4 बी०	....	
40	श्री नाथूलाल पुत्र देवलाल सहर बिलोदा	,,	89	7 बी०		,,	4 बी०	....	
41	श्री दयाल पुत्र बल्लू चमार विलोदा	,,	89	8 बी०		,,	4 बी०	....	
42	श्री दोला पुत्र रामा फमार बिलोदा	,,	89	5 बी०		,,		10 बी०	
43	श्री चतरभुज पुत्र देवकिशन धाकड़ बिलोदा	,,	88	10 बी०		,,	भूमिहीन	10 बी०	
44	श्री लल्लूराम पुत्र शंकरधाकड़ खेडली	,,	88	12 बी०		,,	,,	10 बी०	
45	श्री दुर्गालाल पुत्र लज्जूराम धाकड़ पचलावड़ा	,,	89	4 बी०	14 बि	,,		10 बी०	6 बि०
46	श्री राधेश्याम पुत्र चन्दालाल धाकड़ खलां विलोदा	,,	88	12 बी०		,,		5 बी०	

1	2	3	4	5	6	7	8
				बीघा बिस्वा			बीघा बिस्वा
47	श्री नाथूलाल पुत्र द्वारकालाल धाकड़ बिलोदा	विलोंदा	88	5 बी०	बंजड़		5 बी० 3 बि०
			261	4 बी० 17 बि०	,,		5 बी० 3 बि०
48	श्री भंवरलाल पुत्र भैरूलाल धाकड़ बिलोदा	,,	89	5 बी०	,,		....
			100	3 बी० 17 बि०	,,	....	5 बी०
49	श्री नेमीचन्द पुत्र गोपीलाल धाकड़ बिलोदा	,,	88	12 बी०	,,	10 बी० 5 बि०	....
50	श्री मदनलाल पुत्र नारायण धाकड़ बिलोदा	,,	88	5 बी०	बंजड़	....	5 बी० 4 बि०
			261	4 बी० 16 बि०	,,	....	....
51	श्री बृजमोहन पुत्र लालचन्द धाकड़ खेड़ली	,,	88	12 बी०	,,	भूमिहीन	....
52	श्री वृजमोहन पुत्र मथुरालाल धाकड़ बिलोदा	,,	88	9 बी० 19 बि	,,	....	5 बी० 5 बि०
53	श्री राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ धाकड़ बिलोदा	,,	88	10 बी०	,,	भूमिहीन	5 बी० 5 बि०
54	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र रामचरण धाकड़ बिलोदा	,,	88	9 बी० 19 बि०	,,	....	5 बी० 1 बि०
55	श्री प्रभूलाल पुत्र रामचरण धाकड़ बिलोदा	,,	88	4 बी० 18 बि०	,,	....	5 बी० 2 बि०
			221	5 बी०	,,		
56	श्री हरदयाल पुत्र काशीलाल धाकड़ बिलोदा	,,	88	4 बी० 15 बि०	,,	पिता के नाम	
					,,		8 बी 13 बि०
57/1	श्री नारायणलाल पुत्र बैजनाथ धाकड़ बिलोदा	,,	88	2 बी० 19 बि०	,,		4 बी०
58/1	श्री प्रेम पुत्र लटूर सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०	,,	भूमिहीन	
57/2	श्री रामचरण पुत्र बक्सू सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०	,,	5 बी० 5 बि०	.....
58/2	श्री रामप्रसाद पुत्र बदस सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०	,,		1 बी० 12 बि०

277

1	2	3	4	5		6	7	8	
				बीघा	विस्वा			बीघा	विस्वा
59	श्री धूलीचन्द पुत्र मोतीलाल सहर बिलोदा	विलोंदा	88	5 बी०		बंजड़		6 बी०	6 बि०
60	श्री बलिया पुत्र भागचन्द सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०		,, 4 बि०			
61	श्री मोदीलाल पुत्र पांचू सहर बिलोदा	,,	288	10 बी०		,,		1 बी०	5 बि०
62	श्री भेजू पुत्र मांगीलाल सहर बिलोदा	,,	88	2 बी०		,,			
63	श्री गंगोलिया पुत्र भागचन्द सहर बिलोदा	,,	88	12 बी०		,, भूमिहीन			
64	श्री धन्ना पुत्र रामचन्द्र सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०		,, ...			
65	श्री बंशीलाल पुत्र नाथू सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०		,, 4 बी०			
66	श्री मजरी पुत्र मंगला सहर बिलोदा	,,	88	5 बी०		,, 4 बी			
67	श्री कल्याण पुत्र गेन्दीलाल सहर बिलोदा	,,	89	10 बी०		,, 4 बी०			
68	श्री मथुरा पुत्र रामा चमार बिलोदा	,,	88	4 बी०		,, 8 बी०			
69	श्री भागचन्द पुत्र फतया सहर बिलोदा	,,	268	12 बी०		,, भूमिहीन			
70	श्री ग्रमना पुत्र भागचन्द सहर बिलोदा	,,	268	8 बी०		,, 4 बी०			
71	श्री रामदयाल पुत्र गंगाराम धाकड़पचलावड़ा	नामली	29	7 बी०		,, 8 बी०			
72	श्री खेमलाल पुत्र मथुरालाल धाकड़ पचलावड़ा	,,	46	3 बी०	8 बि०	,,		11 बी०	12 बि०
73	श्री बद्रीलाल पुत्र गोमदा चमार बन्दाखुर्द	बन्दाखुर्द	1	5 बी०		,, भूमिहीन			
74	श्री ब्रम्हानन्द पुत्र जयलाल धाकड़ बन्दाखुर्द	,,	1	5 बी०		,, ,,			
75	श्री ग्रानन्दीलाल पुत्र छोटूलाल भील बन्दाखुर्द	,,	1	5 बी०		,, 10 बी			
76	श्री द्वारकालाल पुत्र जगन्नाथ सहर बन्दाखुर्द	,,	1	5 बी०		,, भूमिहीन			
77	श्री मथुरालाल पुत्र माधोलाल धाकड़ बन्दाखुर्द	,,	1	4 बी०	5 बि०	....		10 बी०	15 बि०
78	श्री बिरधीलाल पुत्र गोविन्दा बैरवा बन्दाखुर्द	,,	3	10 बी०		,, भूमिहीन			
79	श्री रामगोपाल पुत्र नाथूलाल चमार बन्दाखुर्द	,,	3	3 बी०	3 वि०	,,		11 बी०	17 वि०

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न 346 का विवरण)

वर्ष 1975–76से 1979-80 तक डेयरी की अंकेक्षित आय व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

डेयरी		प्राप्तियां	व्यय	असल लाभ	ब्याज व ह्रास	शुद्ध लाभ	हानि
1		2	3	4	5	6	7
बीकानेर							
	1975–76	79.14	70.64	8.40	15.66	—	7.26
	1976–77	230.71	212.91	17.80	16.73	1.07	
जोधपुर :							
	1975–76	125.00	125.40	(–)0.40	9.72	—	10.12
	1976–77	372.71	341.40	31.31	24.97	6.34	
	1977–78	450.77	439.94	10.83	23.25	—	12.42
अजमेर :							
	1975–76	172.63	170.38	2.25	4.21	—	1.96

1	2	3	4	5	6	7	8
अलवर :							
	1975–76	62.27	62.62	(–) 0.25	1.79	—	2.04
	1976–77	101.28	102.08	(–) 0.80	2.49	—	3.29
जयपुर :							
	1975–76 (अप्रेल-जनवरी)	104.16	119.65	(–)15.49	9.51	—	25.00
	(फरवरी-मार्च 76)	32.10	33.81	(–) 1.71	—	—	1.71
	1976–77	190.79	196.97	(–) 8.69	—	—	8.69
	1977–78	192.35	193.87	(–) 1.52	5.88	—	7.40
	1978–79	198,26	209.97	(–)11.71	1.80	—	13.51

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न सं. 346 की सूची)

कड़ाना बांध की डूब से प्रभावित विस्थापितों की तहसीलवार सूचना

क्रमांक	नाम जिला	तहसील	डूब से प्रभावित परिवारों का विवरण			
			एफ. आर. एल. 419 से प्रभावित	बैंकवाटर से प्रभावित	कुल परिवार	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1–	बांसवाड़ा	गढ़ी	1050	600	1650	
		बागीडौरा	900	120	1020	
		योग	1950	720	2670	
2–	डूंगरपुर	(अ) सागवाड़ा				
		गियाकोट के अलावा सागवाड़ा)	3990	2180	6170	
		(ब) गलियाकोट	—	1772	1772	
		कुल योग :–	3990	3952	7942	
		महा योग :–	5940	4672	10612	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न सं. 347 की सूची)

वर्ष 80–81 में जन जाति उपयोजना क्षेत्र में खोले जाने वाले छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	स्थान	जिला	स्वीकृति छात्र संख्या
1.	साबला	डूंगरपुर	25
2.	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	25
3.	कोटड़ा	उदयपुर	25
4.	सालमगढ़	चित्तौडगढ़	25 प्रारम्भ नहीं हुआ

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची)

Government of Rajasthan

TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT

Details of Pockets of Tribal Concentration as approved by Ministry of Home affairs, Govt. of India as on 29th July, 1980.

S. No.	District	No. of Tribal Pockets	Total No. of Villages (Covered in T.P.)	Total Population	S.T. Population	% of S.T. Population to total population
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alwar	2	182	86016	46200	53.71
2.	Bharatpur	1	50	27976	14805	52.92
3.	Bhilwara	1	166	56793	31420	55.32
4.	Bundi	5	187	72409	38406	53.04
5.	Chittorgarh	2	250	55583	35707	64.24
6.	Jaipur	3	697	267420	152809	57.14
7.	Jhalawar	1	123	26881	15928	59.25
8.	Kota	3	153	43809	26040	59.44
9.	Pali	1	21	27413	15308	55.84
10.	Sawai Madhopur	10	491	321272	180517	56.19
11.	Sirohi	1	51	32917	25154	76.42
12.	Tonk	3	146	49663	28022	56.42
13.	Udaipur	3	265	102428	60047	58.62
	Grand Total :	36	2782	1170580	670363	57.27

Government of

TRIBAL AREA

Details of Pockets of Tribal Concentration

S. No.	District	No. of Tribal Pocket	Code No of Tribal Pocket	Name of Tribal Pocket	Name of Tehsil	Name of P. S.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alwar	2	1	Rajgarh	Rajgarh	(1) Rajgarh (2) Reni
						Total
			2	Thanagaji	Thanagaji	Thanagaji
2.	Bharatpur	1	3	Baseri Bari	(1) Baseri (2) Bari	(1) Baseri (2) Bari
						Total
3.	Bhilwara	1	4	Jahajpur Mandalgarh	(1) Jahajpur (2) Mandalgarh	(1) Jahajpur (2) Mandalgar
						Total
4.	Bundi	5	5	Bundi	Bundi	Talera
			6	Bundi-Keshorai Patan	(1) Bundi (2) Keshorai Patan	(1) Talera (2) Keshorai Patan
						Total
			7	Hindoli	Hindoli	Hindoli
			8	Keshorai Patan	Keshorai Patan	Keshorai Patan
			9	Nainwa	Nainwa	Nainwa

288

Rajasthan

DEVELOPMENT DEPARTMENT

as approved by M.H.A. Govt. of India as on 29th July, 1980.

Total No. of Villages in			Details of Population in Tribal Pocket			Remarks
Tehsil	P.S.	Tribal Pocket from P.S.	Total Population	S.T. Population	% of S.T. Population to total population	
8	9	10	11	12	13	14
247	148	61	29724	14772		
—	99	60	38596	21524		
247	247	121	68320	36296	53 13	
152	152	61	17696	9904	55.97	
123	123	34	16174	9341		
124	124	16	11802	5464		
247	247	50	27976	14805	52.97	
182	182	97	43640	24784		
301	301	69	13153	6636		
483	483	166	56793	31420	55.32	
258	258	55	18695	9378	50.16	
258	258	28	10979	5284		
164	164	12	5526	3149		
422	422	40	16505	8433	51.09	
151	151	23	10014	6339	63.30	
164	164	27	13637	6895	50.56	
164	164	42	13558	7361	54.29	

286

1	2	3	4	5	6	7
5.	Chittorgarh	2	10	Bari Sadri-Chhoti Sadri	(1) Bari Sadri (2) ChhotiSadri	(1) Bari Sadri (2) ChhotiSadri
						Total
			11	Begun	Begun	(1) Bhainsroad garh (2) Begun
						Total
6.	Jaipur	3	12	Chaksu Lalsot Dausa Baswa	(1) Chaksu (2) Lalsot (3) Dausa (4) Basuwa	(1) Chaksu (2) Lalsot (3) Dausa (4) Bundikui
						Total
			13	Jamwa Ramgarh Chaksu Bassi Dausa Sanganer	(1) Jamwa Ramgarh (2) Amber (3) Chaksu (4) Bassi (5) Dausa (6) Sanganer	(1) Jamwa Ramgarh (2) Amber (3) Govindgarh (4) Chaksu (5) Bassi (6) Dausa (7) Sanganer
						Total
			14	Sikarai-Basuwa	(1) Sikarai (2) Basuwa	(1) Sikarai (2) Bandikui
						Total
7.	Jhalawar	1	15	Aklera	(1) Aklera (2) Jhalara patan	(1) Manohar thana (2) Bakani

8	9	10	11	12	13	14
142	142	72	18930	11539		
150	150	79	18609	12536		
292	292	151	37539	24075	64.13	
465	208	92	17455	11120		
—	257	7	589	512		
465	465	99	18044	11632	65.02	
282	282	79	17060	9715		
277	277	188	57229	31400		
241	241	100	48970	27243		
168	168	9	5411	3300		
968	968	376	128670	71658	55.69	
258	195	85	38793	21632		
218	185	27	13447	6911		
—	96	—	—	—		
282	282	15	2933	1493		
210	210	99	35099	22402		
241	241	5	1390	754		
213	213	27	8517	5118		
1422	1422	258	100179	58310	58.21	
136	136	43	25655	15207		
168	168	20	12916	7634		
304	304	63	38571	22841	59.22	
455	304	85	19812	11083		
378	325	38	7069	4845		

1	2	3	4	5	6	7
					(3) Pachpahar	(3) Jhalara-patan
					(4) Gangdhar	(4) Dug
						Total
8.	Kota	3	16	Chhipabarod	(1) Chhipa-barod	(1) Chhipa-barod
			17	Chhabra	Chhabra	Chhabra
			18	Pipalada-	(1) Pipalada	(1) Itawa
				Mangrol-	(2) Mangrol	(2) Antah
				Digod	(3) Digod	(3) Sultanpur
						Total
9.	Pali	1	19	Bali	Bali	(1) Bali
						(2) Sumerpur
						Total
10.	Sawai Madhopur	10	20	Bamanwas	(1) Bamanwas	(1) Bamanwas
				Gangapur	(2) Gangapur	(2) Gangapur
						Total
			21	Bamanwas	(1) Bamanwas	(1) Bamanwas
				Nadoti	(2) Nadoti	(2) Nadoti
						Total
			22	Gangapur	(1) Gangapur	(1) Gangapur
				Nadoti	(2) Nadoti	(2) Nadoti
						Total

8	9	10	11	12	13	14
142	306	—	—	—		
192	232	—	—	—		
1167	1167	123	26881	15928	59.25	
179	179	44	12811	8846	69.05	
192	192	51	11779	6268	53.21	
226	226	28	9124	4871		
158	158	21	7465	4478		
165	165	9	2630	1577		
549	549	58	19219	10926	56 85	
152	90	21	27413	15308		
—	62	—	—	—		
152	152	21	27413	15308	55.84	
145	145	30	14901	8575		
115	115	9	4966	2859		
260	260	39	19867	11434	57.55	
145	145	38	22237	12454		
84	84	3	963	566		
229	229	41	23200	13020	56.12	
115	115	23	28050	15339		
84	84	1	2737	1651		
199	199	24	30787	16990	55.19	

1	2	3	4	5	6	7
			23	Hindon	(1) Hindon	(1) Hindon
				Todabhim	(2) Todabhim	(2) Todabhim
						Total
			24	Karauli	(1) Karauli	(1) Karauli
					(2) Sapotra	(2) Sapotra
						Total
			25	Karauli-Sapotra	(1) Karauli	(1) Karauli
					(2) Sapotra	(2) Sapotra
						Total
			26	Mahuwa	Mahuwa	Mahuwa
			27	Malarnachor	Malarnachor	Bonli
			28	Sawai Madhopur	(1) Sawai Madhopur	(1) Sawai Madhopur
				Khandar	(2) Khandar	(2) Khandar
						Total
			29	Todabhim	(1) Todabhim	(1) Todabhim
				Nadoti	(2) Nadoti	(2) Nadoti
						Total
11.	Sirohi	1	30	Pindwara	Pindwara	Pindwara
12.	Tonk	3	31	Deoli	Deoli	Deoli
			32	Niwai	Niwai	Niwai
			33	Uniara	Uniara	Uniara

8	9	10	11	12	13	14
126	126	35	26464	14781		
141	141	5	1365	752		
267	267	40	27829	15533	55.82	
241	187	21	11935	5694		
149	203	15	11254	6116		
390	390	36	23189	11810	50.94	
241	187	16	11839	5633		
149	203	51	33777	19892		
390	390	67	45616	25525	55.96	
152	152	56	27725	16551	59 70	
175	175	53	26038	15035	57.74	
195	147	71	48762	27550		
127	175	2	759	565		
322	322	73	49521	28115	56 77	
141	141	59	45365	25389		
84	84	3	2135	1115		
225	225	62	47500	26504	55.80	
98	98	51	32917	25154	76.42	
166	166	40	16910	9463	55.96	
200	200	52	14367	7813	54.38	
210	210	54	18386	10746	58.45	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Udaipur	3	34	Girwa-Nathdwara-Mavli	(1) Girwa (2) Nathdwara (3) Mavli	(1) Girwa (2) Mavli (3) Badgaon (4) Khamnor Total
			35	Gogunda-Kumbhalgarh	(1) Gogunda (2) Kumbhalgarh	(1) Gogunda (2) Kumbhalgarh Total
			36	Ballabhnagar	Ballabhnagar	Bhinder
				Grand Total : 53 Tehsil, 58 P. Samiti		

8	9	10	11	12	13	14
212	158	—	—	—		
197	141	4	2100	959		
141	128	49	22228	12445		
—	123	—	—	—		
550	550	53	24328	13404	55.11	
149	149	81	37701	21846		
161	161	28	15415	7595		
310	310	109	53116	29441	55.57	
273	273	103	24984	17202	68.85	
10322	10322	2782	1170580	670363	57.27	

294

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 352 का परिशिष्ट "अ")

परिशिष्ट "अ"

क.सं.	जिले का नाम	सड़क से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या
1.	अजमेर	4
2.	अलवर	5
3.	बांसवाड़ा	15
4.	बाड़मेर	1
5.	भरतपुर	22
6.	भीलवाड़ा	8
7.	बीकानेर	33
8.	बूंदी	5
9.	चित्तौड़गढ़	12
10.	चूरू	13
11.	डूंगरपुर	17
12.	गंगानगर	24
13.	जयपुर	2
14.	जैसलमेर	1
15.	जालौर	22
16.	झालावाड़	5
17.	झुन्झुनूं	20
18.	जोधपुर	7
19.	कोटा	35
20.	नागौर	5
21.	पाली	12
22.	सवाईमाधोपुर	31
23.	सीकर	13
24.	सिरोही	4
25.	टौंक	14
26.	उदयपुर	51
	टोटल	372

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

वर्ष 1979-80 में रिव्यू किये गये मामलों की सूची (क)

द्वारा नायब तहसीलदार सांचोर

क्र. सं.	मुकदमा नं,	दिनांक	नाम अतिक्रमी	नाम ग्राम	निर्णय दि०	रिव्यू दि०	पुनर्निर्णय दि०	नाम अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	106/79	11-6-79	श्री अखा रंगा मनजी दीपा S/o राजा कलबी	कीलवा	17-2-80	12 3-80	19-8-80	श्री शिवजी सिंह
2.	107/79	„	„ मोरा S/o आम्बा कलवी	कीलवा	„	„	„	„
3.	113/79	20-6-79	„ सगता S/o हाजा कलवी	केसुरी	25-1-80	12-3-80	17-4-80	
4.	116/79	„	„ भूपा S/o माला राजपूत	„	„	„	„	
5.	118/79	„	„ जोधा S/o हाजा कलबी	„	„	„	„	

295

296

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	121/79	20-6-79	श्री लक्ष्मण S/o उदा कलबी	केसुरी	25-1-80	12-3-80	17-4-80	
7.	123/79	,,	,, वीरा पूनमा S/o राजा कलबी	,,	,,	,,	,,	
8.	140/79	,,	,, पदमा S/o मगा राज०	,,	,,	,,	,,	
9.	277/79	10-10-79	,, कृष्ण शर्मा S/o खा ब्रा.	घूडवा	27-1-80	17-3-80	12-4-80	
10.	278/79	,,	,, मोती S/o लाला ब्रा०	,,	,,	,,	,,	
11.	287/79	,,	,, रामजी S/o लाला ब्रा०	,,	,,	,,	,,	
12.	289/79	,,	,, कृष्ण S/o मोती ब्रा०	,,	17-2-80	,,	,,	
13.	290/79	,,	,, भावा S/o चेला ब्रा०	,,	,,	,,	,,	
14.	491/79	18-10-79	,, उका S/o डाया रबारी	डडूसण	20-1-80	17-3-80	15-5-80	
15.	631/79	19-11-79	,, मोहन S/o मूला	जाणवी	21-1-80	12-3-80	19-7-80	
16.	632/79	19-11-79	,, प्रभू S/o सेवा	,,	21-1-80	12-3-80	8-7-80	
17.	677/79	6-12-79	,, डूंगरा S/o परबता कलबी	वांक	23-1-80	12-3-80	14-10-80	
18.	679/79	,,	,, दरगा S/o रामसी रबारी	,,	,,	,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	681/79	6-12-79	श्री गोवदा S/o वना कलबी	वांक	23-1-80	12-3-80	14-10-80	—
20.	682/79	,,	,, मूता S/o घूड़ा कलबी	,,	,,	,,	,,	
21.	683/79	,,	,, काना S/o वना कलबी	,,	,,	,,	,,	
22.	292/79	10-10-79	,, चेला S/o लाला ब्राह्मण	घूडवा	17-2-80	21-3-80	12-4-80	
23.	293/79	10-10-79	,, वीरा S/o चेला ब्राह्मण	घूडवा	17-2-80	21-3-80	12-4-80	
24.	310/79	12-10-79	,, दीप सिंह S/o मेघसिंह राज०	कारोला	25-1-80	17-3-80	19-7-80	

293

ग्रामवार खसरा नम्बर जिन पर गत पांच वर्षों से लगातार कब्जे होते रहे हैं

सूची (ख)

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर
1	2	3
1.	सांचौर	291, 223, 121
2.	सिद्धेश्वर	161
3.	गोलासरा	132, 233, 259, 390, 433
4.	विरोल	99, 293, 351, 155, 217, 267
5.	प्रतापपुरा	29, 81
6.	पलादर	205, 211
7.	नेबोल	153
8.	कोरोल	25
9.	लूणियासर	34, 46, 68, 131, 138
10.	दांता	174
11.	पांचला	384, 242, 42, 250, 185, 40
12.	सरनाऊ	42, 492, 314, 492, 160, 151, 152, 153
13.	साकड़	180, 283, 289, 418, 553
14.	रिरोप	72, 88
15.	गुन्दाऊ	691, 964, 489, 918, 971, 1082
16.	फुर	57, 684, 684, 811
17.	कारोला	118, 1130, 1049, 581, 468, 1005, 206
18.	ऊरणाय	175, 430, 566, 402, 773, 751
19.	जाखल	618
20.	बलाणा	8
21.	डेडवा	571
22.	हरियाली	136, 167, 176, 323, 104
23.	डबाल	644, 615, 210, 211, 514, 630, 206
24.	जानवी	19, 338, 342, 450
25.	गलीफा	612, 689
26.	भादरूणा	39, 40, 67, 11, 51
27.	सुराचन्द	386, 444, 296, 290, 327, 325, 391
28.	सूथड़ी	26, 75
29.	साकरिया	1/253

1	2	3
30.	बरणवा	139
31.	केसूरी	56
32.	डूंगरी	1, 52
33.	अचलपुर	273, 86, 134
34.	सरवाणा	703, 4, 6, 162, 451, 84
35.	बलधरा	308
36.	बालेरा	338
37.	भाटकी	16, 14, 285, 288
38.	हाडेचा	287, 384
39.	आमली	107, 109, 332, 334
40.	बाबरला	488, 522, 523, 616, 423
41.	भड़वल	438
42.	कोड़	227, 32
43.	बिछावाड़ी	266, 324, 462
44.	दूढवा	251, 210, 200, 210, 222, 244, 245
45.	भवातड़ा	358
46.	खेजडियाली	323, 316
47.	चितलवाना	510, 514, 442, 1616, 448, 2445, 2393, 343
48.	केरिया	2965, 1580, 1582: 1718, 953, 3123, 1421, 236
49.	डावल	187, 418
50.	हिडवाड़ा	18, 81, 148, 156, 178
51.	चौरा	206, 190, 206, 438, 332, 479
52.	आकोली	51, 297, 413, 505
53.	करावडी	168, 313, 108
54.	रणोयर	428, 343
55.	बारणीय	115, 161
56	सिवाड़ा	438, 496, 687, 844, 845
57.	हेमागुड़ा	66, 144, 174, 343
58.	ईरादा	309
59.	झाब	684, 412, 84, 598, 252, 112
60.	बिम्बाऊ	342, 344, 536
61.	जोधावास	98, 156
62.	मूली	4, 12
63.	देवड़ा	417

1	2	3
64.	भूतेल	235, 262
65.	जैलातरा	136
66.	होयीगांव	909, 905, 171, 172, 415, 822
67.	रवौड़ा	334
68.	गिलूक्षएा	44
69.	बिजरोल	198, 404, 17, 117
70.	पमाएा	30, 156, 403, 421, 453